षोडश माला, खंड 7, अंक 9

बुधवार, 4 मार्च, 2015

13 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 7 में अंक 1 से 9 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2015 / 1936 (शक)

अंक 9, बुधवार, 4 मार्च, 2015 / 13 फाल्गुन, 1936 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 126	14-42
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	

---

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

होली एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ 44-45

सभा पटल पर रखे गए पत्र 46-56

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति 57

चौथा प्रतिवेदन

शौचालयों की कमी के बारे में दिनांक 25.2.2015 के अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री बाबुल सुप्रियो 58-61

सभा का कार्य 62-67

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 68

सदस्यों द्वारा निवेदन

एक ब्रिटिश वृत्तचित्र के लिए साक्षात्कार के दौरान तिहाड़ जेल में निर्भया बलात्कार आरोपियों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की सूचना के बारे में 69-83

नियम 377 के अधीन मामले 84-97

(एक) झारखंड के गोड्डा में एफ एम रेडियो स्टेशन का संचालन शीघ्र आरंभ किए जाने एवं दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे 84-85

(दो) कर्नाटक के कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुश्तगी फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा 85

(तीन) राजस्थान में बिलड़ा से बर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 85-86

(चार) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

डॉ. सुभाष रामराव भामरे 85-86

(पांच) सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाये जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक 87-88

(छः) हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित टोपरा कलां गांव में अशोक शिलालेख उद्यान स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया 89

(सात) दिल्ली से राँची के बीच एअर इंडिया की उड़ान संख्या आई सी 809 और आई सी 810 का संचालन पूर्व समयसारिणी के अनुसार किये जाने एवं

राँची और दिल्ली के बीच अतिरिक्त दैनिक उड़ानों को आरंभ किये जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 90

(आठ) उत्तर प्रदेश में घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री हरि नरायन राजभर 89-90

(नौ) कानपुर-हमीरपुर-सागर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत किये जाने एवं मरम्मत कार्य के पूरा होने तक कानपुर और आगरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर पथकर की वसूली न किये जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 91

(दस) भिलाई इस्पात संयंत्र में पदोन्नति में ठहराव से जूझ रहे कर्मचारियों हेतु समयबद्ध कैरियर प्रगति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री ताम्रध्वज साहू 92

(ग्यारह) तमिलनाडु में विशेषकर पुदुकोटै जिले में नारियल किसानों हेतु कल्याणकारी उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.आर.सेनथिलनाथन 92-93

(बारह) प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से त्यागपत्र दिये जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय 94

(तेरह) घरेलू करेंसी नोट मुद्रणालयों एवं टकसालों में करेंसी नोटों का मुद्रण और सिक्के ढाले जाने की आवश्यकता

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे 94

(चौदह) विजयवाड़ा विमानपत्तन और विजयवाड़ा बस टर्मिनस के बीच बस सेवा आरंभ किये जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला 95

(पंद्रह) बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को तेजी से पूरा करने हेतु कदम उठाये जाने और वैशाली हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राम किशोर सिंह 96

(सोलह) पंजाब के पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के तथाकथित दुर्विनियोजन के बारे में जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री धर्म वीर गांधी 96

(सत्रह) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) कार्यक्रम हेतु स्पष्ट निधि विनियमन तैयार किये जाने और सी एस आर हेतु विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 97

कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प 98-182

और

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015

श्री कल्याण बनर्जी 98-103

श्री गोडम नगेश 104-105

श्री गणेश सिंह 106-108

श्री शेर सिंह गुबाया 109-110

श्री उदय प्रताप सिंह 111-113

श्री दुष्यंत चौटाला 114-115

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा 116-124

डॉ. अरुण कुमार 125-126

श्री जगदम्बिका पाल 127-129

श्री कौशलेन्द्र कुमार 130-132

श्री पीयूष गोयल 133-146

श्री भर्तृहरि महताब 147-151

संकल्प - वापस लिया गया 151

खंड 2 से 33 और 1 152-181

पारित करने के लिए प्रस्ताव 182

बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 181-275

विचार करने के लिए प्रस्ताव 182

श्री सी.एन. जयदेवन 184-183

प्रो. सौगत राय 183-190

श्री रमेश पोखरियाल निशंक 191-193

डॉ. शशि थरूर 194-198

डॉ. पी. वेणुगोपाल 202-206

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 207-208

श्री बलभद्र माझी 209-210

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे 211-212

श्री एम.बी. राजेश	213-216
श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी	217-219
श्री अभिजीत मुखर्जी	220-220
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	221-227
श्री गौरव गोगोई	228-232
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	233-236
श्री दुष्यंत चौटाला	237-238
श्री जयंत सिन्हा	239-241
संकल्प – अस्वीकृत	245
खंड 2 से 108 और 1	246-272
पारित करने के लिए प्रस्ताव	272-275

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के. एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 4 मार्च, 2015 / 13 फाल्गुन, 1936 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः सदस्यों, मुझे श्रीमती रंजीत रंजन, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, श्री शनावास और कुछ अन्य सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे रही हूं लेकिन मैं उन्हें प्रश्नकाल के बाद बोलने की अनुमति दूंगी।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदया, मैंने भी एक नोटिस दिया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री अधीर रंजन चौधरी: महोदया, सरकार इनकार कर रही है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्षः मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं।

… (*व्यवधान*)... *

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? महोदया, ऐसी गंभीर टिप्पणियाँ नहीं की जानी चाहिए और न ही इन्हें सदन की कार्यवाही-वृत्तान्त का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इसकी अनुमति नहीं दे रही हूं।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएग। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी।

*… (व्यवधान)... **

माननीय अध्यक्ष: मुझे इस बात का खेद है। मैं आपको अनुमति नहीं दी है।

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 121,श्री रमेन डेका

(प्रश्न संख्या 121)

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका: यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि पूर्व में स्थगनों के कारण मैं बार-बार अपना अवसर नहीं ले पाया। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर विस्तृत एवं संतोषजनक है, फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास गुवाहाटी और असम के अन्य नगर निगम बोर्डों में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत फंड के उपयोग की जांच करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि इस फंड के दुरुपयोग के आरोप हैं।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, एक स्पेसिफिक सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, अभी मेरे पास ऐसी किसी शिकायत की जानकारी नहीं है, मगर असम से जेएनएनयूआरएम के संदर्भ में कोई शिकायत आएगी तो मैं उसे देखूंगा और अगर शिकायत गंभीर हुई तो जरूर उसके ऊपर इनक्वायरी करा लेंगे।

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका: असम में बारिश एक बड़ी समस्या है। बारिश के कारण सभी शहरी क्षेत्रों में, विशेष रूप से मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंगलदाई, नलबाड़ी, गुवाहाटी में बाढ़ आ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास असम के शहरी इलाकों में बारिश के कारण आई बाढ़ से निपटने की कोई योजना है।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: अध्यक्ष महोदया, यह एक सामान्य प्रश्न है। यह एक तथ्य है कि ब्रह्मपुत्र के कारण और भारी बारिश के कारण लगातार बाढ़ से असम राज्य, विशेषकर गुवाहाटी शहर प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में, यदि राज्य सरकार के पास कोई ठोस और स्पष्ट प्रस्ताव आता है, तो हम अवश्य इस पर विचार करेंगे कि वह हमारी योजना के अनुरूप है या नहीं। यदि प्रस्ताव का दायरा जल संसाधन से संबंधित है, तो इसे जल संसाधन मंत्रालय के संज्ञान में लाना उचित होगा क्योंकि यह विषय उसी मंत्रालय के अधीन आता है। माननीय सदस्य को पहले इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाना चाहिए और फिर यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव है तो संबंधित मंत्रालय से इसकी जांच कराई जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय जो भी सहायता प्रदान कर सकेगा, हम प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवनीत सिंह : अध्यक्ष महोदया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन यू.पी.ए.-1 सरकार ने दिसंबर, 2005 में सात वर्षों के लिए शुरू किया था। बाद में उसे दो साल के लिए मार्च, 2014 तक बढ़ाया गया। इसके अधीन प्रोजेक्ट्स में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड नेटवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट आदि अहम प्रोजेक्ट्स शहरों के विकास के लिए थे। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम में छोटे टाउन्स के लिए 6607 करोड़ रुपये से अधिक धन सरकार ने अप्रैल 2011 से अप्रैल 2014 के दौरान तीन वर्षों में दिए। इसके अधीन विभिन्न राज्यों एवं मिनिस्ट्रीज ने 3384 करोड़ रुपये खर्च किए। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस पर, यू.आई.जी. स्कीम में 3,442 करोड़ रुपए 2011 से 2014 तक दिए गए। उसमें से 923 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यदि ऐसे ही मैं सारे देश की स्थिति की बात करूं, खासकर मैं अपने संसदीय क्षेत्र लुधियाना की बात करूं तो बहुत बड़ी रकम सरकार ने शहरों के लिए दी थी। लेकिन आज कई प्रोजेक्ट्स चाहे सीवरेज का हो, रोड का हो या यातायात यानि बसों का हो, वे सारे प्रोजेक्ट्स कहीं न कहीं अधूरे पड़े हैं। इससे बहुत बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि कभी इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। लिखित जवाब में भी बताया गया है कि राज्यों के साथ चर्चा हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी स्कीम सरकार बनाने जा रही है? मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत कई हजार करोड़ रुपयों की

स्कीम्स शुरू की गई थीं, वे कहीं बीच में न रह जाएं। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे स्कीम्स कब पूरी होंगी?

माननीय अध्यक्ष: स्कीम्स के कम्प्लीशंस के लिए जानना चाहते हैं।

श्री रवनीत सिंह: मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो स्कीम्स पूरी हो चुकी हैं, उनके रख-रखाव के लिए क्या सरकार कोई पैसा देगी? अंत में मैं एक बात और पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आपका एक पूरक प्रश्न हो गया है।

श्री रवनीत सिंह: हमारे रूरल एरियाज में विजिलेंस मानिटरिंग कमेटीज हैं। उसमें सांसद और विधायक सदस्य हैं। हमारी हाउस कमेटी ने भी फैसला किया है और कहा है कि क्यों नहीं शहरों के लिए भी विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी बनाई जाती, जो एक-एक पाई का हिसाब रख सके। मैं समझता हूं कि इस बात से सारा सदन भी सहमत होगा। यहां पर प्रधान मंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अर्बन एरिया के लिए भी क्या विजिलेंस मानिटरिंग कमेटी बनाने पर आप विचार करेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रोग्राम 2005 में शुरू किया गया था। सन् 2012 में यह योजना समाप्त हो गई थी। उसके बाद इसे एक साल के लिए और एक्सटेंड किया गया। फिर उसके बाद चुनाव के दौरान इसे एक साल का और एक्सटेंशन दिया गया। उसमें यह शर्त रखी गई कि जो स्कीम्स मंजूर की गई हैं, उनके लिए पैसा रिलीज किया जाएगा। उन स्कीम्स को 31 मार्च, 2014 तक पूरा होना चाहिए और यदि वे उक्त अवधि तक पूरी नहीं होतीं तो उनकी आगे की देखभाल प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। यह निर्णय उस समय की सरकार ने तब लिया था और यह तथ्य है। [अनुवाद] मैं वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी से भागने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह निर्णय उस समय लिया गया था। उस अवधि में स्वीकृत योजनाओं को 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण करना था। यही वास्तविक स्थिति है।

अपूर्ण कार्यों के संबंध में, जैसा कि माननीय सदस्य ने सही रूप से कहा है, कई राज्यों में ऐसे अपूर्ण कार्य हैं, और इनकी देखरेख की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। लेकिन राज्य सरकारें स्वयं कह रही हैं कि वे इन कार्यों की देखरेख करने की स्थिति में नहीं हैं। राज्यों का यही कहना है। वे आते हैं और

मुझसे मिलते हैं। वे मुझे पत्र भी लिखते रहे हैं। लेकिन हाल ही में वित्त आयोग द्वारा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले धन में बढ़ोतरी और वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त संसाधनों के साथ, राज्यों को इस पर ध्यान देना होगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि वह इस संबंध में और क्या कर सकती है। इसी बीच वित्त आयोग की सिफारिशें आ गईं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश वित्तीय संसाधन राज्यों को हस्तांतरित कर दिए गए। स्पष्ट रूप से कहूं तो, मेरे राज्य स्तरीय समकक्ष मंत्री अब संसाधनों के मामले में समृद्ध हो गए हैं और तुलनात्मक रूप से मैं स्वयं सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह नीति का हिस्सा है, और हमारे माननीय प्रधान मंत्री इस बात के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं कि राज्यों को सशक्त और सक्षम बनाया जाए।

आख़िरकार, माननीय सदस्य ने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण विकास मंत्री जी के रूप में, मैंने इस बात पर जोर दिया कि उस विशेष क्षेत्र के संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक निगरानी और समीक्षा समिति होनी चाहिए। उन्होंने इसे शहरी क्षेत्रों में भी करने का सुझाव दिया है। वर्तमान में केवल अधिकारी ही इनकी निगरानी कर रहे हैं, और मुझे संसद में इसके लिए जवाब देना होता है। इसलिए, मैं सांसदों को भी सह-अध्यक्ष बनाने के सुझाव पर सकारात्मक रूप से विचार करूंगा, क्योंकि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले शहरों की निगरानी समिति में एक अधिकारी के साथ संसद सदस्य का होना आवश्यक है।

श्री पी.आर. सुन्दरम: माननीय अध्यक्ष महोदया, तमिलनाडु ने शहरी विकास हेतु प्राप्त निधियों के प्रभावी एवं दक्ष उपयोग के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी पुरात्ची थलाइवी अम्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में तमिलनाडु ने 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर इष्टतम उपलब्धि हासिल की है। राज्य स्तरीय प्रदर्शन में भी तमिलनाडु ने 99 प्रतिशत सफलता के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। माननीय मंत्री महोदय का उत्तर भी इसी उपलब्धि की पुष्टि करता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या तमिलनाडु जैसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों को अधिक संख्या में 'स्मार्ट सिटी' परियोजनाएँ आबंटित कर प्रोत्साहित किया जाएगा?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि जहां तक शहरी विकास का सवाल है, तमिलनाडु बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। मुझे अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान प्रदर्शन की समीक्षा करने का अवसर मिला जहां मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता जी से मिलने का अवसर मिला। मैंने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी किया है। ऐसा इसलिए ताकि दूसरे राज्यों के लिए भी इसका उदाहरण बने। कुछ अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है।

महोदया, स्मार्ट सिटी की मंजूरी के संबंध में स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करना होगा। हम इसे ध्यान में रखेंगे। समस्या यह है कि स्मार्ट सिटी का आबंटन नहीं हो पा रहा है। स्मार्ट सिटी योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके तहत एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें शहरों का चयन उनके प्रदर्शन, वित्तीय सक्षमता तथा सुधारों को अपनाने की तत्परता के आधार पर किया जाएगा—चाहे वे प्रारंभिक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों या नहीं। ये सभी कारक संज्ञान में लिए जाएंगे। जब तमिलनाडु राज्य के शहरों के चयन की बात आएगी, तो राज्य सरकार के दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से महत्व दिया जाएगा।

श्री बी. विनोद कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना जारी रहेगी जो पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार इस परियोजना को जारी रखेगी या नहीं। यदि सरकार इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव रखती है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मानदंडों में ढील देने का प्रस्ताव कर रही है। पहले इस योजना के अंतर्गत 10 लाख आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया था। 63 शहरों पर विचार किया गया था। यदि सरकार इस योजना को जारी रखने का प्रस्ताव कर रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि कई अन्य शहर भी इस योजना के दायरे में आ सकें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा क्या जो शहर पहले से ही इस मिशन के अंतर्गत थे उन्हें एक बार फिर से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माना

जाएगा, या जिन शहरों को जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत माना गया था उन्हें हटा दिया जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि और भी नए शहर स्मार्ट के दायरे में आ सकें।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, यह योजना वर्ष 2005 में आरंभ की गई थी और इसे वर्ष 2012 तक पूर्ण किया जाना था। तत्कालीन सरकार द्वारा दो बार अवधि में विस्तार किया गया—पहला विस्तार वर्ष 2013 तक और दूसरा वर्ष 2014 तक, जिसके पश्चात इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इसकी परिकल्पना पहले योजना आयोग ने की थी। वर्तमान सरकार शहरी कायाकल्प के लिए एक नया मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है जिसका उल्लेख बजट में भी किया गया है। उस योजना में, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही उल्लेख किया है, प्रमुख शहरों के लिए निर्धारित मानदंड 10 लाख और उससे अधिक नहीं है। सरकार अब एक लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को भी इसमें शामिल करने पर विचार कर रही है। इसका अर्थ है कि शहरों की संख्या 500 तक पहुंच जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना के संबंध में आगे की स्पष्टता के बाद, कुछ और शहर स्मार्ट सिटी के लिए पात्र बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मार्ट सिटी पी.पी.पी. मॉडल पर बनने जा रही है। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना नहीं है। सरकार इसमें भाग जरूर लेगी लेकिन यह पी.पी.पी. मॉडल पर होगा। जब कोई शहर पात्रता प्राप्त कर लेगा, तो उसे उस सूची से हटाकर अलग सूची में शामिल किया जाएगा और उसके विकास एवं प्रबंधन में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रो. सौगत राय: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण अभियान एक मिशन मोड आधारित सुधार कार्यक्रम था, जिसका संचालन वर्ष 2005 से 2012 तक किया गया और जिसके लिए कुल बजट एक लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था। जैसा कि श्री रवनीत सिंह जी ने बताया है, मिशन को मार्च, 2014 तक दो साल का विस्तार दिया गया था। अब तक इन्दौर में बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है, जहां *जनमार्ग* या बी.आर.टी.एस. बनाया गया; अहमदाबाद में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के पैसे से *जनमार्ग* या बी.आर.टी.एस. बनाया गया था। अब अजीब स्थिति है क्योंकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। केंद्र ने इन योजनाओं का वित्त पोषण पूरी तरह से बंद कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न रखें।

प्रो. सौगत राय: महोदया, मेरा प्रश्न यह है। नौ महीने से हम उम्मीद कर रहे हैं कि शहरों के विकास के लिए एक नया मिशन शुरू किया जाएगा, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नहीं होगा, दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर होगा। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं की जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अनुसरण के लिए एक वैकल्पिक मिशन की सटीक योजना क्या है जिसने पूरे देश में 65 मिशन शहरों में काफी महत्वपूर्ण काम किया है?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: मैं किए गए उत्कृष्ट कार्यों को कमतर आंकने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस पूर्व मिशन से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिली हैं। पिछली सरकार के फैसले के कारण वह मिशन अपने आप समाप्त हो गया है। प्रो. सौगत राय जी जो कह रहे हैं वह सच है। वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि कई परियोजनाएं 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत या 70 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुकी हैं, किंतु वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण वे अधर में लटकी हुई हैं। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया, हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां पहले निर्णय लिया गया था कि इन्हें केवल राज्य निधि के समर्थन से पूरा किया जाएगा। पहले कठिनाई यह थी कि राज्य सरकारों के पास समतुल्य धनराशि उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उनके पास भी धन की कमी थी। इसके बाद वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार के हालिया फैसले से राज्यों को भी कुछ धनराशि मिली है और स्थानीय शहरी निकायों को भी कुछ धनराशि मिली है। क्या वे पर्याप्त होंगे और क्या इसका कुछ हिस्सा नए मिशन के अंतर्गत लिया जाना है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र निकाला जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि 60 से 70 प्रतिशत तक उपयोग किए गए संसाधन व्यर्थ चले गए तो यह राष्ट्र के लिए गंभीर क्षति और अपव्यय होगा। इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए, हम राज्यों के साथ चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।

(प्रश्न संख्या 122)

[हिन्दी]

श्री सुभाष पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में बी.एस.एन.एल, और एम.टी.एन.एल. के टावर लगे हैं, जिनकी शिकायतें हमें क्षेत्र में भी प्राप्त होती हैं और आए दिन जनता की समस्याओं का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। बी.एस.एन.एल., और एम.टी.एन.एल. का न तो मोबाइल कवरेज मिलता है और न ही 3जी चलता है। हम सभी सांसदों को बी.एस.एन.एल. के मोबाइल दिए गए हैं। लेकिन कवरेज न मिलने की वजह से क्षेत्र की जनता से मोबाइल पर सम्पर्क नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल, और एम.टी.एन.एल. के विरुद्ध आने वाली शिकायतों के निवारण हेतु क्या कोई विभागीय समय सीमा निर्धारित है? यदि नहीं, तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित करने का मंत्री जी का विचार है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, बी.एस.एन.एल, और एम.टी.एन.एल. के बारे में सुधार की बहुत गुंजाइश है। जैसे ही नई सरकार आयी थी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में यह निर्णय किया था कि हम इन दोनों संस्थाओं की वर्किंग को इम्प्रूव करेंगे। मैं सदन के सामने दो-तीन सूचनाएं देना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल. वर्ष 2000 में बना था और वर्ष 2004-05 में इसे 10183 करोड़ रुपये का प्रोफिट था। वर्ष 2000 से 2004 तक किस की सरकार थी, यह बताने की जरूरत नहीं है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जब हम लोग सरकार से गए तो बी.एस.एन.एल. का प्रोफिट 10,183 करोड़ रुपये था और अभी वर्ष 2013-14 में यह 7020 करोड़ रुपये के लॉस में है। एमटीएनएल वर्ष 2007-08 तक 263 करोड़ रुपये के प्रोफिट में था और यह 5321 करोड़ रुपये के लॉस में 2012-13 में है। ऐसा क्यों हुआ, यह मैं सदन को बताना चाहता हूं। इसके तीन कारण हैं, पहला, पे-रीवज़न, जो कि करना है। दूसरा, स्पैक्ट्रम की प्राइसिंग उनके ऊपर दी गयी और उनको कहा गया कि जो मार्किट प्राइस है उस पर स्पैक्ट्रम लेना पड़ेगा। यह नहीं बताया गया कि कमिर्शियल केस है या नहीं, उसका ईको सिस्टम है या नहीं। तीसरा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि पांच साल तक बी.एस.एन.एल. के टैंडर को फाइनलाइज़ नहीं होने दिया गया। कभी यह कमेटी, कभी वह कमेटी, जिसके कारण कोई भी निवेश नहीं कर पाया। इन सब के कारण स्थिति चिंताजनक हुई है।

माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न किया है, मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि हम इस सरकार के आने के बाद क्या कर रहे हैं। हम लगभग 2जी और 3जी के लगभग 25 हजार बी.टी.एस. बी.एस.एन.एल. के लगाने जा रहे हैं। यह हम इस सदन में घोषणा करना चाहते हैं। सातवें फेज़ को मैं पर्सनली मॉनीटर कर रहा हूं, यह जल्दी होना चाहिए। दूसरा, जितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं, उनको नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क से 600 करोड़ रुपये लगाकर सुधार रहे हैं। 4 हजार 8 सौ करोड़ रुपये बी.टी.एस. और 600 करोड़ रुपये एक्सचेंज के बी.एस.एन.एल. स्वयं निवेश कर रही है। एम.टी.एन.एल. में भी हम दिल्ली व मुम्बई में 1080 3जी की साइट और 880 2जी की साइट लगा रहे हैं। इसी के अनुपात में हम मुम्बई में भी लगा रहे हैं। आपने सही कहा कि ग्रिवांस रिड्रेसल को सुधारने की आवश्यकता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि मैंने यह निर्देश दिया है कि जितनी भी कम्पलेंट्स आती हैं, उसका एक मैकेनिज्म है। उन सभी को बी.एस.एन.एल, और एम.टी.एन.एल. अपनी-अपनी वेबसाइट पर डालें ताकि जनता यह देख सके कि कब तक उनका डिसपोज़ल होता है।

एक अंतिम बात जो मुझे सूचना देनी है कि एम.पीज. के बारे में हाउस कमेटी की एक संस्तुति थी कि सारे एमपीज के घरों में चूंकि उनको काफी डॉक्यूमेंट लोड करने पड़ते हैं, इसलिए फाइबर कनैक्टिविटी वाइ-फाइ दी जाए। सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है।...(व्यवधान) आने वाले मई से अगस्त के बीच में लगभग 750 के करीब जो एम.पीज. हैं, दिल्ली में सभी के आवास पर हम फाइबर वाइ-फाइ देंगे और स्पीड भी बहुत अच्छी करेंगे। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं।

श्री सुभाष पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में बीएसएनएल और एमटीएनएल में सुधार करने के लिए जो कड़े कदम उठाये जा रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा पूरक प्रश्न है कि विगत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से सेवाएं मिलती रहें, इसके लिए क्या कड़े कदम या कार्रवाई करने का विचार है ?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, उन्होंने एक स्पेसिफिक संख्या पूछी है। मैं उनको जानकारी दे दूंगा। मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिकायत निवारण प्रक्रिया प्रभावी हो, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। सुधार

हो रहा है, टॉल-फ्री नम्बर है। इसमें यदि और सुधार की गुंजाइश आपके क्षेत्र में है तो आप मुझे स्वयं बताएं, मैं उस दिशा में और प्रयास करूंगा।

श्री सी.आर.चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मंत्री जी का बहुत अभिनंदन और उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही इलेबोरेट और टू दि प्वाइंट रिप्लाई सदन में प्रस्तुत किया है। इसके बावजूद भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पदभार संभालने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बनी, उसके पश्चात अगस्त में आपने ऑल चीफ जनरल मैनेजर्स की मीटिंग बुलाकर जो निर्देश दिये कि सरकार की क्या नीति है, सरकार क्या चाहती है और उसके बाद घाटे में भी कमी आई है और काफी सुधार हुए हैं।

डिजीटल इंड़िया जो माननीय प्रधान मंत्री जी का एक कार्यक्रम है, विशेष रूप से इस पर जोर है और उसके तहत 2.5 लाख पंचायत को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे घाटे के पीछे दूसरी कंपनीज की तुलना में ट्राई ने जो बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. को कमजोर बताया है, उसका कारण एक यह है कि स्टॉफ की काफी कमी चल रही है क्योंकि अगर स्टॉफ बढ़ाते हैं तो घाटा और बढ़ जाता है। यहां पर माननीय प्रधान मंत्री जी मौजूद हैं। मंत्री महोदय पर वह अपना आशीर्वाद दें और थोड़ा पैसा ज्यादा दें ताकि वह वन टाइम पूरी रिक्रूटमेंट कर सकें क्योंकि जब तक स्टॉफ नहीं होगा, ...(व्यवधान) मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे नागौर निर्वाचन क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टॉफ नहीं है और पिछले दो साल से जनरल मैनेजर नहीं है। राजस्थान में 24 जी.एम. हैं लेकिन उनमें से 12 पद रिक्त पड़े हैं। इस संबंध में रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं ताकि ये दोनों कंपनीज अच्छे ढंग से काम कर सकें ?

श्री रवि शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने मेरे बारे में जो टिप्पणी की है, मैं हृदय से उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। डिजीटल इंडिया की जो आपने चर्चा की, यह सार्थक चर्चा की। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में देश में जो डिजीटल हैव्स और ड़िजीटल हैव -नोट्स हैं, उनके बीच की दूरी को पाटने का एक बहुत ही प्रामाणिक प्रयास है। मैं हमेशा मानता हूं कि डिजीटल कनैक्शन गरीबों के लिए आधिक जरूरी है। पिछड़े इलाकों के लिए भी जरूरी है। आज मैं सदन में बताना चाहूंगा

क्योंकि यहां केरल के मेरे मित्र उपस्थित हैं, केरल में जब इदुकी में इसका उद्घाटन पहले जिले में किया गया तो 18 कि.मी. दूर सड़क से एक आदिवासी गांव है जहां सड़क नहीं है, वहां भी हम मोबाइल से बात कर सके। इसकी यह प्रामाणिकता है। अब आपने पदाधिकारियों की कमी की बात कही है। आपकी बात सही है। लेकिन उसके कारण आधिकारियों और कर्मचारियों की कमी नहीं है। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. में काफी स्टॉफ है। उनके डिप्लॉयमेंट की बात है। अब उसका एक केस हाई कोर्ट में हुआ था कि उनका एबजॉर्प्शन नहीं करना है। जितना करना है, उतना ही करना है। उसका मैं रास्ता निकाल रहा हूं। आपने जो नागौर के बारे में एक मैनेजर स्तर के पद स्थापन की बात कही है, मैं उसको देखूंगा। मैंने स्वयं निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोग डैपुटेशन पर भी जा सकें। इसकी कानूनी तरीके से चिंता होनी चाहिए ताकि कोर्ट के आदेश की अवमानना भी नहीं हो। उसका रास्ता मैं निकाल रहा हूं। जल्दी वह भी पूरा होगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री पी. करुणाकरन।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह आपको तय करना पड़ेगा कि आपमें से कौन बोलना चाहता है।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन: महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

हम सभी को बी.एस.एन.एल. पर गर्व है क्योंकि यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मुझे लगता है हमारे माननीय मंत्री जी बी.एस.एन.एल. की समस्याओं को बदलने के इच्छुक हैं। बी.एस.एन.एल. को निजी कंपनियों से मुकाबला करना होगा। निजी कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में लाभकारी योजनाएं घोषित कर रही हैं। बी.एस.एन.एल. के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा संसाधनों की कमी है। जब हम बी.एस.एन.एल. की जिला स्तरीय सलाहकार समितियों से मिलते हैं या उनमें भाग लेते हैं, तो वे प्रायः यह सूचित करते हैं कि पिछले दस वर्षों से आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए कोई नया ऑर्डर जारी नहीं किया गया है। जब निजी कंपनियां अत्याधुनिक उपकरण खरीद रही हैं तो बी.एस.एन.एल. के लिए मांगों को पूरा करना कैसे संभव है? मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री महोदय बीएसएनएल को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने के लिए तैयार हैं। अन्यथा, यह लक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होगा। हमारा एक सशक्त सपना है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बी.एस.एन.एल. के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय बी.एस.एन.एल. को आवश्यक संसाधन प्रदान करने तथा आधुनिक उपकरणों की खरीद हेतु आवश्यक आदेश जारी करने के लिए तैयार हैं।

अगला विषय यह है कि नए लैंडलाइन कनेक्शन उपलब्ध नहीं हैं। जब हम शिकायत करते हैं तो केवल पुराने लैंडलाइन को दूसरे से बदल दिया जाता है, जबकि नए कनेक्शन नहीं दिए जाते क्योंकि उनके पास

न तो नए लैंडलाइन हैं और न ही नए उपकरण। सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाने जा रही है?...(*व्यवधान*)

श्री ई. अहमद: निजी कंपनियां इस व्यवसाय को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रही हैं... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अहमद जी, आप तो बहुत सीनियर मैम्बर हैं, ऐसा नहीं करते, प्लीज बैठिये।

[अनुवाद]

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न पूर्णतः उचित है। मैं हमेशा बीएसएनएल के कर्मचारियों से कहता हूं कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बीएसएनएल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इस मॉडल को पूरे देश स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। मैं दक्षिण भारतीय राज्यों के उन कर्मचारियों की सराहना करता हूं जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।...(*व्यवधान*) मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि आपने मुझसे एक प्रश्न किया है। मुझे संगठन की कमजोरियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें सक्रिय रहना चाहिए था। आपने मुझसे पूछा कि उन्हें नए उपकरण क्यों खरीदने की अनुमति नहीं दी गई? आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए। यह सवाल आप मुझसे नहीं, बल्कि दूसरी पार्टी से पूछना चाहिए! ...(*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, वह इस तरह कैसे जवाब दे सकते हैं? माननीय मंत्री जी आप तो सरकार में हैं... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह सब ठीक है। माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें। यही अधिक उपयुक्त होगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं केवल तथ्य कह रहा हूं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: आप सरकार में हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह ठीक है।

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगा। केवल माननीय मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान) ... *

श्री रवि शंकर प्रसाद: महोदया, मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि सरकार एक सतत संस्था है। फिर भी, यदि 2007 से 2012 तक पाँच-छह वर्षों तक बीएसएनएल को नए उपकरण खरीदने की अनुमति नहीं दी गई, तो इस विषय पर गंभीर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

दूसरा, मेरी सरकार निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए बहुत स्पष्ट है, संतुलन बनाए रखने के लिए एक सार्वजनिक निकाय होना चाहिए। इसलिए, जिस तरह से निजी कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया और बी.एस.एन.एल. को सभी उपकरण रखने की अनुमति नहीं दी गई, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। जैसा कि आपने उल्लेख किया, बी.एस.एन.एल. अपने स्वंय के संसाधनों के माध्यम से 2जी एवं 3जी के 25,000 बेस स्टेशन स्थापित करने के लिए लगभग 4800 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही कर चुका है। इसके अलावा, संपूर्ण अगली पीढ़ी के एक्सचेंजों में बदलाव के लिए 600 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ये सभी पहल की जा रही हैं। मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के कार्यकुशलता में सुधार के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें भी पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं स्वयं मुंबई जाकर उनसे कहा कि अपनी सोच को बदलें, अधिक बाजार-उन्मुख बनें और ग्राहकों के निकट जाएं। ऐसे कई प्रयास हम वर्तमान में कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव सातव : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो अभी बात कही है, मैं उनसे एक ही स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछना चाहता हूं कि आज एक सबसे बड़ी समस्या बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के सामने है, जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वहां बैटरीज की उपलब्धता सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टावर्स जब लगेंगे,

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

तब लगेंगे, मॉडर्नाइजेशन जब होगा, तब होगा, कम से कम जो बैटरीज की जरूरत है, उसके लिए कम से कम आपकी तरफ से जो काम होना चाहिए, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : महोदया, माननीय सदस्य ने जो विषय़ उठाया है, वह बहुत सही विषय है। जब मैं विभाग की मानिटरिंग करता हूं तो यह समस्या आती है। मैंने स्वयं उन्हें निर्देश दिया है कि टावर्स के मेन्टिनेंस के बारे में कुछ नया विकल्प सोचिये, ताकि उसका मेन्टीनेंस इफैक्टिव हो, चाहे वह डीजल के मामले में हो या बैटरी के मामले में हो, इसका रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। वे जल्दी ही एक एक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं और वे मुझे बताएंगे। यह निर्देश मैं दे चुका हूं। आपकी चिंता बहुत व्यापक है। मुझे और भी सांसदों ने कहा है कि टॉवर्स की मेंटेनेंस की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम उस दिशा में चिंता कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्ना कुमार पटसानी: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से टावरों से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें देखा गया है कि टावरों पर दो सुनहरे पंखों वाले पक्षी विश्राम और घोंसला बनाते हैं, जिसके कारण देश की दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की हानि हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान देश की दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की सुरक्षा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह देश के लिए अच्छा होगा। क्या आप दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा के लिए कुछ सोच रहे हैं या योजना बना रहे हैं?

श्री रवि शंकर प्रसाद: एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है। मैं इस पर गौर करूंगा। यदि वे मुझे उन क्षेत्रों के बारे में बता सकें जहाँ ये प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं, तो मैं विभाग के अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे ऐसे उचित कदम उठाएँ जिससे पक्षियों को कोई क्षति न पहुँचे।

(प्रश्न संख्या 123)

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: महोदया, आज सभी बच्चों को लगता है कि हमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। माँ-बाप को भी लगता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। उसके लिए केंद्र सरकार ने जो स्कीमें बनाई हैं, वे बहुत अच्छी हैं। लेकिन ग्रामीण इलाके में देखा जाता है कि स्कूल बहुत ही कम संख्या में हैं और अच्छे स्कूल शहरों में होते हैं। सी.बी.एस.सी. और आई.सी.एस.सी. के जो स्कूल हैं, वे शहरों में होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे स्कूल न होने के कारण वहां के बच्चे शहरों की ओर जाते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक रूल है कि सभी स्कूलों को आर.टी.ई. के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेकिन जो बड़े स्कूल हैं, वहां पर वे रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। उनको हर साल दो-दो महीने का एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन के लिए मिलता है। उस कारण बच्चों को आर.टी.ई. के द्वारा अभी भी अच्छी शिक्षा मिल नहीं रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो स्कूल आर.टी.ई. के अंतर्गत बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, ऐसे स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने कुछ प्रावधान किया है या नहीं जैसे उनका रजिस्ट्रेशन आदि कैंसिल करने का सरकार का प्लान है या नहीं है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, स्कूल देश भर में हैं। भले ही प्राईवेट स्कूल कहीं न हों, लेकिन सरकारी विद्यालय देशभर में सब जगह हैं। जो हमारा डाटा है, रिपोर्ट है, उसके अनुसार 98 पर्सेंट हैबिटेशंस में हमारे स्कूल्स ऑलरेडी हैं। जहां तक आर.टी.ई. एक्ट के तहत प्राइवेट विद्यालय उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या उस पर कोई कार्रवाई करने की बात सरकार करेगी? यह राज्य की जवाबदेही है, क्योंकि यह विषय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को हम समय-समय पर एडवाइज़री जारी करते रहते हैं। हम आगे भी फिर एडवाइज़री जारी करेंगे। अगर स्पेसिफिकली किसी स्कूल के बारे में माननीय सदस्य बताएंगे तो उस पर भी हम अलग से देखेंगे।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने: महोदया, प्राथमिक शिक्षा तथा सैकेंडरी शिक्षा प्रोग्राम के कार्यान्वयन के संबंध में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है? इस प्रोग्राम के अधीन स्थानीय निकायों को धन देने की क्या व्यवस्था है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, स्थानीय निकायों को धन देने की बात सीधे यहां से हम नहीं करते हैं। हम राज्यों को फंड देते हैं और राज्य स्थानीय निकायों को अपने हिसाब से बांटने का काम करता है।

श्री अरविंद सावंत : महोदया, जैसा हमारे सहयोगी सदस्य ने कहा कि आज बच्चे अच्छे स्कूलों में जाना चाहते हैं, उनके माता-पिता भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाएं। अब अच्छे स्कूल की व्याख्या क्या है? उसकी बिल्डिंग अच्छी हो या पढ़ाई अच्छी हो। सी.बी.एस.सी. और आई.सी.एस.सी. जब से आए हैं उस वक्त से यह शुरू हुआ है। आरटीई के अंतर्गत यह तकलीफ हो रही है कि जो उन्होंने 25 परसेंट रिजर्वेशन रखा है कि गरीबों के बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों के लिए वहां आरक्षण हो। लोग वहां डरते भी है और चाहते भी हैं, लेकिन वहां दोनों चीजें हो रही हैं। बाकी लोगों के लिए तकलीफ यह है कि डोनेशन की बात आ रही है। हमारा कानून कहता है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान में भी 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है। यह अधिनियम भी कहता है, 6 से 14 वर्ष। क्या इसे बदलने की आवश्यकता आपको लगती है, क्योंकि अब एजुकेशन नर्सरी से शुरू हो रहा है। जब 6 साल की बात आ रही है तो एग्जंप्शन मिलता है, 6 साल में तो डोनेशन भी नहीं ले सकते हैं। वे डोनेशन कब लेते हैं, जब ढाई साल की उम्र में नर्सरी में एडमीशन लेना है तो उस वक्त डोनेशन लेने के संबंध में कानूनन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि उसे हम लोग निर्बन्ध कर सकते हैं। अब यह बात है कि क्या हम इसको लेकर कानून में कोई सुधार ला रहे हैं, यह एक बात है। मेरी दूसरी बात और है।

माननीय अध्यक्ष : एक ही प्रश्न होता है।

श्री अरविंद सावंत: महोदया, जो पच्चीस प्रतिशत आरक्षण का नियम है, वे उसका पालन नहीं कर रहे हैं। माइनोरिटी स्कूल के नाम के सभी कैथोलिक कॉन्वेंट स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूल माना जाता है और सबसे ज़्यादा एडमिशन के लिए वहाँ लोग जाते हैं। उनके यहाँ यह कानून लागू नहीं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अल्पसंख्यक स्कूल हैं। वे लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। इन दोनों मुद्दों का सरकार के पास क्या समाधान है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, डोनेशन की बात पर तो मैं माननीय सदस्य से यही कहूंगा कि वे पर्टिकुलर किसी विद्यालय के बारे में बताएंगे तो हम उसे देखेंगे, लेकिन इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है कि डोनेशन लेकर प्राइवेट विद्यालय एडमिशन करें। उनको एडमिशन करना है और 25 प्रतिशत वीकर सेक्शन के बच्चों का एडमिशन करना है, बिना कोई डोनेशन, बिना कोई अलग से फीस लिए हुए एडमिशन करना है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया: महोदया, शिक्षक हमारे राष्ट्रीय नागरिकों का प्रथम श्रेणी में निर्माण करने में योगदान देते हैं, किन्तु खाली पेट तो उनको भी ज्ञान बांटने में असुविधाएं होती हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्रीय सरकार शिक्षकों को तनख्वाह देने के लिए एक अनुदान देती है और टाइम टू टाइम उनकी तनख्वाह फिक्स की जाती है कि केन्द्र से उस अनुदान में तनख्वाह में जो बंटेगा, प्रति शिक्षक इतना पैसा दिया जाएगा। कई राज्य और विशेषकर मेरा राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ से जो अनुदान शिक्षकों की तनख्वाह के लिए जाता है, वहाँ वह उनको नहीं मिलता है या उसके साथ...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: ऐसा आपको किसने कहा है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब स्कूलों में नहीं जाते हैं, वे देख लेंगे। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री एस.एस.अहलुवालिया : वह नहीं दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह और कहना है कि सरकार जो तनख्वाह देने के लिए प्रति शिक्षक अनुदान देती है, जो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार मानदेय दिया जाता है, क्या अखबारों में एडवरटाइजमेंट देकर राज्य के नागरिकों को बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान में केन्द्र सरकार से अनुदान प्रति शिक्षक इतनी तनख्वाह देने के लिए दिया गया है? वहाँ जो आरटीआई फाइल की जा रही हैं, वे उसका भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक हमारे पास डेलीगेशन लेकर बार-बार आते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज भी शिक्षक को वहाँ आठ हजार रूपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) शिक्षकों के साथ यह अन्याय हो रहा है। अनुदान का सदुपयोग हो, इसके लिए क्या आप कोई रास्ता निकालेंगे?

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)… *

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदया, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हम राज्यों को 65:35 के अनुपात में धन देते हैं और राज्यों की जवाबदेही है कि उस पैसे का उपयोग करके वहाँ के शिक्षको को मानदेय दे।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मिनिस्टर तो नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे मत चिल्लाइये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)… *

[हिन्दी]

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : राज्य की सरकार कितना देती है, यह राज्य सरकार का विषय है। हमें जानकारी है कि राज्यों में राज्य की सरकारों ने अलग-अलग शिक्षकों के लिए मानदेय निर्धारित किया है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में माननीय सदस्य का प्रश्न है, वहाँ पश्चिम बंगाल सरकार कितना देती है तो पश्चिम बंगाल सरकार को यह डिसाइड करना है, यहाँ से इस बात का डिसीजन नहीं हो सकता है।...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(प्रश्न संख्या 124)

श्री महेश गिरी: अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की कार्यप्रणाली से भारत स्किल, स्केल और स्पीड की तर्ज पर अपना भविष्य तय कर रहा है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से यह जानने की इच्छा रखता हूं कि क्या सरकार ने कालेजों और राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में कौशल हेतु क्रेडिट फ्रेम वर्क तथा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को अपनाए जाने के संबंध में सभी राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की है? यदि उनकी बैठक आयोजित की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

डॉ. रामशंकर कठेरिया : महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है। इस संदर्भ में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 6 जनवरी को विज्ञान भवन में राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा विभागों से संबंधित सचिवों की बैठक आयोजित की थी। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग तथा मानव संसाधन मंत्रालय के सभी अधिकारी उनके बीच में रहे। विज्ञान भवन में कौशल विकास के लिए केंद्रित जो फ्रेम वर्क है तथा जो विकल्प पर आधारित केंद्रित प्रणाली है, वह सभी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में लागू हो, इस संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की और यह निश्चय किया कि देश के सभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लागू हो।

श्री महेश गिरी: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि राज्यों की चिंता और हमारे छात्रों की चिंता करते हुए आपने इस बैठक को किया था। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि सरकार ने विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को लागू करने हेतु क्या किसी कमेटी का गठन किया है? यदि हां, तो उस कमेटी की सिफारिशें क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

डॉ. रामशंकर कठेरिया : महोदया, माननीय सदस्य ने जैसा पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किए गए हैं। सदन को जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 39 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने पी.जी. लेवल पर उसे लागू किया है और 36 विश्वविद्यालयों ने अंडर ग्रेजुएट पर लागू किया है और तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वह इसे जल्दी लागू करने वाले हैं। हमने दो तरीके से यह व्यवस्था लागू की है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आठ इस प्रकार के अभ्यास आयोजित किए हैं, जहां हम दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री अशोक शंकरराव चव्हाण - उपस्थित नहीं।

श्री भगवंत मान: महोदया, 65 परसेंट हमारे देश की जनसंख्या 35 साल से कम है, लेकिन सिर्फ दो परसेंट ही इसमें से स्किल्ड हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनका गांव में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए क्या करने जा रहे हैं, ताकि स्किल डेवलपमेंट शहरों में माइग्रेट न हो। जिस प्रकार चीन के छोटे-छोटे गांवों में टॉयज़ और अन्य छोटी-छोटी चीजें बनती हैं, क्या इस प्रकार का भी कोई प्रोग्राम रूरल एरियाज़ के लिए रखा गया है ताकि वह अपने घर में रह कर ही स्किल डेवलपमेंट कर सकें?

माननीय अध्यक्ष : यह विषय से संदर्भित प्रश्न नहीं है।

डॉ. रामशंकर कठेरिया : महोदया, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में बताना चाहता हूं कि सभी विश्वविद्यालय और संबंधित राज्यों के भी विश्वविद्यालयों तथा सभी कालेजों में विकल्प आधारित केंद्रित प्रणाली और कौशल विकास के लिए केंद्रित फ्रेम वर्क की व्यवस्था की है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 125, श्री निम्माला क्रिस्टप्पा - उपस्थित नहीं।

मंत्री महोदय।

(प्रश्न संख्या 125)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मध्य प्रदेश में भोपाल और इन्दौर, इन दोनों ज़गहों पर पैसा दिया गया है। भोपाल में जो बस की लेन बनायी गयी है, वह 42 किलोमीटर है। उसमें बेतहाशा एक्सीडेंट्स हुए हैं। इन्दौर में तो अभी उस पर काम शुरू हो रहा है।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या इन योजनाओं में पैसा देने के साथ-साथ उनकी तकनीक के बारे में भी पहले से कोई ऑब्ज़र्वेशन होता है? उसमें कोई अन्डरपास नहीं है और उसके बीच में ही बसें चलती हैं। भोपाल में ऐसी लगभग दस रिपोर्ट्स आई होंगी जहां बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट्स के कारण लोगों की मौत हुई हैं। क्या माननीय मंत्री जी इसमें पैसा देने के पहले इसका एक तकनीकी एप्रूवल के बारे में विचार करेंगे? ऐसी योजनाएं, जो दुर्घटना का कारण बन रहीं हैं, क्या उनमें कोई संशोधन करने का विचार सरकार का है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे इस विषय में लिखित में सूचित करें। मैं इस मामले की विस्तृत जांच कराकर उन्हें जानकारी प्रदान करूंगा। सामान्यतः, जो प्रश्न उन्होंने उठाया है, वह यह है कि धन जारी करने से पूर्व क्या कोई तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन किया गया था। यह हमारी नियमित प्रक्रिया है कि व्यवहार्यता अध्ययन एवं तकनीकी रिपोर्ट के बिना किसी योजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती। यदि माननीय सदस्य इस विशिष्ट मामले के संबंध में मुझे लिखित में अवगत कराएँगे, तो मैं निश्चित रूप से इसका सम्यक परीक्षण कर उन्हें सूचित करूँगा।

कुमारी सुष्मिता देव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूरी तरह से इस बात की सराहना करती हूं कि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र का निवेश बिल्कुल जरूरी है क्योंकि सरकारी संसाधन कभी-कभी पर्याप्त नहीं होते हैं। आंकड़ों से, जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है, असम राज्य में कोई एफ.डी.आई.

नहीं है और केवल राजधानी गुवाहाटी में पी.पी.पी. परियोजना है। 74वें संविधान संशोधन के बाद, शहरी स्थानीय निकाय पूर्ण रूप से शहरी स्वशासन संस्थान बन गए हैं, जिन्हें आवश्यक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

नगरपालिका स्तर पर निजी निवेश आकर्षित करने के संबंध में, क्या शहरी स्थानीय निकायों को ऐसी कोई भूमिका दी गई है जो राज्य सरकार से स्वतंत्र हो? इस प्रक्रिया का स्वरूप क्या है? मैं माननीय मंत्री जी से इस विषय में स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: महोदया, सार्वजनिक-निजी भागीदारी या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के संदर्भ में, शहरी स्थानीय निकाय को प्रथम चरण में परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इसके पश्चात्, राज्य सरकार भी उक्त परियोजना रिपोर्ट का सम्यक् निरीक्षण करती है। यदि कल कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो सरकार को अपने समर्थन का विस्तार करना होगा, अन्यथा निजी क्षेत्र के लोग सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही, माननीय सदस्य के प्रश्न का मूल भाव शहरी स्थानीय निकाय की भूमिका के संबंध में है। शहरी स्थानीय निकाय को मुख्य भूमिका निभानी होगी। योजना की तैयारी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की जानी चाहिए। इसे सक्षम तकनीकी समिति द्वारा सत्यापित किया जाता है, तत्पश्चात् राज्य सरकार इसे अनुमोदित करती है और फिर केंद्र सरकार उस कार्यक्रम का समर्थन करती है। मुद्दा यह है कि, जैसा कि मैंने पूर्व में अपने उत्तर में स्पष्ट किया है, शहरी स्थानीय निकाय की न केवल इच्छा बल्कि उनकी समुचित तैयारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तभी निजी निवेशकों को अपनी पूंजी निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि उन्हें अपनी पूंजी की वापसी कैसे होगी, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

सामुदायिक शौचालयों से सम्बंधित पी.पी.पी. परियोजनाएं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ही संचालित की जानी हैं। यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, और हमने शहरी स्थानीय निकायों को आवश्यक अधिकार एवं शक्ति प्रदान की है। यदि वे कोई योजना प्रस्तुत करते हैं, तो हम उसका वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा ऐसी योजनाओं को उनकी निगरानी में ही कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राघव लखनपाल : महोदया, हम जानते हैं कि हमारे देश के सेकेंड और थर्ड टीयर शहरों में अनाधिकृत कालोनियां बहुत बड़ी संख्या में हैं। मेरे अपने क्षेत्र सहारनपुर नगर में ही 65 प्रतिशत से आधिक कालोनियां अनाधिकृत हैं। ऐसी कालोनियों में न तो विकास प्राधिकरण काम करता है, न ही नगर निगम कोई काम करने में समर्थता जताता है और न ही सांसद निधि या विधायक निधि से कोई कार्य हो सकते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ऐसी अनाधिकृत कालोनियों में विकास करवाने हेतु सरकार की क्या कोई विशेष योजना है या तैयार की जाएगी और सरकार क्या इसमें पी.पी.पी. मॉडल या एफ.डी.आई. के माध्यम से कार्य करवाने पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्तमान स्थिति यह है कि पंचायतें भी दिल्ली की ओर आश्रित हैं, नगरपालिकाएं भी केंद्र सरकार पर निर्भर हैं, और राज्य सरकारें भी दिल्ली की ओर देख रही हैं। हम विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकाय योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभा सकें।

दूसरी बात, अनाधिकृत कॉलोनियों के संबंध में, अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना या उन कॉलोनियों का पुनर्विकास करना राज्य सरकार का मूल कार्य है क्योंकि भूमि राज्य का विषय होने के कारण केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

इसलिए, यदि केंद्र सरकार के समर्थन के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव आता है, तो उस पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक दिल्ली का प्रश्न है, केंद्र सरकार की भागीदारी इसलिए है क्योंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी कुछ एजेंसियाँ सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती हैं। इस स्थिति को देखते हुए, हम इसमें रुचि लेते हैं। अन्यथा, यह संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है।

महोदया, मुझे सहारनपुर की उनकी समस्या के प्रति सहानुभूति है, लेकिन साथ ही मैं सीधे तौर पर उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

(प्रश्न संख्या 126)

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया मिशन को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी स्कीमों के माध्यम से 36,57,763 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बताएगी कि उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला है और उनके रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कोई कदम उठा रहे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, वह अपने आपमें एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब यह सवाल उठता है कि इस देश में स्किल डेवलपमेंट कराकर लोगों को इम्प्लॉयबल बनाने की बात होती है, वर्ष 2009 में जब नेशनल स्किल पॉलिसी बनाई गई, उसमें तय किया गया कि लगभग 500 मिलियन लोगों का कौशल विकास करना है। ये आंकड़े इस प्रकार से बनाए गए, शायद उस समय हमारे पास वह क्षमता नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे स्किल मिशन मोड के रूप में इस बार घोषित किया है। अभी इस प्रकार के प्रशिक्षण का कार्य लगभग 24 मंत्रालयों में चल रहा है, जिसमें लगभग सरकार के द्वारा 6 से साढ़े 6 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इस चुनौती को देखते हुए तय हुआ कि इस मंत्रालय का गठन किया जाए। पहले यह विभाग बना और जब मेरी मंत्रिमंडल में शपथ हुई तो इस मंत्रालय का गठन हुआ। यह लगभग 100 दिन पुराना है। यह हमारे लिए एक चुनौती है। हम लोगों ने एक सर्वेक्षण कराया था कि इसमें कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है और कितने लोगों को प्रशिक्षण मिलता है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि विभिन्न मंत्रालयों में जो प्रशिक्षण मिलता है और जिन आंकड़ों के बारे में कह रहे हैं, इसमें मात्र 24 से 30 प्रतिशत लोगों को इंप्लायमेंट मिल पाता है और उसमें से भी 60 फीसदी 1 से 2 साल के बाद निकल जाते हैं। जब यह चुनौती सामने आई तो यह तय किया गया कि आखिर में मानक क्या हों।

पिछले सवाल में जो नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात हो रही थी, हमारे मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है, एन.एस.डी.सी. और एन.एस.डी.ए. जो उसके दो अंग हैं, उनके माध्यम से देश भर में विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल में मानक स्थापित किए जाएं। इसके माध्यम से इंडस्ट्री और जिन लोगों को रोजगार दिया जाना है, उनके बीच समन्वय स्थापित करके सामान्य शब्दों में सिलेबस बनाया जाए, ताकि एक मानक के तहत पूरे देश में ट्रेनिंग हो सके और ट्रेनिंग के बाद वैसे लोग जिनका प्रशिक्षण हो, उसकी क्वालिटी हो, एसेसमेंट हो और एसेसमेंट का सटीरफिकेशन हो, वह सामान्य रूप से सरकारी न भी हो तो सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से हो और उसके बाद इनकी इंप्लायबिलिटी देखी जाए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लगभग साढ़े तीन सौ मिलियन लोगों को वर्क फोर्स में जोड़ने की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौती को समझा है और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस प्रकार के रोजगार दिए जाएंगे और इस पर सरकार के द्वारा विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है उसके लिए मैं उन्हें फिर बधाई देता हूं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से उद्योगों और नियोक्ता प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए 33 संचालित उद्योगों को इस प्रशिक्षण में सुनिश्चित किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके समय और लक्ष्य को निधाररित किया गया है?

दूसरी तरफ, उद्योग जगत की जो मांग है, उसके अनुरूप जो हमारे प्रशिक्षित आई.टी.आई. और पॉलिटेक्निकल्स हैं, क्या उनमें उनकी मांग के अनुरूप नये पाठ्यक्रम सुनिश्चित किये गये हैं? यदि वे सुनिश्चित किये गये हैं तो वे क्या है? उन 33 संस्थाओं में से केवल 24 संस्थाओं ने काम शुरू किये हैं और शेष ने क्यों काम शुरू नहीं किये हैं? उनका समय और निर्धारित लक्ष्य क्या है? यदि समय और लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वह कब तक निर्धारित होंगी?

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो मैपिंग की है, उसमें वर्ष 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों में कितने-कितने प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है - इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगभग 10 करोड़, ऑटो सैक्टर में

लगभग 3.5 करोड़, बिल्डिंग कन्सट्रक्शन में 3.3 करोड़। जब हम 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत ग्रोथ की बात करेंगे तो इकोनॉमी में यह डिमाण्ड जैनरेट होगी।...(व्यवधान)

उन्होंने आई.टी. आईज के बारे में सवाल किया है। अभी देश में लगभग 12,000 आई.टी.आईज हैं। उनमें लगभग 8000 आई.टी.आईज.निजी क्षेत्र में हैं और 4000 आई.टी.आईज सरकारी क्षेत्र में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि जो डी.जी.ई.टी. के माध्यम से आई.टी.आईज. का वर्टिकल है, वह हमारे मंत्रालय को दिया जायेगा। उनका सवाल है कि उनके जो पाठ्यक्रम हैं, उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है, लेकिन यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। यह सरकार के संज्ञान में है। आई.टी.आई. और डी.जी.ई.टी का बिजनेस एलोकेशन में जो कमिटमेंट सरकार के कैबिनेट द्वारा हुआ है, जब वह एक बार मेरे पास आ जायेगा तो निश्चित रूप से मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 2500 नये आई.टी.आईज के रूप में जो कौशल विकास केन्द्र पूरे देश में स्थापित किये जाने हैं, उनका स्वरूप स्किल सेन्टर्स के रूप में होगा। वे बिल्कुल नये स्वरूप में आयेंगे। साथ-साथ आई.टी.आईज. का जो सवाल है, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि वह वर्टिकल हमारे पास आये। उसके आने के बाद बड़े पैमाने पर आई.टी.आईज. के पास जो संरचना है, देश में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, हम उन केन्द्रों का कौशल विकास के लिए उपयोग कर सके। ऐसी हमारी योजना है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: मंत्री जी, जिस बात का जवाब दे रहे थे, मेरी बात का जवाब उसमें नहीं है। आई.टी.आई. की जो बात आयी है, ...(व्यवधान) जो बच्चे आई.टी.आई. या बारहवीं पास कर लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष : वह अभी उनके मंत्रालय में नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दूसरी बात कहें।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया: जो बच्चे बारहवीं और ग्रेजुएशन पास करने के बाद आई.टी.आई. पास करते हैं, उनके बाद भी उन्हें इन्डस्ट्रियों में धक्के खाने पड़ते हैं। उनके वहां जाते ही इन्डस्ट्रीज वाले बोल देते हैं कि वे फ्रेश हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान और टोंक -सवाई माधोपुर के अन्दर क्या उनकी ऐसी कोई योजना है, जो कौशल विकास योजना माननीय

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, क्या वहां के लोकल बच्चों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है? अगर है तो क्या उनके रोजगार की गारन्टी है? अगर रोजगार गारन्टी के साथ वह नहीं होता है तो उनको कोई स्मॉल स्केल में लोन दिया जाये ताकि वे छोटे उद्योग लगा सकें और उन बच्चों को रोजगार मिल सके। बड़ी कम्पनियाँ, जैसे, हीरो होन्डा और होन्डा, उन सभी कम्पनियों में निधाररित किया जाय कि लोकल बच्चों को वहां पर प्रशिक्षण दे कर, वे अपनी कम्पनियों में उन्हें नौकरी दें।

माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या टोंक -सवाई माधोपुर में कोई ऐसी योजना है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदया, उन्होंने अपनी बात शिक्षा से प्रारम्भ की है कि बच्चों को शिक्षित होने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। इसी विषय पर मान साहब ने सवाल उठाया था और मंत्री जी ने जवाब दिया था कि सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में जो योजना है और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन उसे लागू कर रहा है। उसमें यह तय हुआ है कि नौवी से लेकर बी.ए., बी.एस.सी. तक वैसे प्रशिक्षण पाठ्याक्रम की तैयारी की जाय, जो शुरुआत के दौर में शिक्षा आधारित हो, उसके साथ-साथ स्किल डेवलपमेन्ट करें, जैसे-जैसे हम शिक्षा के पाठ्याक्रम में प्रगति करें, उन यूनिवर्सिटीज में कौशल प्रशिक्षण बढ़ जाये और शिक्षा कम हो, उसको क्रेडिट फ्रेम वर्क की बात करते हैं जिसकी चर्चा हो रही थी, उस विषय के बारे में मैं कहना चाहूंगा।

राजस्थान स्किल डेवलपमेन्ट में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अभी हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई है। हमें जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार राजस्थान में स्किल डेवलपमेन्ट और प्रशिक्षण में युवाओं के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। सम्बन्धित स्किल डेवलपमेन्ट कारपोरैशंस, जो आपके राज्य में हैं, उनसे आप सम्पर्क स्थापित करें तो मुझे विश्वास है कि आपके भी क्षेत्र में उस माध्यम से काम किया जा सकता है। यदि वहां काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से मैं इस क्षेत्र में वहां काम शुरू करवाने का प्रयास करूंगा।

महोदया, कठिनाई यह हो रही है कि 24 मंत्रालयों में यह काम बंटा हुआ है। मुझे हर जगह से समझ-समझकर उत्तर देना पड़ता है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मुझे अनुमान है कि कहां-कहां क्या काम हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले छः माह में किसी भी विभाग का उत्तर अगर आपको चाहिए होगा तो मैं 24 मंत्रालयों में जाकर इन सवालों के उत्तर लाकर आपको देने की स्थिति में रहूंगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 127 से 140

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

होली एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कल होलिका दहन मन-विचार-आचार की बुराई को त्यागने व नष्ट करने का दिन है। होली रंगों का त्योहार भी है। हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में सुख-समृद्धि के रंग भरने में कामयाब रहें, यही ईश्वर से, उस जगन्नियंता से प्रार्थना करती हूं और आप सबको होली की शुभकामनाएं देती हूं।

माननीय सदस्यगण, कल से लगातार चार दिन तक सदन स्थगित रहेगा। हम फिर 9 मार्च को मिलेंगे। उसके पहले 8 मार्च को जागतिक (अंतर्राष्ट्रीय) महिला दिवस मनाया जाएगा। स्त्री एक माता के रूप में जीवनदायिनी है और प्रकृति के सृजन के नियमानुसार एक सशक्त जीव ही सृजन करने में समर्थ होता है। महिलाएं पुत्री, बहन, पत्नी, माता, सशक्त मानवी जैसे कई रूपों में समाज के उत्थान के लिए सदैव योगदान करती आ रही हैं। स्त्री राष्ट्र की शक्ति का स्रोत है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वह भी मनुष्य है और समाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण एवं जीवन के हर क्षेत्र में विकास के कार्यों में महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें इस विचार का निरंतर प्रचार-प्रसार करना होगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय भी यही है -- महिलाओं को सशक्त बनाना, मानवता को सशक्त बनाना - इसे चित्रित करें यानी महिलाओं का सशक्तीकरण मानवता का सशक्तीकरण है। इसे हमें जीवन के हर क्षेत्र में मूर्त रूप में लागू करना सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर हम महिला-पुरुष सहभागिता और महिला सशक्तिकरण को सार्थक मूर्त स्वरूप देने के लिए स्वयं को पुन: समर्पित करें तथा नारी शिक्षा, सशक्तिकरण और पहचान में विषमताओं को कम करने के प्रति अपनी संवेदनापूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त करें। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए शुभकामनाएं देती हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम, सदन की ओर से आपको भी होली की शुभकामना है और महिला दिवस की भी शुभकामना है। हम पुरुष हैं और आप महिला हैं, हम सब मानव हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मीडिया लैब एशिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1876/16/15]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय तार (2014 का पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 8 फरवरी, 2014 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 18 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1877/16/15]

[अनुवाद]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं दसवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं और सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 37 सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1878/16/15]

तेरहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 49 छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1879/16/15]

3. विवरण संख्या 50 सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1880/16/15]

4. विवरण संख्या 35 आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1881/16/15]

5. विवरण संख्या 40 नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1882/16/15]

6. विवरण संख्या 28 तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1883/16/15]

चौदहवीं लोक सभा

7. विवरण संख्या 32 चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1884/16/15]

8. विवरण संख्या 31 छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1885/16/15]

9. विवरण संख्या 27 नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1886/16/15]

10. विवरण संख्या 26 दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1887/16/15]

11. विवरण संख्या 25 तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1888/16/15]

12. विवरण संख्या 22 चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1889/16/15]

पंद्रहवीं लोक सभा

13. विवरण संख्या 21 दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1890/16/15]

14. विवरण संख्या 19 तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1891/16/15]

15. विवरण संख्या 19 चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1892/16/15]

16. विवरण संख्या 16 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1893/16/15]

17. विवरण संख्या 15 छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1894/16/15]

18. विवरण संख्या 13 सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1895/16/15]

19. विवरण संख्या 13 आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1896/16/15]

20. विवरण संख्या 12 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1897/16/15]

21. विवरण संख्या 11 दसवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1898/16/15]

22. विवरण संख्या 9 ग्यारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1899/16/15]

23. विवरण संख्या 8 बारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1900/16/15]

24. विवरण संख्या 7 तेरहवां सत्र, 2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1901/16/15]

25. विवरण संख्या 5 चौदहवां सत्र, 2013

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1902/16/15]

26.विवरण संख्या 3 पंद्रहवां सत्र, 2013-2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1903/16/15]

<u>सोलहवीं लोक सभा</u>

27. विवरण संख्या 2 दूसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1904/16/15]

28. विवरण संख्या 1 तीसरा सत्र, 2014

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1905/16/15]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जीतेन्द्र सिंह): महोदया, मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1906/16/15]

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2014 जो 4 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 379(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2014, जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2014, जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 539(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल. टी. 1907/16/15]

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): महोदया, मैं अपने साथी श्री उपेन्द्र कुशवाहा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1909/16/15]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1910/16/15]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1911/16/15]

(7) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1912/16/15]

(9) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1913/16/15]

(11) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी), वाराणसी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1914/16/15]

(13) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1915/16/15]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान असम, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1908/16/15]

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 21(अ) जो 1 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 24 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ .683(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 1916/16/15]

____

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): मैं रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) से संबंधित 'जन औषधि स्कीम' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 ½ बजे

शौचालयों की कमी के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के संबंध में 25.2.2015 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य*

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं, 25.02.2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित राज्यवार खुले में शौच करने वाले परिवारों की प्रतिशत सूची से संबंधित संशोधित संलग्नक-I (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) को संलग्न करते हुए एक वक्तव्य इस सभा-पटल पर रखता हूं।

संलग्नक-1 में 25.2.2015 को लोक सभा में दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी संस्करण) के संदर्भ में अनजाने में एक त्रुटि रह गई थी।

सभा के समक्ष सुधारात्मक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाए।

इस असुविधा के लिए हमें खेद है।

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 1917/16/15

संलग्नक - 1

"शौचालयों की कमी" के संबंध में 25-02-2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 291 के उत्तर के भाग (क) एवं (ख) में संदर्भित संलग्नक

2011 की जनगणना के अनुसार खुले में शौच करने वाले परिवारों के प्रतिशत की राज्यवार सूची

राज्य	परिवारों की कुल संख्या	खुले में शौच करने वाले परिवारों का प्रतिशत
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	34346	7.8
आंध्र प्रदेश*	6778225	11.9
अरुणाचल प्रदेश	65891	6.7
असम	992742	5.0
बिहार	2013671	28.9
चंडीगढ़	228276	3.2
छत्तीसगढ़	1238738	34.4
दादरा और नगर हवेली	37655	11.1
दमण और दीव	47631	4.1
गोवा	198139	9.5

गुजरात	5416315	8.7
हरियाणा	1751901	8.8
हिमाचल प्रदेश	166043	6.9
जम्मू और कश्मीर	517168	10.7
झारखंड	1495642	31.0
कर्नाटक	5315715	10.7
केरल	3620696	1.7
लक्षद्वीप	8180	1.9
मध्य प्रदेश	3845232	22.5
महाराष्ट्र	10813928	7.7
मणिपुर	171400	2.3
मेघालय	116102	2.4
मिजोरम	116203	0.9
नागालैंड	115054	2.2
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3261423	3.0
ओडिशा	1517073	33.2

पुदुचेरी	206143	12.2
पंजाब	2094067	5.8
राजस्थान	3090940	16.7
सिक्किम	35761	2.2
तमिलनाडु	8929104	16.2
त्रिपुरा	235002	1.3
उत्तर प्रदेश	7449195	14.8
उत्तराखण्ड	592223	4.7
पश्चिम बंगाल	6350113	11.3
भारत	**78865937**	**12.6**

***तेलंगाना सहित**

<u>अपराह्न 12.07 ½ बजे</u>

सभा का कार्य

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं आपकी अनुमति से यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 9 मार्च, 2015 से आरभ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगाः-

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वर्ष 2015-16 के लिए बजट (रेल) पर सामान्य चर्चा।

3. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदानः -

    (क) वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदानों की मांगें(रेल); और

    (ख) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें(रेल)

4. संबंधित विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

5. रेल द्वारा सामान्य राजस्व को संदेय लाभांश की दर का निर्धारण और अन्य अनुषंगी विषयों के लिए नई रेल अभिसमय (16वीं लोक सभा) के गठन का अनुमोदन प्राप्त करने का संकल्प पर विचार।

6. वर्ष 2015-16 के लिए बजट (सामान्य) पर सामान्य चर्चा।

7. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदानः-

    (क) वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदानों की मांगें(सामान्य);

    (ख) वर्ष 2014-15 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य); और

    (ग) वर्ष 2012-13 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें (सामान्य)

8. संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन, विचार और पारित करना।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सदस्यों द्वारा निवेदन।

श्री छेदी पासवान – उपस्थित नहीं। डॉ. शशि थरूर

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): मैं 9 मार्च 2015 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के संबंध में संसदीय कार्य राज्य मंत्री के वक्तव्य पर निम्नलिखित विषयों पर अपना निवेदन प्रस्तुत करता हूं।

1. केरल के दक्षिणी क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की सेवा के लिए केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

2. केरल राज्य के इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थानों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने हेतु तिरुवनंतपुरम में ए.आई.सी.टी.ई. के क्षेत्रीय कार्यालय के संचालन की तत्काल आवश्यकता।

श्री के. परसुरामन (तंजावुर): माननीय अध्यक्ष, मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए-

1. तंजावुर के लोगों की अधिकांश आजीविका कृषि पर निर्भर होने के कारण, तंजावुर के तालाबों, पोखरों और नदियों की साफ-सफाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता।

2. तंजावुर में बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ उगाए जाने के कारण, नारियल आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

1. भारत की वृद्ध जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी कल्याण के लिए निर्धारित सुविधाएँ और संसाधन बहुत कम हैं। आज भारत में 100 मिलियन से अधिक वृद्धजन हैं, जिनमें से अनेक के पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वे अकेले, बेबस, निराश और संकटग्रस्त हैं। कोई भी सभ्य समाज ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता। वृद्धों की देखभाल एवं आरामदायक चिकित्सा (पैलियेटिव केयर) के लिए त्वरित और आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

2. सार्वजनिक स्थल प्रतिदिन अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं, जिससे उपलब्ध भूमि की कमी हो रही है। बच्चों के पास खेलने और स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। खेलना और अनौपचारिक गतिविधियों में संलग्न होना किसी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अतः सभी स्थानीय निकायों में कम से कम उपलब्ध सार्वजनिक भूमि के पाँच प्रतिशत हिस्से पर शैक्षिक पार्क स्थापित करने के लिए पर्याप्त निधि और स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जायेः

1. संपूर्ण मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर, सागर, दमोह और पन्ना जिलों में हुई असामयिक अति वर्षा से फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। केन्द्रीय जांच दल भेजकर किसानों को राहत दिलाने की शीघ्र पहल की जाये।

2. बुंदेलखंड का टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिला स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है। अतः छतरपुर में केन्द्रीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाये।

माननीय अध्यक्ष : पटोले जी, आपने सबमिशन के लिए जो दो विषय दिये हैं, उन्हीं पर आप बोलिये।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जायेः

1. देश में, महाराष्ट्र भंडारा में वैनगंगा नदी में भारी तादाद में प्रदूषण होने से अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति होने के कारण नदी तटीय क्षेत्र के हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हुआ है। नदी का जल प्रदूषित करने वाली तटीय कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करके नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता।

2. देश में, विशेषकर गोंदिया जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय में केन्द्र तथा राज्य सरकार ने आदेश निगरमित करने के बावजूद भी गैर आदिवासियों के कब्जे में स्थित जमीन मूल आदिवासियों को प्रत्यर्पित करने के लिए प्रशासन द्वारा हो रही देरी के कारण आदिवासियों को जमीन से वंचित रहना पड़ रहा है। इस लंबित मामले में केन्द्र सरकार आदिवासियों को जमीन प्रत्यर्पित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बेहरामपुर): माननीय महोदया, आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

1. देश में उर्वरक संकट तीव्र रूप से विकराल हो गया है। इसका सबसे बड़ा शिकार किसान हैं, क्योंकि उर्वरक बाजार में व्यापक रूप से मुनाफाखोरी हो रही है और बिचौलिए अवैध (ग्रे) बाजार में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।

2. किसानों द्वारा मजबूरी में कृषि उत्पादों को बेचने पर रोक लगाने के लिए कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा किए जाने और उसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, मैं चाहूंगा कि 9 मार्च, 2015 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किए जाए:

1. सरकार के चार हवाई अड्डों—कोलकाता, चेन्नई, जयपुर और अहमदाबाद—को निजीकरण करने के प्रस्ताव का विरोध एएआई के कर्मचारी कर रहे हैं, जो 10 मार्च, 2015 को प्रतीकात्मक हड़ताल पर जाएंगे। इन हवाई अड्डों का हाल ही में सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से आधुनिकीकरण किया गया है।

2. देश में प्रमुख बंदरगाहों और आयुध कारखानों के निगमीकरण के सरकार के प्रस्ताव से कर्मचारियों में नौकरी छूटने का डर बढ़ गया है, और इसीलिए इन दोनों स्थानों के कर्मचारियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुंबई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

1. स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन।

2. जन धन योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और एलपीजी की पहल योजना के बारे में।

[हिन्दी]

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाएः

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व आति पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों व आधिकारियों का ज्येष्ठता क्रम में पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक लाए जाने के संबंध में।

(2) बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए व बाल श्रमिकों का जीवन सुधारने के लिए " बाल श्रमिक उन्मूलन विधेयक" लाने के संबंध में।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में मेरे निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाएः

(1) बिहार तथा झारखण्ड दोनों राज्यों को जोड़ने वाली बिहार राज्य के उग्रवाद प्रभावित रोहतास जिला अन्तर्गत नौहट्टा प्रखण्ड के पंडुका ग्राम से श्री नगर (पलामू) झारखण्ड तक सोन नदी पर पुल निर्माण के संबंध में।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र सासाराम (बिहार) में कैमूर जिला के झरपा तथा घेरकुन्हिया में अभ्रक, रोहतास जिला के जारादाग तथा रामडिहरा के बीच चुना-पत्थर तथा लेवा में कोयला खदान की खोज के संबंध में।

<u>अपराह्न 12.17 बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के

छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, मद सं11, श्री शिवकुमार उदासि प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शिवकुमार उदासि (हावेरी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा 3 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 3 मार्च, 2015 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.18 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

एक ब्रिटिश वृत्तचित्र के लिए साक्षात्कार के दौरान तिहाड़ जेल में निर्भया बलात्कार आरोपियों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों की सूचना के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत ही मार्मिक प्रश्न आपके और सदन के सामने उठाना चाहती हूं। अभी होली की शुभकानाएँ देते वक्त आपने भी महिलाओं के सम्मान की बात कही। यह बहुत ही दुखद है, पता नहीं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अभी हाल में ही, मैंने पेपर में पढ़ा कि ... *जो एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता हैं, ने … * का, जो निर्भया कांड का एक दोषी है, का इंटरव्यू लिया। बी.बी.सी. ने भी एक डॉक्युमेंट्री के लिए उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लिया गया, यह दुखद नहीं है, बल्कि दुखद यह है कि उसका पक्ष इस तरह से रखा जा रहा है, जिससे एक बार फिर उस बच्ची के बलात्कार की घटना दोहराने वाली बात है। जिस तरह से उसने शब्द यूज़ किये हैं कि अगर फांसी दी जाती है, तो फिर से लोग बच्चियों का बलात्कार करके मार देंगे, इसलिए दोषियों को फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए लड़कियाँ ही दोषी हैं, वे रात के नौ बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलती हैं, इस तरह के शब्द कहे गये हैं।

महोदया, 8 मार्च के दिन, वुमेंस डे को इस डॉक्युमेंट्री को चलाने की बात की जा रही है। उसमें जो … * का इंटरव्यू आएगा, क्या महिला दिवस के दिन महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा या अपमानित किया जाएगा? आखिर, बलात्कार आदि का बाज़ारीकरण क्यों हो गया है? मॉडल क्षेत्र के लोग निर्भया पर डॉक्युमेंट्री बनाकर फैशन शो करते हैं, तो कभी इस प्रकार की डॉक्युमेंट्री और फिल्में बनाते हैं। क्या ये बलात्कार के मार्मिक प्रसंग के लिए बनती हैं या सिर्फ बाज़ारीकरण के लिए बनती हैं? मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगी कि किसी भी हालत में बी.बी.सी. की डॉक्युमेंट्री 8 मार्च को महिला दिवस के दिन नहीं चलनी चाहिए। यह हम सबका फर्ज़ है। मैं सरकार से इस संबंध में आश्वासन चाहती हूं। यदि हम इस देश में

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

महिलाओं का सम्मान करते हैं और एक बार यह सोचते हैं कि उस माता-पिता पर क्या गुज़र रही होगी, जो उस अपराधी या दोषी के मुंह से यह सुनेगा कि जो हुआ, वह लड़की की गलती थी। ऐसे लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सड़क पर उतारकर, महिलाओं के हवाले कर दें। वह ठीक कहा रहा है, ऐसे लोगों को सड़क पर उतार दो, महिलाओं के हवाले कर दो, वे खुद उस दोषी को दण्ड दे देंगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आप भी महिला हैं। एक मां होने के नाते पेपर में इसके बारे में पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर देश में ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे पुरूषों की मानसिकता को क्या हो गया है? उससे भी ज्यादा, क्या हम न्यूजपेपर वाले, बी.बी.सी. वाले और पिक्चर बनाने वाले भी बीमार हो चुके हैं जो इस तरह के इंटरव्यू को सरेआम बाजार में बेचने का काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष : इसमें किसी का नाम नहीं होना चाहिए, नाम निकाल दीजिए। नाम नहीं होने चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत,श्रीमती संतोष अहलावत,श्रीमती रीती पाठक,श्री रामचरण बोहरा, श्री जगदम्बिका पाल, कुमारी सुष्मिता देव एवं श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली को श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं पूरी तरह से श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा उठाए गए मुद्दों का समर्थन करती हूं। बीबीसी आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि रविवार को है, पर एक वृत्तचित्र प्रसारित करने जा रहा है। क्या आपको पता है उसका शीर्षक या नाम क्या है? इस वृत्तचित्र का नाम 'भारत की बेटी' रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि इसमें असली मुख्य पात्र कौन है? वह कोई और नहीं, बल्कि *निर्भया कांड* का मुख्य दोषी है। यह एक बहुत ही शर्मनाक बात है! समाचार-पात्रों में प्रकाशित उस वृत्तचित्र में जो बयान दिया गया है, वह अत्यंत चौंकाने वाला और चिंताजनक है। यह न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक गंभीर शर्मनाक स्थिति है। इस सभा को इस बात का दृढ़तापूर्वक विरोध करना चाहिए।

महोदया, हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहे हैं। आपने सभी भारतीय महिलाओं को शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। आपने अपने वक्तव्य में कहा है, "जीवन के हर क्षेत्र में हमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना चाहिए।" लेकिन, हमारे राज्य में क्या चल रहा है? क्या हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दृष्टिकोण में कोई बदलाव ला सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। भारतीय महिला पर लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। वृत्तचित्र में भी यही हुआ है।

महोदया, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहती हूं। उस वृत्तचित्र में एक अधिवक्ता ने बयान दिया था, "अगर आप सड़क पर मिठाइयां रखेंगे तो कुत्ते आकर खा लेंगे।"

कई माननीय सदस्य: शर्म की बात है! यह बड़े ही शर्म की बात है!

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: वे आगे कहते हैं, “निर्भया के माता-पिता ने उसे इतनी देर रात किसी अजनबी के साथ क्यों भेजा? वह उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं था। क्या यह माता-पिता की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वे इस बात पर निगरानी रखें कि वह कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है?” यह उक्त बयान एक अधिवक्ता द्वारा दिया गया है, जिसका नाम मैं इस संदर्भ में उल्लेखित नहीं करना चाहती। यह अधिवक्ता प्रतिवादी के वक्तव्य की पुष्टि करता प्रतीत होता है। ऐसे संदर्भ में, एक अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार का बयान देना उचित और स्वीकार्य कैसे हो सकता है?

महोदया, हमें विरोध करना चाहिए और हमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इस चिंताजनक मुद्दे पर सरकार का रुख क्या है। मैं सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि दोषी के खिलाफ और महिलाओं को दोषी ठहराने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): उन्हें इसके प्रसारण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: उन्हें आगे कुछ समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद पूरी तरह से सक्षम हैं। इसलिए उन्हें अनावश्यक सहायता या संकेत प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: महोदया, इस वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बीजू, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ. ए. संपत और श्री पी. करुणाकरण को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए विषय के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती किरण खेर (चंडीगढ़): महोदया, वृत्तचित्र के निर्माण के बारे में कल मीडिया में जो कुछ हुआ है उस पर मैं अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूं। बात यह नहीं है कि सोशल मीडिया के इस युग में वृत्तचित्र बनना चाहिए या नहीं, या इसे प्रतिबंधित कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यह पहले ही सोशल मीडिया पर मौजूद है। इसलिए, असल में महत्वपूर्ण यह है कि हमें उन बातों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्होंने कही हैं। [हिन्दी] जिनको मौत की सजा हो चुकी है, वे भी जेल में से इंटरव्यू देकर बोल रहे हैं। उन्होंने ढाई साल में कुछ नहीं सीखा कि जो हम कह रहे हैं वह सही है। किसी लड़की को रात सात बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। लड़कियों को इस तरह का लिबास पहनना चाहिए। हर चीज का दारोमदार क्या सिर्फ औरत पर ही आता है? एक तरफ हम कहते हैं कि - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तब तक रहती है जब तक वह माँ नहीं बन जाती। आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूं, ये भी बेटी हैं, नन्हीं बच्ची भी बेटी है, जवान लड़की भी बेटी है। इसकी इज्जत करना एक माइंडसेट की बात है। [अनुवाद] हमें इस समस्या को जमीनी स्तर से हल करना होगा, क्योंकि यहीं से वह सोच पैदा होती है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती। हमें समझना चाहिए कि महिलाएं अपनी सहमति खुद देती हैं और अपने शरीर पर उनका ही अधिकार होता है। इसे कोई और छीन नहीं सकता। महिलाओं को हमेशा सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने का पूरा हक़ होना चाहिए। [हिन्दी] ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसका दारोमदार आदमियों पर है, पुरुषों पर है। उन माँओं पर है जो अपने बच्चों को ये सिखाकर बड़ा करती हैं कि बेटी का काम यह है कि घर में बेडकवर लगा दे, चाय बना दे, खाना बना दे, शाम सात बजे के बाद घर में बंद होकर बैठ जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती किरण खेर : मैडम, मैं सिर्फ दो मिनट और लूंगी क्योंकि यह विषय मेरे हृदय के काफी करीब है। ऐसा भी कहा जाता है कि लड़कियों के पास मोबाइल फोन भी नहीं होना चाहिए। लड़कियां जींस नहीं पहन

सकतीं। क्या जो औरतें बुर्के में होती हैं, जो साड़ी पहनती हैं या जो घूंघट करती हैं, उनके साथ बलात्कार नहीं होता? क्या सिर्फ जींस पहनने वाली ही लड़कियों के साथ बलात्कार होता है? मैं पूछना चाहती हूं कि इसका जींस से क्या लेना-देना है? [अनुवाद] दुर्भाग्य से यही सोच है। हमें अपने विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो बचपन से ही बच्चों की मानसिकता को इस दिशा में आकार दें कि वे महिलाओं के प्रति सम्मानभाव विकसित करें। इसी प्रकार, गाँवों के वरिष्ठ नागरिकों के संदर्भ में भी यह उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे ऐसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी सोच वर्षों में स्थापित हुई है। अब यह आवश्यक है कि वे भी यह समझें कि सहमति का अधिकार महिलाओं का होता है — वे क्या पहनें, कैसे बात करें, यह निर्णय लेने का अधिकार पूर्ण रूप से उनका स्वयं का है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्रीमती किरण खेर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, यह विषय जितनी महिलाएं हैं और इस संसद में जितनी महिला सांसद हैं उनके साथ-साथ सभी के लिए एक बहुत संजीदगी विषय है। इस सदन नें पहले भी इस विषय पर अपना वक्तव्य दिया और अपना एक मन बताया, वह कानून में बदलाव लाकर बताया। निर्भया कांड के बाद इस सदन में कानून में परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम सब समाज में बदलाव लाना चाहते थे और अपने आपको इस विषय पर जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जो डाक्युमेंटरी बनी, उससे मुझे लगता है कि उससे भारत की प्रतिष्ठा को लगातार आघात पहुंचाने की कोशिश कहीं न कहीं है। उस आघात में, जिसे कहा जाए कि पुलिस व्यवस्था में दोष ढूँढ़ने की खोज; न्यायिक प्रणाली में दोष खोजने की खोज। जो चल रहा है, वह इस इंटरव्यू के बाद उन लोगों को समझ आ गई होगी कि इस देश की पुलिस, देश का ज्यूडिशियल सिस्टम और देश की संसद सही काम करती है तथा दोषियों को ही पकड़ती है। आज भी इस सदन का जो सेंस है, वह कहीं न कहीं सरकार से कह रहा है कि हमें इस तरह की डाक्युमेंटरी को नहीं दिखाना है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि पूर्व में संसद एक तरीके से काम कर रही है, लेकिन इस विषय पर जब अनुमति दी गई, तो उस समय शायद यूपीए सरकार थी...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी को ब्लेम न करें। जो होगा, सो होगा, आप अपनी बात कहें।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर रही हूं। मैं वही बात रखना चाहती हूं कि यह एक्जेक्टिव ऑर्डर हुआ है और उसकी पूरी तहकीकात करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: आप सिर्फ इतना ही कहें कि इसकी जांच हो।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: पर्यटन को लेकर मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि लगातार भारत की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में पर्यटन प्रभावित हो रहा है। हमारे देश में विदेशी पर्यटक आते हैं, जिस तरह से ऐसी घटनाएं या प्रकरण होते हैं, मेरा मानना है कि इस सम्बन्ध में जो कानून की धारा 354 है, जिसे संसद ने आईपीसी में संशोधन बिल लाकर पारित किया। इसलिए वायरिज्म स्टॉकिंग जैसे जो अपराध हैं, पुलिस को उस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो विदेशी पर्यटक भारत आते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव हो तो पुलिस यह न कहे कि हमारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकें। प्रधान मंत्री जी पर्यटन को लेकर एक विशेष दृष्टिकोण रखते हैं और इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए पर्यटन को लेकर धारा 354, दिल्ली पुलिस एक्ट एक्सटर्मेंट प्रोसीडिंग, इन सब देश के कानूनों का इस्तेमाल होना चाहिए और लगातार भारत की प्रतिष्ठा को बचाए रखना चाहिए।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदया, एक गंभीर मुद्दा सभागृह में उठाया गया है और उसके ऊपर चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि जिस आरोपी को बलात्कार और मर्डर जैसे गुनाह में सजा हो चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा भी सुनाई है, ऐसे आरोपी को तिहाड़ जेल में जा कर मिलने की अनुमति जिस जेल सुप्रिंटेंडेंट ने दी है, उसके ऊपर सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या उन्होंने गृह मंत्रालय की परमिशन ली थी? केंद्रीय गृह मंत्री जी की आज स्टेटमेंट आई है, लेकिन उसके बाद भी जिस एडवोकेट ने 'डिफेंस लॉयर ब्लेम निर्भया' के मुद्दे पर, जिस तरह से स्टेटमेंट दी है, उसकी निंदा भी इस सभागृह में होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : सुष्मिता जी और दूसरे माननीय सदस्य, मुझे लगता है कि पूरा सदन इस विषय में सहभागी हो जाएं। इस विषय पर चर्चा मत कीजिए।

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: अध्यक्ष महोदया, सभा को आज इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है। तो, हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा ऑलरेडी हो गई है। मैंने इसीलिए चार-पांच माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलने का मौका दिया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: यह बहुत महत्वपूर्ण है, महोदया। महिलाओं का यौन उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी से इस विषय में आश्वासन मिलना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी की भावना को देखते हुए, मंत्री यहाँ कुछ कहना चाहते हैं। आप थोड़ा शांति रखिए। मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): माननीय अध्यक्ष महोदया, हमें ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहिए जिससे यह प्रतीत हो कि सभा में इस मुद्दे पर मतभेद है या हमारा ध्यान किसी अन्य विषय की ओर है। यह मामला संपूर्ण सदन के लिए अत्यंत संवेदनशील और चिंता का विषय है। अतः गृह मंत्री इस पर एक आधिकारिक वक्तव्य देंगे।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : रंजीत जी, शांति से भी काम हो सकता है।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): सभी सदस्यों ने इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए। पूरा देश उस पर जवाब की उम्मीद कर रहा है। महिलाएं लगातार अनेक प्रकार के अत्याचारों और कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप यह सुनिश्चित करें कि इस गंभीर विषय पर गृह मंत्री सदन के समक्ष वक्तव्य दें। महिलाओं को हो रही परेशानियों को लेकर यह सदन चिंतित है, और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। अतः कृपया गृह मंत्री जी को उठाए गए मुद्दों पर उत्तर देने का अवसर प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभी सदस्य, पूरा सदन इससे अपने को एसोसिएट कर रहा है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : जगदम्बिका जी, हर एक को बोलने की आवश्यकता नहीं है, पूरे सदन की भावना को ध्यान में रखकर ही वे बोल रहे हैं।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैंने नोटिस दिया हुआ है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त पर सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ... *

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष जी, जिस डाक्यूमेंटरी को लेकर केवल सदन ही नहीं बल्कि सारा देश अपने को शर्मिन्दा महसूस कर रहा है, उसके संबंध में सदन के सम्मानित सदस्यों ने भी अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त की है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस घटना के संबंध में ज्यों ही मुझे जानकारी मिली, इसी प्रकार की नाराजगी मेरे अंदर भी पैदा हुई थी और तुरंत संबंधित आधिकारियों को टेलीफोन मिला कर मैंने इस संबंध में जानकारी हासिल की। जानकारी हासिल करने से पहले ही मैंने यह कह दिया था कि किसी भी सूरत में यह डाक्यूमेंटरी ब्रॉडकास्ट नहीं की जानी चाहिए, चाहे वेब पोर्टल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो। इसे रोकने के लिए पूरी तरह से प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। कल ही अदालत द्वारा इस संबंध में हम लोगों ने एक आदेश प्राप्त कर लिया है और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी अब इसे कोई नहीं दिखाएगा। इतना ही नहीं, मुझे आश्चर्य है कि इसकी परमिशन 24 जुलाई, 2013 को दी गई। 24 जुलाई, 2013 को इस डाक्यूमेंटरी के लिए उस कनविक्टेड का, जो अपराधी था, उसका इंटरव्यू लेने के लिए इजाजत दी गई। मैं सचमुच बहुत अचम्भित हूं, हो सकता है कोई ऐसे प्रोविजन्स रहे हों, जिनके तहत जेल में भी इंटरव्यू लेने की किसी को इजाजत दे दी गई हो। लेकिन एक रेपीस्ट का इंटरव्यू लेने की इजाजत कैसे दी गई और किन परिस्थितियों में दी गई, यह सचमुच में बहुत ही चौंकाने वाली घटना है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी सक्षम और समझदार हैं।

श्री राजनाथ सिंह : इसलिए मैं पूरे मामले की जांच कराऊंगा। मैं यह भी तय करूंगा कि यदि ऐसा कोई प्रोविजन है तो उस प्रोविजन को भी रिव्यू किया जाना चाहिए यदि किसी को तिहाड़ जेल में इंटरव्यू लेने की इजाजत दी जाती है। हम उस प्रोविजन को रिव्यू करेंगे कि उसमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, वह संशोधन हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम निश्चित रूप से इस बात का पता लगाएंगे कि किन परिस्थितियों में इंटरव्यू लेने की इजाजत दी गई। रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने की इजाजत क्यों दी गई, हम इसका पता लगाएंगे। यदि रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत हुई, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं इस बारे में रिस्पोंसिबिलिटी भी फिक्स करूंगा। क्योंकि यह सदन जितना आहत है, उतना ही आहत मैं भी हूं। इसलिए मैं सदन को अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई

है। मैं समझता हूं कि इस घटना के संबंध में बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। तुरंत ही मैंने इसका संज्ञान लिया और जो भी आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं, वह मैंने उठाये हैं और आगे भी जिन भी प्रोविजंस के तहत इस प्रकार के आदेश निर्गत किये जाते हैं, उनको अगर रिव्यू करने की जरूरत है तो हम तुरंत करेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री शानवास, वास्तव में इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी और को बोलने की आवश्यकता है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अभी कोई नहीं बोलेगा। इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास (वायनाड): महोदया, मैं अपनी बात रखने के लिए बस 2-3 मिनट लूँगा। … (*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत: महोदया, यह सदन इस भावना को भारतीय विधिज्ञ परिषद तक अवश्य पहुंचाए, क्योंकि एक प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता द्वारा की गई अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी बहुत निंदनीय है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : वे सब बातें हो गईं। मैंने अलाउ नहीं किया है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. ए. संपत: महोदया, मैं भी कानूनी पेशे से जुड़ा हुआ हूं। वे भी एक कार्यरत अधिवक्ता हैं। किसी भी कार्यरत अधिवक्ता को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. ... (*व्यवधान*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: श्री संपतजी, आपने जो बात कही है वह प्रासंगिक है। मैं इसे विधि मंत्री तक पहुंचाऊंगा। वे इसे भारतीय विधिज्ञ परिषद के समक्ष उठाएंगे। इससे जुड़ा एक और मुद्दा है। मैंने अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री राजनाथ सिंह जी से इस पर चर्चा की है। माननीय अध्यक्ष महोदया, समस्या यह है कि हम भारत में इस वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन भारत का अपमान करने की साजिश चल रही है और यह वृत्तचित्र विदेशों में प्रसारित की जा सकती है। हम इस गंभीर मामले पर भी विचार कर रहे हैं कि इसके विरुद्ध क्या उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कृपया मुझे माफ करें, पर मेरा यह कहना है कि हमें इस स्थिति से सावधान रहना होगा। गृहमंत्री ने कहा है कि वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि समाधान क्या हो सकता है। [हिन्दी] इंडिया का नाम बाहर बदनाम नहीं होना चाहिए। उसको भी देखना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : बहुत सारे प्वाइंट्स हैं। ये देखेंगे।

श्री राजनाथ सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात करूंगा नहीं, मैं बात आई एंड बी मिनिस्टर से कर चुका हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि यह बाहर भी ब्रॉडकास्ट न किया जा सके।

माननीय अध्यक्ष : इसीलिए मैंने कहा कि ये समझदार और अनुभवी हैं। आप थोड़ा विश्वास रखिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : शाहनवाज़ जी, आपने एडजर्नमेंट मोशन दी थी।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास (वायनाड): महोदया, मैं उन विषयों पर केवल कुछ क्षण लेना चाहता हूं जो मैं उठाना चाहता हूं और जिनके बारे में मैंने आज सुबह आपको अवगत कराया था। जब से एन.डी.ए. सरकार सत्ता में आई है, इस देश में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें समझा नहीं जा सकता। बजट के दिन ही, बजट के कुछ घंटों बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमशः 3.18 रुपये और 3.09 रुपये की बढ़ोतरी की गई।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह विषय हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास: जब देश में यू.पी.ए. की सरकार थी, तब वर्ष 2013 में 1,39,000 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी, और तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए राजसहायता दी जानी थी। अब श्री अरुण जेटली जी के बजट के अनुसार यह 57,000 करोड़ रुपये है। इस तरह सरकार को हर साल 81,915 करोड़ रुपये का फायदा हो रहा है। इसलिए पेट्रोल की कीमत 30 रुपये और डीजल की कीमत 36 रुपये होनी चाहिए थी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह विषय हो चुका है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब यह पर्याप्त है। उन्होंने उक्त विषय प्रस्तुत कर दिया है। माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार किया जाएगा

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, आप उन्हें पूरा नहीं करने दे रहे हैं। [हिन्दी] आप बीच में बोल रहे हैं तो वे अपनी बात पूरी कैसे करेंगे?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप उन्हें बाधित कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत की। मैं तो उनको उनकी बात पूरा करने दे रही हूं लेकिन आप उनको उनकी बात नहीं बोलने दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास: महोदया, जब यू.पी.ए. सरकार सत्ता में थी, तब कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 120 से 130 अमेरिकी डॉलर के बीच थी। उस समय, इस पक्ष के सभी एनडीए सदस्य संसद में काफी हलचल मचा रहे थे, स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहे थे और सदन के बीचोबीच आकर अपनी आपत्ति जता रहे थे।

माननीय अध्यक्ष: अब इसे पूरा करें।

श्री एम.आई.शानवास: महोदय, श्री प्रकाश जावड़ेकर और श्री अरुण जेटली जी जब विपक्ष में थे, तो किसी भी बात पर विरोध करते थे। डीजल और पेट्रोल की कीमतें 30 रुपये से कम होनी चाहिए थीं, लेकिन वे इसे बढ़ा रहे हैं। अब सरकार उत्पाद शुल्क भी लगा रही है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अब समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

श्री एम.आई. शानवास: जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, तब कीमत तय करने का अधिकार तेल कंपनियों को दिया गया था। अब इसे वापस लेने का समय आ गया है। क्या सरकार इसे वापस लेगी? … (*व्यवधान*) अंतर्राष्ट्रीय कीमत 60 प्रति बैरल से घटकर 46 रुपये प्रति बैरल हो गई है। इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। … (*व्यवधान*) यह सरकार कॉरपोरेट क्षेत्र को रियायतें प्रदान कर रही है, जबकि गरीबों के लिए ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): जब जब भी किसी को अवसर मिलता है, वे बिना गंभीर विचार किए व्यापक टिप्पणियाँ कर देते हैं। प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय पूर्व सरकार के कार्यकाल में लिया गया था।… (*व्यवधान*) कृपया इसे समझने का कष्ट करें। मुझे प्रसन्नता है कि आप सहमति व्यक्त कर चुके हैं। कृपया वित्त मंत्री का नाम न लें। इस विषय पर हम बजट चर्चा के दौरान विस्तार से विचार-विमर्श कर सकते हैं।… (*व्यवधान*) यह सरकार गरीबों के लिए है। इसीलिए हम इसे कम कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 12.41 बजे

नियम 377* के अधीन मामले

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा, जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें।

केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) झारखंड के गोड्डा में एफ एम रेडियो स्टेशन का संचालन शीघ्र आरंभ किए जाने एवं दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे प्राचीन 'अंग प्रदेश' के रूप में जाना जाता है और जिसका शासक राजा कर्ण था। कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध 'मंदार पर्वत', जो समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है, स्थित है। साथ ही, प्राचीन विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी इसी क्षेत्र में था। इसके अलावा, यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा के पास है, इसलिए यहाँ अलग-अलग जगहों की संस्कृति का असर पड़ता है, जिससे इस क्षेत्र का नाजुक संतुलन प्रभावित होता है। स्थानीय संस्कृति, भाषाएँ, बोलियाँ और क्षेत्र का समग्र इतिहास सरकार का विशेष ध्यान आकर्षित करने के योग्य हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए, तत्काल निम्नलिखित कदम उठाना आवश्यक है:

(एक) गोड्डा (झारखंड) में प्रस्तावित एफ.एम. रिले केंद्र का शीघ्र आरंभ और क्षमता का विस्तार;

(दो) देवघर में 3 एफ.एम. रेडियो प्रसारण स्टेशनों की स्थापना; और

---

* सभा पटल पर रखे माने गए

(तीन) देवघर के दूरदर्शन केंद्र ने स्थानीय दो भाषाओं — आंग भाषा और संथाल भाषा — में कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता।

इसलिए, भारत के इस लंबे समय से उपेक्षित क्षेत्र को पिछड़ेपन से उठाकर एक नए युग में ले जाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरदर्शन केंद्र और समर्पित एफएम रेडियो जैसे साधन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

(दो) कर्नाटक के कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुश्तगी फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्री करादी संगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुश्तगी फ्लाईओवर का निर्माण लंबे समय से लंबित है। यह कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौते वाली एक परियोजना है। राज्य द्वारा भूमि और अन्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया गया है लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण इसका निर्माण लंबित है।

मैं केंद्र सरकार से फ्लाईओवर के निर्माण में तेजी लाने का आग्रह करता हूं।

(तीन) राजस्थान में बिलड़ा से बर के बीच रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : मैं सरकार का ध्यान वर्ष 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान जी द्वारा जोधपुर जिले की बिलाड़ा से बर नई रेल लाइन की घोषणा की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि उक्त योजना का शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका। बिलाड़ा से बर की दूरी केवल 40 किलोमीटर मात्र है, यदि इन दोनों स्थानों को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा व जोधपुर-जयपुर-दिल्ली की दूरी भी बहुत कम होगी तथा जोधपुर से अजमेर को बेहतर कनेक्टिविटि मिल सकेगी। इस संबंध में रेल

मंत्रालय द्वारा सर्वे भी कराया जा चुका है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसे सहमति के साथ योजना आयोग में भेज दिया गया था, लेकिन योजना आयोग द्वारा इस योजना को ''कॉमर्शियल नॉट बाइबल'' बताकर छोड़ दिया गया था। अब इस बात को 15 वर्ष का समय बीत चुका है। वहां लाइम स्टोन और सीमेंट के उद्योग विकसित हो चुके हैं। यदि पुनः सर्वे करवाया जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिलाड़ा-बर रेल लाइन कॉमर्शियली वाइबल भी होगी और सोशयली वाइबल भी।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि जनहित में वर्ष 1997 में की गई घोषणा का क्रियान्वयन करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

(चार) महाराष्ट्र के धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. सुभाष रामराव भामरे (धुले): धुले आजादी के बाद से एक उपेक्षित स्टेशन है। जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है और लंबे समय से क्षेत्र में विभिन्न वाणिज्यिक और कृषि विकास हुए हैं। धुले से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है लेकिन रखरखाव सुविधाओं की कमी के कारण यह संभव नहीं था। इसके अलावा, निम्नलिखित रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है:-

(1) धुले में एक 24-कोच प्लेटफार्म (लगभग लागत 5 करोड़ रुपये) और एक स्टेबलिंग लाइन (लगभग लागत 2 करोड़ रुपये)।

(2) एक रखरखाव, पिटकिन (लगभग लागत 5 करोड़ रुपये)।

(3) सी.एस.टी. से धुले तक और वापसी मार्ग में आवश्यक ठहरावों के साथ एक नई रेल सेवा प्रारंभ की जानी चाहिए।

(4) धुले स्टेशन पर कई यात्री सुविधाओं का अभाव है। धुले को 'आदर्श स्टेशन' के रूप में नामांकित करना बेहतर होगा।

(5) वर्तमान में, चालीसगांव और धुले के बीच 4 जोड़ी यात्री ट्रेनें चल रही हैं। इसे बढ़ाकर 8 जोड़ी किया जाए।

धुले के लोगों के अनेक रिश्तेदार गुजरात में बसे हुए हैं और धुले से सटे अधिकांश क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं कृषि संबंधी मामलों का संबंध गुजरात से है। यदि धुले को वर्तमान जलगांव-सूरत रेल लाइन से जोड़ा जाता है, तो इससे क्षेत्र के यातायात और विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा।

(पांच) सरकारी कार्यालयों एवं विभागों में हिन्दी भाषा के प्रयोग को अनिवार्य बनाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): भारत के संविधान के भाग-17, राजभाषा अध्याय-1, संघ की भाषा के अंतर्गत अनुच्छेद-343 संघ की राजभाषा के तहत (1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान के उक्त अनुच्छेद खण्ड-1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जिसके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। इतना ही नहीं, संविधान में स्पष्ट है कि 15 वर्ष से पूर्व भी यदि राष्ट्रपति चाहेंगे तो संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी का प्रयोग प्राधिकृत कर सकते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के तहत हिन्दी को आधिकारिक रूप से राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि 15 वर्ष तक राजकीय कार्य हेतु हिन्दी का उपयोग किया जाएगा। दुर्भाग्य है कि आज 67 साल बीत जाने पर भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। हिन्दी हमारी राट्रभाषा ही नहीं बल्कि देश को एकता में पिरोने का एक सूत्र है। प्राचीन और भारतीय संस्कृति का मूल प्राण

देववाणी संस्कृत है और हिन्दी का उद्भव इसी संस्कृत से हुआ है। विश्व में 100 करोड़ से आधिक लोगों द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिन्दी है। आज हिन्दी के उत्थान पर गंभीर प्रयासों का अभाव है। जब जर्मनी विज्ञान प्रौद्योगिकी और प्रबंधन की शिक्षा जर्मन भाषा में दे सकता है, चीन चीनी भाषा में, जापान या रूस अपनी भाषा में तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता ? आज जब न्यूयार्क, शिकागो, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड में हिन्दी की भाषा पर कार्य हो रहा है तो हम अपनी ही भाषा के प्रति इतने उदासीन क्यों है ?

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हिन्दी को संविधान की मूल भावना के अनुरूप राजभाषा के रूप में स्थापित कर संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए अनिवार्य रूप में प्रयोग में लाए जाने का कानून सुनिश्चित किया जाए।

(छः) हरियाणा के यमुना नगर जिले में स्थित टोपरा कलां गांव में अशोक शिलालेख उद्यान स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला): मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कलां गाँव में अशोक स्तंभ शिलालेख स्थित था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के शासनकाल में यह गाँव एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था और यह उत्तर से दक्षिण (तक्षशिला से नालंदा) तथा पूर्व से पश्चिम (सिंध से कालसी-बद्रीनाथ) को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों का एक महत्वपूर्ण जंक्शन था। अपने शासन के अंतिम चरण में, सम्राट अशोक ने अपने धर्म प्रचार के अभियान के तहत टोपरा में अपना सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ शिलालेख स्थापित कराया, जिसने बाद में भारत के इतिहास के स्वर्ण युग की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।

लेकिन अफसोस, 14वीं शताब्दी ईस्वी तक इस स्तंभ को दिल्ली के तत्कालीन शासक फ़िरोज़ शाह तुगलक ने उखाड़कर अपनी राजधानी दिल्ली लाया और इसे फ़िरोज़ शाह कोटला में वर्तमान स्थान पर स्थापित कराया।

मैं मांग करता हूं कि जिला यमुनानगर के गांव टोपरा कलां में अशोक शिलालेख पार्क स्थापित करने की कृपा करें। इस परियोजना में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन काल से भारत की संस्कृति में सन्निहित शांति, समृद्धि और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों के संदेश का प्रचार करना है।

(सात) दिल्ली से राँची के बीच एअरइंडिया की उड़ान संख्या आई सी 809 और आई सी 810 का संचालन पूर्व समयसारिणी के अनुसार किये जाने एवं राँची और दिल्ली के बीच अतिरिक्त दैनिक उड़ानों को आरंभ किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : दिल्ली एवं रांची के बीच इण्डियन एयर लाइन्स की हवाई सेवा आई.सी. 809 एवं आई.सी. 810 अपने समय पर नहीं चलती, अक्सर यह फ्लाइट लेट से चलती है जिसके कारण यात्रियों के समय की काफी बर्बादी हो रही है। साथ ही फ्लाइट लेट होने की सूचना भी यात्रियों को नहीं दी जाती है जिसके कारण यात्रियों को एयरपोर्ट पर घण्टों बैठना पड़ता है जबकि दूसरी ओर प्राइवेट एयर लाइन्स समय पर चलती है जिनके कारण इण्डियन एयर लाइन्स को घाटा हो रहा है और प्राइवेट एयर लाइन्स को फायदा हो रहा है। पूर्व में सुबह रांची से दिल्ली के लिए एवं शाम को दिल्ली से रांची इण्डियन एयर लाइन्स की सेवा चलती थी जो बंद की गई है, इस सेवा को पुनः चलाया जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दिल्ली एवं रांची के बीच चल रही इण्डियन एयर लाइन्स की हवाई सेवा आई.सी. 809 एवं आई.सी. 810 को समय पर चलाया जाए और सुबह रांची से दिल्ली एवं शाम को दिल्ली से रांची के लिए इण्डियन एयर लाइन्स की सेवा पुनः शुरू की जाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश में घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी (उ0प्र0) में बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ लगाये जाने की आवश्यकता है जिससे वहाँ की स्थानीय जनता की बेरोजगारी दूर हो सके, क्योंकि पूर्वांचल (पूर्वी उत्तर प्रदेश) हमेशा से राज्य एवं केन्द्र सरकार से उपेक्षित रहा है। वहाँ बहुत से रोजगार के आसार हैं मगर कोई

भी केन्द्र व प्रान्त की सरकार ने कोई काम नहीं किया है, इससे पूर्वांचल हमेशा उपेक्षित रहा है एवं कोई विकास नहीं हुआ है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कोई न कोई औद्योगिक इकाई मऊ या आस-पास के जिलों में लगायी जाए।

(नौ) कानपुर-हमीरपुर-सागर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत किये जाने एवं मरम्मत कार्य के पूरा होने तक कानपुर और आगरा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर पथकर की वसूली न किये जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश - मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले राजमार्ग कानपुर-हमीरपुर-सागर की हालत बहुत ही खराब है जिसमें आए दिन गंभीर दुर्घटनाएं होने से काफी जानें भी जा चुकी हैं। इस मार्ग का उपयोग वाणिज्यिक वाहनों के साथ धार्मिक स्थल चित्रकूट, मैहर और विश्वविख्यात खजुराहो जाने वाले देशी व विदेशी पर्यटक भी उपयोग करते हैं जिससे राजमार्ग में यातायात का अत्यधिक दबाव हमेशा बना रहता है। इस राजमार्ग को चौड़ा करने तथा सड़क के निर्माण का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है जिससे जाम की समस्या भी रहती है। इस राजमार्ग के कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

राजमार्ग संख्या 2 कानपुर-आगरा की हालत भी खराब है और इस राजमार्ग में टोल टैक्स की वसूली अन्य टोल टैक्स बूथों से निर्धारित मानक से बहुत ज्यादा वसूली जा रही है जबकि यह पूर्व में 40 पैसे प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई थी। जब तक राजमार्गों की सड़कों का पूर्ण रूप से निर्माण न हो जाए, टोल टैक्स की वसूली न की जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि कानपुर के इन राजमार्गों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए तथा टोल की वसूली को भी तब तक न लिया जाए जब तक राजमार्ग पूर्णतया न बन जाएं।

(दस) भिलाई इस्पात संयंत्र में पदोन्नति में ठहराव से जूझ रहे कर्मचारियों हेतु समयबद्ध कैरियर प्रगति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : भिलाई इस्पात संयंत्र एवं भिलाई की खदानों में काम कर रहे करीब 8 से 10 हजार श्रमिक जो अपने अधिकतम वेतन श्रेणी में पहुँच कर एक ही पदनाम से 'सेल नीति' की अवहेलना झेल रहे हैं तथा भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल नीति की पक्षाघात के शिकार हो रहा है।

श्रमिकों को जो अपने उच्चतम ग्रेड में पहुंच गए हैं, उन्हें ई-1 ग्रेड में पुनरीक्षित पदोन्नति दी जायेगी। 2010 में जहाँ नॉन एक्सजीक्यूटिव से एक्जीक्यूटिव बनने के लिए 3600 कर्मियों ने आवेदन किया था जिसमें से मात्र 370 श्रमिकों को प्रमोशन दिया गया। नियम में हर दो वर्षों के अंतराल में 10 प्रतिशत श्रमिकों को प्रमोशन का अवसर दिया जाना है। यह प्रक्रिया 2008 से रुकी हुई है। अविलंब कर्मचारी हित में आदेश जारी करना आवश्यक है।

(ग्यारह) तमिलनाडु में विशेषकर पुदुकोटै जिले में नारियल किसानों हेतु कल्याणकारी उपाय किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सेंथिलनाथन (शिवगंगा): तमिलनाडु में हमारी प्रिय नेता, जनता की मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने कृषि उत्पादन को दोगुना करने और कृषि आय को तीन गुना बढ़ाने की योजनाएं विकसित कीं। राज्य सरकार के आदेश पर नारियल विकास बोर्ड और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। नारियल उत्पादकता में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है तथा नारियल उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हालांकि तमिलनाडु देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन तमिलनाडु के नारियल किसानों को केंद्र से उचित सहायता नहीं मिल रही है। आजकल नारियल के पेड़ कई कारकों से प्रभावित होते हैं। केरल में ऐसे प्रभावित बागानों को पुनर्रोपण के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 641 करोड़ रुपये मिले जबकि तमिलनाडु को आनुपातिक मुआवजा नहीं मिल सका। ऐसा कहा जाता है कि केवल नारियल किसानों की उत्पादक कंपनियां ही विभिन्न केंद्रीय

प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र हैं। केरल में ऐसी 12 कंपनियाँ हैं और कर्नाटक में 4, जबकि तमिलनाडु में हमारे पास एक भी नहीं है। हाल ही में, तमिलनाडु के छोटे किसानों के कृषि व्यवसाय संघ ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पुदुक्कोट्टई जिले से पहली ऐसी नारियल किसान उत्पादक कंपनी की सिफारिश की। मैं केंद्रीय कृषि मंत्रालय से नारियल किसानों के बीच नारियल उत्पादों के निर्यात के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक संसाधन संस्थान स्थापित करने का आग्रह करता हूं। मैं केंद्र से ऐसी कंपनियों को उचित मंजूरी देने का भी आग्रह करता हूं जो गठन की प्रक्रिया में हैं और केंद्रीय सहायता मांग रही हैं।

(बारह) प्रो. अमर्त्य सेन द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद से त्यागपत्र दिये जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दमदम): प्रख्यात अर्थशास्त्री और दार्शनिक प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय के बोर्ड द्वारा उनके पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव सरकार को समय पर प्रेषित नहीं किया गया। उनके त्यागपत्र से उस विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, जिसकी स्थापना नालंदा के ऐतिहासिक गौरव को पुनर्स्थापित करने और समस्त एशिया से विद्यार्थियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रोफेसर सेन ने उपरोक्त घटना को विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यों में सरकार के हस्तक्षेप और नालंदा पर अपनी विचारधारा थोपने के प्रयास का उदाहरण बताया है। मैं सरकार के इस प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यह स्मरण किया जाना चाहिए कि वर्ष 1999 से 2004 के एनडीए शासनकाल के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रोफेसर सेन को सभी भारतीय ट्रेनों में निःशुल्क यात्रा की अनुमति और एयर इंडिया से निःशुल्क हवाई यात्रा के लिए विशेष सुविधा कार्ड प्रदान किया गया था। मैं मानव संसाधन मंत्री जी से एक प्रतिष्ठित विद्वान को नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त करने और प्रो. सेन के प्रति खेद व्यक्त करने का आग्रह करना चाहूंगा।

(तेरह) घरेलू करेंसी नोट मुद्रणालयों एवं टकसालों में करेंसी नोटों का मुद्रण और सिक्के ढाले जाने की आवश्यकता

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): मैं सभा का ध्यान इस विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 10 रुपये के प्लास्टिक-लेपित मुद्रा नोटों के आयात तथा सिक्का ढलाई कार्य के बाह्य स्रोतों को सौंपे जाने के कारण कुछ गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। भारत सरकार 10 रुपये के मूल्यवर्ग में प्लास्टिक-लेपित नवीन मुद्रा नोट जारी करने की योजना बना रही है। क्या सरकार इन मुद्रा नोटों की छपाई स्थानीय मुद्रण निगम के माध्यम से कराने जा रही है अथवा विदेश स्थित किसी मुद्रणालय से? यह विषय अत्यंत गंभीर है, क्योंकि वर्तमान में बाज़ार में नकली मुद्रा की भरमार है और करेंसी नोटों की छपाई एक संप्रभु कार्य है। चूंकि स्थानीय मुद्रण निगम में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे स्थानीय निगम को काम करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें तैयार करना समझदारी होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक की मांग की पूर्ति में कमी के कारण भारत सरकार देश के निजी क्षेत्र की संस्थाओं से सिक्का ढलाई की संभावनाओं के संबंध में टकसालों से जानकारी प्राप्त कर रही है। वास्तविकता यह है कि पिछले कई वर्षों में कर्मचारियों की संख्या 50 प्रतिशत तक घटा दी गई है, जबकि उत्पादन क्षमता 2 से 3 गुना तक बढ़ाई गई है। लेकिन यदि इस अवधि में मशीनों का आवश्यक रूप से आधुनिकीकरण कर दिया गया होता, तो उत्पादन में कमी की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। स्थानीय मुद्रण निगम और टकसाल हमारी अर्थव्यवस्था की प्रणाली का हिस्सा हैं। वे आजादी के बाद से निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा को देखते हुए मुद्रा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तथा संबंधित अधिकारियों को 10 रुपये के प्लास्टिक नोटों के आयात एवं सिक्का ढलाई के कार्य को निजी संस्थाओं को सौंपने की योजना को तत्काल रोकने हेतु निर्देशित करें।

(चौदह) विजयवाड़ा विमानपत्तन और विजयवाड़ा बस टर्मिनस के बीच बस सेवा आरंभ किये जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): नागर विमानन मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि विजयवाड़ा विमानपत्तन बस स्टैंड से भी बदतर है, क्योंकि इसमें हवाई यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने का अभाव है। यह आंध्र प्रदेश की आगामी राजधानी की सेवा करने वाला विमानपत्तन है, जो बहुत जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनने जा रहा है और ऐसे प्रत्येक विमानपत्तन के अंदर और बाहर न्यूनतम सुविधाएं होने की उम्मीद है, जिससे विमानपत्तन और नजदीकी शहर के बीच कनेक्टिविटी हो। इस मामले में, इसमें दोनों का अभाव है।

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आधुनिक यात्री की उच्च अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु इस हवाई अड्डे के उन्नयन में समय लगेगा, लेकिन शहर से हवाई अड्डे तक पहुंचने की व्यवस्था वर्तमान में किसी भी यात्री के लिए अत्यंत कष्टदायक और समस्या पूर्ण है। यात्रियों के लिए उनके गंतव्य तक उचित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव है। सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण, यात्रियों को निजी टैक्सी संचालकों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने का शिकार होना पड़ रहा है।

हैदराबाद के आर.जी.टी.एल. जैसे अन्य हवाई अड्डों पर, यात्रियों की सुविधा हेतु हवाई अड्डे और शहर के बीच आवागमन के लिए भुगतान आधारित पुष्पक एयरपोर्ट लाइनर बस सेवा चलाई जाती है। इसी प्रकार, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बस सेवाएँ संचालित करता है। लेकिन विजयवाड़ा में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि भविष्य में हवाई अड्डे पर पर्याप्त यातायात सुनिश्चित करना है, तो विजयवाड़ा और उसके आस-पास के नगरों जैसे तेनाली, गुंटूर और मंगलगिरी के बीच विश्वसनीय और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन संपर्क प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।

इसलिए, मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) से यात्रियों के लाभ के लिए विमानपत्तन और विजयवाड़ा बस टर्मिनस के बीच महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली बस कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं।

(पंद्रह) बिहार के वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को तेजी से पूरा करने हेतु कदम उठाये जाने और वैशाली हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत एक विशेष वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामा किशोर सिंह (वैशाली) : हमारे संसदीय क्षेत्र वैशाली (बिहार) में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में वर्ष 2009-10 में चयनित सड़कों में लगभग 100 सड़कों में मिट्टी भराई कार्य जी.एस.बी. होकर सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है और उक्त 25-30 सड़कों में ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 होकर पक्का नहीं कराया गया है जिससे सड़क जर्जर अवस्था में है और इसके कारण अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। इस चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत हमारे क्षेत्र में विश्व के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त लम्बित सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल वैशाली के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किया जाए।

(सोलह) पंजाब के पटियाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के तथाकथित दुर्विनियोजन के बारे में जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : मेरा संसदीय क्षेत्र पटियाला (पंजाब) में, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण गरीब मजदूरों के मेहनताना भुगतान में करोड़ों रूपये का भ्रष्टाचार व लूट का फर्दाफाश हुआ है। कुछ आधिकारियों पर केस भी दर्ज हुए हैं परंतु इस लूट और घोटाले की सभी परतों को उजागर करने और दोषियों को कड़ा दण्ड देने के साथ-साथ, काम कर चुके मजदूरों को मेहनताना दिलवाने के लिए मैं केन्द्र सरकार द्वारा किसी निष्पक्ष एजेन्सी या सी,बी.आई. द्वारा जाँच की माँग करता हूं ताकि भविष्य में कोई राजनैतिक व्यक्ति या सरकारी अफसर मजदूरों की मेहनत पर इस तरह डाका डालने का दुस्साहस न कर सके। साथ ही दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति जब्त करके मजदूरों को मेहनताना दिया जाए।

(सत्रह) कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) कार्यक्रम हेतु स्पष्ट निधि विनियमन तैयार किये जाने और सी एस आर हेतु विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): हमारा देश कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत दुनिया में पहली बार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) पर एक कानून तैयार करने पर गर्व कर सकता है।

सी.एस.आर. के तहत की जाने वाली गतिविधियाँ अधिनियम की अनुसूची 7 में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हैं। यह मानने का पूरा कारण है कि कुछ खामियों के माध्यम से इस योजना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सरकारी अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची 7 में 3 बार संशोधन किया जा चुका है और इसका वर्तमान स्वरूप मूल स्वरुप से अलग है।

अब कुछ कॉरपोरेट संस्थान इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वे अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल सरकार की कुछ परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर देते हैं, जो सी.एस.आर. की मूल भावना के विरुद्ध है। इसी प्रकार, सी.एस.आर. के लिए कोई स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था नहीं है; यह कंपनी के वार्षिक ऑडिट का एक हिस्सा मात्र है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकताएँ सी.एस.आर. के खर्च में परिलक्षित होनी चाहिए, किन्तु अनेक मामलों में इस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है।

इसलिए, मैं सरकार से सी.एस.आर. के संबंध में स्पष्ट नीति विनियमन बनाने का आग्रह करता हूं। यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार को सी.एस.आर. पर एक विशेष ऑडिट की व्यवस्था बनानी चाहिए।

अपराह्न 12.42 बजे

कोयला खान (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2014 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015....जारी

माननीय अध्यक्ष: अब सभा मद संख्या 13 और 14 पर एक साथ विचार करेगी। श्री कल्याण बनर्जी को इस पर चर्चा शुरू करनी है।

… (*व्यवधान*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदया, मैंने एक नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कल छुट्टी दी है, इसलिए आज ज्यादा काम करना है, आप सब लोगों को जाना भी है।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: मैंने 'शून्यकाल' के लिए एक नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर शाम को करेंगे, जो रहेंगे, वे बोलेंगे, अभी नहीं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। अब हम कोयला खदान विधेयक पर विचार कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री कल्याण बनर्जी: जब यह अध्यादेश इस सदन में पेश किया गया था, तो मैंने अपना विस्तृत भाषण दिया था। मैं उस भाषण की विषय-वस्तु को दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय मंत्री जी को एक बात बताना चाहता हूं। कल मैंने माननीय सदस्य द्वारा कोयला खनिज ब्लॉकों की नीलामी और उनके स्क्रैपिंग के विषय में, जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में हुई, दिया गया भाषण सुना। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है जब उच्चतम न्यायालय ने ऐसा कहा है।

मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी का पंद्रहवीं लोक सभा, कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन के पैराग्राफ 5 पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं उद्धृत करता हूं:

"समिति ने नोट किया कि वर्ष 1993 से वर्ष 2004 तक, आवेदक कोयला ब्लॉक की पहचान करते थे और आबंटन के लिए कोयला मंत्रालय से संपर्क करते थे और उनके आवेदनों पर अनुवीक्षण कमेटी द्वारा विचार किया जाता था… समिति का मानना है कि कोयला ब्लॉकों के आबंटन और आपूर्ति के लिए वर्ष 1993 से वर्ष 2010 तक सबसे गैर-पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी। कुछ कोयला खनिज ब्लॉकों का आबंटन बिना सार्वजनिक सूचना के केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों को किया गया। प्राकृतिक संसाधनों और राज्य की संपत्ति का इस तरह कुछ चुनिंदा लोगों को पारदर्शिता के अभाव में निजी स्वार्थ के लिए वितरण, सरकार द्वारा पूर्ण शक्ति के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। … समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि 1993 से 2004 के बीच कोयला मंत्रालय द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या का कोई डेटा संधारित नहीं किया गया था, और केवल अनुवीक्षण समिति की उन बैठकों के कार्यवाही सारांश उपलब्ध कराए गए जिनमें किसी विशेष कंपनी के आवेदन पर विचार या उसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया था।… समिति का मानना है कि कोयला ब्लॉकों के वितरण के लिए संपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच की जानी चाहिए और आवश्यक दंडात्मक कदम उठाए जाने चाहिए… "

इसलिए संसद की स्थायी समिति में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। संयोग से मैं उस समिति का अध्यक्ष था। महोदया, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस समिति के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया लेकिन दुर्भाग्य से समिति की सिफारिश को तत्कालीन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। मुझे कहना होगा कि हमारी समिति ने सबसे पहले उस पर ध्यान दिया था और उस पर टिप्पणी भी की थी और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। माननीय मंत्री जी, जो उस समय वहां नहीं थे उनके प्रति अत्यंत सम्मान सहित मैं कहूंगा कि यह उच्चतम न्यायालय नहीं बल्कि एक संसदीय समिति है जिसने पहली बार गैर-पारदर्शी प्रणाली के बारे में बात की थी। इसके बाद भी कदम नहीं उठाए जाने पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी व्यक्तिगत ओर से बोली लगाने की पारदर्शी प्रणाली अपनाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले भी मैं बोली लगाने के पक्ष में था।

मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मैंने पहले कही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एक विशिष्ट उत्तर चाहता हूं, यदि अपनी बारी आने पर यह दे दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। क्या आप कोयला ब्लॉकों की उलटी नीलामी करने जा रहे हैं? यदि आप उलटी नीलामी करने जा रहे हैं तो मुझे इसका विरोध करना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि खदानें राज्यों की संपत्ति हैं लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के कारण संसद को खदानों के संबंध में कानून बनाना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार कोयला खदानों को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया है। राज्य भूमि का स्वामी होता है। मान लीजिए कि राज्य 'ए' में कोयला खदानें हैं और आप कहते हैं कि उलटी नीलामी केवल राज्य 'ए' तक ही सीमित है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन यदि आप प्रत्येक राज्य को उलटी नीलामी का लाभ देते हैं, तो 'बी' राज्य आ सकते हैं और नीलामी में भाग ले सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं और उस स्थिति में इन राज्यों को तो लाभ होगा, लेकिन जिस राज्य में खदान स्थित है, वहां के लोगों को लाभ नहीं होगा। किसी दूसरे राज्य और किसी दूसरे लोगों को फायदा होगा।

मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि आपके मन में क्या है और आप क्या कदम उठाने वाले हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो मुझे इस विधेयक का कड़ा विरोध करना पड़ेगा क्योंकि यह निर्णय हमारी योजनाओं के

बिल्कुल विपरीत निर्णय की रूपरेखा नीलामी, बोली प्रक्रिया और अधिकतम राजस्व प्राप्त करने की है। लेकिन यदि विषय का समग्र अध्ययन किया जाए, तो पता चलेगा कि प्रारंभ से ही नीलामी की व्यवस्था मौजूद नहीं थी। कोयला खदानें बिना किसी राजस्व के दे दी गईं। वर्ष 1993 से वर्ष 2010 तक एक भी सरकार को राजस्व नहीं मिला लेकिन निजी संस्थाओं ने अपना लाभ कमाया। ये वित्तीय लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक नहीं पहुंचाए गए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं हुआ है। फायदा सिर्फ उद्योग जगत को हुआ है।

अब, आप नीलामी की उलटी प्रणाली अपनाना चाहते हैं। अंततः, खदानें राज्यों की हैं। यदि ऐसा है तो उस राज्य के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इसका लाभ उस राज्य की सरकार को होना चाहिए न कि उस राज्य को जहां उद्योग स्थित है। मुझे इस पर आपत्ति है। कृपया इसकी सराहना करने का प्रयास करें।

आपने कहा है कि हमें कोयले के अंतिम उपयोग को बताना होगा, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने एक ही समूह में कई अलग-अलग उपयोग शामिल कर दिए हैं, जैसे लोहा-इस्पात बनाना, बिजली बनाना (जिसमें अपनी जरूरत के लिए भी बिजली बनाना शामिल है), खदान से प्राप्त कोयले की धुलाई करना और सीमेंट बनाना। इससे बात थोड़ी जटिल हो जाती है। यदि आप कहते हैं कि ये कोयला खदानें केवल बिजली उत्पादन के लिए हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि ये खदानें इन पाँच उद्देश्यों के लिए हैं, तो मुझे आपत्ति है। क्योंकि लोहा, इस्पात और बिजली को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं है। वर्गीकरण में तर्कसंगतता का होना अनिवार्य है, परन्तु वर्तमान प्रस्ताव में यह तर्कसंगतता अनुपस्थित है। यदि कुछ कोयला खदानों को केवल विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः निवेदन है कि सभी उपयोगों को एक ही वर्गीकरण में सम्मिलित न किया जाए।

<u>अपराह्न 12.52 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

अब मुझे आपसे दो स्पष्टीकरण माँगने हैं। अंतरिम ईंधन की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? कुछ ब्लॉकों की नीलामी पहले ही हो चुकी है। अब उन्हें ब्लॉक दिए जाएंगे। फिर वे संचालित होंगे लेकिन पूर्ण संचालन में समय लगेगा। मेरा मानना है कि उन्हें कम से कम एक साल का समय लगेगा। तो, उस कोयला ब्लॉक के

कोयले के उत्पादन और बिजली क्षेत्र को आपूर्ति के लिए अंतरिम व्यवस्था क्या होगी? हम बिजली क्षेत्र को लेकर बहुत चिंतित हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजली क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा भारतीय कोयले का इस्तेमाल हो रहा है। लगभग 80 प्रतिशत कोयले का उपयोग बिजली क्षेत्र में ही हो रहा है। इसलिए, हम सभी यह देखने में अधिक रुचि रखते हैं कि बिजली क्षेत्र को निर्बाध कोयला आपूर्ति मिले। यदि निर्बाध कोयला आपूर्ति नहीं होगी तो समस्या उत्पन्न होगी। गर्मी लगभग दस्तक दे चुकी है और अगर बिजली संकट हुआ तो लोगों को परेशानी होगी। इसलिए कृपया स्पष्ट करें कि आगामी गर्मी के मौसम से निपटने के लिए अंतरिम ईंधन की आपूर्ति के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

दूसरी बात, बार-बार यह कहा जा रहा है कि नीलामी की वजह से राज्यों को फायदा होने वाला है। एक लाख करोड़ रुपया आपके पास आया है। आपने इसमें से कितना हिस्सा राज्यों को दिया है? मेरे राज्य को कितना दिया गया है? उन्हें यह कब मिला? यह धनराशि क्या है? किसी भी विषय को अनिश्चित या अस्पष्ट नहीं छोड़ना चाहिए। सभी बातें स्पष्ट और वास्तविक होनी चाहिए। हम देंगे, हम देंगे, स्टेट बेनेफिटेड होंगे। कब होंगे? नौ महीने तो चले गए? आपको सटीक आंकड़ा और सटीक तारीख बतानी होगी जिस दिन राज्य ने इसे प्राप्त किया है। हमारी समझ के अनुसार, राज्यों को यह प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने श्री महताब जी से भी बात की। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके राज्य को यह नहीं मिला है। सब कुछ अस्पष्ट है। आप जो अनुपात दे रहे हैं वह क्या है? यदि आपके पास 1 लाख करोड़ रुपया है तो उसका कितना प्रतिशत राज्यों को मिल रहा है? आप हमें राज्यवार आबंटन का प्रतिशत बताएं। आप कृपया इस बात को स्पष्ट करें।

महोदय, मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के कारण ही यह देश दशकों दर दशकों विकसित हुआ है। हम इस देश के विकास में कोयला उद्योगों की भूमिका को नहीं भूल सकते। हम इस देश के विकास के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका को नहीं भूल सकते। हम यह नहीं भूल सकते कि आपके मन में कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है और आप निजीकरण के समर्थक भी हो सकते हैं। संभव है कि यदि मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का समर्थन न करूँ और इसे देश में न लाऊँ, तो मुझे एक विचारशील बुद्धिजीवी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, विदेशों से एफडीआई लाए बिना मुझे एक लोकप्रिय प्रशासक के रूप में मान्यता प्राप्त करना भी कठिन होगा।

देश के विकास के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण थीं। पहला स्वर्गीय इंदिरा जी के समय कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण और दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इन दो तत्वों ने देश की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यही दो आधार स्तंभ हैं जिन पर देश का विकास संभव हो पाया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक उपक्रम जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ अपने निजी प्रतिस्पर्धियों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं? हम इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। निजी कंपनियों पर कोई वित्तीय अनुशासन लागू नहीं है। उन पर कोई बाध्यता नहीं है। उन पर कोई वैधानिक बंधन नहीं है। उनके लिए कोई जवाबदेही भी नहीं है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संसद के प्रति जवाबदेही होती है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक विधायी योजना बनाएं और उस योजना के माध्यम से आप देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बोली प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्राथमिकताएं दे सकते हैं।

महोदय, मुझे अधिक समय देने के लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: यह इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्य अपनी बात कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं; कभी-कभी उन्हें अधिक समय प्रदान करना आवश्यक हो जाता है।

[हिन्दी]

श्री गोडम नगेश (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष जी, कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन बिल, 2015 का मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी तेलंगाना राट्र समिति की ओर से समर्थन करता हूं। 204 कोल माइंस का आबंटन किसलिए सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, यह पूरे देश को पता है। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इन 204 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स हमारे तेलंगाना प्रदेश में हैं। इस फैसले से भारत देश में कोल का उत्पादन कम हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी है। उत्पादन कम होने का कारण इसका रद्द होना है। इसके साथ ही साथ स्टील और सीमेंट का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। सारे देश को बिजली चाहिए, देश के हर गांव को बिजली चाहिए। इसलिए आज केन्द्र सरकार तुरन्त ही इसके ऊपर कुछ कार्य करने के लिए, जो आबंटन रद्द किया, उन 204 ब्लॉक्स का ऑक्शन करने के लिए आज एक विधेयक के रूप में यहां लाई है। मैं एक बार फिर मंत्री महोदय और सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

मेरे दो-चार अनुमान हैं कि सुदूर प्रान्तों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, संविधान के शेड्यूल-फाइव क्षेत्रों में भी जो ब्लॉक्स हैं, वे भी ऑक्शन में हैं। शेड्यूल-फाइव एरियाज में ऑक्शन होने के बाद, भारत के आदिवासी क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए 'पेसा ऐक्ट' भी सरकार लाई है। संविधान के शेड्याूल-फाइव से सम्बन्धित गांव और जो 'पेसा ऐक्ट' है, उसमें यह प्रोविजन है कि गांव की जो ग्राम सभा है, उसकी सर्वसम्मति होनी चाहिए। अगर ग्राम सभा की सर्वसम्मति नहीं हुई तो वहां पर माइनिंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि एलोकेशन होने के बाद जो एलॉटीज हैं, अगर ग्राम सभा सर्वसम्मति नहीं देगी तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी अपने उत्तर में उसे बतायें। जो माइनिंग एरियाज आदिवासी क्षेत्रों में हैं, गरीब क्षेत्रों में हैं। कम से कम 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत वे आज आदिवासी क्षेत्रों में हैं। आज रिहैब्लिटेशन पैकेजे बहुत कम दिया जा रहा है। पिछले महीने मैं एक रिहैब्लिटेशन गांव में गया था। मैंने वहां पर देखा कि वहां पर पीने के लिए पानी की भी सुविधा नहीं है, वहां पर सड़क की सुविधा नहीं है, वहां पर बिजली की सुविधा नहीं है, वहां पर शिक्षा की सुविधा नहीं है।

वे अपनी जमीन को छोड़ कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, इसलिए उनको आधिक प्रॉयरिटी देनी चाहिए। पानी, सभी प्रकार की शिक्षा और अन्य सभी सुविधायें उनको दी जानी चाहिए।

उन 204 ब्लॉक्स में तेलंगाना राज्य के भी 4 ब्लॉक्स हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे तेलंगाना राज्य में भी 4 जैनरेशन कम्पनियां हैं, उन कम्पनियों को प्रॉयरिटी दी जाये और जो गवर्नमेन्ट कम्पनियां हैं, उनको प्रॉयरिटी देने का प्रावधान एक्ट में लायें। आप सभी जानते हैं कि फरवरी-मार्च, 2014, में हमारा राज्य अलग हुआ। इस सदन में ही बिल पास कर उसे अलग किया गया। हमारे राज्य में बिजली की बहुत कमी है। हमारे राज्य में कोयला और पानी मिलता है, लेकिन हम बिजली से बहुत दूर हैं। अभी भी वहां कठिनाइयां हैं। हमें रिहैब्लिटेशन एक्ट में जितना परसेन्ट शेयर दिया गया है, उतना परसेन्ट शेयर भी हमारे राज्य में नहीं आ पा रहा है। सेन्ट्रल पूल से जो बिजली वहां आ रही है, हमारे प्रान्त से बिजली के लिए कोयला और पानी दूसरे प्रान्त में जा रहा है, क्योंकि वहां पर जैनरेशन प्लान्ट्स हैं। रिहैब्लिटेशन एक्ट में जितनी बिजली का प्रावधान किया गया है, वह भी वहां नहीं आ रही है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि रिहैब्लिटेशन एक्ट में हमें जो शेयर आना चाहिए था, उसके लिए वे ध्यान दें। आपने मुझे इस बिल पर अपनी बात बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गणेश सिंह (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिस पर बहुत गंभीर चर्चा हो रही है, अध्यादेश के रूप में अभी बनकर काम कर रहा है। इसे कानून बनाने के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 24.09.2014 के आदेश के पालन के लिए सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। उस वक्त संसद का सत्र नहीं चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार तथा देश में कोयले की जो मांग थी, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में भयंकर जरूरत महसूस की जा रही थी, उस कारण तथा कोयला आबंटनों में जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसमें पारदर्शी व्यवस्था लाने के लिए केन्द्र सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। उस अध्यादेश के माध्यम से आगे की कार्यवाही में अभी तक 18 कोल ब्लॉकों का आबंटन ई-नीलामी के तहत हुआ है। सचमुच सी.ए.जी. की जो शिकायत थी कि राजस्व में बहुत हानि हुई है, 1,86,000 करोड़ का जो मामला दिखाया गया था, इस नीलामी के बाद लगता है कि वह शिकायत सही थी। अभी मात्र 18 कोल ब्लॉकों की जो नीलामी हुई है, उसमें 1,22,000 करोड़ रुपये के राजस्व की आमदनी हुई है। यह सारा पैसा केन्द्र सरकार के खजाने में नहीं रहने वाला है, बल्कि उन राज्यों में जाएगा, जहां कोयले का उत्पादन हो रहा है। सबको मालूम है कि ओडिसा को 515.52 करोड़, मध्य प्रदेश को 35,588.8 करोड़, पश्चिम बंगाल को 11,203 करोड़, महाराष्ट्र को 1,602 करोड़, झारखंड को 12,622 करोड़ और छत्तीसगढ़ जहां सवारधिक कोल ब्लॉक्स हैं, 47,553 करोड़ रुपये के राजस्व का लाभ मिलेगा।

वर्ष 2003 के बाद विद्युत उत्पादन क्षेत्र में जब निजी क्षेत्रों को आमंत्रित किया गया तो कोयले की अचानक मांग बढ़ गई। देश की जरूरत भी थी कि विद्युत का उत्पादन आवश्यकतानुसार बढ़े। वर्ष 2004 में कोयले के वैश्विक मूल्यों में तेजी आई, तब सरकार ने कोल ब्लॉकों की नीलामी का निर्णय लिया। लेकिन दस वर्ष तक यू.पी.ए. सरकार उस पर निर्णय नहीं कर सकी और विशेष रूप से लोगों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से आबंटन देने का काम करती रही। अंत में देश के सामने ऐसी परिस्थिति आई कि उस समय के कई मंत्री जेल गए, और अधिकारी भी जेल गए। इससे देश की दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए कहा कि हम इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता चाहते हैं। इसमें भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो, इस वजह से उन्होंने ई-नीलामी का निर्णय लिया। आज हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि यह जो निर्णय हुआ है, इससे पूरी दुनिया में हमारी छवि मजबूत हुई है। सरकार का जो कमिटमैंट है कि हम एक ईमानदार सरकार देना चाहते हैं, सुशासन और विकास के दृष्टिकोण से हमारा लोगों

से जो वायदा है, उसे हम पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा राज्यों को भी इसमें हक मिलना शुरू हुआ है। हम यहां पिछले दस सालों तक उधर बैठकर सरकार से मांग किया करते थे कि राज्यों का हक उन्हें दिया जाए। पहले कोयला नहीं मिल रहा था, 35 प्रतिशत से कम कोयला हमें मिलता था जिससे उत्पादन नहीं हो रहा था। हमारा राज्य मध्य प्रदेश, जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन हमारे थर्मल पावर वहीं स्थापित हैं, जहां कोल की खदाने हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें पूरा कोयला नहीं मिला। आज कम से कम यह बात पूरी तरह प्रमाणित हो रही है कि ई-नीलामी का जो निर्णय हुआ है, इससे बिजली के उत्पादन का दाम भी घटेगा। थर्मल पॉवर को पर्याप्त कोयला भी मिलेगा, समय पर मिलेगा। इससे निश्चित तौर पर देश में बिजली की मांग बढ़ रही है, आज आपूर्ति की कमी है, उसमें भी इजाफा होगा। आज 30-35 परसेंट कोयला विदेशों से आ रहा है। हमारे देश में भंडारण है, लेकिन हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जिन्हें कोल ब्लॉक आबंटन हुआ था उन्होंने काम नहीं किया। अंततः सुप्रीम कोर्ट को उसे निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा।

अभी मेरे पास जो जानकारी है, अभी 20 अरब डॉलर का कोयला विदेशों से आयात होता है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है, इससे उसकर भी बचत होगी। राज्यों को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार का जो अंश है, उसमें से पहले 32 प्रतिशत राशि राज्यों को दी जाती थी। चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद अब यह 42 परसेंट हो गया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पंचायतों और नगर क्षेत्रों के विकास के लिए 5-5 प्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय राशि देने का जो निर्णय लिया गया है, वह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कई राज्यों को कोयले की नीलामी के बाद इतने पैसे मिलने वाले हैं, जितना खुद उस राज्य का साल का बजट नहीं होता। यह बहुत अच्छा संकेत है। मेरा सभी पार्टी के सदस्यों से निवेदन है कि इसका बिना किसी भेदभाव के समर्थन करें। जिस तरह से कोल इंडिया इस क्षेत्र में काम करती है, उसने मजदूरों के संरक्षण के लिए भी काम किया है। इस बारे में कल हमारे एक साथी कह रहे थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज इन कोल ब्लॉकों को ई-नीलामी के जरिए लेंगी, उनको भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिन किसानों की जमीन जाए, इसका उसे मुआवजा मिले, उनका पुनर्वास हो, उनके बच्चों को नौकरी मिले। जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से संरक्षण होना चाहिए। चूंकि यह काम बहुत

व्यापक क्षेत्र में शुरू होगा, इसलिए निश्चित रूप से उनको इस श्रेणी में लाने का काम किया जाए, जिससे उनके साथ भी न्याय हो सके। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

आपने समय दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोज़पुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण विधेयक: कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, पिछली यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएँ हुईं, जिनका परिणाम यह हुआ कि चुनाव के दौरान यू.पी.ए. सरकार सत्ता से विस्थापित हो गई। मैं इस विधेयक को लाने के लिए श्री मोदी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार को धन्यवाद देता हूं ताकि कोयला खदानों की बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता बहाल हो सके।

महोदय, चाहे कोयला हो या लोहा या पानी, बोली प्रक्रिया या वितरण प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता होनी चाहिए। ये प्राकृतिक संसाधन राज्यों को उचित तरीके से उपलब्ध कराये जाने चाहिए। यह राज्यों के साथ-साथ देश के विकास के लिए भी जरूरी है।

महोदय, यू.पी.ए. के कार्यकाल में विद्युत् कटौती एक सामान्य समस्या बन गई थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि कोयला ब्लॉक आबंटन की प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्ष नहीं थी। कोयला ब्लॉक उन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रदान किए गए जो यू.पी.ए. के निकटस्थ थे, जिससे नियम एवं प्रावधानों की अनदेखी हुई। देश को गंभीर नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि कोयला ब्लॉक आबंटित करने वालों ने अपनी खदानों में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया। कोयले का उत्पादन अत्यंत प्रभावित हुआ, जिससे देश को भारी आर्थिक और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा।

महोदय, न्यायालयों को सही स्थिति स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय के आदेशों ने सुनिश्चित किया है कि अब कार्यवाही में व्यवस्था और न्याय स्थापित हो गया है। महोदय, जब देश में प्रगति और विकास होगा, तभी मूल्य कम होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब को भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए कोयले की आवश्यकता है। केंद्र को यह देखना चाहिए कि सभी राज्यों को उसके उद्योगों के लिए आवश्यक मात्रा में कोयला उपलब्ध कराया

---

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

जाए। कोयले का आबंटन एवं आपूर्ति राज्यों की मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप हो। बिजली संयंत्रों को भी कोयले की आवश्यकता होती है।

महोदय, पिछली यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल में कोयले का उत्पादन पूरी तरह बंद हो गया था। नतीजा यह हुआ कि बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ा। इसलिए, आने वाले समय में कोयले का नियमित और निरंतर उत्पादन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, महोदय, निजी उद्योगों जैसे लोहा-फाउंड्री और ईंट-भट्ठा कारखानों को भी कोयले और बिजली की आवश्यकता होती है जो उन्हें सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्हें दिए जाने वाले कोयले पर राजसहायता दी जानी चाहिए। यू.पी.ए. सरकार के समय हमें कोयले का आयात करना पड़ता था, जबकि हमारे देश में कोयले के पर्याप्त भंडार थे।

अंत में, मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं कोयला-ब्लॉक आबंटन प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए श्री मोदी जी और माननीय कोयला मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर, 2014 को सरकार की तरफ से कोल माइन्स पर एक अध्यादेश लाया गया था, उस कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक, 2015 के समर्थन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस देश में मई, 2014 में पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एन.डी.ए. की सरकार बनी। यह सरकार अपेक्षाओं, उम्मीदों और भविष्य की संभावनाओं की सरकार थी। इस सदन में कोल माइन्स पर कल से चर्चा चल रही है। हमें गर्व है कि माननीय कोयला मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसमें कोल क्षेत्र में ई-ऑक्शन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से पहले हमने यू.पी.ए-टू में भ्रष्टाचार का दंश भोगा है, उसे हमने बहुत नजदीक से देखा है। देश में हर दिन कभी कोल भ्रष्टाचार, कभी टू-जी, थ्री-जी या किसी और कारण से अखबार की हैडिंग बनती थी। मैं इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और कोयला मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश में पारदर्शी व्यवस्था सामने लाकर भारत की संप्रभुता को भी ताकतवर बनाया और इस देश के अर्थतंत्र को भी मजबूत करने की कोशिश की।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमें खुशी है कि आर्डिनेन्स के मामले में लगातार बातें हो रही हैं कि आर्डिनेंस के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसे नकारा जाना चाहिए। पाँच सौ बार इस ऑर्डिनेन्स के पहले इस देश में, इस सदन में आर्डिनेन्स आए, तब यह बात इनके जेहन में नहीं आई। जब कोई महत्वपूर्ण काम करना होता है, लोक सभा नहीं चल रही होती है, जब देश के लाभ का, जनता के लाभ का प्रश्न होता है, तो हमेशा इस तरह के आर्डिनेन्स आते हैं। देशहित में जो आर्डिनेन्स आया है, इसके समर्थन में हमें कतई संकोच नहीं है। हमें गर्व है कि माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रहित में यह कदम उठाया है।

सन् 1984 के बाद इस देश में पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एन.डी.ए. की सरकार बनी है। स्वाभाविक रूप से लोगों को इस सरकार से अपेक्षाएँ हैं। लोग चाहते हैं कि जिस भ्रष्टाचार में यह देश आकंठ डूबा हुआ था, शायद अब उस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। यह बिल हमारी कोयला-खनिज़ नीति के संबंध में एक मील का पत्थर साबित होगा।

इस देश में जब सर्वोच्च न्यायालय ने दो सौ चार खदानें निरस्त कीं, तो कोल का संकट बढ़ा। लगभग पाँच करोड़ टन कोल की कमी इस देश में महसूस हुई तब माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इस संकट को दूर करने के लिए यह बिल लेकर आए। उस समय कोल मंत्री जी ने कहा था कि कोयला क्षेत्र का गैर-राष्ट्रीयकरण करना, हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछली संप्रग सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में किये गये नुकसान की भरपाई करने की कोशिश में हम लगे हैं, जिसमें कोल ब्लॉक्स मुफ्त में बांट दिये गये थे। उन्होंने कहा कि इसके साथ सरकार यह तय करेगी कि बिजली की दरें न बढ़ें।

हमें खुशी है कि सरकार आम आदमी की चिन्ता करती है। आज हमारे जो कोल ब्लॉक्स ऑक्शन के माध्यम से आबंटित हुए हैं, सरकार ने केवल 42 कोल ब्लॉक्स आबंटित किये हैं और 120 लाख करोड़ रुपए की धनराशि इस देश के विकास के लिए आई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन 204 कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी तो हमारे देश के राज्यों के पास कितना पैसा होगा। आज झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं, जहाँ विकास के लिए पैसे की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष जी, मैं केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। इन कमजोर राज्यों को, पूर्वी राज्यों को राशि का प्रावधान इस सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जिन खदानों के ऑक्शन के बाद, आस-पास के क्षेत्रों में भू-अधिग्रहण की समस्या आती है, उस पर भी हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। उसमें भी कोई ऐसी प्रक्रिया हो कि खदानों की नीलामी के बाद काम जल्दी शुरू हो सके। जहाँ खदानें आबंटित होंगी, सी.एस.आर. का पैसा वहाँ पर बड़ी मात्रा में विकास के लिए आता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वह सी.एस.आर. का पैसा, जिस क्षेत्र में खदान चल रही है, उस क्षेत्र के लोगों की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगाया जाए।

मुझे खुशी है कि आज इस देश में हमारी सरकार एक पारदर्शिता की पद्धति सामने लेकर आई है, इसके कारण दुनिया की नज़रों में देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, दुनिया की नज़रों में भारत का सम्मान भी बढ़ा है और भारत इस प्रक्रिया के कारण आर्थिक रूप से भी संपन्न होगा। मैं अपनी बात समाप्त करूं, उससे पहले मैं विपक्ष के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं। हे मित्रो,

"शहर करीब है कि सूरज निकलने वाला है,

उठो कि रात का मंजर अब बदलने वाला है।"

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे कोल माइन्स (स्पेशल प्राविजन्स) बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

आज जब हम कोयले की बात करते हैं तो हमारे देश में पावर सेक्टर एवं स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। पिछले चार-पांच वर्षों से अगर कोयले की बात करते हैं तो बार-बार एक ही चीज सामने आती है कि कोयले की लूट मचाई गई, कोयले की खदानें गलत तरीके से बेची गईं। मैं कोल माइन्स मिनिस्टर को बधाई देता हूं कि उन्होंने ई-ऑक्शन का हवाला देकर, जहां पहले हजारों रुपये का फायदा हुआ था, आज लाखों रुपये का फायदा सरकार को पहुंचाया है। मैं उनके संज्ञान में एक जरूरी विषय भी लाना चाहता हूं। जब मैं इस बिल को पढ़ रहा था तो चैप्टर संख्या-2 के सेक्शन-4 की अमेंडमेंट संख्या -5 मेरे सामने आई। यह अमेंडमेंट कहता है:

[अनुवाद]

> "कोयला ब्लॉक आबंटन से संबंधित किसी भी अपराध में दोषी ठहराए गए और तीन वर्ष से अधिक कारावास की सजा प्राप्त किसी पूर्व आवंटितकर्ता को भाग लेने के लिए अर्ह नहीं माना जाएगा।"

[हिन्दी]

हम कहते हैं कि तीन साल से ज्यादा सजायाफ्ता आदमी इस बिड में अपना नाम नहीं दे सकता। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्यों हमने उन लोगों को छोड़ दिया, जिनको तीन साल से कम सजा कोल एलोकेशन के दौरान हुई थी? अगर कोई चोर चोरी करता है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कानून बना हुआ है, हमें नया कानून बनाते वक्त उन चोरों को जगह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपील करूंगा कि इस अमेंडमेंट संख्या-5 को बिल से रिमूव किया जाए।

जहां कोयले की बात आती है, जब हम कोयले की खदानों को बनाते हैं, उनमें ब्लास्ट करते हैं तो वहां से लोगों को रि-लोकेट करते हैं, मूव करते हैं। हमारे ओडिशा के साथी बोलना चाहते थे, समय की कमी के कारण उनको बोलने का मौका नहीं मिला, मैं उनकी अपील भी आपके सामने रखूंगा कि जिसको आप खदान एलोकेट करेंगे, जहां खदान देंगे, सबसे पहले वहां का सोशल इम्पैक्ट एसेसमेंट कराकर उन लोगों

की जिन्दगी के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उनको कहीं नई जगह पर मूव करने का काम करते हैं, जब आपके एलोकेशन से इतना रेवेन्यू जेनरेट हो रहा है तो सबसे पहला प्रावधान यह हो कि उनके बच्चों के लिए अच्छी मेडिकल फेसिलिटीज, अच्छी एजुकेशनल फेसिलिटीज और रहने के लिए अच्छे मकान बनाकर देने का काम भी हमारी सरकार का होगा।

हमारी खदानों में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी को प्रायरिटी पर रखना होगा। मैं 27 वर्ष का हूं, लेकिन हम दिन-प्रतिदिन टी.वी. पर देखते हैं और खदानों की बात आती है तो यही पता चलता है कि बारिश आई और अंडरग्राउण्ड माइन्स में काम करने वाले 150 मजदूर मारे गए। उनकी सुरक्षा के पैरामीटर्स को भी हमें इस बिल में कड़ा बनाना होगा।

मैं आखिर में यही अपील करूंगा कि ये खदानें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, देश के केवल आठ राज्यों में हैं, जिनमें से ज्यादातर खदानें ओडिशा में हैं। मगर पावर एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे देश के कोने-कोने को प्रभावित करता है। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि जब कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हो तो राज्य सरकारों को प्रायरिटी देने का काम करें। पिछले साल हरियाणा में 12 पावर यूनिट्स में से नौ यूनिट्स बंद थीं, क्योंकि उनको कोयले की प्रॉपर क्वांटिटी हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। राज्य सरकारों के पास भी अथॉरिटी होनी चाहिए और प्रायरिटी मिलनी चाहिए कि वे अपने लिए प्रॉपर कोल ब्लॉक्स एलॉट करा लें, जिससे आने वाले समय में प्रदेशों में पावर सेक्टर को कोयले की कमी न हो।

मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि पहले लुटेरों ने हमारे देश में जो लूट मचाई थी, उन्होंने ई-ऑक्शन के तहत उस पर कुछ रोक लगाई है, पूरी रोक लगाने का काम वह इस सेक्शन को अमेंड करके करें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): सबसे पहले, मैं माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण कानून को प्रस्तुत किया, जो आने वाले दशकों में हमारे देश में खनिजों के निष्कर्षण एवं उपयोग की दिशा निर्धारित करेगा। निस्संदेह, यह अधिनियम वर्ष 1973 के कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम को पूर्णतः प्रतिस्थापित करता है तथा इस नए कानून का मुख्य आधार नीलामी प्रक्रिया है। इस सभा के भीतर और बाहर विभिन्न सदस्यों तथा राजनीतिक नेताओं के बीच यह धारणा प्रचलित है कि यह विधेयक कोई नई पहल है, जो उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत उत्पन्न हुआ है और जिसे एन.डी.ए. ने अपने एजेंडे में शामिल किया है।

मैं दस मुद्दे प्रस्तुत करूंगा। मेरा पहला मुद्दा एमएमडीआर अधिनियम संशोधन के संबंध में है। वास्तव में, इसी संशोधन के तहत नीलामी और ई-नीलामी की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसे वर्ष 2012 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा तैयार किया गया था और वर्ष 2013 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। महोदय, उस समय आप और मैं दोनों सदस्य थे।

मैं एम.एम.डी.आर. (संशोधन) अधिनियम, 2012 के सटीक प्रावधान 11क पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसे वर्ष 2013 में सभा में पेश किया गया था: -

> "केंद्र सरकार कोयला/लिग्नाइट वाले क्षेत्र के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की अनुमति देने के उद्देश्य से नीलामी के माध्यम से या प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन करने का अधिकार होगा।"

भारतीय इतिहास में यह पहली बार था कि किसी कानून में नीलामी की अवधारणा पेश की गई। मैं आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने उसी बात को आगे बढ़ाया है और इस सदन में प्रस्तुत किया है।

एक और बात आई है, पिछले दस साल की बात कही जाती है, मगर मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोल ब्लॉक्स कैंसिल किए हैं, मंत्री जी को पता है, वे पिछले 20 साल में जितने भी एलाटमेंट

हुए थे, वे सारे कैंसिल किए हैं। वर्ष 1993 के बाद से उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया है और आपकी सुविधा के लिए मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करूंगा। वर्ष 1993 से वर्ष 2003 तक - बीस वर्षों के लिए - उच्चतम न्यायालय ने 20 वर्षों के सभी आबंटन रद्द कर दिए हैं। अब, इन 20 वर्षों में से केवल 12 वर्षों तक कांग्रेस शासन कर रही थी। बाकी 8 साल का क्या? ऐसी धारणा बना दी गई है कि यह एक राजनीतिक/पक्षपातपूर्ण मामला है जिसे कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया है। तथ्य यह है कि जिन 20 वर्षों की अवधि के लिए सभी आबंटन रद्द किए गए हैं, उनमें से 8 वर्षों तक विपक्ष देश पर शासन कर रहा था। इसमें वर्ष 1990 के दशक के अंत में सभी राजनीतिक दलों के साथ वाजपेयी जी और यूनाइटेड फ्रंट शामिल हैं। वास्तव में यदि आप वार्षिक आबंटन को देखें, तो सबसे अधिक आबंटन वर्ष 2003 में किए गए थे, जब करिया मुंडा जी और उस समय की वाजपेयी सरकार द्वारा 20 कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए थे। मेरे पास कोई कारण नहीं है और मैं वाजपेई जी या करिया मुंडा जी की प्रामाणिकता या एन.डी.ए. सरकार के दौरान आबंटित सभी आबंटनों पर संदेह नहीं करना चाहता। हम ऐसा करने की इच्छा नहीं रखते थे, क्योंकि वे उस समय की प्रक्रिया का हिस्सा थे। किंतु दुर्भाग्यवश, जब अगले वर्ष भी वही प्रक्रिया दोहराई गई, तो भाजपा सरकार के पास उस समय के विद्युत मंत्रियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाने के सभी युक्तिसंगत कारण उपलब्ध हो गए। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसे हम रोक नहीं सकते। हम अपने नैतिक राजनीतिक दृष्टिकोण पर अडिग रहेंगे।

इस देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है। मैं सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि कोयला और सभी प्राकृतिक संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। इसीलिए, भारत के संविधान के भाग 11 में केंद्रीय सूची के अंतर्गत कोयला सहित सभी प्राकृतिक संसाधनों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार इस संसद को प्रदान किया गया है। कोयला केंद्रीय सूची में शामिल है। इसीलिए, जब भारत कोयला संकट का सामना कर रहा था, हम कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम लेकर आए। वर्ष 1991 में कोल इंडिया मुनाफे में आ गई। जैसे ही यह लाभदायक हो गया, हमने तुरंत शुरुआत कर दी। कुछ निजी कंपनियों को अनुमति दी गई। इसलिए, वर्ष 1993 के बाद से, इसमें कमी आई है। वर्तमान में इन राष्ट्रीय संसाधनों को राज्यों की ओर निर्देशित किया जा रहा है। इसमें राज्यों को लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देश के कुल कोयला भंडार का 99 प्रतिशत मात्र पाँच राज्यों में केंद्रित है। बाकी 25 राज्यों के बारे में क्या? हमारा संघ आपसी विश्वास और

एक अत्यंत संवेदनशील वादे पर आधारित है, जिसे प्रत्येक राज्य ने एक-दूसरे के साथ किया है। इसी कारण, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय संसाधनों को न तो राज्य सूची में रखा और न ही समवर्ती सूची में शामिल किया। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सूची में उपलब्ध कराया। सारी आय, 7 लाख करोड़ रुपये जो कि मंत्रालय द्वारा अनुमानित धनराशि है, इन सात राज्यों की ओर जाएगी। अन्य राज्यों के बारे में क्या? उदाहरण के लिए, इस संघ का प्रत्येक राज्य कुछ न कुछ प्रदान कर रहा है। हरियाणा, पंजाब और कुछ अन्य राज्य अधिशेष खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। हमने कभी यह मांग नहीं की कि हम अपना अधिशेष खाद्यान्न दूसरे राज्यों को नीलाम करेंगे। मेरा कहना यह है कि यह एक राष्ट्रीय संसाधन है।

माननीय उपाध्यक्ष: हुड्डा जी, आप जिन पाँच राज्यों का उल्लेख कर रहे हैं, वे खनिज संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कम आय और आर्थिक पिछड़ेपन से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर जिन अन्य राज्यों की आप बात कर रहे हैं, वे अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और विकसित हैं। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि हम संसाधनों के वितरण को केवल भौगोलिक आधार पर कैसे न्यायसंगत ठहरा सकते हैं, जब कि जिन पाँच राज्यों में ये खनिज भंडार हैं, वे अब भी विकास की दौड़ में पीछे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं आपकी बात की सराहना करता हूं। मैं आपके भाषण और आपकी बात दोनों की सराहना करता हूं।

महोदय, मैं सहमत हूं कि इन राज्यों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले हिस्से में सबसे बड़ा हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि जब कोयला खनन करना कठिन था, तब सभी राज्यों ने सरकार के माध्यम से अपना निवेश किया था और कोल इंडिया की स्थापना कोयला (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत की गई थी, तथा खनन कार्य को आगे बढ़ाया गया था। आज भी कोल इंडिया लगभग 500 मिलियन टन का खनन करता है। इसलिए, अन्य सभी राज्यों ने, जिन्होंने आवश्यकता के समय अपना निवेश किया था, उन्हें भी इसका उचित लाभ प्राप्त होना चाहिए। वर्तमान में जब सरकार कोयला बाजार को वाणिज्यिक लाभ, निजीकरण तथा निजी क्षेत्र के मुनाफे के लिए खोलने की योजना बना रही है, तब इस लाभ का एक निर्धारित हिस्सा उन राज्यों को आबंटित किया जाना उचित होगा जिन्होंने संकट के समय खनन क्षेत्र में सहायता प्रदान की थी। महोदय, यह वही कारण है जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

मेरा कहना यह है कि भारत का संविधान कोयले को राष्ट्रीय सूची में रखता है। लेकिन अब प्रभावी रूप से सारा राजस्व राज्यों को जाएगा। इसीलिए, हम यहां लोक सभा में इस पर चर्चा कर रहे हैं। संविधान में कोयला संबंधी विधेयकों को राज्य विधानसभाओं में विचार हेतु प्रदत्त अधिकार शामिल नहीं किया गया है। संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे संविधान की रचना की, जिसमें यह निहित वादे शामिल थे कि प्रत्येक राज्य एक-दूसरे के प्रति इस बात का संकल्पित रहेगा कि लाभ या हानि के समय हम एकजुट रहेंगे। इसी कारण से संसाधनों के साझा उपयोग की अवधारणा कमजोर हो रही है। सरकार को इन गरीब राज्यों के लिए प्रावधान करना चाहिए, किंतु साथ ही उन अन्य राज्यों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, जिन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी।

मेरा चौथा मुद्दा इन पट्टों के वर्षों की संख्या के संबंध में है। यह माननीय मंत्री महोदय के लिए एक सुझाव है कि उन्होंने 30 वर्षों की पट्टा अवधि प्रदान की है, जिसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैंने विश्व के उन सभी विधानों का अध्ययन किया है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी की जाती है। ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया कि खनन पट्टे की अवधि स्वाभाविक रूप से 30 वर्ष के साथ 20 वर्ष और बढ़ाई जा सके, क्योंकि नवीनीकरण की प्रक्रिया अत्यंत सहज होती है। कहीं भी 50 वर्षों के लिए पट्टा प्रदान नहीं किया जाता है। अमेरिका में, खनन पट्टा अधिनियम, 1920, जो अमेरिकी नीलामी को नियंत्रित करता है, 20 वर्षों के लिए अपनी खदानों की नीलामी का प्रावधान करता है। इंडोनेशिया, जो एक और कोयला समृद्ध देश है, में वे अपनी खदानों की नीलामी केवल 20 वर्षों के लिए करते हैं। तो फिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है? यह एक ऐसी सरकार है जो सिर्फ पांच साल के लिए चुनी जाती है। सरकार कोयले के सभी राष्ट्रीय संसाधनों को अगले 50 वर्षों, 30 वर्षों और 20 वर्षों के लिए नीलाम क्यों करना चाहती है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में कहीं भी इसकी इजाजत नहीं दी गई है।

वास्तव में, अमेरिका में इस नीलामी के कारण अब उपभोक्ताओं द्वारा बहुत सारे मुकदमे किए जा रहे हैं, जिनका मानना है कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि इन नीलामियों ने एकाधिकार पैदा कर दिया है। मंत्री जी, हमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा और क्या आपने ध्यान रखा कि जब ऑक्शन हो रहा है, तो कितने कोल ब्लॉक कौन सा प्लेयर लेगा? इसके लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। इसके लिए प्रोवीजन

लाना पड़ेगा। हम भी नजर रखेंगे कि कौन-कौन सी कम्पनी कितने ब्लॉक ले रही हैं और आपको भी देखना पड़ेगा ताकि मोनोपॉलीज़ क्रिएट न हो। यदि आप अमेरिका के व्योमिंग और मोंटाना राज्यों के उच्चतम न्यायालयों के मामलों पर गौर करें, तो पाएंगे कि कई मुकदमे चल रहे हैं क्योंकि कुछ कंपनियों ने नीलामी के माध्यम से एकाधिकार स्थापित कर लिया है और पिछले बीस वर्षों से उपभोक्ता मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर रही हैं। यही नीलामी की सबसे बड़ी चुनौती एवं खतरा है। उस पर मंत्री जी को सावधान रहना होगा।

एक और विवादास्पद विषय यह है कि यह नियमनित और अनियंत्रित क्षेत्रों का प्रश्न है। हम जानते हैं कि वर्तमान में विद्युत क्षेत्र नियमनित है, जिसके लिए मंत्रालय ने रिवर्स नीलामी का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जबकि इस्पात और सीमेंट जैसे अनियंत्रित क्षेत्रों के लिए मंत्रालय ने सामान्य नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। उलटी नीलामी का अर्थ है कि सबसे न्यूनतम बोली लगाने वाला विजेता होगा। मेरी जानकारी यही है कि कई बिडर्स ने ज़ीरो कॉस्ट पर ऑक्शन निकालने का काम किया है। लेकिन, नियमनित और अनियंत्रित क्षेत्रों के विषय में मेरे दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं—इस सीमा निर्धारण का अधिकार किसके पास है? यह बहुत बड़ी पॉवर दी जा रही है। इसका सीमांकन कौन सी समिति करती है? यह केवल नीलामी का विषय नहीं है, बल्कि यह नीलामी की आड़ में हो रही जटिलताओं का प्रश्न है। कौन-सी समिति यह निर्धारित करती है कि कौन सी कोयला खदान अनियमित है और कौन सी विनियमित? तथा क्या इसे उलटी नीलामी के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे कोयले की कीमत और उस खदान से प्राप्त धनराशि निर्धारित होगी? क्या मंत्री जी जवाब देंगे कि विद्युत मंत्रालय ने उस समिति के गठन के लिए विस्तृत योजना बनाई है?

जब ये आबंटन किए गए थे, तब पिछले बीस वर्षों से हमारी समिति भी कार्यरत थी। उच्चतम न्यायालय ने किसी भी समिति को प्रदान की गई व्यक्तिपरक शक्तियों के खिलाफ यही निर्णय दिया है। उस समिति में भारत सरकार तथा संबंधित राज्य के सभी अधिकारी सम्मिलित थे। यदि उन समितियों द्वारा किया गया कोई भी व्यक्तिपरक मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था, तो आपकी समिति द्वारा व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि कोई कोयला खदान विनियमित है या अनियमित?

[हिन्दी]

श्री नवीन पटनायक, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री पहले ही प्रधान मंत्री जी को लिख चुके हैं कि ओडिशा की 9 खदानों में से भारत सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया था कि आठ खदानें विनियमित क्षेत्र के लिए उलटी नीलामी में जाएंगी। तो, यह व्यक्तिपरक निर्णय है। आने वाले दिनों में सावधान रहने की जरुरत है, क्योंकि इसमें स्कैम निकल सकता है। इसमें दो प्वाइंट्स अनरेगुलेटेड और रेगुलेटेड में हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप रेगुलेटेड कर रहे हैं और मंत्री जी, आप जानते हैं, मैं भी एनर्जी स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य हूं, इलेक्ट्रिसिटी डीरेगुलेशन एक्ट आप लेकर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को आप डीरेगुलेट करना चाहते हैं। आप पहले उसको रेगुलेटेड कहकर ऑक्शन करा रहे हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में आप प्राइवेटाइजेशन लाना चाहते हैं। जब वह आएगा, यह जो रिवर्स ऑक्शन हो रहा है तो यह इस बात पर हो रहा है कि वह रेगुलेटेड मार्केट है मगर आप उसको डीरेगुलेट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : इसमें पॉवर एंड एनर्जी के लिए कांफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स हैं।...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह एक बहुत बड़ा महत्वपर्ण प्वाइंट है। या तो इलैक्ट्रिसिटी एक्ट के लिए आप यह कहते कि अगर उसको रेगुलेटेड कह रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने का वचन देना चाहिए कि अगले 50 वर्षों तक विद्युत क्षेत्र का नियमन बना रहेगा। लेकिन वे ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र को स्वतंत्र (डिरिगुलेट) करने का प्रावधान करता है। अतः यह एक अत्यंत गंभीर विषय है।

एक और प्वाइंट है। ये अब एक और प्रोविजन लेकर आए हैं। जो चैप्टर 6 में क्लोज 28 और 29 है, यह अधिकारियों को निर्णय लेने में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। यह भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के खिलाफ पूर्ण संरक्षण है। यह तो पहला लेजिस्लेशन है। यह फैसला करना और उसमें यह लेकर आना, क्योंकि इसमें पहले नहीं था। यह अब डाला है कि उनको पूरी तरह से इम्युनिटी मिली है। वे कोई भी फैसला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो एंटी-करप्शन एक इश्यू है, जिसका चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इतना जिक्र किया था, इसलिए उनको उन अधिकारियों को एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। उस बारे में भी एक और चर्चा होनी चाहिए।

जो मेरा यू.एस. के अंदर सिंगल बिडर का प्वाइंट है। यू.एस. के अंदर एक और बड़ा इश्यू चला हुआ है, जहां पर ऑक्शंस हुए थे। मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं कि कई सिंगल बिडर्स ले जाते हैं तो उसके लिए

भी आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा है। इसमें आप प्रोविजन लाइए, ताकि सिंगल बिडर मैच फिक्सिंग करके कोई ऑक्शन न हो, उस पर आपको लाना चाहिए।

एनवॉयरनमेंटल क्लिअरेंस से संबंधित एक प्वाइंट है। ऑक्शन विदाउट एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस के अलाउड है। यह बहुत अजीब बात है। अभी गो-नोगो नहीं हुआ है। एनवॉयरनमेंटल क्लिअरेंस मिला है कि नहीं मिला है। एक एफ.एस.आई. की रिपोर्ट है कि जो 29 प्रतिशत इंडियन फॉरेस्ट माइनिंग के लिए डीबार्ड था, उसको घटाकर अब ये लोग 11 प्रतिशत कर रहे हैं। जैसे ही इनकी सरकार बनी, इनका फैसला है कि 11 प्रतिशत ऑफ फॉरेस्ट को डीबार करेंगे, बाकियों को ओपन करेंगे, आपकी मर्जी है। मगर बिना एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस के आप ऑक्शन कर रहे हैं। यह बहुत ही अजीब बात है। अगर सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर आप कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है और जो आपने सी.ए.जी. की रिपोर्ट के आधार पर अपना एफिडेविट दिया है,उस प्रतिवेदन के आधार पर अगर उच्चतम न्यायालय ने जजमेंट दिया, महान्यायवादी ने कैग रिपोर्ट का हवाला दिया था। कैग रिपोर्ट में तीन सिफारिशें की गई थीं, जिनमें से एक सिफारिश विशेष रूप से यह थी कि एक सिंगल विंडो प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए। आप ऑक्शन कर दीजिए और जिसको मिली है तो उसके बाद आप एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस दे दीजिएगा लेकिन जब ऑक्शन में ही वह आपको इतना पैसा देगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि आप एक तरीके से उसको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस हो गई चाहे आपका एनवॉयरमेंट क्लिअरेंस का केस बनता है या नहीं बनता है। इस पर आपको सोचने की जरूरत है। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में एक और बड़ा मुद्दा था। कैग ने कहा कि आपको उन लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिन्होंने वास्तव में उत्पादन शुरू किया है। अभी उदय प्रताप जी ने भी कहा कि जिन लोगों ने काम शुरु नहीं किया तो उनका खारिज किया जाए लेकिन जिन लोगों ने काम शुरु किया है, उनको इंसेंटिवाइज भी किया जाए, क्योंकि वोडाफोन के बारे में मुझे आपकी सरकार की राय पता है।

इस मामले में, जिन लोगों ने बहुत पैसा निवेश किया है और जो उत्पादन कर रहे हैं, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण इसे छीन लिया है। लेकिन उनके लिए आपने क्या किया, मैं समझता हूं कि उनके लिए भी आपको कुछ न कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि यह जो आपके पास विंडफाल आया, मैं सदन

को एक बात और बताना चाहता हूं कि यह कोल ब्लाक्स के एलोकेशन से नहीं आया, जो कोल माइंस चल रही थीं, क्योंकि ब्लाक लिया जाता है, सारी क्लियरेंसिज ली जाती हैं, 10-15 साल लगाकर उसे डैवलप किया जाता है, वहां लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो वहां पर लैंड का प्राइस बढ़ता है, क्योंकि इतना बड़ा माइन लग जाता है। वह आपने अभी ऑक्शन किया है, जिसको मैं एक वर्चुअल विंडफाल कहूंगा, वह आपको मिला।

[अनुवाद]

महोदय, मेरा अंतिम मुद्दा इन खदानों के आसपास की अनुसूचित जनजातियों और किसानों के बारे में है। इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हमारा मानना रहा है कि इन्हें उचित रूप से समायोजित और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। केंद्र सरकार के अनुसूचित जनजाति योजना के लिए आबंटित धनराशि को इस सरकार द्वारा 9,000 करोड़ रुपये से घटा दिया गया है। वे अनुसूचित जनजाति, छोटे किसानों और अनुसूचित जाति के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस अधिनियम में भी वे इन खदानों में निजी मुनाफाखोरी की इजाजत देने जा रहे हैं। वे वन क्षेत्र के उन हिस्सों को कम कर रहे हैं जहां खनन या विकास की अनुमति नहीं होती (जिसे 'नो गो' क्षेत्र कहा जाता है) — इसे 28 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इससे ज्यादा जंगलों को नुकसान पहुंचेगा और नई खदानें खुलेंगी। ये जंगल हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना आवश्यक है।

[हिन्दी]

यह सरकार इन पांच सालों में हमारे राष्ट्रीय संसाधनों की पचास सालों तक की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। मगर इसके बावजूद जहां आप उन्हें नीलाम कर दोगे, प्राइवेट प्लेयर्स को दे दोगे और जो वहां बेचारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और स्माल फार्मर्स हैं, उनके लिए आपने कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में भी आपको सदन को बताना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, वे बहुत ओजस्वी मंत्री हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम जो ऑक्शन की बात लेकर आए थे, उसे यह आगे लेकर आए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

डॉ. अरुण कुमार (जहानाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत ही कम दिनों में निश्चित तौर पर जो सरकार का बिल है, आर्डिनेन्स के थ्रू जो काम हुआ और ई-बिडिंग हुआ, इससे जो राशि आई है, उससे स्पष्ट हो गया है कि किस स्केल पर लूट हो रही थी, किस स्केल पर स्कैम हो रहा था। माननीय मंत्री महोदय को मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि विपक्ष के लोगों को नौ महीने की डिलीवरी समझ में नहीं आ रही है, यह एक डिलीवरी है। इसे समझना चाहिए कि इतने बड़े स्कैम को मात्र कुछ दिनों में रोककर एक नई ट्रांसपेरेन्ट व्यवस्था की गई। अभी माननीय सदस्य, हुड्डा जी बोल रहे थे कि ई-टेंडरिंग कांग्रेस का प्रोसैस किया हुआ है, तब तो और अच्छी बात है कि ई-टेंडरिंग आपका लाया हुआ है और ई-टेंडरिंग के बावजूद हजारों-लाखों करोड़ रुपये का घोटाला हो रहा था। इस विषय में आपकी एक्सपर्टीज है, यह बात स्पष्ट हो गई कि ई-टेंडरिंग के बाद भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा था। स्कैम को ई-टेंडरिंग से कैसे रोका जा सकता है और कितनी ट्रांसपेरेन्सी हो सकती है, इस बात का प्रमाण इस सरकार ने दिया है, इसलिए हम माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहेंगे। अभी एक छोटे सैक्टर का ब्लाक माइंस का ऑक्शन हुआ है, बिडिंग हुआ है, जब यह बड़े स्केल पर होगा तो निश्चित तौर से यह राष्ट्र के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देश के हित में

अपराह्न 1.49 बजे (**डॉ. पी. वेणुगोपाल** *पीठासीन हुए*)

होगा, यह अब सामने प्रतीत हो रहा है, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस योजना से जो माइंस रिच स्टेट्स हैं, उनके विकास में और देश की जी.डी.पी. में इससे जो कंट्रीब्यूशन होगा, उससे आम जन को लाभ पहुंचने वाला है।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह राज्य गेहूं पैदा करता है, अनाज पैदा करता है और इस राज्य का हिस्सा वहां मिलना चाहिए। आज तक इस देश में जो स्थिति बनी रही है, जो कोल और माइंस रिच स्टेट्स हैं, उनकी हालत और वहां के लोगों की हालत अच्छी नहीं है। आप चिंता जरूर करते हैं अखबारों में, चिंता करते हैं वादों में कि आदिवासियों के हम हितसाधक हैं। लेकिन जो आदिवासी इलाका है, उसी में आज तक नैचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉएटेशन हो रहा था। उनकी हालत बड़ी गंभीर है। हम उम्मीद करते

हैं कि अब जो सरकार हमारी संकल्पित है, उस इलाके में जहां नैचुरल रिर्सोसेज का एक्सप्लॉएटेशन होगा, वहां पर उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का भी कुशल प्रबंधन होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि खास कर झारखण्ड में लोग जाते रहते हैं, वहां ओपन माइंस की जो दुर्दशा है, वह बहुत ही भयंकर है। आज भी झरिया और कतरास का इलाका आग पर पड़ा हुआ है। वहां कब कौन सी बड़ी दुर्घटना हो जाए, पता नहीं है। पिछले दिनों इस इलाके का बिल्कुल बेतरतीब, डैस्पेरेट तरीके से एक्सप्लॉएटेशन हुआ है। उसका नतीजा है कि वहां पर रह रहे लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है। पर्यावरण तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही वहां आज भी धुंआ निकल रहा है। पिछले 40 वर्षों में जिस तरीके से उसमें सैंड फिलिंग किया जाना चाहिए था, वह 50 वर्षों में भी नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि जहां हम आदिवासी इलाकों में इसका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, वहां के सोशल स्ट्रक्चर को भी दुरूस्त करने के लिए एक ठोस कार्य योजना होनी चाहिए। हम समझते हैं कि सरकार का जो लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास किया जाए, निश्चित तौर से उसे एड्रेस किया जाएगा। लंबे समय से धनबाद के इलाके में, कोयलांचल के इलाके में, गरीब आदिवासी या मजदूर के बच्चों के लिए जो शिक्षक हैं, उन्हें वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। ये शिक्षक लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हाल में माननीय मंत्री महोदय से शिक्षकों का एक डेलीगेशन मिला है। हम समझते हैं कि आप जब इन संसाधनों को व्यवस्थित करेंगे और सभी कोल माइंस को डिवेल्प करेंगे तो निश्चित तौर से इनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और दैनिक जीवन में जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उनके लिए आप प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है, जिसमें विपक्ष के लोगों को भी बहुत ही बढ़िया डिलीवरी दिखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय,माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक, 2015,जो अध्यादेश को बिल के रूप में पुरःस्थापित किया था और आज उस पर चर्चा करने का आपने मुझे जो अवसर दिया है,मैं उसके लिए आपका आभारी हूं।

मैं बड़ी गंभीरता से इस पर माननीय सदस्यों की चर्चा सुन रहा था। इस देश की लाइफ-लाइन ऊर्जा है। आज उस ऊर्जा के उत्पादन में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण रोल है तो वह कोयले का है, चाहे वह बिजली के उत्पादन में हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो या स्टील फैक्ट्री हो। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रिंसिपल सैक्रेट्री 2012 के रिट पिटीशन में जिस तरीके का फैसला 25 अगस्त, 2014 को किया कि जो कोल ब्लॉक्स सन् 1993 से पिछले दिनों आबंटित किए गए, वे कोल ब्लॉक्स अवैध रूप से आबंटित किए गए हैं। 25 अगस्त, 2014 को उन्हें अवैध घोषित किया गया था। उस परिप्रेक्ष्य में 24 सितंबर, 2014 को फिर से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया तो उसमें 204 कोल ब्लॉक्स को अवैध रूप से आबंटित मान कर सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी कोल ब्लॉक्स को रद्द करने की घोषणा की और कैंसल करने का निर्णय लिया। स्वाभाविक है कि देश में 204 कोल ब्लॉक्स को कैन्सिल कर दिया गया। उसमें 47 कोल ब्लॉक्स ऐसे थे, जिनमें से 42 में उत्पादन भी शुरू हो गया था और कुछ जो कोल ब्लॉक्स बचे हुए थे, उनमें कोयले का उत्पादन प्रारंभ होने की प्रक्रिया में था। एन.टी.पी.सी. के थर्मल पावर प्लांट्स या अन्य पावर प्लांट्स में से किसी के पास छः दिनों का कोयला उपलब्ध है या किसी के पास चार दिनों का कोयला उपलब्ध है। यह स्वाभाविक है कि हम इस सदन में इस बात पर चिंता करें। इस तरह से कोयले की उपलब्धता पर एक सवालिया निशान लगता है, जब सुप्रीम कोर्ट दिनांक 25 सितम्बर को एक फैसला ले लेती है कि हम 204 कोल ब्लॉक्स के आबंटन को रद्द करते हैं। शायद यह केवल सरकार के समक्ष संकट नहीं था, बल्कि पूरे देश के समक्ष एक गंभीर आनिश्चय की स्थिति, आनिर्णय की स्थिति और एक ऐसा संकट पैदा हो गया था, जब लगता था कि इस देश की कोयले खदानों में जो लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके समक्ष रोज़ी-रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। अगर कोयले का उत्पादन बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो पावर प्लांट्स हैं, उनके उत्पादन में कमी आ जाएगी या उनसे उत्पादन बंद हो जाएगा। इसी तरह से, स्टील और सीमेंट, जो किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व हैं, उनका भी उत्पादन बंद हो जाएगा। लेकिन, मैं निश्चित तौर पर आज यहां खड़े होकर अपने नरेन्द्र मोदी जी

के नेतृत्व की इस सरकार को इसलिए बधाई दूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 24 सितम्बर, 2014 को 204 कोल ब्लॉक्स का आबंटन रद्द किया तो उसके एक महीने से भी कम समय में दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को अध्यादेश लाकर सरकार ने कह दिया कि हम ई-ऑक्शन के माध्यम से इन कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि एक महीने में तो मंत्रालय में केवल इस पर बैठकें होती रहतीं।

हमारे दीपेन्द्र हुड्डा जी बोल रहे थे तो उन्हें यह नहीं मालूम कि पहले तमाम चीज़ों पर जी.ओ.एम. बन जाते थे और वे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठकें करते रहते थे और निर्णय नहीं होते थे। उन्होंने दो-तीन बड़े महत्वपूर्ण बिन्दु उठाए। उन्होंने वर्ष 1993 से जो कोल ब्लॉक्स आबंटित हुए थे, उनकी बात उठाई और कहा कि वे कोल ब्लॉक्स हमारी सरकार में आबंटित नहीं हुए थे, बल्कि पिछली सरकार में भी आबंटित हुए थे। वे इस बात को निश्चित तौर से जानते हैं कि वर्ष 1993 से जो कोल ब्लॉक्स आबंटित हुए थे, उन 218 कोल ब्लॉक्स में सुप्रीम कोर्ट ने केवल 204 कोल ब्लॉक्स को रद्द किया था। वे जिस ऑक्शन की बात कर रहे थे, पॉलिसी लाने की बात कर रहे थे तो मैं कहता हूं कि वर्ष 2004-05 में अगर कांग्रेस की यू.पी.ए. सरकार ने वह पॉलिसी तय की तो वर्ष 2015 तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट न करने के पीछे कौन-सा उद्देश्य था? अगर यह ई-ऑक्शन हो जाता तो लोगों को ट्रांसपैरेंसी के साथ केवल ऑक्शन के ही माध्यम से कोयला मिलता। फिर 'फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व' के आधार पर या जिसको उपकृत करना हो, उसे नहीं दिया जा सकता था। मैं समझता हूं कि आज उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए था कि अगर उन्होंने दस सालों से ऑक्शन की पॉलिसी बनाई और उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो जो स्कैम हुआ है, उसके लिए वे सीधे-सीधे गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं और कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने माना। अगर वे वह पॉलिसी लागू कर देते तो हमें जो चिंता थी, सदन की जो चिंता थी कि पिछले दिनों जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट सरकार के उन फैसलों पर निर्णय करती थी, उससे पूरी संसदीय परंपरा पर एक कालिख लगती थी। जो फैसले हुए, वह चाहे टू-जी स्पेक्ट्रम का हो, चाहे कोलगेट का हो, 1,76,000 करोड़ रुपये का हो, 1,86,000 करोड़ रुपये का हो, आज उस प्रश्न का जवाब अपने आप मिल रहा है। 204 कोल ब्लॉक्स में से अभी केवल 18 कोल ब्लॉक्स का आबंटन ई-ऑक्शन के माध्यम से हुआ है, जो

1,35,000 करोड़ रुपये में हुआ है। स्वाभाविक है कि 204 कोल ब्लॉक्स का अगर आबंटन होगा तो यह लाखों करोड़ रुपये में होगा।

महोदय, मैं अपनी बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। मुझे कम से कम तीन मिनट का समय दे दें। ई-ऑक्शन के थ्रू हम जो 1,35,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पाएंगे तो भारत सरकार इसे अपने खजाने में नहीं लेने जा रही है। जिन राज्यों में माइन्स हैं, उन्हीं राज्यों को हम इसका पूरा-पूरा पैसा देने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार एक प्रयास कर रही है। जिस रेवेन्यू के लिए राज्य सरकारें पहले चिंतित रहती थीं कि हमारे पास विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या हमारी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिब्लिटीज़ के लिए बजट नहीं है तो आज उस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है, उसमें आज 1,35,000 करोड़ रुपये केवल 18 कोल ब्लॉक्स से ही मिल जाएंगे।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को उन्होंने आगाह किया कि उनको यह देखना होगा कि ई-ऑक्शन में कितने लोगों को एक-एक ब्लॉक मिल जाता है और कितने को नहीं मिलता है। अगर पिछली 15वीं लोक सभा के कार्यकाल में हमारे युवा साथी ने यह सुझाव सरकार में दिया होता और आज भी लोगों को मालूम है कि यदि वे दस्तावेज खंगाले जाएं, तो फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व में या जिस तरीके से एलाटमेंट की प्रक्रिया इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में थी, उस इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की प्रक्रिया से कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है। बहुत से ऐसे लोग थे, जिनके पास कोई पॉवर कैप्टिव प्लांट नहीं था, कोई पॉवर प्लांट नहीं था, उनको कोल माइंस का आबंटन हुआ। शायद इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की होगी। ...(व्यवधान) एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह अध्यादेश आया तो इस अध्यादेश पर सवाल उठाया गया कि क्यों अध्यादेश की आवश्यकता पड़ी? पूरे देश के कोल ब्लॉक्स कैंसिल हो गए और उस अध्यादेश को लाकर एक महीने के अंदर ट्रांसपेरेंट ढंग से ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर ई-ऑक्शन किया। ऑक्शन में सबको मालूम होगा कि कौन कितनी बिडिंग कर रहा है और उससे आधिक कोई दूसरा बिड कर सकता है। इतनी ओपन ट्रांसपरेंसी मैनर में जो प्रक्रिया अपनाई है, निश्चित तौर से सरकार उसके लिए बधाई की पात्र है कि पब्लिक डोमेन में लोगों के सामने यह प्रक्रिया अपनाई। मैं समझता हूं कि इससे देश को एक एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी और देश में जो एक

आनिश्चय की स्थिति थी, वह समाप्त होगी। मैं कहना चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : सभापति जी, आपने मुझे कोयला खान विशेष उपबंध विधेयक पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। यह एक चर्चित बिल है। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल : उस समय भी आप इसके लिए चिंतित थे, जब यह आबंटन हो रहा था तो आप बहुत चिंतित थे, आपने कई बार इसके लिए कहा था। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: उस समय आप इधर ही थे। ये हर बार सरकार में रहते हैं। इन पर तो पहले लागू होता है। ...(व्यवधान) आपके उधर रहने से समस्या का हल नहीं होगा, इधर ही आना होगा। ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अब भी समय है, उस काजल की कोठरी से अलग हो जाइए।...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : जब जिधर मौका मिलता है, उधर चले जाते हैं। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदय, यह एक चर्चित बिल है, क्योंकि इस खेल में काफी कुछ अनियमितता होती आ रही है और इसका खामियाजा देश की जनता को नुकसान के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब तो सरकार कोयला खान प्राइवेट पार्टी के हाथ में ही डालने का काम कर रही है, उसे खान मिले और वह खुले बाजार में बेचे। यह सही है, किन्तु कुछ तथ्य मैं रखना चाहता हूं। क्या बिजली उत्पादन पर इसका असर नही पड़ेगा, क्या ईंट-भट्टा पर इसका असर नहीं पड़ेगा, छोटे-छोटे कल-कारखानों पर क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? वायरलेस से चलने वाली सारी कंपनियों पर इसका असर पड़ेगा। कोल इंडिया पहले एक तय रेट पर उनको कोयला देती थी। जब वह प्राइवेट हाथों में होगा तो क्या वह सरकार के किसी नियम के अंदर आएगा?

दूसरी बात, राज्य सरकारें आज कोल लिंकेज के अभाव में अपने बिजली उत्पादन को सुचारू रूप से नहीं कर पा रही हैं। अगर वहां भी सही नियम नहीं रहेगा तो क्या राज्य सरकारें परेशान नहीं होंगी? ओपन मार्केट से उनको तुरन्त पेमेन्ट करके ही कोयला मिलेगा। इसको किसी नियम के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। सरकार इस बिल में बताना चाहती है कि उसके पास मात्र 204 कोल माइंस हैं, जिसे तीन भागों में बांटा गया है। ये वही ब्लॉक्स हैं, जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था। इन कोल ब्लॉक्स के अलावा जो अन्य कोल ब्लॉक्स होंगे, उनके लिए क्या प्रावधान है? यह इस बिल में साफ नहीं है, उसे भी क्लियर करने की जरूरत है, नहीं तो फिर मुकदमेबाजी होगी।

जहां तक नीलामी प्रक्रिया अपनाने की बात है, तो इसे तीन कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी और तीसरी कैटेगरी में सिर्फ नीलामी द्वारा कोल ब्लॉक आबंटित होंगे, किन्तु मुख्य कोल ब्लॉक पहली कैटेगरी का है। इसमें नीलामी और सरकार द्वारा आबंटित करने की प्रक्रिया रखी गई है। मेरा मानना है कि सभी को नीलामी द्वारा ही कोल ब्लॉक दिया जाना चाहिए। यह पारदर्शिता का नियम भी है, क्योंकि सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियों के लिए अलग-अलग नियम उचित और बाजार मापदण्ड के अनुसार नहीं होगा।

महोदय, मैं बिहार से आता हूं। बिहार अति पिछड़ा राज्य है। हम लोगों की सरकार वहां चल रही है। वहां कोल लिंकेज की समस्या है। मैं आपसे मांग करूंगा कि बिहार को कोल लिंकेज दिया जाए जिससे कि बिहार को विकास का लाभ मिले। मेरा सरकार से निवेदन है कि कोल लिंकेज के बारे में भी इस बिल में सही प्रक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। उन्हें अपने पावर प्लान्ट्स के लिए कोल नहीं मिल रहा है। मात्र कोल लिंकेज होने के कारण सभी राज्यों को परेशानी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): सभापति महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि हमारे ठीक 20 सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं। 12 दिसम्बर को भी इतने ही सदस्यों ने इस पर बात की थी। छह सामान्य सदस्य थे। इसलिए, प्रभावी रूप से मुझे कम से कम 34 सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव या अनुभव का लाभ मिला है, जिन्होंने अपना मत व्यक्त किया है।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : आप भी बुद्धिमान हैं।

श्री पीयूष गोयल: अपने युवा सहयोगी दीपेन्द्र से प्राप्त सभी उत्कृष्ट सुझावों ने आज मुझे अत्यंत ज्ञानवर्धक बनाया है। फिर भी, मैं उन दोनों महत्वपूर्ण चिंताओं की भी प्रशंसा करता हूं जिन्हें स्वीकृति मिली है तथा जो मूल्यवान सुझाव मेरे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

मैं माननीय सहयोगी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा पिछली बार प्रस्तुत किए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उस समय यह पूरी प्रक्रिया नवीन थी और हम केवल आरंभिक चरण में थे, इसलिए उन्होंने इस नीलामी को सफलतापूर्वक संचालित करने की हमारी क्षमता पर कुछ संदेह व्यक्त किए थे। मैं उनके द्वारा उठाए गए छह प्रमुख संदेहों को स्पष्ट करते हुए उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखूंगा।

उन्होंने प्रश्न उठाया कि जब कोयला उत्पादन कई वर्षों तक केवल एक, डेढ़ या दो प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, तो यह मंत्री जी प्रति वर्ष आठ प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा कैसे करते हैं ताकि हम एक अरब टन का लक्ष्य हासिल कर सकें?

[हिन्दी]

100 करोड़ टन कोयला बनाने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की है कि 8 प्रतिशत ग्रोथ कैसे होगी? मैं उनको बहुत खुशी से बताना चाहूंगा कि जून से अभी कोयले का जो उत्पादन बढ़ा है, लगभग 7 प्रतिशत से आधिक ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि माइन-बाई-माइन प्लान

बना कर, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एक सक्षम, मजबूत और भारत का जुअल बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उसे अच्छा काम करने देना चाहते हैं। वह वर्ष 2019-20 तक सौ करोड़ टन कोयला अवश्य बनायेगा।

उन्होंने यह भी कहा था कि जमीन और पर्यावरण के क्लीयरैन्सेज में तो 7-8 साल लग जाते हैं तो माइनें कब खुलेंगी? मैं बड़ी खुशी से कहना चाहूंगा कि पर्यावरण मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है और पिछली सरकार ने जमीन से सम्बन्धित जो अध्यादेश/कानून लाये थे, उसमें कोल बैरिंग ऐक्ट्स को अलग रखा गया था, उनको इन्क्लूड नहीं किया गया था। हम जो अध्यादेश जमीन के सिलसिले में लाये हैं, उसमें कोल बैरिंग एक्ट्स को भी अभी शामिल कर दिया गया है और सभी लॉज, आर एण्ड आर, इन्क्रिज कॉम्पनसैशन, अभी वे सभी कोयले की खदानों में भी मिलेंगे। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए हर्ष की बात है। मैं उम्मीद करूंगा कि वह अध्यादेश कानून में जल्दी परिवर्तित हो जाय, और सर्वसम्मति से हो जाये, जिससे कोयले की खदानों में भी उसका लाभ मिले।

उन्होंने यह भी कहा था कि क्यों नहीं मैं कोल इंडिया को रिस्ट्रक्चर करता हूं? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि रिस्ट्रक्चर की परिभाषा, जो उन्होंने कही थी कि छोटी कम्पनियां बना ली जाये, वह इस सरकार को मान्य नहीं है, हम कोल इंडिया को एक कम्पनी के रूप में देखना चाहते हैं और कोल इंडिया को और मजबूत बनाना चाहते हैं। हम रिस्ट्रक्चरिंग में टेक्नोलॉजी लायेंगे, उत्पादन बढ़ायेंगे, अच्छा काम करेंगे, कामगारों के लिए अच्छे सेफ्टी स्टैन्डर्ड और तनख्वाह का प्रबन्ध करेंगे।

उन्होंने यह कहा था कि 7 महीनों से सी.एम.डी. नहीं हैं। वह सी.एम.डी. तेलंगाना में चले गये। उसके बाद एक प्रक्रिया हुयी और मैं खुशी से बताऊंगा कि दिसम्बर, जिस महीने में डिबेट हुई, उसके आखिरी तक नये सी.एम.डी. ने अपना पद भार सम्भाल लिया था।

आखिरी में, उन्होंने टिप्पणी की थी कि सरकार का टाइम-टेबल कभी मीट नहीं होता है। हर टाइम-टेबल में ऐसे ही डेट दी जाती है और वह कभी हो ही नहीं सकता है और आपका भी टाइम-टेबल फेल होगा। मैं बड़ी खुशी से सदन को समर्पित करता हूं कि हमने टाइम-टेबल के हर एक दिन और हर एक जिम्मेदारी को समय के अनुसार पूरा किया है। जिस समय और जिस टाइम-टेबल पर जो काम होना था, करके 31

मार्च तक जो पहले माइनें ऑक्शन या एलॉट होनी हैं, खासतौर पर जो 42 माइनें चल रही थी या चलने की संभावना थी, उन सबको हमने पूरा किया है।

इस डिसकशन में आज जो विषय निकले, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा। माननीय सदस्यों ने थोड़ा परिपेक्ष्य दिया। दीपेन्द्र जी ने इस विषय का उल्लेख किया। मैं वास्तव में राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने उल्लेख किया है तो दीपेन्द्र जी, मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने कहा कि यह वर्ष 1993 से चल रहा था और 2010, 2011, 2012 तक, सुप्रीम कोर्ट ने बीस साल का कैंसिल किया जिसमें आठ वर्ष तक आपकी भी सरकार थी या विपक्ष की सरकार थी। हमारी छ: वर्ष थी, दो वर्ष युनाइटेड फ्रंट जिसके कई सहयोगी यहां बैठे हुए हैं और जिसका समर्थन आपकी पार्टी ने किया था। एक माननीय सदस्य ने बताय़ा, 1993 के जब ऑक्शन शुरू हुए, अगर मैं उसकी डिटेल उनके सामने रखूं तो बेचारे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 ब्लॉक्स का आबंटन एन.डी.ए. के समय में किया गया, 16, 20 आपको जो आंकड़ा लेना है, लीजिए। आंकड़ा ब्लॉक्स का नहीं होता, आंकड़ा होता है कि कितने मिलियन टन दिए गए। मैं आपको बताऊं कि एन.डी.ए. के पूरे छ: वर्ष के कार्यकाल में मात्र 148 करोड़ टन ब्लॉक्स का ऐलॉटमैंट प्राइवेट सेक्टर को हुआ जबकि आपके छ:वर्ष के कार्यकाल में जब तक ऐलॉटमैंट हुआ,उसमें आधिकतर 2006 से 2009,चुनाव के तुरंत पहले किया गया,1,228 करोड़ टन,148 मुकाबले 1,228 करोड़ टन। अगर पूरा देखें तो छ: वर्ष में मात्र 4 बिलिटन टन ऐलॉट हुआ यानी 400 करोड़ टन और आपके कार्यकाल में 3,759 करोड़ टन, लगभग दस गुना कोयला आपने 3-4 वर्षों में दिया जबकि डिमांड बढ़ रही थी, आपको भी पता था कि अब डिमांड बढ़ रही है, कोयला महंगा होता जा रहा है। माननीय सदस्य ने ठीक कहा, वर्ष 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमैंड हुआ। अमैंडमैंट के बाद डिमांड आई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर में दाम बढ़े।

<u>अपराह्न 2.13 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

तभी कोयले की माइनिंग वॉयबल हुई और एक पूर्व सचिव ने आपके प्रधान मंत्री जी को सुझाव दिया कि अब इसकी नीलामी की जाए। पुराना प्रोसैस अब तक ठीक चल गया, आगे इसकी नीलामी कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि अब नीलामी होनी चाहिए। लेकिन दस वर्ष तक आपकी सरकार

एक माइन की नीलामी नहीं कर पाई। आप क्रैडिट लेना चाहते हैं तो लीजिए। आपने कानून बनाया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। इनके राज्य में एक ब्लॉक ई-ऑक्शन क्या, ऑक्शन या टैंडर भी नहीं हुआ। हमने मात्र नौ दिन में 14 से शुरू करके 22 तारीख तक 19 माइन्स 18 बिड द्वारा ऑक्शन कीं। मुझे खुशी है कि आज से ऑक्शन का नया दौर शुरू होने जा रहा है।

यह राजनीतिक टिप्पणी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ठीक कर लें। आज जो मुद्दे उठाए गए हैं, मैं उन पर ध्यान आकृष्ट करूंगा। श्री भर्तृहरि, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ और माननीय सदस्यों ने कहा कि यह राज्य की सम्पत्ति होती है और आर्बिटरी तरीके से कोल ब्लॉक इंड्या ूस हो रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एक-एक ब्लॉक टैक्नीकल कमेटी, जिसमें हरेक डिपार्टमैंट के लोग मैम्बर्स हैं, उस टैक्नीकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कि इसे किस परपज़ के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में ट्रांसफर नहीं किया गया, स्टील के ब्लॉक स्टील में हैं। एक इंटर-मिनिस्ट्रियल टैक्नीकल कमेटी ने कुछ ब्लॉक्स जो स्पॉन्ज आयरन के लिए थे, उन्हें जरूर पावर में शिफ्ट किया, लेकिन एक डिफाइन्ड क्राइटेरिया जिसमें 7-8 बिन्दु हैं, मैं 7-8 बिन्दु पढ़ सकता हूं नहीं तो जिन सदस्यों को इंटरस्ट हैं, उन्हें दे सकता हूं। उनमें प्रमुख बिन्दु यह है कि कौन से ग्रेड का कोयला है। अगर अच्छे ग्रेड का है तो नान-रैगुलेटेड पावर, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम में जाए, कम ग्रेड का है तो पावर में जाए, जो विश्व का नियम चला आ रहा है। दूसरा, रिजर्व्स कितने हैं? अगर 100 मिलियन टन से ज्यादा रिजर्व है, जहां तक हो सके पॉवर के लिए दें। कई सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में बिजली की किल्लत है। आज देश बिजली के लिए तरस रहा है। 30 करोड़ लोग आज भी आजादी के 67 साल बाद बिना बिजली के हैं। हुड्डा जी, मेरे ख्याल से 50 वर्ष से आधिक समय तक आपकी सरकार रही है। इसके बावजूद 30 करोड़ लोगों को बिजली नहीं मिलती है। उन सब लोगों की जरूरतों को हमें पूरा करना होगा। इसमें प्रांत या राज्य का सवाल नहीं है। यह पूरे देश की समस्या है। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या झारखंड सभी इस देश के अंग है। जैसा दुष्यंत जी ने कहा, कुछ राज्य अनाज देते हैं, तब वह यह तय नहीं करते हैं कि ओडिशा या वेस्ट बंगाल में नहीं भेजेंगे। वैसे ही अगर यह संपत्ति ओडिशा या वेस्ट बंगाल की है, देश में बिजली बने, यह उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जब ब्लॉक फ्री में दिए जा रहे थे, तब कोई आपत्ति नहीं आई। आज हम ऑक्शन कर रहे हैं, अलॉटमेंट में भी राज्यों को सही दाम दे रहे हैं। जो अलॉटमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हो रहे हैं, उसमें भी एक प्राइस आपके लिए रख रहे हैं।

वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड या तेलंगाना जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा लाभ होगा। इन राज्यों को सबसे ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। यह कानून सर्वसम्मति से पारित हो, जिससे देश में यह मैसेज जाए कि ईमानदारी का सम्मान हुआ है। हरेक राज्य ने मिलकर एक ट्रांसपरेंट और ऑनेस्ट प्रोसेस पर को अमल किया है। देश में बिजली संकट को दूर करने में हम सभी एक-दूसरे से मिलजुलकर सहमति से काम करेंगे।

भर्तृहरि जी, ने अर्जेंसी की बात की थी। आप जानते हैं कि 42 ब्लॉकस कोल प्रोड्याूस कर रहे हैं। जैसा दीपेन्द्र जी ने कहा, पुराने कानून के हिसाब से भी ऑक्शन हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केवल माइनिंग लाइसेंस कैंसिल किया, माइन लैंड, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र के हाथों में ही था। उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेती, इसके लिए हम उन्हें मुआवजा देने जा रहे हैं। जब हम इंटिग्रेटेड प्रोजेक्ट का ऑक्शन करते हैं, जिसमें कोयले की खदान भी है, जमीन भी है, सभी फिक्सड इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, तभी वह ऑक्शन हो सकेगा। अगर जमीन और माइनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी और की होती, 31 मार्च सुप्रीम कोर्ट द्वारा निधाररित डेट है, उस दिन सारी माइन्स बंद हो जातीं, हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते, बेघर हो जाते, इस देश में कोयले की वैसे ही कमी है। इससे कोयले की कमी और ज्यादा बढ़ती। उसे विदेश से आयात करना पड़ता, फॉरेन एक्सचेंज ऑफेक्ट होता। पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती। इसके साथ ही स्टील, सीमेंट, पॉवर महंगा होता और देश में परिस्थिति बिगड़ती। यह बहुत आवश्यक था कि आर्डिनेंस लाया जाए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दोनों सदन इसे सर्वसम्मति से पारित करें। जिससे खानें चलती रहें, प्रोडक्शन होता रहे, हम दूसरे खानों को जल्दी शुरू करके उत्पादन शुरू कर सकें। आपने रिवर्स बीडिंग की बात की, मैंने कई बार समझाया है कि रिवर्स बीडिंग एक बहुत ही सुंदर तरीका है जो एक्सपर्ट से कन्सलटेंशन करके बनाया गया। मैंने इन्श्योर किया है कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़े, बल्कि देश में इसकी कीमत कम हो। प्रधानमंत्री जी का देश को वादा था कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, अर्फोडेबल पॉवर, चीप पॉवर, 24/7 घंटे के लिए हमारा दृढ़ संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए रिवर्स ऑक्शन किया गया, जिससे बिजली की कीमतें कम रहेंगी। कल्याण जी, देश की जनता ओडिशा और अन्य सभी को धन्यवाद करेगी कि आप के यहां से आया हुआ सस्ते कोयले से सस्ती बिजली बने। वह देश की सेवा में रहे। ...(व्यवधान) साथ ही साथ कई माइन्स कमर्शियल माइनिंग के लिए दी जाएगी, कुछ माइन्स नॉन-रेग्युलेटड

सेक्टर के लिए दी जाएगी। आपके राज्य की पी.एस.यूज. राज्य सरकार को दी जायेंगी, जिससे आपके राज्य में इकोनामिक डेवलपमैंट फास्टर्स हो सके। आपके राज्य में तेजी से औद्योगिकरण हो, सस्ती बिजली बने, जिसे बेचकर आप और मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको जो कमर्शियल माइनिंग कोल मिलेगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय दाम पर बेचकर आप अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं।

मैं ओडिशा के संदर्भ में एक बात जरूर बताना चाहूंगा। आपने बार-बार जिक्र किया कि हमें पैसा क्या मिला? एक लाख करोड़ रुपये में से सिर्फ 500 करोड़ रुपये मिले। किसी ने मुझसे पूछा, शायद कल्याण जी ने पूछा कि यह पैसा कब आयेगा? उन्होंने कहा कि आप हमें समय बताइये। ...(व्यवधान) भाई साहब, यह पूरी ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पर है। शुरू में दस प्रतिशत अप फ्रंट फी आयेगी, जो राज्य को जायेगी। जैसे-जैसे कोयले की खदान से कोयला निकलेगा, वैसे-वैसे आपको इसकी रॉयल्टी 14 प्रतिशत और साथ-साथ जो एडिशनल लैवी ऑक्शन द्वारा आयेगी, वह दोनों आपके राज्य को हर वर्ष मिलेगी। उसकी पूरी डिटेल्स हमने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पर डाल रखी है। अभी तक ओडिशा की एक ही माइन खुली थी। जो माइन्स ऑक्शन हुई हैं, वे ये माइन्स हैं जो आलरेडी प्रोडक्शन में है। अनफॉर्चुनेटिली आपके राज्य में अभी तक ज्यादा माइन्स नहीं खुली हैं। उसके लिए जमीन लगती है, इन्वायरमेंट क्लीयरेंस, फॉरेस्ट क्लीयरेंस की जरूरत होती है। जैसे-जैसे आप तेजी से वे क्लीयरेंसेज देंगे, वैसे-वैसे माइन्स प्रोड्यूस करेंगी और आपके राज्य की आमदनी बढ़ेगी। अभी एक ही माइन इसलिए है, क्योंकि अभी तक एक ही माइन इन आपरेशन थी, जिसमें आपको 1200 करोड़ रुपये आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे।

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ओडिशा की 30 माइन्स हैं, जिनमें 12000 मिलियन टन, मतलब एक हजार दो सौ करोड़ टन की हैं। अभी तक जो माइन ऑक्शन हुई है, वह एक करोड़ टन की है। 1200 करोड़ में से एक करोड़ टन की माइन ऑक्शन हुई है, इसलिए आप जल्दबाजी में मत सोचिए। अभी और समय बाकी है, और कई माइन्स आनी है, वह सब पैसा आपको ही जायेगा।

जहां तक चर्चा करने की बात है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे अधिकारी हर एक राज्य के अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा करते हैं, वाद-विवाद करते हैं, यानी सम्पर्क में हैं। जो-जो निर्णय लिये जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत करके ही लिये जा रहे हैं। रविन्द्र पाण्डेय जी ने कई अच्छे सुझाव दिये। मैं

कोल बेरिंग एरियाज के वेल्फेयर के बारे में बहुत चिंतित हूं। आगे आने वाले दिनों में कामगारों और विस्थापितों के लिए अच्छी सुविधाएं हों, उस पर मैं चिंता करूंगा।

श्री विनसेंट पाला जी ने कुछ विषय निकाले। आपने क्लॉज फाइव का जिक्र किया कि क्या कंडीशन्स, कन्टिन्जेंसीज होंगी? वे सब माइन्स स्टेट गवर्नमैंट और पी.एस.यूज. को दी जा रही हैं इसलिए उसमें कोई कन्टिन्जेंसीज का सवाल नहीं है। मैं सबसे पहले राउंड में देख रहा था कि कर्नाटक की बहुत सारी माइन्स हैं। अगर यह अध्यादेश पास नहीं होता और 60 दिन की अवधि के बाद लैप्स हो जाता है तो शायद कर्नाटक में भी बिजली का संकट आ जायेगा, क्योंकि वे माइन्स महाराष्ट्र की माइन्स हैं। मेरे ऊपर महाराष्ट्र का बहुत दबाव है कि उनकी माइन्स महाराष्ट्र को दी जायें। लेकिन मैं संघीय ढांचे का सम्मान करता हूं। वे माइन्स कर्नाटक सरकार ने खोली है और कर्नाटक उसमें माइन कर रहा है। उससे वहां बिजली का उत्पादन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि वे माइन्स चालू रहें और 31 मार्च को बंद न हों। इसलिए यह बिल 31 मार्च से पहले पारित हो जाये, जिससे कर्नाटक में बिजली का संकट न हो और ये कोयले की खानें आपको दी जा सकें।

आपने पूछा कि क्या एंड यूज रिस्ट्रक्शन रिमूव किया गया है? ऑन दी कान्ट्रेरी एंड यूज रिस्ट्रक्शन लाया गया है। जितनी माइनें अभी जारी हैं, उन सब पर एंड यूज रिस्ट्रक्शन है। हमने विश्वास दिलाया है कि जब तक सब एंड यूज रिक्वायरमैंट पूरी तरीके से मीट न हो, तब तक हम प्राइवेट सैक्टर को कोई भी माइन कमर्शियल माइनिंग के लिए नहीं देंगे। वे कुछ देंगे तो उस बारे में मैंने पिछली बार सदन को विस्तार से बताया था। फिर एक बार दोहराता हूं कि आज लाखों लाल मिट्टी के भट्टे हैं। अभी किसी सदस्य ने उस बारे में बात की। हजारों रिफेक्टरी प्लांट्स हैं। करोड़ों महिलाएं आज भी पांच किलो, दस किलो कोयला खरीदती हैं, जिसके लिए 25 रुपये या 30 रुपये किलो देना पड़ता है। क्या इन सबको ब्लैकमार्केट से ही कोयला मिलेगा या कभी कोई व्यवस्था बनेगी, जिससे कम्पीटिशन आये, स्पर्धा हो। उस स्पर्धा में सस्ता कोयला भट्टों को मिले, छोटे उद्योगों, बॉयलर वालों को मिले, गृहणियों और महिलाओं को मिले। वह प्रोविजन लाँग रन के लिए रखा गया है। अभी जितनी माइन्स हैं, वे एंड यूज के साथ ही दी जा रही हैं।

आपने ज्वाइंट वेंचर के सेक्शन 20 का जिक्र किया, वे ज्वाइंट वेंचर्स प्राइवेट और पब्लिक की नहीं हैं। यदि दो-तीन व्यक्तियों की कोई छोटी रिक्वायरमेंट है, तो वे भी बिडिंग कर पाएं और बिडिंग में स्पर्धा हो,

इसलिए उनको ज्वाइंट वेंचर अलाऊ किया गया है। लेकिन उनको माइन तो बिडिंग के द्वारा ही मिलेगी। इसके साथ ही क्लाउज़ 21 की बात कही गयी, --उचित मुआवज़े का अधिकार लागू होगा?

मैंने अभी बताया कि यह पहले नहीं अप्लाई करता था। अब हमने उसे दूसरे कानून में अप्लाई किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों सदन में उसे पारित किया जाएगा। फिर लैंड एक्विज़ीशन के एमेंडमेंट के बाद कोल बैरिंग एरिया में भी ये लाभ जनता, किसानों तथा जमीन मालिकों को मिल पाएगा। फिर आपने पूछा कि क्या आप रिजर्व प्राइस और फ्लोर प्राइस की गणना करते हैं? यह विषय भी शायद श्री विंसेंट पाला जी का था। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्रिसिल को नियुक्त किया गया है, उसने पूरा फॉर्मूला बनाया है और उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट एजेंसी तय करती है। मैं कुछ नहीं तय करता हूं, पॉलिटिकल इस्टैब्लिशमेंट तय नहीं करती है, वह भी फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पूरा फॉर्मूला समझा सकता हूं, मुझे तो मज़ा आता है, इन सब टैक्नीकल बातों में, पर मैं उसमें समय नष्ट नहीं करूँगा।

श्री ए. अरूणमणिदेवन जी ने पी.एस.यूज़ के लिए रिज़र्वेशन के संबंध में एक-दो विषयों की बात की थी। [अनुवाद] मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पी.एस.यू.) और उनकी आवश्यकताओं का पूरी तरह और पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है। राज्य सरकारों को भी उनकी आवश्यकता के अनुसार ब्लॉक मिल रहे हैं। एन.एल.सी. कर्मियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता, विशेष रूप से पीने के पानी, जिसे आपने हरी झंडी दिखाई है, पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा की जाएगी। यह श्रमिक हितैषी सरकार है। यह सरकार उन श्रमिकों के कल्याण में दृढ़ विश्वास रखती है जो अपने परिश्रम और अथक प्रयासों से खदानों से कोयला निकालते हैं। आप निश्चिंत रहिए कि किसी भी हालत में उनके हितों से समझौता नहीं किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, जहां तक एन.एल.सी. का संबंध है, कई सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है। समस्या यह है कि लगातार सत्ता में रही सरकारों ने इस समस्या का समाधान नहीं किया है। हमारी माननीय अम्मा जी ने इस संदर्भ में पत्र भी लिखे थे, क्योंकि श्रमिकों की समस्याएं वहाँ एक गंभीर विषय हैं। एन.एल.सी. द्वारा त्वरित और प्रभावशाली कार्रवाई की आवश्यकता है। फिलहाल, उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

श्री पीयूष गोयल: महोदय, मुझे सम्माननीय सभा को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जब नेवेली में श्रमिकों का आंदोलन हुआ था, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था और तीन महीने पहले श्रमिकों को उनका हक दिलाया था। मैं शीघ्र ही चेन्नई का दौरा करूंगा। मैं निश्चित रूप से नेवेली के प्रबंधन के साथ बातचीत करूंगा और देखूंगा कि लंबित मुद्दे क्या हैं। मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करूंगा और फिर आपसे आकर मिलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: आप समस्या का समाधान करने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल: महोदय, श्री रविंदर कुमार जेना जी द्वारा उठाया गया विदेशी कंपनी का मुद्दा गलत है। कोई विदेशी कंपनी कोल ब्लॉक के आबंटन में भाग नहीं ले सकती है। जो कंपनी भारत में इंडियन कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो, केवल वही कंपनी भाग ले सकती है। साथ-साथ हम विदेशी कंपनियों को इंवाइट करें कि वे भारत आएं, नये टैक्नोलॉजी लाएं, जिससे अंडरग्राउंड माइन खुलें और कोल आऊटपुट और कोल क्वालिटी, जिसका श्री अरविन्द सावंत जी ने जिक्र किया था, वह सुधर सके, इसके लिए यदि विदेशी कंपनियाँ भारत में सेट-अप होती हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ओडिशा का पूरा सम्मान और उनका इंट्रेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा।

श्री अरविन्द सावंत जी ने ज़रूर कुछ अच्छी बातें कही, खदानों का बंद होना एक ऐसा मामला है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूं। माइन क्लोज़र एक गंभीर समस्या है, जो मैंने इनहेरिट किया है, जो मुझे विरासत में मिली है। देशभर में इतनी माइनें हैं, जिनको खत्म नहीं किया गया है, उनको लीचिंग की प्रोब्लम है। मैंने एक प्रक्रिया शुरू की है ताकि यह समझा जा सके कि खदान को बंद करने का काम ऐसी नई तकनीकों से कैसे किया जाए, जिससे जमीन के नीचे की मिट्टी की गुणवत्ता पर कोई नुकसान न हो।

[अनुवाद]

अरविंद जी ने आबद्ध खनन का उल्लेख किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम नीलामी प्रक्रिया में सभी को भाग लेने की अनुमति दे रहे हैं। यहां तक कि आबद्ध खदानों को भी अनियमित क्षेत्र में भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है।

टी.डी.पी. के श्री एम. मुरली मोहन ने विजयवाड़ा के कोयला लिंकेज और यू.एन.पी.पी. की स्थापना का मुद्दा उठाया था। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रत्येक को 4000 मेगावाट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत सभी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने पहले ही दोनों राज्यों में प्रक्रिया शुरू कर दी है और आपसे आग्रह करूंगा कि आप तेजी से जमीन दिलाने में मदद करें ताकि हम इन परियोजनाओं को लागू कर सकें।

वाई.एस.आर. (सी.पी.) के श्री पी.श्रीनिवास रेड्डी ने सिंगरेली और सी.एस.आर. फंड का मुद्दा उठाया था। मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है, तो मैं उन सुझावों का स्वागत करूंगा कि उन निधियों का स्थानीय क्षेत्र में अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है।

[हिन्दी]

ताम्रध्वज साहू जी ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया कि इसमें पारदर्शिता है, राज्यों को पैसा मिलेगा, उन्होंने कुछ अन्य विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया कि क्या हम यह कंट्रोल कर रहे हैं कि कोयले की माइन होगा, होर्ड नहीं होगा, हमने बहुत कड़े प्रावधान रखे हैं कि अगर माइनिंग प्लान के हिसाब से माइनिंग नहीं की जाएगी तो उनकी जितनी रॉयल्टी ड्याू है और आक्शन में जितना पैसा ड्याू है, उसको हम परफार्मेंस बैंक गारंटी लेकर जब्त करेंगे और साथ ही साथ माइन को कैंसिल करेंगे। आप चिन्ता न करें, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। आपने रिहैबिलिटेशन, प्रोडक्टिविटी इन्क्रीज करने की बात की है और माइनिंग टेक्नोलॉजी की बात की, ये सब चीजें इस बिल में नहीं है। उनके लिए अलग-अलग काम चल रहे हैं, हर बिल हरेक विषय को ध्यान में नहीं रखता है।

खान साहब ने डि-नेशनलाइजिंग की बात की, मैंने पहले भी कहा था कि इसमें कोई डि-नेशनलाइजिंग का प्रावधान नहीं है। आपका कोई उपक्रम तब ही राष्ट्रीयकरण से मुक्त होता है जब सार्वजनिक संपत्ति को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह राष्ट्रीयकरण समाप्त करने का मामला नहीं है। साथ ही, किसी भी प्रकार का अवैध खनन किया गया तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

पी.एन. सिंह साहब ने एन.सी.डब्ल्यू. वर्कर्स के वेलफेयर और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स की बात की, इसके लिए माइन्स एक्ट में पूरे प्रावधान हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कल्याण बनर्जी जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी कमेटी ने पहले ऑक्शन और ई-ऑक्शन की बात की थी, उसको हमने और सुचारू तरीके से करने की कोशिश की है, उसके लिए प्रावधान लाए हैं। मैं समझता हूं कि आपने जो काम शुरू किया था, उसको हमने पूरा किया है। उसके लिए आप खुश होंगे।

श्री कल्याण बनर्जी: धन्यवाद।

श्री पीयूष गोयल: आपने जो रिवर्स ऑक्शन की बात कही थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। आपने क्लबिंग की जो बात की - आयरन, स्टील एंड पावर, क्लबिंग करने का लाभ यह है कि कंप्टिशन बढ़ता है। अगर हम कुछ स्टील माइन्स, सीमेंट और कुछ एल्यूमनियम की क्लबिंग करें तो स्पर्धा कम होगी, आपके राज्य को दाम भी कम मिलेगा और उसकी वजह से कल आकर आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि आपने फलां कंपनी को मदद करने के लिए ऐसा किया। इसलिए हमने सबके लिए खुली स्पर्धा रखी है जिससे अच्छे दाम और ईमानदार नीलामी हो सकी। आपने इंटरिम कोल की बात की, मैंने पहले बताया है कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और जितनी माइन्स चल रही हैं, अगर आप लोग दोनों सदनों में बिल को पारित कर दें तो ये माइन्स बन्द नहीं होंगी और इंटरिम प्राब्लम ही नहीं आएगी, लेकिन अगर यह बिल पास नहीं होता है और कुछ माइन्स बन्द हो जाती हैं तो जरूर संकट आ सकता है। आपने पूछा है कि पैसा कब आएगा, जैसे-जैसे खदानें खुलेंगी, पैसा आता जाएगा।

श्री नागेन्द्र जी ने लैण्ड एक्वीजिशन के बारे में कहा, मैंने जवाब दे दिया है। गणेश सिंह जी ने किसानों पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा आदि के बारे में बताया है, इस नए कानून में उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शेर सिंह घुबाया जी ने जैसा कहा है, आज देश में पावर कट नहीं है। हमने लगभग हरेक राज्य को ऑफर किया है कि आप बिजली खरीद सकते हैं। जिन राज्यों के पास कमी है, उनमें ज्यादातर दक्षिण के राज्य हैं क्योंकि वहां ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम वहां पावर नहीं भेज पा रहे हैं। हम उसमें इनवेस्टमेंट करके जल्द से जल्द वहां भी भेजेंगे। बाकी देश में जो राज्य चाहें, बिजली आज सरप्लस है, कोयला सरप्लस है। पहले यह चिन्ता होती थी कि कोयला कम है, आज सभी पावर प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है।

उदय प्रताप सिंह ने सी.एस.आर. के बारे में कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। दुष्यंत चौटाला जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि अंडरग्राउण्ड माइनिंग में सेफ्टी पर ध्यान देना पड़ेगा। दीपन्द्र जी के कई विषय हैं, मैं हरेक पर नहीं बोलूंगा, मंत्री जी का आदेश है कि जल्दी खत्म करूं, आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया है कि ऑक्शन आपने शुरू किया, लेकिन नीलामी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्लॉक्स कैंसिल किए, उसमें जो घोटाला हुआ था, वह आपके समय हुआ था, लेकिन आपने स्वयं कहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस पूरे देश के हैं। उसी हिसाब से यह राज्य हमें सहयोग करते हुए पूरे देश में बिजली की कमी कम करेंगे। लीज़ 50 वर्ष की नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, वह 30 वर्ष की है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अमेरिका में ऑक्शन नहीं होता है, ऑक्शन के बिना दी जाती है, हम तो ऑक्शन कर रहे हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अमेरिका और इंडोनिशया में ऑक्शन होता है।

श्री पीयूष गोयल : आप बाद में टेबल पर रख देना।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज कराना चाहता हूं।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल: अगर आपकी बात ठीक भी होगी, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विषय यह है कि हमने 30 वर्ष की लीज़ का प्रावधान किया है, क्योंकि उसमें कोयला 30 वर्ष तक रहता है। उसका पूरे तरीके से खनन हो और डिसरप्ट न हो, बिजली का उत्पादन भी 30 वर्ष तक सीधे चलता रहे। इसमें मोनोपली का सवाल नहीं है, यह ओपन बिडिंग है। हर कम्पनी उसमें भाग ले सकती है।

महताब जी ने कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट की बात कही। मैं समझता हूं कि अभी तक तो पूरे देश ने प्रधान मंत्री जी की सराहना की है कि कोयला मंत्रालय और बिजली मंत्रालय एक मंत्री जी के पास होने से बिजली की समस्या का भी समाधान हो रहा है। आप पहली बार इसे कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट कह रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्टील, कामर्स, माइंस, लॉ, फाइनेंस आदि को जोड़कर सभी निर्णय लिए

गए हैं। इसलिए इसमें कोई कांफ्लिक्ट आफ इंटरेस्ट नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैं पावर को फेवर करूं और बाकी को नहीं, ऐसा नहीं है। सदन इतना जरूर मानेगा कि बिजली को हमें ज्यादा अहमियत से देखना पड़ेगा।

आपने एक डेंजरस पाइंट कहा कि इम्युनिटी फार ऑफिसर्स। पुराने दिनों में इन अधिकारियों के साथ क्या बीती है और किस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बेचारे ईमानदार अधिकारी फंसे हैं। कोयला मंत्रालय ऐसा मंत्रालय था, जहां कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं था। लेकिन हमने कोई इम्युनिटी नहीं दी है। आप उस वर्डिंग को पढ़ें, कोई प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट की इम्युनिटी नहीं है। कानूनी सुरक्षा केवल उन कार्यों के लिए लागू होती है जो सद्भावना एवं उचित मंशा के साथ किए गए हों। मैं समझता हूं कि सब राजनीतिक दलों की अलग-अलग राज्यों में सरकारें हैं। आप समझेंगे कि सरकारी आधिकारी किस परिश्रम से, किस मेहनत से और कितना जोखिम उठाकर काम करते हैं। हमारा कर्त्तव्य बनता है कि उनका भी सम्मान करें और ध्यान रखें।

जगदम्बिका पाल जी और कौशलेन्द्र कुमार जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। उन पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। ओवरऑल हम देखें तो आप सबके जो सुझाव आए हैं, उनमें से काफी सुझावों को पहले ही बिल में रखा गया है। कुछ और सुझावों पर मैं पूरे तरीके से अमल करूंगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि देश में एक मैसेज जाए कि पूरा सदन हरेक पक्ष ईमानदार तरीके से देश के नेचुरल रिसोर्सेज बंटे, ईमानदार तरीके से देश की सेवा में लगें। गरीब से गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिले। गरीब से गरीब आदमी का घर बन पाए, उसके लिए स्टील और सीमेंट बने। यह इस कार्य को करने के लिए एक कदम है। कोयला खदानें चालू रहें 31 मार्च के बाद भी, उसके लिए अर्जेंसी है इसलिए दोनों सदन इसे पारित करें। आप सभी का आशीर्वाद मिले, यह आप सबसे अनुरोध है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उपाध्यक्ष जी, हर राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। इसे आपने अपने अंदाज में समझाया है। मेरी एक ही शंका है कि जिन राज्यों में कोयले का उत्पादन नहीं होता, वहां दूर से कोयला लाना पड़ता है, जैसे कर्नाटक है, असम है। चाहे झारखंड से लाएं या दूसरे कोयला उत्पादन वाले राज्यों से लाएं। कर्नाटक के नजदीक कोयला उत्पादन करने वाले

प्रदेश महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हैं। वहा से हमारे राज्य को कोयला मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्क्रीशनरी पावर आपके पास है ब्लॉक्स एलॉट करने की, अगर उस डिस्क्रीशन को ज्यूडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन राज्यों को बड़ी तकलीफ होगी। आपके पास कर्नाटक से इस मुद्दे को लेकर एक डेलीगेशन आया था, शायद आप बाद में उससे मिलेंगे। मेरा यही कहना है कि आपने जो पहले एलॉटमेंट किया था, उसे कायम रखें। अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं, तो जो ढांचा उन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया है, उससे उन्हें नुकसान होता है। यह बात आप ध्यान में रखिए और इसके लिए हमें आश्वासन दीजिए।

श्री पीयूष गोयल : महोदय, खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात रेज़ की है। यह सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार है। हम कभी कोई ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि किस राज्य में किस दल की सरकार है। मैं माननीय खड़गे जी को विश्वास दिलाता हूं और मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि महाराष्ट्र, जहां से मैं स्वयं चुनकर आया हूं, उनका प्रैशर है कि हमारे यहां की खानें हैं और पावर प्लांट उससे 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन पिछली सरकार ने बहुत दूर जाकर खान दी थी। मेरे राज्य के प्रैशर के बावजूद मैंने यह ध्यान में रखा कि कर्नाटक को भी थोड़ी दूर से मिले और महाराष्ट्र को भी थोड़ा दूर से मिले। इस प्रकार से मैं पूरे अलॉटमेंट को सोशलाइज़ कर रहा हूं और सभी राज्यों की रिकवायरमेंट्स को फेयर मैनर में मीट करूंगा। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव या अन्याय नहीं होगा मेरी संपूर्ण क्षमता एवं वर्तमान विधिक सीमाओं के अंतर्गत।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): जो मुद्दा मैंने विधेयक पेश करते समय शुरू में उठाया था और उसके बाद कल भी मैंने वही बात दोहराई। मैं अभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं। श्री पीयूष गोयल, जो मेरे शुभचिंतक एवं मित्र हैं, एक मंत्री के रूप में इस सदन के अंदर तथा बाहर एक भिन्न भूमिका निभा रहे हैं। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहूंगा कि हम तीनों कुछ वर्ष पूर्व स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की यात्रा पर गए थे। उस विश्वविद्यालय में वे गुजरात के विकास मॉडल को प्रस्तुत कर रहे थे; मुझसे ओडिशा के विकास मॉडल पर चर्चा करने को कहा गया था; तथा राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री एन.के. सिंह से बिहार के विकास मॉडल की व्याख्या करने के लिए कहा गया था। मैं केवल उन्हें वे बातें याद दिला रहा हूं जो उन्होंने उस समय व्यक्त की थीं। कृपया ध्यान दें, मैं यहाँ यह स्पष्ट नहीं करने जा रहा हूं कि उन्होंने वहाँ क्या कहा था। मैं केवल हमारे ओडिशा के विकास मॉडल का उल्लेख कर रहा हूं।

ओडिशा में लगभग 58 उद्योगों की कुल स्थापित आबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता 7,500 मेगावाट से अधिक है, जिनकी वार्षिक अनुमानित कोयला आवश्यकता 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें से केवल 13 बड़े औद्योगिक इकाइयां, जिनके पास 100 मेगावाट से अधिक की आबद्ध विद्युत संयंत्र क्षमता है, अकेले 5,000 मेगावाट की क्षमता रखती हैं। इन उद्योगों को अपने आबद्ध कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक आबंटित न किए जाने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने जो कुछ भी कहा है और मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप स्वयं यहाँ बैठकर इस स्थिति में संतुष्ट रहेंगे? आप ओडिशा के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। पहले से ही उद्योग वहाँ स्थापित हैं; हमने उन्हें आमंत्रित किया है; उनके साथ समझौते किए गए हैं; और उन्होंने इस विश्वास के साथ अपने उद्योग स्थापित किए हैं कि उन्हें कोयला ब्लॉक आबंटित किए जाएंगे। उस समय यही कानून प्रचलित था। लेकिन तब कानून में परिवर्तन हुआ क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और उस अवधि में हुई कुछ लापरवाहियों के कारण। क्या आप यहाँ एक मंत्री के रूप में उनका समर्थन करने के लिए नहीं हैं? यही हमारे राज्य सरकार और हमारी पार्टी की चिंता है।

दूसरी बात, यह एक तकनीकी विषय है और आपको इस मुद्दे की तकनीकी बारीकियों को समझना अच्छा लगेगा। एक इस्पात संयंत्र और 200 मीट्रिक टन के कोयला ब्लॉक पर आधारित इस्पात संयंत्र की तुलना करें। कोयला ब्लॉक एक 1,000 मेगावाट क्षमता वाले इस्पात संयंत्र को समर्थन प्रदान कर सकता है, जिसके लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का निवेश आवश्यक होगा और जो अधिकतम 1,000 लोगों को रोजगार देगा। इसके विपरीत, 200 मीट्रिक टन कोयला ब्लॉक एक 200 मिलियन टन क्षमता वाले इस्पात संयंत्र का समर्थन कर सकता है, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश शामिल है और यह 1,000 मेगावाट की आबद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता प्रदान करेगा। आपकी प्राथमिकता क्या है? ओडिशा के मामले में, झारखंड के मामले में, छत्तीसगढ़ के मामले में... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने संकल्प प्रस्तुत किया है। उन्हें 10 मिनट तक बोलना है। मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं। वे अपने संकल्प पर बोल रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: एक इस्पात संयंत्र रोजगार के अवसरों में पंद्रह गुना तथा निवेश में चार से पाँच गुना वृद्धि करता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप न केवल मेरे अच्छे मित्र हैं, बल्कि ओडिशा के भी शुभचिंतक हैं।

मैं यहां तीसरे मुद्दे का भी जिक्र करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया संक्षेप में बताएं।

श्री भर्तृहरि महताब: जी, महोदय। मैं वास्तव में इस मुद्दे पर बहस नहीं कर रहा हूं। पहले ही कई मुद्दे उठाए जा चुके हैं। परन्तु ये वे मुद्दे हैं जिनका समाधान आवश्यक है। यदि आप यहाँ इनका समाधान नहीं करते हैं, तो आपको राज्य सभा में इसका सामना करना पड़ेगा। वही बातें वहाँ दोहराई जाएंगी। यदि आपकी कोई दृष्टिकोण है, तो कम से कम हमारे राज्य सभा के सदस्य उस से संतुष्ट होंगे।

यह विधेयक कोयला ब्लॉकों के “निर्दिष्ट अंतिम उपयोग” के तहत आबद्ध उपयोग सहित विद्युत उत्पादन की अनुमति प्रदान करता है। खंड 3 (फ) में, "निर्दिष्ट अंतिम-उपयोग" का अर्थ निम्नलिखित में से

कोई भी अंतिम-उपयोग है और अभिव्यक्ति "निर्दिष्ट अंतिम उपयोगकर्ता" को इसके व्याकरणिक बदलावों के अनुसार तदनुसार समझा जाएगा: (1) लौह और इस्पात का उत्पादन; (2) आबद्ध उपयोग सहित विद्युत उत्पादन।

इससे पहले दिसम्बर माह में जब श्री सत्पथी जी ने चर्चा में भाग लिया था, तब उन्होंने कोयले की धुलाई पर आपत्ति जतायी थी। 'खदान से प्राप्त कोयले की धुलाई' जो आज भी मौजूद है। आपने पिछली बार आश्वासन दिया था कि इसे हटा दिया जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया बहुत संक्षिप्त में बात रखने का प्रयास करें।

श्री भर्तृहरि महताब: इस समय चल रही नीलामी में, निविदा की शर्तों में एक सरकारी आदेश के ज़रिए कैप्टिव विद्युत (खुद के लिए बनी बिजली) को बिजली के दायरे से बाहर रखा गया है। जबकि यह बात विधेयक में शामिल है, फिर भी सरकारी आदेश की वजह से निविदा प्रक्रिया में इसे हटा दिया गया है। यह कदम विधेयक और अध्यादेश के नियमों के खिलाफ है।

मैं यहां कुछ भी सुझाव नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन यह आपके विचार के लिए है। आप उद्योगों के एक विशिष्ट समूह को नीलामी में भाग लेने से वंचित कर रहे हैं। यह किसकी मदद करता है? इसीलिए, जैसा कि दीपेन्द्र *जी* ने कहा, यह विवेकाधीन है। पिछले दिनों मैंने कहा था कि यह एक व्यक्तिपरक निर्णय है। आप एक तकनीकी समिति की बात करते हैं। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है; मैं उस विषय में विस्तार नहीं करूँगा। लेकिन कृपया बताएं कि क्या चारों बोलियों की जांच नहीं की जा रही है? आप पारदर्शिता की बात करते हैं; तो क्या आप इन चार बोलियों की जांच नहीं कर रहे हैं? कृपया उत्तर दें।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। लंबा भाषण न दें।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: क्या यह पूर्णतः त्रुटिरहित है? इससे स्पष्ट होता है कि यह पूर्णतः त्रुटिरहित नहीं है। जिस तीव्रता से आप इस विधेयक तथा अध्यादेश को पारित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह इसे त्रुटिरहित बनाने में असमर्थ है। कृपया इसे त्रुटिरहित बनाने का प्रबंध करें।

तीसरा बिंदु यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय में क्या कहा गया है और क्या तीन कोयला ब्लॉकों को उन्होनें रोक दिया है? ये सारी चीजें आज पब्लिक डोमेन में हैं।

महोदय, श्रीमान पीयूष गोयल, एक व्यक्ति के रूप में मेरे अच्छे मित्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: वे सभी के मित्र है। जो कोई भी कोयले पर नियंत्रण करता है...

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महताब *जी*, आप कितनी बार ये कहेंगे कि आप उनके अच्छे मित्र हैं?… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया, उन्हें बोलने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: श्री खड़गे जी थोड़ा असहज हो गए हैं। कृपया अगली पंक्ति सुनने के लिए धैर्य बनाए रखें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: महताब जी, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: मेरे एक मित्र हैं, यदि वे कोयला संभालेंगे तो उनके हाथ काले हो जाएंगे, जिससे मुझे चिंता होती है। आप ऊर्जा मंत्री हैं, यह विषय गंभीर है। मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया में अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करें। आने वाले दो, तीन या छह वर्षों में, कोई भी यह न कहे कि "यह समस्या या विनियमन श्री पीयूष गोयल के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न हुआ।"

श्री पीयूष गोयल: मैं अपने आदरणीय मित्र का इस समयोचित सुझाव देने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए सभी

निर्णय ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लिए जाते हैं। यह तथ्य सार्वजनिक क्षेत्र में इसलिए उपलब्ध है क्योंकि मैंने स्वयं इसे सार्वजनिक किया है, न कि किसी कैग रिपोर्ट या किसी खोजी पत्रकार के द्वारा उजागर किया गया है। मंत्रालय के प्रत्येक निर्णय को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। नीलामी की पूरी प्रक्रिया भी वेबसाइट पर मिनट-प्रतिमिनट उपलब्ध कराई गई थी।

महोदय, ये 58 इकाइयां जिनका उन्होंने उल्लेख किया है वे ओडिशा में हैं। उन सभी की कुछ निश्चित आवश्यकताएँ होती हैं। वे इन खदानों के लिए बोली लगा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 7000 मेगावाट के 58 पावर प्लांट हैं। इसलिए, हमने बिजली क्षेत्र के लिए इतना अधिक कोयला दिया है कि वे संयुक्त उद्यम बना सकते हैं और कोयला ब्लॉकों के लिए बोली लगा सकते हैं। दुख की बात है, और वास्तव में उनके लिए खुशी की बात है कि ओडिशा में बहुत बड़ी कोयला खदानें हैं। गैर-विनियमित क्षेत्र से बाहर के केवल कुछ सीमित मामलों के कारण, हमने एक निर्धारित मानदंड के आधार पर कार्य किया है। यदि मेरे पास कोई परिभाषित मानदंड नहीं होता, [हिन्दी] यही आरोप लगाते और फिर मुझे छः साल के बाद चिंता करनी पड़ती। लेकिन मेरा दामन साफ है, मैंने डिफाइन क्राइटीरिया से टैक्निकल कमेटी द्वारा किया है, मुझे उसमें कोई चिंता नहीं है, संकोच नहीं है। मुझे शक यह आ रहा है कि यह ब्रीफिंग किस तरीके से की गई है कि एक कंपनी का जो उदाहरण दिया गया है, उस एक कंपनी के उदाहरण को देकर यह कैसे माना गया कि 200 मिलियन टन की कैपेसिटी का स्टील प्लान्ट, पूरे देश में 200 मिलियन टन स्टील नहीं बनता है। पता नहीं 200 मिलियन टन का कौन सा एक प्लान्ट ओडिशा में हैं।

दूसरी बात यह है कि अगर एक-एक प्लान्ट को ध्यान में रखकर हम रूल्स और एलोकेशन करें फिर तो सीधा आरोप लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्राइटीरिया के हिसाब से दूसरी माइंस हैं, जहां वहां व्यक्ति, जिसके एक प्लान्ट का जिक्र यहां किया गया है, वह बिड करके ले सकता है और अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है। 204 माइंस हैं और बहुत अलाट होनी हैं, बहुत ऑक्शंस होनी हैं तो और भी आगे आयेंगी, उसमें भी बिडिंग की जा सकती है।

जहां तक वाशिंग ऑफ कोल का सवाल है, मैंने सदन को पहले भी विश्वास दिलाया था और अब भी विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी माइन कोल वाशिंग के लिए नहीं दी जा रही है। यह आश्वासन मैंने पिछली

बार भी दिया था और अभी फिर दोहराता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मूल अधिनियम में पहले से ही मौजूद है और इसलिए, अंतिम उपयोग को मूल अधिनियम से नहीं बदला गया है और वे जारी हैं। लेकिन हमारी एक भी खदान विशेष रूप से कोयले के अंतिम उपयोग हेतु धुलाई के लिए देने की योजना नहीं है।

यह किसके हित में है, इस संदर्भ में, आप अपने गिरेबान में देखिये कि अगर में वह करता कि एक माइन इस तरीके से एंड यूज बने, जो एक ही व्यक्ति को मिल सके तो शायद आप ही यहाँ पर खड़े होकर मुझ पर आरोप लगा रहे होते कि में चीट कर रहा हुं, आपके देश और प्रदेश की सम्पत्ति के साथ बेईमानी कर रहा हूं। हमने ईमानदारी से किया है और जो-जो कंपनीज ने प्लान्ट लगाये हैं, मैंने पहले भी विश्वास दिलाया था, इतने एंड यूज प्लान्ट्स हैं, सबके लिए बिड करने की अपार्चुनिटी होगी, वह भी बिड करके ले सकता है।

आखिरी में दिल्ली हाई कोर्ट जजमैन्ट, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे पूरे ऑक्शन प्रोसैस की सराहना की है। जब कुछ कंपनियों ने कोर्ट के द्वारा ऑक्शन रुकवाने की कोशिश की तो कोर्ट ने कोई भी दखलंदाजी देने से इनकार कर दिया और सराहना की कि इतने खूबसूरत तरीके से यह नीलामी हो रही है, इसे चालू रखा जाए। सिर्फ दो माइनों के बारे में कोर्ट को जब किसी एक निजी कंपनी ने कहा कि वह उसका पहला अलाटी था और उसे वह अभी भी उसी एंड यूज में मिलनी चाहिए और वास्तव में वह रखता तो यह क्राइटीरिया का उल्लंघन होता। उसके बारे में कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जाए और वह उसी टैक्निकल कमेटी के द्वारा रीएग्जामिन किया जा रहा है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: महताब जी, क्या आप अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब: मैं अगले छह वर्षों तक प्रतीक्षा करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या आप अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं?

… (*व्यवधान*)

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मैं अपना सांविधिक संकल्प वापस ले रहा हूं।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू): धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य को अपने सांविधिक संकल्प को वापस लेने के लिए सदन से अनुमति प्राप्त है?

सांविधिक संकल्प स्वीकृति से वापस लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना पर अधिकार, स्वामित्व और हित निहित करने के लिए तथा राष्ट्रीय हितों में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला संसाधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4 नीलामी में भाग लेने की पात्रता और शुल्क का भुगतान

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, क्या आप संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद): हाँ, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के बाद, आप केवल एक या दो मुद्दे ही रखें, और ज्यादा समय न लें।

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 23, "दोनों में से कोई एक" का *लोप* किया जाए।" (1)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 23 और 24, "बिक्री या किसी अन्य उद्देश्य के लिए" का *लोप* किया जाए।" (2)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 30, -

"कोयला खनन संचालन" *के पश्चात*

"निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए स्वयं के उपभोग के लिए" *अंतःस्थापित किया जाए।* (3)

"पृष्ठ 4, पंक्ति 35, -

"किसका आवेदन" *के पश्चात*

"निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के लिए " *अंतःस्थापित किया जाए।* (3)

[हिन्दी]

सर, मेरा अमेंडमेंट नं. 1 से 16 है, जिसे मैं मूव करना चाहता हूं। मैं केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं। प्राईवेट सेक्टर को जो लीज़ दिया गया, मुझे लगता है कि यह इसके लिए कोई रक्षा कवच नहीं है। जिस पर्पस के लिए उन्हें यह दिया गया और इसलिए दिया गया कि ये ज्यादा प्रॉफिट करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो हमारे पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि हम उन्हें रोकेंगे?

दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर ने यह बताया है और हमारे कुलीग्स ने भी यह बताया कि 204 कोल ब्लॉक्स में से अब तक 18 कोल ब्लॉक्स को दिया गया है। इसके बावज़ूद उन्हें ज्यादा पैसे मिल गए हैं, और मुझे भी बहुत खुशी है कि आगे के दिनों में इससे ज्यादा रुपये हमें मिलेंगे। मेरा कहना यह है कि क्या ये प्राईवेट सेक्टर हमें दान कर रहे हैं? क्या उन्हें दान के लिए दिया जा रहा है? क्या वे हमें मुफ़्त में पैसा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वे एक लाख करोड़ रुपये देंगे तो उससे बीस लाख करोड़ रुपये लेंगे। इसीलिए वे लोग इतने पैसे दे रहे हैं। अगर इसे कोल इंडिया को दिया जाता तो हमारे देश की सम्पदा देश में ही रहती। इसलिए इसे कोल इंडिया को देना चाहिए।

यह लीज़ 30 सालों के लिए दिया जा रहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 30 साल पहले ज़मीन का दाम क्या था और आज क्या है? कोयले का दाम आज क्या है और तीस सालों के बाद क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? इसलिए इतने समय के लिए यह लीज़ नहीं दिया जाना चाहिए।

मेरे ये तीन सब्मिशन हैं। मैं अपना अमेंडमेंट मूव कर रहा हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान द्वारा प्रस्तुत खंड 4 में संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 4 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: महोदय, मुझे मत विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घाएं खाली होने दें –

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

माननीय उपाध्यक्ष: अब दीर्घाएं खाली हो गई है।

स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

माननीय उपाध्यक्ष: मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं।

महासचिव को स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन के बारे में पढ़ने के लिए कहा गया।

माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित मुद्दों पर आमंत्रित किया जाता है।

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है:-

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठना चाहिए और उसी स्थान से प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

2. जब माननीय अध्यक्ष महोदय "अब मत विभाजन" कहेंगे, तो महासचिव मतदान बटन को सक्रिय करेंगे, जिसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर "लाल बल्ब" चमक उठेंगे और साथ ही साथ घंटी की ध्वनि सुनाई देगी।

3. मतदान के लिए, माननीय सदस्यगण कृपया निम्नलिखित दोनों बटनों को केवल पहली घंटी की ध्वनि सुनने के बाद एक साथ दबाएं। मैं पुनः स्पष्ट करता हूं—केवल पहली घंटी की आवाज के बाद।

हर माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर लाल “मतदान” बटन है।

और

सीट के डेस्क के शीर्ष पर लगे निम्नलिखित में से कोई एक बटन:

हां	:	हरा रंग
नहीं	:	लाल रंग
भाग नहीं लिया	:	पीला रंग

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना आवश्यक है जब तक कि दूसरा गोंग न सुनाई दे और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब "बंद" न हो जाएं।

5. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि उनके मत पंजीकृत नहीं होंगे:

(एक) यदि बटनों को प्रथम घंटी की ध्वनि बजने से पहले दबाया जाता है।

(दो) दूसरी घंटी तक दोनों बटन एक साथ नहीं दबाए जा सकते।

6. माननीय सदस्य वास्तव में माननीय अध्यक्ष की कुर्सी के दोनों ओर स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर अपना वोट "देख" सकते हैं।

7. यदि मतदान पंजीकृत नहीं होता है, तो सदस्य पर्चियों के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री पीयूष गोयल: महोदय, उन्होंने केवल अपनी संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत की है।

माननीय उपाध्यक्ष: यह पहले ही घोषित किया जा चुका है कि वे अपने सभी संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। कृपया इसे मुझ पर छोड़ दें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं संशोधन संख्या 1 से 4 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: मुझे मत विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं, आपने उचित समय पर मत विभाजन नहीं मांगा है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: जब मैं मतदान की घोषणा कर रहा था और जैसे ही मैंने "हाँ" या "ना" कहा, आपको उसी क्षण विभाजन की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन आपने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: पहले आपने मत विभाजन की मांग की, जिस पर दीर्घा खाली कराई गई। दीर्घा के पूरी तरह खाली हो जाने के बाद मैंने एक बार फिर “हाँ” और “ना” की घोषणा की। उस समय आपको तत्काल मत विभाजन की पुनः मांग करनी चाहिए थी। यही नियमानुसार प्रक्रिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार फिर मैं पढ़ रहा हूं। यदि आप मत विभाजन के पक्ष में हैं, तो मैं पुनः अनुमति दे रहा हूं।

अब मैं संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 4 को इस सभा में मतदान के लिए रखूंगा। दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 4, पंक्ति 23, "दोनों में से कोई एक" का *लोप किया जाए*।"

“पृष्ठ 4, पंक्ति 23 और 24, "बिक्री या किसी अन्य प्रयोजन के लिए" का *लोप किया जाए।*

"पृष्ठ 4, पंक्ति 30, -

"कोयला खनन कार्य" के पश्चात

"निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए स्वयं के उपभोग के लिए" अंतःस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 35,-

"किसका आवेदन" के पश्चात

"निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयला ब्लॉकों के लिए" *अंतःस्थापित किया जाए।*

लोक सभा में मत विभाजन:

मत विभाजन **हां** **अपराह्न 3.02 बजे**

अनवर, श्री तारिक

बीजू, श्री पी. के.

@चन्द्रप्पा, श्री बी.एन.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

ɸचौटाला, श्री दुष्यन्त

छोटेलाल, श्री

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

देव, कुमारी सुष्मिता

ध्रुवनारायण, श्री आर.

गोगोई, श्री गौराव

@हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

करुणाकरण, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

मुखर्जी, श्री अभिजीत

पाला, श्री विनसेंट एच.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया

ɸ हाँ के लिए पर्ची के माध्यम से शुद्धि

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, प्रो. सौगत

संपत, डॉ. ए.

सुरेश, श्री डी.के.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

थरूर, डॉ. शशि

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

<u>नहीं</u>

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

@अहलावत, श्रीमती संतोष

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@भारती, सुश्री उमा

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

@ब्रह्मपुरा, श्री रणजीत सिंह

चन्देल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम टहल

चौहान, श्री देवुसिंह

@चौहान, श्री पी.पी.

चावड़ा, श्री विनोद लखमशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

चौधरी, श्री बाबूलाल

@चौधरी, श्री बीरेन्द्र कुमार

डेका, श्री रामेन

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

@धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गल्ला, श्री जैदेव

@गंगवार, श्री संतोष कुमार

गीते, श्री अनन्त गंगाराम

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश

काछड़िया, श्री नारणभाई

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खेर, श्रीमती किरण

खुबा, श्री भगवंत

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. अरुण

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

लखनपाल, श्री राघव

माडम, श्रीमती पूनमबेन

महाजन, श्रीमती पूनम

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

@महतो, श्री बिद्युत बरन

मालवीय, प्रो. चिंतामणि

मांझी, श्री हरि

मराबी, श्री कमल भान सिंह

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

ϕमिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ϕ नहीं के लिए पर्ची के माध्यम से शुद्धि की

नागर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नाथ, श्री चाँद

@नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री छेदी

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नटूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@पाटील, श्री ए.टी. नाना

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

राधाकृष्णन, श्री पोन

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

@राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री विष्णु दयाल

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राठौड़, श्री डी. एस.

राठोर, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री लखन लाल

साई, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

संजर, श्री आलोक

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एडवोकेट नरेन्द्र केशव

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

@सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री पशुपति नाथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

@सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

@सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

सुप्रियो, श्री बाबुल जी

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

@तेली, श्री रामेश्वर

ठाकुर, श्री अनुराग सिंह

ठाकुर, श्रीमती सावित्री

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

वांगा, श्री चिंतामन नवाशा

@यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

@येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

<u>भाग नहीं लिया</u>

शून्य

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: शुद्धि के अधीन*, मत विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में, 'हां' वाले: 023

नहीं: 190

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 और 6 सरकारी कंपनियों को खदानों का आबंटन तथा केंद्र सरकार का नामित एजेंसियों के माध्यम से कार्य करना

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा, क्या आप खंड 5 में संशोधन संख्या 5 और 6 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से अपने मतदान दर्ज/संशोधित किए:
हां वाले: 023 + सर्वश्री बी.एन. चन्द्रप्पा, दुष्यंत चौटाला, दीपेन्दर सिंह हुड्डा = **026**

नही वाले: 190 + श्रीमती संतोष अहलावत, सुश्री उमा भारती, सर्वश्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा, पी.पी. चौहान, बीरेंद्र कुमार चौधरी, धर्मबीर, संतोष कुमार गंगवार, बिद्युत बरन महतो, दद्दन मिश्रा, अशोक महादेवराव नेते, ए.टी.नाना पाटील, मुकेश राजपूत, राव इंद्रजीत सिंह, श्री जयंत सिन्हा, डॉ. किरीट सोमैया, सर्वश्री रामेश्वर तेली, हुकुमदेव नारायण यादव, बी.एस. येदियुरप्पा= **208**

भाग नहीं लिया: 002 - दुष्यंत चौटाला, दद्दन मिश्रा **= 000**

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: नहीं महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री शंकर प्रसाद दत्ता, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री शंकर प्रसाद दत्ता (त्रिपुरा पश्चिम): नहीं, मैं पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला था लेकिन चूंकि सदस्यों ने मुझसे प्रस्ताव प्रस्तुत न करने का अनुरोध किया है, इसलिए मैं प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 और 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 7 केंद्र सरकार द्वारा कुछ अनुसूची-1 कोयला खानों को वर्गीकृत करने की शक्ति

माननीय उपाध्यक्ष: श्री महताब, क्या आप खंड 7 में अपनी संशोधन संख्या 19 और 20 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 6, पंक्ति 10 *के पश्चात*, -

"बशर्ते कि केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं करेगी जहां ऐसी खदानें स्थित हैं।" *अंतःस्थापित किया जाए* (19)

"पृष्ठ 6, पंक्ति 12 *के पश्चात*-

"बशर्ते कि केंद्र सरकार उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना ऐसा कोई संशोधन नहीं करेगी जहां ऐसी खदानें स्थित हैं।" *अंतःस्थापित किया जाए* (20)

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब आप यह निर्धारित कर रहे हों कि विनियमित क्षेत्र में क्या होगा और गैर-विनियमित क्षेत्र में क्या होगा, तो संबंधित कोयला धारक राज्य से परामर्श करें। व्यक्तिगत रूप से, आप सरकार के साथ बातचीत कर सकते है।

लेकिन ये कानून में होना चाहिए क्योंकि भविष्य में ऐसा नहीं है कि आप इस मंत्रालय में बने रहेंगे बल्कि कोई और आएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 19 और 20 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

मतदान के लिए संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक में खंड 7 जोड़ा गया।

खंड 8 निहित आदेश या आबंटन आदेश जारी करने के लिए नामित प्राधिकारी

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बदरुद्दोज़ा खान, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: हाँ, महोदय। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 6, पंक्ति 25, -

"राज्य सरकार"	*के पश्चात*	
"केवल निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए स्वयं के उपभोग के लिए"	*अंतःस्थापित किया जाए*	(7)

"पृष्ठ 7, पंक्ति 14, *के पश्चात,*

"(13) सफल बोलीदाता या आबंटिती उसे आबंटित ब्लॉक से केवल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में निर्धारित निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयले का खनन करेगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।"।” *अंतःस्थापित किया जाए* (8)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री बदरुद्दोज़ा खान द्वारा खंड 8 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 और 8 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 8 से 13 विधेयक का अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 14 पूर्व आवंटियों की देनदारियां

माननीय उपाध्यक्ष: श्री. बदरुद्दोज़ा खान संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करेंगे। क्या आप प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: हाँ, महोदय। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 9, पंक्ति 14 और 15,-

"(क) वेतन, बोनस, रॉयल्टी, दर, किराया, कर, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी या" के लिए कोई दावा नहीं *के स्थान पर*

"(क) रॉयल्टी, दर, किराया, कर या" के लिए कोई दावा नहीं। *प्रतिस्थापित किया जाए* (9)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री बदरुद्दोज़ा खान के द्वारा खंड 14 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 14 से 19 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 20 कुछ व्यवस्थाओं को मंजूरी देने की केंद्र सरकार की शक्ति

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बदरुद्दोज़ा खान, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: हाँ, महोदय। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 11, पंक्ति 31 *के पश्चात*-

"(3) एक सफल बोलीदाता या आवंटी आबंटित खदान में पहले से ही काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों को या तो पूर्व आवंटी के सीधे नियुक्त व्यक्ति के रूप में या ठेकेदार के माध्यम से या अन्यथा नियुक्त करने के लिए बाध्य होगा।

(4) आबंटित कोयला खदान में तैनात श्रमिकों और कर्मचारियों की मजदूरी, अन्य लाभ और सेवा शर्तों, या तो प्रत्यक्ष या ठेकेदार के माध्यम से, सफल आवंटी द्वारा, दिनांक 31 जनवरी, 2012 को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी, लाभ और सेवा शर्तों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।।"
अंतःस्थापित किया जाए

(10)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री बदरुद्दोज़ा खान के द्वारा खंड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 से 33 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची 1, अनुसूची 2 और अनुसूची 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया

अनुसूची 4

माननीय उपाध्यक्ष: श्री बदरुद्दोज़ा खान, क्या आप संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 16 प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री एम.डी. बदरुद्दोज़ा खान: हाँ, महोदय। मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 25, पंक्ति 17 से 19 *के स्थान पर*-

"पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे के साथ, जैसा भी मामला हो, भारत में किसी भी रूप में कोयला खनन कार्य केवल निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।"। *प्रतिस्थापित किया जाए* (11)

"पृष्ठ 25, पंक्ति 27 और 28 *के स्थान पर*-

"जो उस सरकार की राय में निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए कोयला खनन के उद्देश्य से आवश्यक हो सकता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए"। *प्रतिस्थापित किया जाए* (12)

"पृष्ठ 25, पंक्ति 35 और 36,-

"धारा 3ए की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा बिक्री के लिए खनन सहित"	*के स्थान पर*
"निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए स्वयं की खपत के लिए"	*प्रतिस्थापित किया जाए* (13)

"पृष्ठ 25, *पंक्ति* 40 और 41 का *लोप किया जाए।*" (14)

"पृष्ठ 26, *पंक्ति* 1 से 37 का *लोप किया जाए।"* (15)

"पृष्ठ 26, पंक्ति 40 से 43 *के स्थान पर*,

"(घ) प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के मूल अधिनियम की धारा 11क के अंतर्गत अन्य उद्देश्य, शर्तें, खानों और उनके स्थान का विवरण, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो निर्दिष्ट अंतिम उपयोग के लिए स्वयं के उपभोग के लिए कोयला खनन कार्यों के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो सकती हैं, न कि किसी अन्य के लिए।" *अंतःस्थापित किया जाए* (16)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री बदरुद्दोज़ा खान द्वारा प्रस्तावित अनुसूची 4 में संशोधन संख्या 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विनसेंट एच. पाला, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री विनसेंट एच. पाला (शिलौंग): महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 25, पंक्ति 10,-

"ऐसी अन्य शर्तें," *के स्थान पर*

"भारत के संविधान की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्रों में कोयले से संबंधित केंद्रीय अधिनियमों, नियमों, विनियमों और नीतियों आदि की अनुपयुक्तता की स्थिति सहित ऐसी अन्य शर्तें"।" *प्रतिस्थापित किया जाए* (18)

मेघालय भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। गर्मियों में यहाँ छह महीनों तक लगातार वर्षा होती है और सर्दियों में तापमान माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। वहाँ लगभग हर घर के पीछे एक छोटी खदान होती है, जिसकी आवश्यकता लोगों को गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी। यह एक छोटा सा क्षेत्र है, इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा प्रस्तावित अनुसूची 4 में संशोधन संख्या 18 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची 4, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक में अनुसूची 4 जोड़ा गया।

खंड 1 संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

माननीय उपाध्यक्ष: श्री विनसेंट एच. पाला, क्या आप संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री विनसेंट एच. पाला: महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 5, -

"यह पूरे भारत तक फैला हुआ है।" *के स्थान पर,*

"यह भारत के संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत तक फैला हुआ है।" *प्रतिस्थापित किया जाए।*

(17)

एक और बात यह है कि छठी अनुसूची वाला क्षेत्र एक बहुत ही सीमित क्षेत्र है, जो केवल असम, मेघालय और त्रिपुरा में मौजूद है। वहां की भूमि स्वामित्व प्रणाली ब्रिटिश काल से ही शेष भारत से पूरी तरह

भिन्न रही है। यह एक छोटा-सा संशोधन है। इस वजह से अब हमारे सामने बड़ी समस्या है। एन.जी.टी. द्वारा कोयला खनन पर रोक लगाने से लाखों लोग बेरोजगार हैं। इसलिए, मैं मंत्री जी से इस संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा खंड 1 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ा गया।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

पीयूष गोयल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 3.15 बजे</u>

बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय उपाध्यक्ष: अब दीर्घाएं खोली जा सकती हैं। हम मद संख्या 15 और 16 पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्यों, मद संख्या 15 और 16 पर संयुक्त चर्चा शुरू करने से पहले, हमें सांविधिक संकल्प और बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 के लिए समय आबंटित करना होगा। यदि सभा सहमत हो तो हम इसके लिए दो घंटे आबंटित कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। अब, श्री जयदेवन

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बीमा अधिनियम, 1938, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सी.एन. जयदेवन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 पिछले शीतकालीन सत्र के स्थगन के एक दिन बाद 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित किया गया था। वास्तव में, बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2014 पहले से ही राज्य सभा में था जिसे प्रवर समिति ने मंजूरी दे दी थी। लेकिन सरकार यह जानते हुए भी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी निवेश की सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने की अनुमति देने वाले विधेयक को लेकर गंभीर मतभेद हैं, उस विधेयक को राज्यसभा में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसी कारण से बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 लगभग छह वर्षों से रुका हुआ है। वास्तव में, विडंबना यह है कि पिछली लोक सभा में भाजपा इस विधेयक की मुखर विरोधी थी।

महोदय, वर्ष 1956 में जब तत्कालीन निजी कम्पनियों को मात्र 5 करोड़ रुपये देकर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब से भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभकारी स्रोत सिद्ध हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने केंद्र सरकार को उल्लेखनीय राजस्व प्रदान किया है तथा विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में व्यापक निवेश भी किया है। ऐसी स्थिति में यह तार्किक प्रतीत नहीं होता कि केंद्र सरकार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का स्वागत करे, जिससे एलआईसी को संभावित हानि उठानी पड़ेगी और उसे भारतीय नागरिकों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा विदेशी कंपनियों के साथ साझा करना होगा—जब तक कि यह कोई पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धता न हो, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान की गई हो।

इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. बढ़ाने से इस क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बीमा दावों को अस्वीकार किया गया। जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने 2012-13 में लगभग 99 प्रतिशत मृत्यु दावों का भुगतान किया और केवल 1 प्रतिशत दावों को खारिज किया, वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने उसी अवधि में 7.85 प्रतिशत दावों को अस्वीकार कर दिया।

महोदय, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की सरकार की कोशिशें इतनी व्याकुलता भरी हैं कि केंद्र सरकार ने प्रेस में एक जटिल स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें कहा गया कि यदि संसद द्वारा अध्यादेश को अनुमोदन नहीं भी दिया गया, तो भी अध्यादेश की अवधि के दौरान किया गया विदेशी निवेश वैध माना जाएगा और उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। तदनुसार, सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने के निर्णय को लागू करने के लिए नियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। यह स्थिति कानूनी रूप से अनुचित है क्योंकि जब तक संसद अध्यादेश का समर्थन करके कानून पारित नहीं करती, तब तक अध्यादेश के अंतर्गत सभी कार्य असंवैधानिक होंगे।

सरकार ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है और इस सभा में एक नया विधेयक प्रस्तुत किया है जबकि एक समान विधेयक राज्य सभा में लंबित है। यह अनुचित और असंवैधानिक है। इसलिए, मैं अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से, अध्यादेश और विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री जी का उत्तर अंत में होगा।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, उन्हें अंत में उत्तर देने दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। अब, प्रो. सौगत राय।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी अंत में जवाब देंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

"कि बीमा अधिनियम, 1938, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़नी है।

माननीय उपाध्यक्ष: आपको फ्लाइट पकड़नी हो या नहीं पकड़नी हो, आप बोलिए।

प्रो. सौगत राय: महोदय, मेरी पार्टी की ओर से, हम हमेशा बीमा विधि (संशोधन) विधेयक का विरोध करते रहे हैं। बीमा विधि (संशोधन) विधेयक का मुख्य हिस्सा बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी निवेश सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना है। बीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर एफ.डी.आई. की अनुमति देश के हित के खिलाफ है। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं।

अपराह्न 3.22 बजे (श्री हुकुम सिंह *पीठासीन हुए*)

यह अत्यंत विरोधाभासी है कि जिस प्रस्ताव को पूर्व में पारित किया गया था, उसे वर्तमान में खारिज किया जा रहा है। वर्ष 2011 में संसद में श्री यशवन्त सिन्हा की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. सीमा नहीं बढ़ाने की सिफारिश की थी। बी.जे.पी. में यही हो रहा है। वरिष्ठ पीढ़ी की सिफारिशों को नजरअंदाज करते हुए युवा पीढ़ी ने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया है, और श्री यशवंत सिन्हा की असिफारिशों को युवा श्री जयंत सिन्हा जी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

यह कहा गया है कि यह कानून जल्दबाज़ी और बिना उचित विचार-विमर्श के बनाया गया है। इसका कारण यह है कि यह बीमा विधेयक शुरू से ही राज्य सभा के अधिकार क्षेत्र में था। सबसे पहले, यू.पी.ए.-2 सरकार यह विधेयक लेकर आई; फिर यह वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास गया; वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2011 में अपनी रिपोर्ट दी; फिर अगस्त, 2014 में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, राज्य सभा की एक प्रवर समिति का गठन किया गया; और उस प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी।

इससे पहले, वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा 88 संशोधन प्रस्तावित थे। फिर, 11 और संशोधन प्रस्तावित किये गये। तो, कुल मिलाकर, 99 संशोधन थे, और प्रवर समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्य सभा में यह पारित नहीं हो सका। जरा सोचिए, 23 दिसम्बर को संसद स्थगित हो गई और 26 दिसम्बर को यह अध्यादेश जारी हो गया। क्या यह संसद के पीछे नहीं जा रहा है? 24 को ही मंत्रिमंडल ने फैसला लिया और 26 को अध्यादेश जारी कर दिया गया। हम किसे संकेत भेज रहे हैं कि हम बीमा में एफ.डी.आई. लागू

करेंगे, चाहे संसद कुछ भी सोचे? यह अच्छी बात नहीं है। कनिष्ठ वित्त मंत्री यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि इस बार यह राज्य सभा में पारित हो जाएगा? तो, आपने जिस किसी को भी आमंत्रित किया होगा, वे निराश ही लौटेंगे। मैं बीमा क्षेत्र की सहमति के बिना इस प्रकार की पारदर्शिता रहित विधायी प्रक्रिया का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपको यह भी बता दूं कि बीमा कारबार में एफ.डी.आई. की तो बात ही छोड़िए, निजी क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मूंदड़ा घोटाले की घटना के बाद, पं. जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1957 में एल.आई.सी. का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद, 1973 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सामान्य बीमा क्षेत्र का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

अब, वर्ष 1999 में जब एन.डी.ए. सरकार थी, तो वे नया बीमा अधिनियम लाए, जिसने सामान्य बीमा को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया। उस समय आई.आर.डी.ए. का गठन हुआ था। उन्होंने इस उद्योग में निजी क्षेत्र को अनुमति दी थी।

महोदय, अब क्या हुआ है? मैं आपको कुछ बताता हूं। हम एल.आई.सी. के प्रदर्शन की तुलना निजी क्षेत्र से कर सकते हैं। बेशक, यह विधेयक सीधे तौर पर एल.आई.सी. से संबंधित नहीं है, लेकिन वर्ष 2014 तक, एल.आई.सी. ने 30 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारकों को सूचीबद्ध किया और 16 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश योग्य फंड कमाए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): 11 लाख एल.आई.सी. एजेंट हैं।

प्रो. सौगत राय: एल.आई.सी. के 11 लाख एजेंट हैं और आज यह बीमा पॉलिसी बाजार का 85% हिस्सा नियंत्रित करती है। साथ ही, कुल प्रीमियम संग्रह का लगभग 75% एल.आई.सी. के पास आता है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था होने के नाते, एल.आई.सी. ने बीमा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन किया है।

अब, यदि आप एल.आई.सी. लैप्सिंग की तुलना निजी उद्योग से करते हैं, तो परिपक्वता दावों का 99.7 प्रतिशत से अधिक और मृत्यु दावों का 99 प्रतिशत से अधिक निपटान होता है। यह एल.आई.सी. का प्रदर्शन है। निजी क्षेत्र में नीतिगत चूक की दर क्या है? बिरला सन लाइफ में चूक दर 51 प्रतिशत है। फ्यूचर जनरली में यह 49 प्रतिशत है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 42 प्रतिशत है। रिलायंस में 38

प्रतिशत और भारती एक्सा में 36 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि वे एक बार प्रीमियम भरते हैं और उनकी धनराशि बीमा कंपनियों द्वारा जब्त कर ली जाती है। अब आप बीमा क्षेत्र में अधिक निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश चाहते हैं।

मैं जीवन बीमा क्षेत्र को समझता हूं क्योंकि जीवन बीमा एक दीर्घकालिक निवेश है। तो, आप दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के रूप में जीवन बीमा में पैसा निवेश कर सकते हैं। मैं समझता हूं यदि एफ.डी.आई. बुनियादी ढांचा क्षेत्र में आना, जैसे सड़क, पुल, बंदरगाह के निर्माण में, स्वाभाविक है। लेकिन जी.आई.सी. का मुख्य कार्यक्षेत्र स्वास्थ्य बीमा, मोटर वाहन बीमा और दुकान चोरी बीमा जैसे अल्पकालिक एवं जोखिम आधारित बीमा उत्पाद हैं, जिनमें एफ.डी.आई. का आना उचित नहीं लगता। अगर एफ.डी.आई. आएगा तो हमें क्या फायदा होगा? यह आपको कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं देता। इसमें मूल रूप से छोटी बचत शामिल होती है और सामान्य बीमा में, केवल एक वर्ष या उससे अधिक की छोटी अवधि शामिल होती है। अत: सामान्य बीमा क्षेत्र में दीर्घकालिक निवेश निधि उत्पन्न करने का उद्देश्य संभव नहीं है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जब वे एफ.डी.आई. सीमा बढ़ाने की बात कहते हैं तो यह मान लिया जाता है कि इस सेक्टर में फंड की कमी है। इस धारणा का कोई आधार नहीं है कि व्यवसाय उच्च स्तर के व्यावसायिक घरानों के हाथों में है और बीमा व्यवसाय का भी निवेश और व्यवसाय की मात्रा के बीच कोई संबंध नहीं है। उदाहरण के लिए, बजाज आलियांज का कुल पूंजी निवेश 4,800 करोड़ रुपये और प्रीमियम आय 6,893 करोड़ रुपये है। एस.बी.आई. लाइफ, जो सार्वजनिक क्षेत्र में है, उसकी प्रीमियम आय, 2,710 करोड़ रुपये की पूंजी और आरक्षित निधि के साथ 10,450 करोड़ रुपये है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि यदि आपके पास अधिक निवेश है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अधिक प्रीमियम आय भी उत्पन्न करेंगे।

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को आगे बढ़ाने का सरकार का यह पूरा तर्क खतरनाक परिणामों से भरा है क्योंकि एफ.डी.आई. के मामले में, वे वास्तव में जितना पैसा लगाते हैं उससे अधिक पैसा निकाल लेते हैं। वे कुछ निवेश करेंगे और तुरंत अधिक पैसा निकाल लेंगे क्योंकि यही उनकी नीति है।

महोदय, दूसरी बात जो मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं वह यह है कि एल.आई.सी. कर्मचारी बीमा में इस एफ.डी.आई. के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। बीमा एजेंटों की पूरी कार्यप्रणाली को कानून से बाहर कर दिया गया है और इसे आई.डी.आर.ए. के हाथों में सौंप दिया गया है। जब किसी व्यक्ति की कार क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसे सबसे पहले एक सर्वेक्षक के पास जाना होगा, जो नुकसान का आकलन करेगा। अब उनके कारोबार को भी कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया है। यह किसकी सहायता के लिए है?

कुछ बीजेपी नेता मुझसे कह रहे थे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश आएगा। लेकिन आप कभी भी विदेशी कंपनियों पर स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में भरोसा नहीं कर सकते। ज्यादातर बीमा कंपनियां लोगों के साथ धोखा करती हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में वे कहते हैं कि नकद रहित इलाज देंगे, लेकिन बाद में दावा अस्वीकार्य बता देते हैं।

महोदय, मैं युवा मंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को जल्दबाजी में आगे न बढ़ाएं, क्योंकि यह अंततः राज्य सभा में अवरुद्ध हो सकता है। अतः मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि वे व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर संपूर्ण बीमा क्षेत्र, विशेषकर जीवन बीमा को भी शामिल करते हुए, एक समग्र और संतुलित विधेयक प्रस्तुत करें। साथ ही, इस महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनियंत्रित प्रवेश को रोकना उनका कर्तव्य होगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अभी श्री सौगत राय जी बैठते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उन्होंने कुछ बातें उठाई थीं, तो उनको सुनना भी चाहिए था। मैं समझता हूं कि यह विधि आयोग के परामर्श से लाया गया है। यह नया नहीं है, यह वर्ष 1938 के बिल को परिवर्तन करने के लिए लाया गया है। चाहे वह 1 जून, 2004 का रहा हो, वर्ष 1938 के निरर्थक उपबंधों को हटाने और नये उपबंधों को जोड़ने का रहा हो, चाहे 7 मार्च, 2005 को गठित के.पी.एन. समिति का रहा हो, चाहे 26 जुलाई, 2005 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विषय रहा हो, चाहे वर्ष 2006 में विधि संशोधन विधेयक तैयार करने का विषय रहा हो, चाहे उसके बाद मंत्रिमंडल में जाने का विषय रहा हो, 22 दिसम्बर, 2008 को विधेयक राज्य सभा में पुनस्थारपित होता है, फिर वित्त समिति को जाता है। 13 दिसम्बर, 2011 को समिति अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर देती है। 14 नवम्बर, 2012 और उसके बाद समय-समय पर आने वाले और उस पर भी 88 संशोधन रख दिये जाते हों। इतना ही नहीं, 14 अगस्त, 2014 को डॉ. चन्दन मित्रा जी की अध्यक्षता वाली समिति भी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती हो, तो मैं समझता हूं कि वर्ष 2002 और वर्ष 2004 से लेकर अभी तक उसकी कवायद हो रही है और लगातार इसे इस दिशा में प्रस्तुत होना चाहिए। उसके बाद वर्ष 2014 को अध्यादेश अनुमोदित हुआ और राष्ट्रपति जी ने 26 दिसम्बर, 2014 को जो अध्यादेश प्रवृत्त किया है, उसी को माननीय मंत्री जी इस संशोधन के साथ इस सदन में लाये हैं। मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं कि इस देश में जो बीमा क्षेत्र है, उसमें निवेश 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की जरूरत थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वर्ष 1999 के बाद, इन चौदह सालों में कुछ नहीं हुआ। केवल छः एजेंसियाँ थीं और उसके बाद जो हुआ, उसमें जब निजी क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में लाया गया, यदि उन दोनों की समीक्षा की जाए, तो उसमें जमीन और आसमान की समीक्षा होती है। मैं यह समझता हूं कि इस निर्णय से, जो बीमा नियमन प्राधिकरण है, को आधिकार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कंपनियों को बढ़ाने की कवायद को बल मिलेगा और इतना ही नहीं, कई बार मैं समझता हूं कि श्री सौगत राय जी दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि भारत केवल ऐसा देश है, जो बीमा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि कोरिया, ताईवान, मैक्सिको आदि देशों में बीमे क्षेत्र में शत-

प्रतिशत विदेशी एजेंसियों को छूट है, मलेशिया में 70 प्रतिशत है, फिलीपींस में 51 प्रतिशत है, चीन ने 50 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी है।

विश्व की तुलना में भारतीय बीमा क्षेत्र में वृद्धि बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश आने से कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो इन कंपनियों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का एक नया आयाम लिखा जा सकेगा। क्या हमें आज यह मालूम नहीं है कि भारत में केवल 20 प्रतिशत लोगों को भी अभी तक बीमा उपलब्ध नहीं है, जबकि अमेरिका 90 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा और बीमा दे रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके आने से उच्चतम प्रौद्योगिकी और संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ सकेंगे, वैश्विक स्तर पर कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, जिसके चलते इस क्षेत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता होगी एवं बेहतर निगरानी तंत्र की स्थापना हो सकेगी। अभी माननीय सदस्य आदरणीय सिन्हा जी की चर्चा कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में जब संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति आदरणीय सिन्हा जी थे, उस समय उन्होंने कहा था:

> "पूरी दुनिया में प्रगति हो रही है, कितने ही प्रकार के बीमा उत्पाद विभिन्न देशों में उपलब्ध हैं, परन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में वे उपलब्ध नहीं हैं। देश में बड़ी जनसंख्या को स्वास्थ्य बीमा से कवर किया जा सकता है। बीमा कंपनियां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन उपलब्ध करवा सकती हैं। जिन लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उन्हें बीमा कंपनियों द्वारा लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए हमें बीमा क्षेत्र को खोलना होगा।"

यह बात उन्होंने कही थी। इतना ही नहीं, चार अक्टूबर, 2012 को पी. चिदम्बरम जी ने कहा था कि बीमा क्षेत्र में पूंजी की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए विदेशी निवेश की नितान्त आवश्यकता है।

महोदय, लगातार इस क्षेत्र में लोगों ने अपनी सहमति, टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को यदि यह सरकार राष्ट्र की प्रगति के लिए एक प्रारूप के रूप में ला रही है तो मैं समझता हूं कि यह स्वागत योग्य है। जन-धन योजना का जो विषय है, इस देश में प्रधान मंत्री जन-धन योजना में लगभग 100 दिनों में लगभग 12.5 करोड़ लोगों तक पहुंच गयी तो इतने बड़े देश में अंतिम छोर तक के व्यक्ति को कैसे बीमा

मिले, कैसे उसके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो, यह बहुत जरूरी है और यह तभी संभव है, जब यहां विदेशी निवेश आएगा। इससे नौकरियां सृजित होंगी, विदेशी निवेश से देश में रिस्क मैनेजमेंट की उच्चतम परम्पराओं को हम स्थापित कर सकेंगे। उद्योग जगत ने भी इसको अपना समर्थन दिया है। विशेषकर नियामक एजेंसी के सभापति जे.हरिनारायण जी ने भी कहा है कि विदेशी निवेश की परम आवश्यकता है। वर्तमान में देश में लगभग 52 बीमा कंपनियां हैं, उनमें से 14 जीवन बीमा और 28 गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में यह ऊंट के मुहं में जीरे के समान है। मैं समझता हूं कि एल.आई.सी. के द्वारा बहुत काम हुआ, लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होगी तो यह काम बहुत उंचाइयों तक जाएगा और विदेशी निवेश के आने से और जो उपबंध माननीय मंत्री जी लाए हैं, उससे इंश्योरेंस क्लेम के भुगतान में होने वाला विलंब कम होगा। दुर्घटना होने के दो साल-तीन साल तक पैसा नहीं मिलता था। इस पर अब समय की पाबंदी होगी और एक निश्चित अंतराल के अंदर पैसा मिलेगा। बीमा उत्पादों का नवीनीकरण भी होगा, प्रभावी वित्त नियंत्रण प्रणाली का विकास होगा और गांवों एवं शहरों में बीमा कंपनियों का जाल बिछाने से वहां उनके कार्यालय खुलेंगे, रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लाखों अवसर पैदा होंगे। इससे बीमा से अछूते देश के 80 प्रतिशत से भी आधिक लोगों को बीमा क्षेत्र से जोड़ने में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के चलते बीमा क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र की तरह ग्राहक सेवा के उच्चतम मानदण्ड हम स्थापित कर सकेंगे। जब बैंकों में ऐसा हुआ था, तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह बहुत अच्छा संशोधन है और इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरुवनंतपुरम): सभापति महोदय, सत्ता पक्ष की खाली बेंचों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस सदन के सदस्यों से नहीं, बल्कि इसकी मद्धम पड़ती चेतना से संवाद कर रहा हूं।

वैसे भी, माननीय सभापति महोदय, यह स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक विषमता है कि सरकार ने इस सदन में बीमा (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि इसी प्रकार का एक विधेयक पहले से ही राज्य सभा, अर्थात उच्च सदन में लंबित है। दोनों विधेयकों की विषयवस्तु एक जैसी है और इन्हें देश के बीमा क्षेत्र में सुधार लाने के एक ही उद्देश्य से पेश किया गया है।

मैंने यहां संवैधानिक शब्द का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि ऐसा करके सरकार ने वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 107 के सरल और स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत काम किया है, जो एक विधेयक पारित करने की प्रक्रिया को बताता है। अनुच्छेद 108 आगे उस स्थिति का वर्णन करता है जहां विधेयक एक सभा द्वारा पारित किया गया है और उसे दूसरे सभा में प्रेषित किया जाना है। हमारे संविधान की स्पष्ट मंशा है कि विधेयक को एक सभा में पारित होने के बाद ही एक सभा से दूसरे सभा में भेजा जा सकता है।

यहाँ एक विधेयक एक सभा में लंबित है और वही विधेयक दूसरी सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, यह संवैधानिक प्रथा के दृष्टिकोण से पूर्णतः अनुचित है। जब राज्य सभा ने अभी तक बीमा (संशोधन) विधेयक पारित नहीं किया है, तो हम इसे इस सदन में पारित करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? सरकार की स्थिति यह है कि चूंकि राज्य सभा का विधेयक वर्ष 2014 का है और लोक सभा का विधेयक वर्ष 2015 का, इसलिए तकनीकी रूप से यह दो भिन्न नाम और दो भिन्न विधेयक हैं।

हम सदैव से जानते हैं कि यह सरकार, माननीय सभापति महोदय, केवल नाम परिवर्तन करने वाली सरकार है, वास्तविक परिवर्तन लाने वाली नहीं। तथापि, दोनों विधेयकों की विषय-वस्तु समान ही है। इसलिए वह विधेयक राज्य सभा का अधिकार है, और अगर हम राज्य सभा के अधिकारों का सम्मान करना चाहते हैं, तो इस सदन में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। या फिर क्या हमें यह मानना होगा कि सरकार को संसद के दोनों सदनों पर पूरा नियंत्रण मिल गया है? यह एक गंभीर प्रश्न है, महोदय, क्योंकि राज्य सभा में

विधेयक पारित करने में सरकार की असमर्थता ने हमें अनावश्यक विचार-विमर्श में धकेल दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अधिकांश सदस्य बहिष्कार कर रहे हैं।

मुझे नहीं पता कि मुझे इस विधेयक पर उस ईमानदारी और गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए या नहीं जो ऐसे मुद्दे के लिए आवश्यक है क्योंकि सरकार अंततः इस विधेयक को वापस लेने और राज्य सभा के समक्ष लंबित संस्करण को अपनाने का विकल्प चुन सकती है।

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): सभापति महोदय, सभा में गणपूर्ति का अभाव है। मेरे मित्र भाषण दे रहे हैं। यह भाषण किसे संबोधित है? सत्ता पक्ष की सीटें भी रिक्त हैं। सदन में गणपूर्ति नहीं है। जब मेरे मित्र ने अपना भाषण आरंभ किया था तब सदन में गणपूर्ति नहीं थी, वर्तमान में भी यही स्थिति है, और भविष्य में भी सदन में गणपूर्ति नहीं होगी।

डॉ. शशि थरूर: महोदय, कृपया सदन में गणपूर्ति को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि मुझे अपनी फ्लाइट पकड़नी है।… *(व्यवधान)*

डॉ. ए. संपत: गणपूर्ति सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य नहीं है। गणपूर्ति सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है।

माननीय सभापति: गणपूर्ति पूरी हो गई है। अब वे जो कुछ भी कहेंगे, उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त पर नहीं जाएगा।

(व्यवधान) … *

डॉ. शशि थरूर: चूंकि हमने चर्चा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, इसलिए मैं अब अपना तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं, सभापति महोदय।

हम सभी जानते हैं कि बीमा एक बहुआयामी अवधारणा है, जो सामाजिक हितों की पूर्ति करती है, देश में वित्तीय संस्थानों के विकास के लिए नई पूंजी का स्रोत प्रदान करती है, जोखिम को कम करती है

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

और लोगों को अनपेक्षित क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रेरित करती है। यह सब अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

मुझे आश्चर्य है कि सत्ता पक्ष ने अभी तक बीमा की शुरुआत मनुस्मृति, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र से नहीं जोड़ी है। अगर वे ऐसा करते, तो उनकी बात सही होती। प्राचीन ग्रंथों में आग और बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान पुनर्वितरण के लिए संसाधनों को एकत्रित करने की प्रथा का उल्लेख है। निःसंदेह आधुनिक बीमा प्रणाली प्राचीन बीमा से बहुत भिन्न होगी, लेकिन मूल विचार वही रहता है।

बीमा का उद्देश्य लोगों के हितों की सुरक्षा करना है, ताकि नुकसान और अनिश्चितता से बचाव हो सके, और यह जोखिमों को अनेक लोगों में विभाजित करके संभव होता है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह बड़ी पूंजी को अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास के लिए केंद्रित करता है तथा देश की जोखिम लेने की क्षमता को सुदृढ़ बनाता है। यह रोजगार का एक स्रोत है, यह अतिरिक्त नौकरियां सृजित करता है, और यह हमें नए उद्यमों के लिए पूंजी जुटाने में मदद करता है।

मैं चिकित्सा बीमा की आवश्यकता के बारे में बात करना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में बढ़ती चिकित्सा लागत ने उचित चिंता उत्पन्न कर दी है। सच कहूं तो सभापति महोदय, सच तो यह है कि हमारे देश में दोहरी त्रासदी है। बहुत से लोग बीमारी से दिवालिया हो जाते हैं। पहले वे अस्वस्थ हो जाते हैं, जिससे उनकी अर्जन क्षमता कम हो जाती है, और फिर बीमारी का इलाज कराने के लिए अपनी बचत खो देते हैं। इसलिए, स्वास्थ्य बीमा अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आप अपनी कार्यशील आबादी को अत्यधिक ऋण के बोझ से बचाना चाहते हैं।

फिर भी, हमारी 90 प्रतिशत आबादी के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। वास्तव में इस देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च का 70 प्रतिशत हिस्सा व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इसलिए आत्मनिर्भर क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है। यही कारण है कि यू.पी.ए. सरकार ने सबसे पहले इस विधेयक का अपना संस्करण प्रस्तुत किया।

भारतीय बीमा उद्योग एक अशांत स्थिति से गुजर रहा है। यह धीमी वृद्धि, बढ़ती लागत, बिगड़ती वितरण प्रणाली और रुके हुए सुधारों से प्रभावित है। इसी कारण वर्ष 2008 में हमने राज्यसभा में एक बीमा

(संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया था। उस समय सत्ता पक्ष की ओर से मुख्य विपक्षी दल ने इसका विरोध किया था, जो आज सत्ता पक्ष में है। वे चाहते थे कि हम बीमा क्षेत्र में सुधार न करें। सच कहूं तो यह अवसरवादिता की राजनीति है, सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। आज, हम देख रहे हैं कि सरकार में बैठे वही लोग न केवल हमारे सुधारों को स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए एक विधेयक भी ला रहे हैं। आपका दृष्टिकोण इस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बैठे हैं। अब जब वे वहाँ बैठे हैं, तो उनका दृष्टिकोण भी बदल गया है।

विपक्ष में रहते हुए इस सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. का बार-बार विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि वे लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब जाहिर तौर पर उन्हीं लोगों के वही हित इस सरकार के लिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं क्योंकि वे बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. लाने के लिए प्रत्येक सदन में एक नहीं बल्कि दो विधेयक ला रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब विदेशी पूंजी का प्रवाह और बीमा कंपनियों की बैलेंस शीटें, भाजपा के लिए उनके पहले के सिद्धांतों से अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे बीमा में एफ.डी.आई. के सिद्धांत से कोई समस्या नहीं है। एफ.डी.आई. को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना भी हमारा प्रस्ताव था। हम बीमा क्षेत्र में अधिक पूंजी लाना चाहते थे। इस तथ्य के कारण कि इस क्षेत्र में पहले से ही आए सुधारों के कारण, बीमा कंपनियों की संख्या वर्ष 1999 में 9 राष्ट्रीयकृत कंपनियों से बढ़कर वर्ष 2014 तक 53 कंपनियों तक पहुंच गई है। वे सभी सुधार जो हम लाना चाहते थे, लाए जा सकते थे, अगर यह पार्टी जो अब ट्रेजरी बेंच में बैठी है, ने विरोध नहीं किया होता और 6 साल तक यू.पी.ए. के विधेयक में बाधा नहीं डाली होती। हालाँकि, उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने हमारा विधेयक ले लिया है और इसमें लगभग 100 अनावश्यक संशोधन जोड़ दिए हैं। अब इस विधेयक को एनडीए सरकार ने नए नाम और रूप में पेश किया है। यह सरकार चीज़ों को नया पैकेज देकर पेश करने में माहिर है।

वे न केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि विदेशी संस्थागत निवेश को भी अनुमति देना चाहते हैं। यह संयोजन चिंताजनक है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेश विदेशी निवेश का एक अत्यंत अस्थिर रूप है। यह विदेशी निवेश का ऐसा तरीका है जो सट्टा खेलने जैसा होता है। पोर्टफोलियो

निवेश को जल्दी से वापस लिया जा सकता है और तुरंत बाहर भेजा जा सकता है। दरअसल, विदेशी संस्थागत निवेश को हम 'वित्तीय पर्यटन' की तरह समझ सकते हैं। वे जब चाहें अल्पकालिक वीजा पर आ-जा सकते हैं। क्या देश इसे वहन कर सकता है? तथ्य यह है कि एफ.आई.आई. के अंतर्गत धन आम तौर पर द्वितीयक बाजार में प्रवाहित होता है। इसलिए, वे एफ.डी.आई. की तुलना में बीमा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं जो सीधे बीमा कंपनियों को बढ़ावा देगा। इसलिए, हमने यू.पी.ए. के विधेयक में तर्क दिया कि बीमा कंपनियों के लिए केवल एफ.डी.आई. के माध्यम से धन जुटाना पर्याप्त है और एफ.आई.आई. की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है। एफ.आई.आई. और एफ.डी.आई. दोनों को साथ में रखना चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारतीय बाजार कमजोर हो जाते हैं और वैश्विक असुरक्षाओं तथा अस्थिरताओं के अधीन हो जाते हैं, जिसका हमने पहले विरोध किया था। अंततः, यह वही बात थी जिसे भाजपा के माननीय श्री यशवंत सिन्हा जी ने मई 2012 में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था — जिसका उल्लेख श्री पोखरियाल जी ने पहले ही किया है। मैं उनके पुत्र, जो हमारे सामने बैठे युवा मंत्री हैं, से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस विषय में अपने पिता की दूरदर्शिता से मार्गदर्शन लें। वास्तव में, हमने 2008 से शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट के दबाव और तनाव को इसलिए सहन किया क्योंकि हम इन चीज़ों को जोड़ने से बचने में सफल रहे। हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार के प्रति अपनी संवेदनशीलता को कम किया। जो कुछ भाजपा सरकार कर रही है, वह बिना किसी सटीक या भरोसेमंद अनुमान और संभावित लाभ के जोखिम बढ़ाना है।

इस बीच, वे एक बड़ी विरोधाभासी स्थिति में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्र में इस पूरी व्यवस्था को कमजोर कर दिया है, जो दोनों दुनिया की सबसे खराब स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, उनके पास बड़ी संख्या में विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, लेकिन दूसरी ओर, वे अत्यधिक कड़े नियम भी लागू कर रहे हैं क्योंकि वे नए प्रतिबंध लगा रहे हैं जो यूपीए के विधेयक में नहीं थे, जिससे विधेयक का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो रहा है। मैं आपको कुछ त्वरित उदाहरण दूंगा। उन्होंने विदेशी निवेशकों के लिए प्रतिबंध लगाए। वे अब पूर्ण भारतीय प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं। विदेशी शेयरधारक सी.ई.ओ. की नियुक्ति नहीं कर सकते। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पैसा लाएँ लेकिन कंपनी में उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी शेयरधारक बिना किसी नियंत्रण के निवेश करने को तैयार होंगे, यह एक संदिग्ध संभावना

लगती है। फिर उन्होंने वास्तव में यह आवश्यक कर दिया है कि बीमा कंपनियों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को वार्षिक शुल्क का भुगतान करना होगा और यदि ऐसा करने में कोई विफलता होती है, तो तुरंत उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उन लोगों का क्या होगा जिनका बीमा इन कंपनियों ने किया है?

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

डॉ. शशि थरूर: मुद्दा यह है कि भाजपा सरकार लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। मैं मुश्किल से 6-7 मिनट ही बोला हूं। मुझे उम्मीद थी कि इस चर्चा को शुरू करने के लिए मेरे पास अपनी पार्टी के लिए और भी बहुत कुछ होगा। … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है और आपने अनुमति दे दी है और बात करने वाला कोई नहीं है। कम से कम सरकार के माननीय सदस्यों को हमारे सुझावों को सुनना चाहिए। हम वह जानते हैं अगर हम ना बोलेंगे तो भी यह बिल पास हो जाएगा और हां बोलेंगे तो भी पास हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम हमारी बात तो सुनिए। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि उन्हें लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति: मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। उन्हें बोलने दें।

डॉ. शशि थरूर: एक अतिरिक्त जोखिम यह भी है कि इस बात की कोई स्पष्ट गारंटी नहीं है कि एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. निवेश वास्तव में बीमा क्षेत्र में नई पूंजी या धन प्रवाह लेकर आएंगे। माननीय मंत्री महोदय, क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए कानून में कोई ठोस प्रावधान कर सकते हैं कि एफ.डी.आई. का उपयोग केवल मौजूदा भारतीय शेयरधारकों को अपने शेयर विदेशी संस्थाओं को बेचने और बाजार से बाहर निकलने के साधन के रूप में न किया जाए? यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि एफ.डी.आई. और एफ.आई.आई. केवल नए शेयरधारकों की भागीदारी और बीमा उद्योग में नई पूंजी के प्रवाह तक ही सीमित रहें। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इन सभी प्रावधानों पर गंभीरतापूर्वक विचार करें।

मैं कुछ अन्य बिंदुओं को इस समय छोड़ रहा हूं, लेकिन उन्हें मंत्री महोदय को सौंपने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं उन्हें इस विधेयक में शामिल दंडात्मक रवैये के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं - दंड में भारी वृद्धि, लागू जुर्माना, अधिनियम के अंतर्गत कुछ उल्लंघनों के लिए कारावास की अवधि - मुझे उन धाराओं के बारे में कई विवरण मिले हैं जिनमें यह सब सूचीबद्ध - जुर्माने की ऊपरी सीमा 5 लाख रुपये से 25 करोड़ रुपये तक जा रही है। यह यू.पी.ए. के विधेयक में 5 लाख रुपये था लेकिन उनके विधेयक में 25 करोड़ रुपये था। ये अपराध की प्रकृति की दृष्टि से उचित नहीं हैं। मैं मंत्री जी से प्रस्तावित जुर्माने की समीक्षा करने का आग्रह करूंगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जुर्माना वास्तव में एक प्रभावी निवारक के रूप में कार्य करता है और अपराधियों को दंड देने वाले अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए मजबूर नहीं करता है, क्योंकि उच्च अपील दर से राजकोष पर केवल अधिक खर्च आएगा और सरकार को जुर्माने के माध्यम से राजस्व जुटाने में मदद नहीं मिलेगी। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुझे अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए बुलाना है।

... (*व्यवधान*)

डॉ. शशि थरूर: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। ... (*व्यवधान*)

स्वास्थ्य बीमा के लिए न्यूनतम इक्विटी पूंजी को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये है लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था हमें अधिक भारतीयों के लिए स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता है। क्या हम चाहते हैं कि और अधिक भारतीय बीमारी से दिवालिया हो जाएं? सरकार को देश की जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इक्विटी पूंजी की आवश्यकता रुपये पर बनाए रखी जा सकती थी, बीमा कंपनियों के लिए स्वास्थ्य बीमा में आना आसान बनाने के लिए यू.पी.ए. के विधेयक की तरह 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: कृपया अब समाप्त करें। मैं डॉ. पी. वेणुगोपाल को बुलाने जा रहा हूं।

... (*व्यवधान*)

डॉ. शशि थरूर: मैं अपनी आखिरी बात कह रहा हूं. … (*व्यवधान*)

मैं यह विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि ये सब करने के बजाय वे वास्तव में नियामक पक्ष को सशक्त बना सकते थे। आई.आर.डी.ए. को चिकित्सा संघ की सलाह से आवश्यक नियम बनाने का अधिकार दिया जा सकता था। उन्होंने इस पहलू पर विचार नहीं किया। यह एक सरल और प्रभावी उपाय हो सकता था।

उनके पास अपर्याप्त अपीलीय प्राधिकरण है। अपीलों को सुनने के लिए उन्होंने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को नियुक्त किया है, लेकिन इस न्यायाधिकरण में किसी भी बीमा विशेषज्ञ को शामिल करने का प्रावधान नहीं किया गया है। जब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में बीमा क्षेत्र के कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, तब बीमा संबंधी अपीलों का उद्देश्य कैसे पूरा हो सकेगा? पैनल में आवश्यक विशेषज्ञता का अभाव इस व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

मुझे उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर विचार करेगी। मुझे मंत्री महोदय को अधिक जानकारी देने में खुशी हो रही है क्योंकि आपने मेरा समय कम कर दिया है, सभापति महोदय, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यद्यपि हम विधेयक के सार और सिद्धांतों के पक्ष में थे, लेकिन हमारे द्वारा बताई गई समस्याएं इससे हमारे लिए मौजूदा स्वरूप में विधेयक का समर्थन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय सभापति: डॉ. शशि थरूर, कृपया अपनी बात समाप्त करें। मैंने एक और माननीय सदस्य को बुलाया है।

… (*व्यवधान*)

डॉ. शशि थरूर: मैं केवल यह जोर देना चाहता हूं कि मेरे संक्षिप्त विचारों में प्रस्तुत कारणों के आधार पर, हम इस विधेयक को उस स्वरूप में समर्थन देने में असमर्थ हैं जैसा कि यह सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

धन्यवाद, महोदय।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): सभापति महोदय, बीमा कानूनों में संशोधन के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में बीमा क्षेत्र पर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसीलिए हम लंबे समय से इन संशोधनों को लाने का इंतजार कर रहे थे।

<u>**अपराह्न 3.53 बजे**</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

जहां तक ए.आई.ए.डी.एम.के. का प्रश्न है, हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बचाने और अपने कार्यबल के हितों को बचाने के पक्ष में हैं। इसीलिए हमारी नेता पुरात्ची थलाइवी अम्मा जी ने नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के पांच प्रतिशत शेयर बेचने के समय हस्तक्षेप किया। इस प्रकार, तमिलनाडु सरकार ने लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को ऐसे निजी स्वामित्व वाले उद्यमों के नियंत्रण से बचाया जो कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता नहीं देते। इस विधेयक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें सहकारी समितियों को बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है।

हम दोहराते हैं कि हमारी ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी की प्रतिबद्ध नीति सेवा क्षेत्र में भी हमारे लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों की रक्षा करना है।

हमने कई क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। अब हम बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमा कंपनी के संपूर्ण वित्तीय संचालन का प्रमुख घटक मूल देश के पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किए गए धन से आता है। विदेशी कंपनियों का एफडीआई अधिकतम रूप में इक्विटी पूंजी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो केवल कागजों तक सीमित है। जैसे ही विदेशी बीमा कंपनियों को पता चला कि कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं, उन्होंने अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने के लिए सामने आने की खबरें आई हैं। दूसरे सभा द्वारा गठित प्रवर समिति ने संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया और क्या यह वास्तव में एक संतुलित रूप में समाप्त होगा, यह अब चर्चा का विषय है।

इस संशोधन के लागू होने के बाद विदेशी कंपनियां किसी भी बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक कर सकती हैं। विदेशी कंपनियाँ भारत में पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अपनी

शाखाएँ संचालित कर सकती हैं। फिर पुनर्बीमाकर्ता के रूप में विदेशी बीमा कंपनियों को बीमा कंपनियों का बीमा करने की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि हम उन्हें केवल नियंत्रण का हिस्सा ही नहीं, बल्कि पूरी जिम्मेदारी और अधिकार दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कई क्षेत्रों को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया है।

महोदय, इस विधेयक में पहली बार स्वास्थ्य बीमा को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, बीमा कंपनियों द्वारा एजेंटों की नियुक्ति के मामले में तमिलनाडु ने संशोधन में बदलाव का सुझाव दिया है। इस अनुरोध को वर्ष 2014 अध्यादेश और वर्ष 2015 विधेयक की प्रस्तावित धारा 42 में समायोजित और शामिल किया गया है। तमिलनाडु में लगभग 1.4 करोड़ परिवार मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना और सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। ये योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। हालांकि, अन्य 60 लाख या अधिक परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता है और वे बीमाकर्ताओं से संपर्क करेंगे। इस समय, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के माध्यम से की जाती हैं।

यह भी अनिवार्य किया जाना चाहिए कि एफ.डी.आई. वाली बीमा कंपनियों को एल.आई.सी. और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों की तरह ही विकासात्मक योजनाओं को वित्तपोषित करना चाहिए।

महोदय, मेक इन इंडिया माल निर्माण क्षेत्र का एक उद्यम है। यह सेवा क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। यह केवल भारत में पैसा कमाने और फिर आसानी से बाहर निकल जाने की बात है। केवल तमिलनाडु ही नहीं, पूरे देश को यह पता है कि हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कुछ बुरी अनुभवें हुई हैं और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए, मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं।

इस संशोधन विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य कंपनियों के अधिग्रहण को अन्य प्रतिस्पर्धी पक्षों द्वारा रोका जाना है। हालांकि, दीर्घकालीन रूप से क्या समान प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी, यह अभी अनिश्चित है और चिंता का विषय है। साथ ही, इस विधेयक में लॉयड्स ऑफ लंदन के सदस्यों द्वारा धारण की गई पॉलिसियों के भविष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

इस विधेयक में एक विरोधाभास भी है। जबकि विधेयक एक पॉलिसीधारक को सभी अधिकार किसी तीसरे पक्ष को सौंपने की अनुमति देता है, वही विधेयक कहता है कि बीमाकर्ता ऐसे हस्तांतरणों की वैधता को इनकार या अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार, यह कानूनी चुनौती के अधीन है।

एक बार यह संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) के निर्णयों की प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षा की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से एस.ए.टी. में बीमा कानून में अनुभव रखने वाला कोई मौजूदा सदस्य नहीं है। यह आई.आर.डी.ए. अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को बीमा अधिनियम के साथ विलय करने के विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के विपरीत है।

जो सदस्य इस विधेयक को 22 दिसंबर, 2008 को राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने पर संदेह या विरोध व्यक्त करते थे, वे अब विधेयक के पक्ष में आकर अपनी बैठकों को बदल चुके हैं। यह अभी देखने का विषय है कि क्या उन सभी आशंकाओं का समाधान हुआ है।

जहां तक तमिलनाडु सरकार का सवाल है, जनता की मुख्यमंत्री, हमारी प्रिय नेता अम्मा जी द्वारा निर्देशित, हमारे किसानों की चिंता सबसे महत्वपूर्ण है।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा मानना है कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए फसल बीमा ही एकमात्र कवर है। इसलिए, तमिलनाडु सरकार राज्य के किसानों को राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के बजाय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) से बचाना चाहती है। केंद्र अब एन.सी.आई.पी. पर जोर दे रहा है और इससे किसानों पर प्रीमियम का बोझ बढ़ जाएगा।

नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट इस संशोधन विधेयक का आधार है और इसने सिफारिश की है कि पॉलिसीधारक अपनी शिकायतों के साथ उपभोक्ता अदालतों का रुख कर सकते हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक न तो इसे मजबूत कर रहा है और न ही इसके स्थान पर एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्राधिकरण (जी.आर.ए.) स्थापित कर रहा है। इसके बजाय, मौजूदा व्यवस्था को कुछ बदलावों के साथ जारी रखा जाना चाहिए।

यह विधेयक बीमा क्षेत्र को मजबूत करने और अधिक एफ.डी.आई. को आमंत्रित करने वाला प्रतीत हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा तब तक हो सकता है जब तक अन्यथा हम अपने लोगों के प्रबंधकीय और विपणन कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं करते। हमें अपने देश में उपलब्ध क्षमता और विशाल संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए।

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, किसी पॉलिसी को दो साल की बजाय पांच साल की अवधि तक चुनौती दी जा सकती है। तथ्यों के बेमेल या अशुद्धि के कारण अब दो साल के बाद भी पॉलिसियों को रद्द करना संभव हो गया है। इस सूचना युग में प्रारंभिक चरण में ही भौतिक तथ्यों की सटीकता की पुष्टि आसानी से की जा सकती है। तो ऐसी दीर्घकालिक छूट देने की क्या आवश्यकता है? मुझे डर है कि इससे बीमाकर्ताओं को पालिसी धारकों के साथ अपनी मनमानी करने का अवसर मिल सकता है।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब बीमा एजेंटों के लिए आई.आर.डी.ए. द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। टैरिफ सलाहकार समिति को भी हरी झंडी दे दी गई है। आई.आर.डी.ए. की भूमिका को कमजोर किया जा रहा है। इसके स्थान पर जीवन एवं सामान्य बीमा परिषदों की स्थापना की जाएगी। मुझे आशंका है कि इससे कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र से अधिक बीमा क्षेत्र में व्यक्तियों की नियुक्ति को अधिक पेशेवर बनाने की जरूरत है। वैसे तो बीमांकिक विज्ञान नामक अध्ययन की शाखा पूरे एशियाई क्षेत्र में केवल हमारे देश में ही अच्छे ढंग से पढ़ाई जाती है।

मुझे आश्चर्य है कि यह संशोधन बीमांकिक विज्ञान संस्थानों से प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को क्यों नहीं ध्यान में रखता। यह समझना आवश्यक है कि हम केवल तभी उपयुक्त योग्यताओं वाले उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त स्थान पर नियुक्त कर सकेंगे, जब हम यह स्वीकार करें कि हमारे पास प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध है। हमें अपने युवाओं को यह दिखाना होगा कि उनके सामने किस प्रकार रोजगार के व्यापक अवसर खुल सकते हैं। हमारी विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, देश में इस अध्ययन शाखा को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।

अब विनियम बनाने का अधिकार विनियामक संस्था आईआरडीए से हटा लिया गया है। वहीं, इसे केवल सर्वेयरों और हानि आकलनकर्ताओं के लिए शैक्षणिक योग्यताओं और आचार संहिता से संबंधित विनियम बनाने की अनुमति दी गई है। मुझे आशंका है कि क्या नई बीमा कंपनियां आई.आर.डी.ए. की भूमिका पर ध्यान देंगी। फिर भी, सरकार घरेलू पूंजी बाजारों तथा देश में उपलब्ध प्रतिभाओं के उपयोग पर विचार कर सकती है। स्थायी समिति ने भी इसे अपनी प्रमुख सिफारिशों में स्थान दिया है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत, यह उम्मीद की गई थी कि यह संशोधन विधेयक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए बीमारी लाभों को कवर करेगा। लेकिन इस संबंध में स्थायी समिति की सिफारिश की अनदेखी की गयी है। इसका मतलब है कि हमें हर बार जब हम हवाई यात्रा करते हैं, तो बीमा करवाने के लिए अलग से जाना पड़ता है। खासकर अगर हम विदेश यात्रा कर रहे हों, तो हर बार अलग बीमा लेना होता है। इस समस्या को पहले से ही हल किया जा सकता था।

एक बार फिर मैं राष्ट्रपिता की उस धारणा को दोहरा रहा हूं कि किसी भी व्यवसाय या इस कारण से किसी भी क्षेत्र में पुरुषों के मन में ग्राहकों की सेवा करना सर्वोपरि होना चाहिए। मैं सरकार को याद दिला रहा हूं कि अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बीमा अधिनियम को नए रूप में लागू करने में सावधानी बरतें।

अपनी उचित आशंकाओं को व्यक्त करते हुए और अध्यक्षपीठ को फिर से धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, चूंकि सदन में बहुत कम सदस्य मौजूद हैं, तो हम चर्चा को स्थगित क्यों नहीं कर सकते?

माननीय उपाध्यक्ष: नहीं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, यह जो बीमा बिल आया है और यह जिस फ्रेम में आया है, हम उसका विरोध करते हैं। इस बीमा बिल से सबसे पहले तो यहाँ बेरोज़गारी बढ़ेगी। अपने देश के नौजवानों और काम करने वाले समुदाय के जो लोग हैं, वे बेरोजगार होंगे। विदेशी कम्पनियाँ यहाँ अपने एक्सपर्ट लोगों के साथ आएंगी और हमारे देश में अपनी ताकत को फैलाएंगी यानी एक तरह से उपनिवेश बनाएंगे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में न्यौता दिया जा रहा है कि आप आएं और हमारे यहाँ अपने कारोबार को बढ़ाएं। विश्व का बाजार भारत को हमें नहीं बनाना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ फटेहाली है, जहाँ लाचारी है, जहाँ स्किल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं, अपने देश में हम मेक इन इन्डिया की बात करते हैं और हम विदेशी कम्पनियों को न्यौता देते हैं और न्यौता भी ऐसा देते हैं कि 26 से 49 पर चले आइए। आप वहाँ पहुँच जाइए। आपको खुली छूट है, हमारे यहाँ आप अपने पैरों को पसारिए और अपने कारोबार को बढ़ाइए। इतनी बड़ी उदारता नयी सरकार के द्वारा, नयी हुकुमत के द्वारा की जा रही है, जो उचित नहीं है और हम इसका विरोध करते हैं। इससे स्थानीय रोजगार खत्म होगा, स्थानीय स्किल खत्म होगा, धन भी बाहर से आएगा और यहाँ का जन भी लाचार होगा। एक तरफ आप जन धन योजना भारत को बनाने के लिए चला रहे हैं, वहीं पर आप धन बाहर से ला रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार विदेशी कम्पनियों के द्वारा होगा, उनके लोगों के द्वारा होगा। यहाँ पर बेरोजगारी का सवाल आएगा, यहाँ पर उनके मेहनताना का सवाल आएगा, उनके वेतन का सवाल आएगा और यह तय होगा कि उन्हें वेतन दिया जाए या कमीशन दिया जाए। इससे हमारे यहाँ के लोगों की असुरक्षा भी बढ़ेगी। बीमा कम्पनी के द्वारा जो धन लगाया जाएगा, वह धन वापस विदेश लौटकर जाएगा।

हमें यहां जिस प्रकार से शक्ति मिलनी चाहिए, जिस तरह से यहां के नौजवानों को ताकत मिलनी चाहिए, वह 49 प्रतिशत की भागीदारी होने की वजह से नहीं मिलेगी। नई हुकूमत के द्वारा यह जो बिल लाया गया है और बीमा योजना में 49 परसेंट की भागीदारी देने का काम हुआ है तथा जिस स्वरूप में लाया गया है, मैं मानता हूं कि यह कहीं से भी उचित नहीं है। इससे देश को नुकसान होगा। हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। हमारे यहां अच्छे पढ़े-लिखे नौजवान हैं, इसलिए सीधे-सीधे 49 प्रतिशत की भागीदारी

नहीं दी जानी चाहिए थी। यह जिस फ्रेम में हो रहा है, हम उसकी खिलाफत करते हैं, इसका विरोध करते हैं।

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल पर बोलने का मौका दिया।

इंश्योरेंस बिल में सरकार जो अमेंडमेंट लाना चाहती है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि इंश्योरेंस सेक्टर आज की तिथि में केश स्टावर्ड और फाइनैंस स्टावर्ड है। इंश्योरेंस कंपनी को आधिक पैसा क्यों चाहिए? इंश्योरेंस सेक्टर में निवेशकों का पैसा लगता है न कि पहले इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करना है। ऐसा तो नहीं होगा कि विदेश से कम्पनियां आकर जादू-मंतर कर देंगी और सभी लोग इंश्योरेंस लेने लगेंगे। आज के दिन में लोग इंश्योरेंस करने से क्यों कतरा रहे हैं? वर्ष 1999 में केवल 6 इंश्योरेंस कम्पनियां थीं। उसके बाद लिब्रलाइजेशन से प्राइवेट प्लेयर्स आए, विदेशी कम्पनियां आयीं, जिससे आज इंश्योरेंस कम्पनियों की संख्या 53 हो गयी है। इसी वजह से इंश्योरेंस पैनीट्रेशन कुछ दिनों तक तो बढ़ता रहा, लेकिन बाद में इसकी संख्या कम हो गयी। इसका मतलब यह है कि यह कहीं न कहीं सेच्यूरेशन प्वाइंट पर आकर ठहर गया है। क्या हम यह मानकर चलें कि सरकार जो फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट ला रही है इससे इंश्योरेंस पैनीट्रेशन और डेंसीटी बढ़ेगी? क्या वे वाकई में बाहर से धन लाकर यहां लगाएंगे? जब तक यहां के लोग इंश्योरेंस नहीं लेंगे तब तक वे पैसा नहीं लगाएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट करनी वाली कम्पनियों का यह टारगेट रहेगा कि वह मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास में अपना निवेश करे। क्या इसमें यह प्रावधान है कि वे जो पैसा लाएंगे, उसमें वह किसानों के लिए भी इंश्योरेंस करेंगे? आज अधिकतर किसान इंश्योरेंस कराने की स्थिति में नहीं हैं। ओडिशा सरकार की तरफ से किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस दी जा रही है। उसमें भी एक कंडीशन है कि यदि पचास परसेंट से ज्यादा क्रॉप डैमेज होगा तभी उनको इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। उसमें भी वह पूरे पंचायत का सैम्पल लेंगे। उसमें एक पंचायत में कई गांव होते हैं। यदि सभी गांवों में डैमेज नहीं होता है तो उनको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जब तक कि पंचायत में क्रॉप पचास प्रतिशत डैमेज न हो। यह एक सैक्टर था, जिसमें सरकार सही से एड्रैस करती तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिलता। इंश्योरेंस में एफडीआई से सभी लोगों को यह अप्रीहेंशन है कि वह किस प्रीमियम पर आएगी। यदि बाहर से कोई अपना पैसा यहां लगाएगा तो जरूर वह मुनाफा लेकर जाएगा। आज के दिन हमारे यहां देसी कम्पनीज हैं, जो भी पैसा है वह देश में रह रहा है। हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा फारेन वाले कमा कर ले जाएंगे। इससे हमें क्या फायदा

है? फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट 49 प्रतिशत का कई स्टैंडिंग कमेटियों ने, कमीशन्स ने भी विरोध किया है। फारेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट को 25-26 परसेंट से बढ़ा कर 49 परसेंट कर रहे हैं, इसमें मुझे कोई औचित्य नहीं लग रहा है। सरकार विशेष रूप से ध्यान दे कि दूसरे लोगों को जैसे इंश्योरेंस पैनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेनसिटी बढ़ानी है, तो गांवों के 70 या 80 परसेंट लोग हैं, उनका कैसे इंश्योरेंस कवरेज होगा, इसका ध्यान दिया जाए। ऐसा तब होगा, जब हम बीमा क्राप में जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जाएंगे क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा स्कोप नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस वगैरह करें। मैं अपने सुझाव दे कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए. सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों और अनुकूल वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत पुनः उच्च विकास मार्ग पर अग्रसर है। उच्च विकास की दिशा में अपनी प्रगति को बनाए रखने और *सबका साथ, सबका विकास* के अपने सपने को हासिल करने के लिए हमें और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। विदेशी कंपनियां पुनः भारत की विकास कहानी को लेकर आशावादी हो गई हैं और भारतीय बाजार में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। यह विधेयक, जो विदेशी पूंजी की सीमा को वर्तमान 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रयास करता है, न केवल इन कंपनियों के लिए बल्कि भारत के लिए भी पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

अनुमान के मुताबिक, अल्पावधि में बाजार में 20,000 करोड़ रुपये आ सकते हैं जो देश के कमजोर बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अधिक पूंजी आने से बीमा कंपनियां अपना विस्तार करने में सक्षम होंगी। आइए इस तथ्य का सामना करें कि भारत को अभी भी दो मोर्चों पर बहुत कुछ हासिल करना है। प्रथम, सामाजिक सुरक्षा है और द्वितीय, बीमा के विस्तार का मुद्दा है।

माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए बीमा योजनाओं की घोषणा की है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। लेकिन यदि हम वैश्विक मानकों की तुलना करें, तो बीमा के प्रसार के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही निम्न है। इसलिए, यह अतिरिक्त पूंजी अपने साथ बहुत सारे लाभ लेकर आएगी। सबसे पहले, कंपनियां अपने पदचिह्नों का विस्तार करने में सक्षम होंगी और इससे बीमा पहुंच बढ़ेगी, जिससे अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण बीमा कंपनियों को प्रीमियम कम करना होगा जिससे अधिकांश आबादी को फायदा होगा। इसलिए, मैं बीमा विधि (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं।

मैं यहां एक विशिष्ट सुझाव देना चाहूंगा। अधिक विदेशी पूंजी लाने की अनुमति देते हुए, इन बीमा कंपनियों को फसल बीमा भी कवर करने के लिए बनाया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों से हम लगातार प्रकृति की मार झेल रहे हैं। अकेले इस वर्ष, महाराष्ट्र जैसे राज्य में तीन महीने की अवधि में तीन बार बेमौसम बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे खड़ी फसलें नष्ट हो गईं और लाखों किसान प्रभावित हुए। वहीं, देश के कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है। गांवों में फसल बीमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और कई लोग भारतीय कृषि बीमा कंपनी से संपर्क नहीं कर पाते हैं। निजी कंपनियों को अनुमति देना किसानों के लिए वरदान होगा क्योंकि निजी कंपनियां अपने व्यवसाय के लिए किसानों तक पहुंचेंगी।

इसलिए, मेरी हार्दिक विनती है कि विदेशी पूंजी बढ़ोत्तरी के लाभ प्राप्त करने वाली बीमा कंपनियों के लिए फसल बीमा को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना अनिवार्य किया जाए। इससे दीर्घकाल में भारत में किसानों के आत्महत्या के मामलों को रोका जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर दिया।

मैं शुरुआत में ही कहना चाहूंगा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि संबंधित मंत्री यहां इस चर्चा को सुनने के लिए उपस्थित नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: वे आ गए है।

श्री एम.बी. राजेश: महोदय, मैं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किए गए बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 का विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक से हमारे बीमा क्षेत्र का विनिवेश और निजीकरण हो जाएगा। यह राष्ट्रहित के लिए हानिकारक है। भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह बीमा क्षेत्र सहित वित्तीय क्षेत्र को और अधिक विनियमित करेगा।

विनियमन के विनाशकारी परिणामों का अनुभव पूरी दुनिया ने किया है। वर्ष 2007-08 में शुरू हुआ आर्थिक मंदी संयुक्त राज्य अमेरिका में निजी बीमा कंपनियों और वित्तीय एजेंसियों द्वारा बेपरवाह अटकलों से सीधे बाहर है। इस सबक से हमें यह सीख मिलनी चाहिए थी कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना चाहिए था तथा हमें वित्तीय क्षेत्र के भीतर विनियमन को मजबूत करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार ने वित्तीय संकट और उसके परिणामस्वरूप आई मंदी से उचित सबक नहीं सीखा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई और फिर यूरोप तथा पूरे विश्व में फैल गई। इसलिए, सरकार के इस कदम से विनियमन में और अधिक कमी आएगी। साथ ही, समय की मांग है कि और अधिक विनियमन हो, अधिक कठोर विनियमन हो, क्योंकि वैश्विक वित्तीय मंदी के समय भारतीय वित्तीय क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित हुआ था। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की उपस्थिति मजबूत थी। हमारे पास बहुत बेहतर, मजबूत विनियामक प्रणाली है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र और नियामक प्रणाली को मजबूत करने के बजाय, सार्वजनिक क्षेत्र और विनियामक प्रणाली को समाप्त करना चाहती है।

महोदय, जैसा मैंने कहा था, वैश्विक वित्तीय संकट बिना सोचे-समझे जोखिम उठाने की वजह से हुआ था। यह विधेयक भी ऐसे ही जोखिमभरे और गैर-जिम्मेदार फैसलों को बढ़ावा देगा। यह उन्हीं बीमा कंपनियों

और वित्तीय एजेंसियों को आमंत्रित करेगा जिन्होंने इस तरह की गड़बड़ी पैदा की है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इस तरह का विनाशकारी परिणाम हैं।

विदेशी निवेशकों और विदेशी निवेश के लिए हमारे वित्तीय क्षेत्र में सीमित प्रवेश था। इसी वजह से, हम वित्तीय संकट के विनाशकारी परिणामों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रह सके। अमेरिका की अधिकांश बड़ी बीमा कंपनियां, जैसे कि ए.आई.जी. जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, या आई.एन.जी. और ऐगॉन, ये सभी बड़ी बीमा कंपनियां जिन्होंने वित्तीय संकट को जन्म दिया, अब अपने-अपने देशों की सरकारों द्वारा दिए गए भारी पैकेज पर टिकी हुई हैं। अब, हम भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इन बहुत ही दिवालिया और भ्रष्ट कंपनियों के लिए द्वार खोल रहे हैं।

अब हम उन्हीं दिवालिया एवं भ्रष्ट कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र के द्वार खोल रहे हैं। उन्हें भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह निस्संदेह हमारे देश के हित में नहीं है, बल्कि केवल उनके स्वार्थों की पूर्ति करेगा।

भारत सरकार, बी.जे.पी. के नेतृत्व में, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दिवालिया वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों को भारतीय वित्तीय बाजार में प्रवेश करने के लिए पहुंच प्रदान कर रही है। यह दिवालिया कंपनियों जैसे ए.आई.जी., आई.एन.जी. और ऐगॉन के लिए एक अतिरिक्त बचाव पैकेज के रूप में कार्य करेगा। आप उनके हितों की सेवा कर रहे हैं; आप उन्हें हमारे देश और भारत के लोगों की कीमत पर अतिरिक्त बचाव पैकेज प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र को खोलने के बचाव में इस विधेयक के बचाव में रखे गए सभी तर्क फर्जी और बेतुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?

तर्क संख्या एक यह है कि भारतीय बीमा कंपनियों के पास संसाधनों की कमी है। इसलिए यह कहना कि हमें केवल बड़े और संपन्न विदेशी साझेदारों की ज़रूरत है, सही नहीं है। क्योंकि भारत की ज्यादातर बीमा कंपनियां पहले से ही टाटा, बिड़ला, रिलायंस जैसे बड़े भारतीय कॉरपोरेट घरानों की ही कंपनियां हैं। वे अधिकांश निजी भारतीय बीमा कंपनियों का समर्थन करते हैं; उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत है; वे विदेशों

में बड़े पैमाने पर अधिग्रहण भी कर रहे हैं। असली इरादा इन बहुत ही दिवालिया और भ्रष्ट वित्तीय बीमा कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश की सुविधा प्रदान करना है।

दूसरा तर्क जो बार-बार सुना जा रहा है, वह बीमा की कम पहुंच का है। लेकिन यह सही नहीं है। भारत में जीवन बीमा की पहुंच लगभग 3.1% है, जो यह बताती है कि बीमा उद्योग की पहुंच अच्छी है। इसलिए, बीमा की कम पहुंच वाला तर्क गलत है। यह आंकड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका की 3.2%, कनाडा की 2.9% और जर्मनी की 3.1% से तुलनात्मक रूप से बेहतर है। इसलिए, यह तर्क पूरी तरह निराधार है।

एक और तर्क है कि हमें तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है, जो कि निराधार है क्योंकि भारतीय बीमा कंपनियाँ पहले ही अत्यंत विकसित हैं और उनकी तकनीकी आधार मजबूत है। अतः यह तर्क भी सही नहीं ठहरता।

एक और तर्क परिचालन दक्षता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की परिचालन दक्षता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित किया जाता है। यहां तक कि विश्व आर्थिक मंच ने भी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की परिचालन दक्षता का दावा किया है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सामान्य बीमा कंपनियों के स्वामित्व को कमजोर क्यों करना चाहती है?

बीमा दावों के निपटान की बात करें तो हमारा आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। एलआईसी केवल 1% दावे अस्वीकार करता है, जबकि कई निजी जीवन बीमा कंपनियां 20 से 23% दावे अस्वीकृति करती हैं। मतलब, एलआईसी लोगों को उनके दावे स्वीकार करने में ज्यादा भरोसेमंद है। निजी कंपनियों के जीवन बीमा व्यवसाय में विदेशी साझेदारों के साथ 85% हिस्सा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रूप में है। इसलिए बीमा पहुंच, संचालन की क्षमता, या दावा निपटान दर जैसी जो भी दलीलें पेश की जा रही हैं, वे निराधार और तथ्यहीन हैं। इन दलीलों के पीछे कोई वास्तविक आधार नहीं है। तो प्रश्न उठता है—इसका असली उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य संकटग्रस्त विदेशी बीमा कंपनियों और कंपनियों के लिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र को खोलना है। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इससे अधिक जटिल मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। समय की कमी के कारण, मैं उन सभी विवरणों पर नहीं जाना चाहता हूं।

पिछले कई वर्षों से इसे बीमा कर्मचारियों और वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलनों द्वारा कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देश के संपूर्ण मजदूर संघ आंदोलन ने इस बीमा और वित्तीय क्षेत्र के खुलने के खिलाफ इस विरोध को समर्थन दिया है। पहले से ही कई आंदोलन और हड़ताल हो चुकी हैं। अब फिर 1.5 लाख से अधिक बीमा क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी सरकार की इस पीछे हटने वाली नीति के विरोध में हड़ताल पर जा रहे हैं। उन्होंने सरकार के प्रयासों से पीछे न हटने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वे अपनी इस पीछे हटने वाली नीति के संभावित परिणामों को गंभीरता से समझें। हमें यह समझ नहीं आता कि वे इस विधेयक को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। यदि वे वास्तव में हमारे देश के हित में हैं, तो उन्हें इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहिए था। जब पिछली सरकार, अर्थात् यूपीए-2 ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तब उसके मूल स्वरूप में खंड 28 का एक प्रावधान शामिल था। लेकिन अब वर्तमान वित्त मंत्री ने उस धारा को भी हटा दिया गया है। यह भी विदेशी बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने की एक छिपी हुई मंशा के तहत किया गया है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को वापस लिया जाए। साथ ही, मैं अपील करता हूं कि देशहित में वे इस विधेयक को जबरन पारित कराने के प्रयास से भी बचें। जैसा कि वे हमेशा कहते हैं, पूरा देश हमें देख रहा है। कुछ वर्षों में जनता इस विधेयक के वास्तविक दुष्परिणामों को समझेगी, और तब इसकी राजनीतिक और नैतिक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसलिए, यदि आप इतिहास में एक नकारात्मक भूमिका के लिए याद नहीं किया जाना चाहते, तो बेहतर होगा कि आप इस विधेयक को जबरन पारित कराने से परहेज करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी (चेवेल्ला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि किसी व्यक्ति पर विपत्ति आती है और पूरा समाज आगे आता है, तो वह वास्तव में एक महान समाज है। बीमा वह उपकरण है जो समाज को किसी व्यक्ति के नुकसान को साझा करने में सक्षम बनाता है। कौन नहीं चाहता कि बीमा का लाभ भारत के हर कोने और हर जनसंख्या वर्ग तक पहुंचे? मुझे लगता है कि हम सभी चाहते हैं; लेकिन इसके सामने कुछ बाधाएँ हैं। क्या हमारे पास इसके लिए पर्याप्त धन है? कुछ विशेष तकनीकों, मार्केटिंग और जागरूकता की भी आवश्यकता है। क्या हमारे पास इसे पूरा करने के साधन हैं? हाँ, महोदय, निश्चित रूप से हमें धन की आवश्यकता है। आईआरडीए के अनुमान के अनुसार लगभग 55,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, और यह केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के माध्यम से ही आ सकता है।

महोदय, यहां तक कि चीन, हांगकांग, जापान, कोरिया सहित एशियाई देशों में भी 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. है। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए।

इसके रोजगार जैसे अन्य लाभ भी हैं। बीमा उद्योग तीन लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 1.5 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। इसे और बढ़ाया जा सकता है। धन का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और भारतीय कंपनियों में निवेश के लिए किया जा सकता है। ये फंड्स केवल भारत के भीतर ही निवेश कर सकते हैं, जिससे विदेशी प्रवाह की संभावना नहीं रहती। साथ ही, प्रमोटर कंपनी में उनका निवेश केवल 5 प्रतिशत तक सीमित है, जिससे जोखिम काफी हद तक नियंत्रण में रहता है।

फिर, बीमा कंपनी जागरूकता और वित्तीय साक्षरता लाती है। लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केवल आर्थिक लाभ नहीं है। बीमा जोखिम व्यवसाय है। सामाजिक व्यवहार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यह जोखिम लेने के खिलाफ लोगों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, हमने दुनिया के नक्शे पर बीमा की पहुँच देखी। कुछ जगहों पर बीमा ज्यादा था (गहरे हरे रंग से दिखाया गया), तो वहीं कुछ जगहों पर कम था (हल्के हरे रंग से)। जब हमने इसे धूम्रपान की आदत के साथ तुलना की, तो पाया कि जहाँ बीमा ज्यादा होता है, वहाँ धूम्रपान कम होता है। यानी बीमा की अच्छी पहुँच से लोगों की सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है।

यह बीमा समाज में जिम्मेदाराना व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, जहां बीमा की पहुंच अधिक होती है, वहां प्रति यात्री किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम होती है। उदाहरण के तौर पर, हरिद्वार में एक प्राकृतिक घटना ने आपदा का रूप ले लिया था, जिससे कई घर बह गए थे। जहां भी बीमा प्रचलित है, भवन निर्माण विनियमों का अधिक विस्तार से पालन किया जाता है। इसलिए, ये बीमा उद्योग के आर्थिक लाभों के अलावा अन्य सामाजिक लाभ हैं।

हां, हम निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हालांकि, हमारे कुछ प्रश्न और चिंताएं भी हैं। हम आशा करते हैं कि यह विधेयक किसानों की भलाई के लिए भी विशेष प्रयास करेगा। अधिकतर किसान इस कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हमारे पास पर्याप्त डेटा नहीं है। कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया गया डेटा जोखिम मूल्यांकन और दावे के निपटान के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है। इन दोनों क्षेत्रों में किसानों को ही नुकसान उठाना पड़ता है।

फसल बीमा सबसे महंगा बीमा है क्योंकि प्रीमियम का दावा करना मुश्किल है। कोई भी किसान इसे स्वेच्छा से नहीं लेता है। बैंकर्स किसानों को कर्ज लेने के लिए मजबूर करते हैं, और यह वास्तव में हास्यास्पद है कि बैंकर्स इन किसानों का बीमा नहीं ले रहे हैं। वे अपने ऋण सुनिश्चित कर रहे हैं और गरीब किसानों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह जोखिम मूल्यांकन के बारे में है। हमारे पास उचित जोखिम मूल्यांकन तंत्र नहीं है।

किसानों के दावों के निपटान के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे यदि सभी वाहनों का बीमा न हो तो बीमा कंपनी केवल उसी व्यक्ति को दुर्घटना का भुगतान करती है जिसके वाहन का बीमा किया गया हो। फसल ऋण के संदर्भ में भी यही स्थिति लागू होती है कि यदि किसी तालुका के सभी किसान अपनी फसल गंवा चुके हों तभी संबंधित किसान को भुगतान मिलता है। मेरा मानना है कि इस विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए थे, जो किसानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तकनीक, डेटा और जानकारी को सुनिश्चित करें।

अंत में, हैदराबाद से होने के नाते मैं यह कहते हुए अत्यंत प्रसन्न हूं कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय यहाँ स्थित है। हैदराबाद में उत्कृष्ट अवसंरचना उपलब्ध है, जो इस संस्था के लिए आदर्श स्थल है। मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद भविष्य में कनेक्टिकट या लंदन जैसा प्रसिद्ध और विकसित केंद्र बनेगा। तेलंगाना सरकार इसकी पूरी मदद करेगी। इससे हैदराबाद में बहुत सारी नई कंपनियां और उद्योग आएंगे।

धन्यवाद।

श्री अभिजीत मुखर्जी (जंगीपुर): महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपने नेता का भी आभारी हूं।

विधेयक को उसके प्रारंभिक रूप में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार ने डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया था। लोक सभा में बीमा विधेयक को पुर:स्थापित करना इसकी विधायी क्षमता से परे है क्योंकि इसी विषय पर विधेयक राज्य सभा में पहले से ही लंबित है। यदि लोक सभा इस विधेयक को पारित कर देती है, तो हो सकता है कि यह अधिनियम नहीं बने, क्योंकि पहले से लंबित विधेयक के कारण इस विधेयक को राज्य सभा में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने इस विधेयक के पुर:स्थापन करने के पहले ही आपत्ति जताई है। हालांकि, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि इस विधेयक को पेश करने से पहले एन.डी.ए. सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। मेरे साथियों ने उन्हें पहले ही बता दिया है। इसलिए, मैं एन.डी.ए. सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय वित्त मंत्री उस विधेयक के संशोधित संस्करण को लागू करना चाहते हैं, जिसके विरोध में उनके राजनीतिक दल ने तब गंभीरता से संघर्ष किया था, विशेष रूप से विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान के संदर्भ में। मैं बता सकता हूं कि शुरू में यू.पी.ए. सरकार ने बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. का प्रस्ताव किया था, जिसका बी.जे.पी., तत्कालीन विपक्षी दल द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था और अब पक्ष बदलने के बाद, यानी सत्ताधारी दल बनने के बाद, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आए हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफ.डी.आई. की वर्तमान सीमा एक बहुत ही वरिष्ठ बी.जे.पी. नेता और तत्कालीन संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार ने उस स्थायी समिति की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार किया जिसे उस समय मुख्य विपक्षी दल बीजेपी सहित सभी दलों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा, जो एनडीए-I कार्यकाल के दौरान अपनी वापस लेने की नीति के लिए जानी जाती थी, बदलते परिदृश्य में भी अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं लाई है।

यह पुनः स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एफडीआई की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने से पीछे हटने का निर्णय लिया है। यह आश्चर्यजनक है कि सत्ता पक्ष पर आने के बाद राजनीतिज्ञों की सोच और दृष्टिकोण में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ जाता है।

इसके अलावा, यह बीमा अधिनियम 1938, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम और आईआरडीए अधिनियम में संशोधन करके बीमा क्षेत्र में कुछ बड़े बदलावों की सुविधा प्रदान करता है।

मैं दो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिन पर गंभीरता एवं रचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाना आवश्यक है।

इस विधेयक की मुख्य समस्याओं में से एक यह है कि यह चार नए प्रकार के बीमाकर्ताओं को वर्गीकृत करता है जिनमें विदेशी कंपनियों की शाखाएं शामिल हैं। इन शाखाओं को पुनः बीमा संभालने की अनुमति दी जा रही है।

जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं, पुनर्बीमा बीमा व्यवसाय का सबसे अधिक लाभदायक हिस्सा है। वास्तव में, कई लोग इसे बीमा व्यवसाय की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण शाखा के रूप में वर्णित करते हैं। शायद इसी कारण से, जब तत्कालीन एनडीए-1 सरकार द्वारा तैयार किया गया पहला आईआरडीए विधेयक अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का प्रयास कर रहा था, तो भाजपा के भीतर इसका कड़ा विरोध हुआ था।

मैं समझता हूं कि हम कम से कम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये विदेशी पुनर्बीमा कंपनियाँ भारत में अपनी सूचीबद्ध भारतीय इकाइयाँ स्थापित करें, ताकि भारतीय निवेशकों को भी उनके यहाँ अर्जित होने वाले भारी लाभ में भागीदारी का अवसर मिल सके।

अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, बीमाधारकों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे अपनी बीमा पॉलिसी को पूरी तरह या आंशिक रूप से, मूल्य सहित या बिना किसी मूल्य के, किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित या सौंप सकें। इसका अर्थ है कि अब बीमा पॉलिसी को खरीदा-बेचा जा सकता है, जो बीमाकर्ता के हितों के लिए हानिकारक हो सकता है।

हमें इस मुद्दे पर विचार करना होगा कि जीवन बीमा पॉलिसी का व्यापार किया जा सकता है या नहीं। हाल के वर्षों में यह मुद्दा न्यायिक फैसलों में भी उठा है और इस पर अलग-अलग कानूनी राय सामने आई हैं। कुछ देश इसकी अनुमति देते हैं, जबकि कुछ नहीं। मेरा मानना है कि इस प्रावधान को स्वीकार करने से पहले इस विषय पर विशेषज्ञों द्वारा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

इस विधेयक में लॉयड्स ऑफ लंदन को विदेशी कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि यह कोई कंपनी नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, यह मूलतः एक ट्रस्ट है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि लॉयड्स के वे सदस्य, जो अंततः पॉलिसी के जोखिम को वहन करते हैं, क्या भारत में संचालन कर पाएंगे या नहीं। चूंकि इन तीनों बीमा अधिनियमों में बड़ी संख्या में संशोधन किए गए हैं, इसलिए मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि विधेयक के सूक्ष्म विवरणों में ही वास्तविक जटिलताएँ निहित हैं, जो इसके प्रभावों को परिभाषित करती हैं।

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की शुरुआत का बड़े पैमाने पर मजदूर संघों और बीमा कंपनियों के अन्य संघों ने विरोध किया है।

बीमा विधेयक के खंड 3 में पोर्टफोलियो निवेश की अनुमति देते हुए विदेशी पूंजी जुटाने का प्रावधान है। पोर्टफोलियो निवेश को जल्दी से समाप्त या प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था में गंभीर अस्थिरता पैदा हो सकती है।

इसके अलावा, हम भारतीय मध्यम वर्ग को बेहतर लाभ के अवसर प्रदान करने के बहाने इन बीमा कंपनियों में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे वे संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। यह वह प्रथा है जो उन देशों में प्रचलित है जहाँ ये विदेशी बीमा कंपनियाँ स्थित हैं। इस प्रथा के भारत में लागू होने से हमारे विकसित होते मध्यम वर्ग को गंभीर वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

शायद, एक समझौते के रूप में यह तय हुआ था कि जी.आई.सी. पुनर्बीमा के क्षेत्र में मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा। अब हम उस व्यवस्था को समाप्त करके प्रत्यक्ष पुनः बीमा की अनुमति देना चाहते हैं। इसके प्रभावस्वरूप, हम सबसे आशाजनक बीमा बाजारों में से एक के लाभ को व्यर्थ कर रहे हैं।

इस संशोधन विधेयक में, इरडा के निर्णयों के खिलाफ अपील सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण (एस.ए.टी.) के पास है। हालांकि, एस.ए.टी. में बीमा विशेषज्ञ रखने का कोई प्रावधान नहीं है।

अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण भारतीय संस्थाएं अपनी मूल निवेश धनराशि से कई गुना अधिक मूल्य पर अपनी हिस्सेदारी बेच सकती हैं, बिना किसी नए निवेश के, अर्थात पुनः निवेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

विधेयक में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सुरक्षा उपाय नहीं हैं कि अतिरिक्त पूंजी का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पहुंच में सुधार के लिए किया जाएगा जो ग्रामीण लोगों को अर्थव्यवस्था के इन उतार-चढ़ाव, मौसम की अनिश्चितता आदि से बचाने के लिए बेहद आवश्यक है।

महोदय, जैसा कि पहले ही कई वक्ताओं ने कहा है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि एफ.डी.आई. आता है, तो विदेशी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों, गाँवों में जाएंगी और फसल बीमा, बाढ़ के खिलाफ बीमा, सूखा, पशु बीमा, उनके छोटे वाहन और ट्रैक्टर आदि सभी प्रकार के बीमा कवर करेंगी। यह आम तौर पर भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, न कि विदेशी कंपनियों द्वारा। वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि विदेशी कंपनियां, जो निवेश कर रही हैं, वे भी ग्रामीण गाँवों, ग्रामीण भारत में जाकर प्रवेश करेंगी जहां 60 प्रतिशत भारतीय रह रहे हैं?

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे इस सम्माननीय सभा में बोलने का मौका देने के लिए।

सबसे पहले, मैं बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 का स्वागत करता हूं, जिसमें एफ.डी.आई. को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

मैंने वित्त संबंधी स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को पढ़ा है, जिन्हें समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया था। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और उम्मीद करता हूं कि बढ़े हुए एफ.डी.आई. से देश को लाभ होगा।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 में प्रदान किए गए 26 प्रतिशत के मुकाबले विदेशी इक्विटी सीमा 49 प्रतिशत रखने का प्रस्ताव है। यह बीमा कंपनियों की बढ़ती पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है।

विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में केवल पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए शाखाएँ खोलने की अनुमति दी जाएगी, और नीति धारकों के फंड्स को सीधे या परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश करने से रोकने वाले धारा 27ङ के प्रावधान ऐसे शाखाओं पर लागू होंगे।

बीमा के उद्देश्य से "विदेशी कंपनी" की परिभाषा में वह कंपनी या संस्था शामिल होगी जो भारत के बाहर किसी भी देश के कानून के तहत स्थापित हो, और इसमें यूनाइटेड किंगडम के लॉयड्स अधिनियम, 1871 के तहत स्थापित लॉयड्स भी सम्मिलित हैं।

भारत में स्वास्थ्य बीमा को प्रोत्साहित करने के लिए, अब स्वास्थ्य बीमा कंपनी के लिए पूंजी की आवश्यकता को सामान्य बीमा कंपनियों के लिए 100 करोड़ रुपये के स्थान पर 50 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि बीमा क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में प्रवेश की बाधा को कम किया जा सके।

'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय' की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जा सके कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रा के कारण होने वाली बीमारियों के लाभों को शामिल करेंगी।

यदि कोई बीमाकर्ता ऐसे व्यक्ति के साथ संयुक्त उद्यम में हो, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थल भारत के बाहर हो, तो प्राधिकरण अपनी पंजीकरण प्रक्रिया रोक सकता है यदि उसे यह संतोष हो कि उस देश में जहाँ वह व्यक्ति स्थित है, उसे कानून या उस देश की प्रथाओं के तहत बीमा व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किया गया है।

तीसरे पक्ष के जोखिम के तहत मोटर वाहन बीमा की अनिवार्यता के संबंध में, सरकार द्वारा एक अलग मोटर वाहन बीमा और मुआवजा कानून प्रस्तावित किया जा रहा है। स्थायी समिति की मोटर वाहनों पर अनिवार्य तीसरे पक्ष के बीमा को लेकर चिंताओं का समाधान इस कानून के माध्यम से किया जाएगा।

पॉलिसीधारकों के हितों को बेहतर ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से, वह अवधि जिसके दौरान किसी भी आधार पर पॉलिसी को रद्द किया जा सकता है, जिसमें पॉलिसी का गलत विवरण भी शामिल है और इस प्रकार तीन वर्षों के बाद किसी भी पॉलिसी को गलत विवरण के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और जी.आई.सी. को भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी समय सरकार की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होने दी जाएगी।

एजेंटों की नियुक्ति बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी, जो इरडा द्वारा निर्धारित योग्यताओं और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के अनिवार्य मानदंडों के अधीन होगी। एजेंटों के लाइसेंस जारी करने का अधिकार अब इरडा के पास नहीं रहेगा, लेकिन इरडा को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(4) के तहत एजेंटों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा, जिससे पॉलिसीधारकों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस प्रावधान से पूरे देश में एजेंट नेटवर्क के विस्तार के साथ-साथ बीमा कंपनियों द्वारा उनकी प्रभावी निगरानी और नियंत्रण संभव होगा।

जबकि एजेंटों की लाइसेंसिंग अब इरडा के साथ नहीं है, प्राधिकरण को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42(4) के तहत एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है, जो अनिवार्य रूप से पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए है। यह प्रावधान पूरे देश में एजेंटों के नेटवर्क के विस्तार और उन पर बीमा कंपनियों के बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण में मदद करेगा। इससे अंततः बेहतर बीमा उपलब्धता होगी।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 के उपधारा 8 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, इरडा द्वारा मध्यस्थों के विरुद्ध जारी आदेशों के खिलाफ अपील की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। इसके तहत, किसी भी बीमाकर्ता, मध्यस्थ या बीमा एजेंट को, यदि वे इरडा के आदेश से असंतुष्ट हों, तो वे प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह प्रावधान न्यायिक पारदर्शिता एवं मध्यस्थों के अधिकार संरक्षण को सुनिश्चित करेगा।

बीमाकर्ताओं को दावों और पॉलिसियों का रजिस्टर किसी भी रूप में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप भी शामिल है, बनाए रखना अनिवार्य होगा।

इसका मतलब है कि बीमा एजेंटों और कंपनियों द्वारा की गई गड़बड़ी या धोखाधड़ी के लिए सख्त जुर्माना तय किया जाए। साथ ही, यह भी जरूरी है कि कानून में ऐसे प्रावधान हों जो मल्टी-लेवल मार्केटिंग और बीमा पॉलिसियों को गलत जानकारी देकर बेचने की गलत प्रथाओं को रोकें। ऐसा करना जरूरी है ताकि आम लोगों के साथ धोखा न हो और उनके हितों की रक्षा हो सके।

बीमा सर्वेक्षकों के कामकाज को बेहतर बनाने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों के तहत सर्वेक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता संबंधी नियम बनाए जाएंगे, और भारतीय बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक संस्थान को और मजबूत किया जाएगा। प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि बीमा सर्वेक्षक एवं हानि मूल्यांकनकर्ताओं के लाइसेंस से संबंधित वर्तमान वैधानिक प्रावधानों को हटाकर, इन विषयों को विनियमों के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। इस परिवर्तन का उद्देश्य क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, व्यावसायिकता और दक्षता सुनिश्चित करना है।

इसके अतिरिक्त, यद्यपि स्थायी समिति ने एजेंटों के लाइसेंसिंग और उनकी कमीशन संरचना को बीमा अधिनियम, 1938 में बनाए रखने का सुझाव दिया था, एजेंटों के हितों को ध्यान में रखते हुए कमीशन

संरचना और एजेंटों के आचार संहिता को इरडा द्वारा जारी नियमों के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा। इसी के तहत अधिनियम में कमीशन पर लगी अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है, और बीमा कंपनियों के साथ-साथ एजेंटों को भी नियमों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही, उत्पादों की गलत बिक्री, रिबेटिंग एवं बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं के माध्यम से विपणन पर भी कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए हैं।

मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि प्राइवेट कंपनियों को आमतौर पर कुख्याति मिलती है और वे दावा निपटान में अक्सर काफी विलंब करती हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

एक अन्य गंभीर चिंता यह है कि एल.आई.सी. को उन प्राइवेट बीमा कंपनियों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, जिनका विस्तृत और मजबूत नेटवर्क तथा प्रभावशाली नेटवर्क मध्यस्थ मौजूद हैं।

ग्रामीण भारत में जीवन बीमा की मांग शहरी क्षेत्रों में 3-9 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रही है। निजी बीमा कंपनियों ने उच्च विकास दर दर्ज की जबकि एल.आई.सी. में गिरावट दर्ज की गई। निजी कंपनियों का प्रवेश भारतीय बीमा क्षेत्र में संचालन को फैलाने और बनाए रखने में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार होगा।

मुझे उम्मीद है कि एफ.डी.आई. में 49 प्रतिशत की वृद्धि से देश की बीमित आबादी को बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जो बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की सीमा वृद्धि तथा इरडा के नियामक अधिकारों से संबंधित है, जो पॉलिसीधारकों के हितों से जुड़ा हुआ है।

महोदय, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मैं इस बात का कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहता हूं कि राज्य सभा में जहां एक विधेयक लंबित है, वहीं हम लोक सभा में इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। एक ही समय में, क्या दोनों सदनों में समान प्रकृति के दो विधेयक मौजूद हैं? यह संसद की मर्यादा का मामला है। यह सिर्फ अपमान नहीं है, बल्कि लोक सभा और राज्य सभा का भी अनादर है। इसलिए हम विधायक होने के नाते संसद की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना हमारा हक और जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन वर्तमान में, जिस प्रकार शासक दल अपने अध्यादेशों को शीघ्रता से पारित कराने में तत्पर है, उससे संसद की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को अपमानित किया जा रहा है। संसद को केवल एक मोहर के रूप में सीमित कर दिया गया है। हम इस सभा के माध्यम से पूर्ण देश के जनप्रतिनिधि यह स्पष्ट और दृढ़ स्वर में प्रकट करते हैं कि वे आपके कॉर्पोरेट हितैषी अध्यादेशों एवं विधेयकों के लिए मात्र एक मोहर बनने की भूमिका स्वीकार नहीं करेंगे।

महोदय, लोक सभा चुनावों से पूर्व हमें शासक दल द्वारा व्यापक एवं महत्वपूर्ण वादे सुनने को मिले थे। हमने परिवर्तन के संकल्प के साथ-साथ *"अबकी बार, मोदी सरकार"* के नारे को भी सुना। लेकिन पिछले नौ महीनों के दौरान हमने निरंतर विरोधाभासी निर्णय देखे हैं — चाहे वह अनुच्छेद 370 का प्रश्न हो, सौ दिनों में काले धन की वापसी का वादा हो, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का मुद्दा हो, पाकिस्तान से बातचीत का विषय हो, अथवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने का मामला हो — इन 180 दिनों में कुल 25 बार नीतिगत रुख बदला गया है। इसका मतलब है कि हर 25 दिन में एक बार नीति बदलती रही है। अगर उलटफेरों की गिनती पर ओलंपिक खेल होता, तो मुझे यकीन है कि शासक दल हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीतता।

महोदय, जो निरंतर उलटफेर हो रहे हैं, उससे स्वयं शासक दल के समर्थक भी गहरे भ्रम में हैं। वे वही समर्थक, जिनके आधार पर 2014 के लोकसभा चुनाव में सफलता मिली थी, अब अपने ही दल के खिलाफ

विरोध प्रकट कर रहे हैं — चाहे वह स्वदेश जागरण मंच हो, भारत मजदूर संघ हो, या भारत किसान संघ। आर.एस.एस. के श्रमिक, किसान एवं आर्थिक प्रकोष्ठ अब अपने ही शासक दल के खिलाफ मुखर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के अंदर एक गहरा आंतरिक संघर्ष चल रहा है। यह स्थिति हम आप पार्टी में भी देख चुके हैं। पिछले दस महीनों से भाजपा में यह संघर्ष लगातार जारी है, और इसका परिणाम दिल्ली के चुनाव परिणाम के रूप में सभी के सामने है।

मैं वर्ष 2008 बीमा विधि संशोधन विधेयक के बारे में बात करना चाहता हूं। इसे यूपीए सरकार द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक और गहन अध्ययन के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसके संदर्भ में 119वीं विधि आयोग की रिपोर्ट उपलब्ध थी। श्री के.पी. नरसिम्हन जी के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया गया था। साथ ही, इरडा की सिफारिशें भी इसमें शामिल थीं। इन सभी रिपोर्टों ने बीमा बाजार में आवश्यक सुधारों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, जो देश के गरीब और जरूरतमंदों के हित में हो सकते थे। इसी उद्देश्य के लिए एफ.डी.आई. की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश, इस प्रस्ताव का उस समय शासक दल ने श्री यशवंत सिन्हा जी की अध्यक्षता में विरोध और चुनौती दी थी।

उस समय, उन्होंने बीमा बाज़ार में सुधार की आवश्यकता और उसकी तत्काल आवश्यकता को नहीं समझा। भारत का बीमा बाज़ार सबसे बड़े बाजारों में से एक है लेकिन जब हमारे कई गरीब लोगों को अस्पताल जाना पड़ता है, तो वे अपनी जेब से भुगतान कर देते हैं। आदर्श रूप से, बीमा को उनके लिए कवर देना चाहिए, लेकिन वे अपनी जेब से भुगतान कर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें अपने घर, आभूषण और अन्य संपत्तियाँ गिरवी रखनी पड़ती हैं, और इस तरह वे और भी अधिक गरीबी की ओर धकेले जा रहे हैं। इसलिए, हमने सुझाव दिया था कि आइए हम एफ.डी.आई. लाएं; और बीमा क्षेत्र में सुधार करें।

हमने देखा है कि वर्ष 1999 इरडा अधिनियम के बाद, भारत में बीमा कंपनियों की संख्या छह से बढ़कर 53 हो गई है। उनकी पहुंच बढ़ गई है। बाजार अनुमान बताते हैं कि भारत के बीमा क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 12 से 15 प्रतिशत के बीच है। हम इस वृद्धि को और बढ़ा सकते हैं। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद को भी सशक्त बना सकता है। बाजार

अनुमानों का कहना है कि वर्तमान में हमारी बाजार क्षमता 66.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। लेकिन अगर हम सुधारों को सही दिशा में, आवश्यक दिशा में, सामूहिक और सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो यह 350 बिलियन डॉलर का बाजार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, इसके वर्ष 2008 विपक्ष में बी.जे.पी. ने इन सभी सकारात्मक प्रभावों को नकार दिया जो बाहर आ सकते थे। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा उठाए जा सकते सभी विभिन्न तरीकों को नकार दिया। अब हमें उस नए विधेयक पर ध्यान देना होगा जिसे उन्होंने प्रस्तुत किया है, और इसके संदर्भ में कई महत्वपूर्ण चिंताएँ हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं।

हमारे समक्ष सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, विशेष रूप से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो। जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेख किया, अनेक लोग बीमा का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु निजी बीमा कंपनियों की शर्तें इतनी कठोर और जटिल होती हैं कि वास्तव में जरूरतमंद व्यक्ति उस लाभ से वंचित रह जाता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस नए बीमा कानून के तहत किसी भी गरीब योग्य व्यक्ति को बीमा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

उसी समय, वर्ष 2008 के विधेयक में हमने कहा था कि स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ रुपये होनी चाहिए। लेकिन इस नए विधेयक में मानदंड बदल दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि न्यूनतम पूंजी 50 करोड़ रुपये के बजाय 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए। इसका क्या कारण है? इससे केवल बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ही लाभ होगा। इससे बड़ी निजी बीमा कंपनियों को ही फ़ायदा होगा। क्या हम नहीं चाहते कि छोटी बीमा कंपनियां जम्मू और कश्मीर, असम, तमिलनाडु और पंजाब के विशिष्ट हित को पूरा करने के लिए आएं? क्या हम नहीं चाहते कि देश में छोटी और ज़रूरत के हिसाब से काम करने वाली बीमा कंपनियाँ भी हों? फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सारे फ़ायदे सिर्फ बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को ही मिलें?

एक और बात जो हमें सुनिश्चित करनी चाहिए कि जो भी बीमा निवेश आता है, वह हमारे देश के बुनियादी ढांचे के विकास में प्रवाहित हो। इरडा प्राधिकरण ने अपने दिशानिर्देश में उल्लेख किया है कि

निवेश का 40 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों में जाना चाहिए और 10 प्रतिशत बुनियादी ढांचे में जाना चाहिए। क्या हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस नए विधेयक के तहत आने वाला निवेश बुनियादी ढांचे में जाएगा? या क्या यह हमेशा इक्विटी में जाएगा? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने देश में बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दें।

अंत में, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक छोटा बिंदु जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। महोदय, इस नए विधेयक में, जो वर्ष 2008 के यू.पी.ए. विधेयक से अलग है, आई.आर.डी.ए., जो वर्ष 1999 में बनाया गया था, की शक्तियों को धीरे-धीरे कमजोर किया जा रहा है और हमें सतर्क रहना चाहिए तथा आई.आर.डी.ए. प्राधिकरण की शक्तियों को कमजोर नहीं होने देना चाहिए।

दो मामलों में - जब लाभार्थी नामित लोगों के भुगतान की बात आती है और भारतीय प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात आती है, जो अपनी हिस्सेदारी 26 प्रतिशत से अधिक बढ़ाना चाहते हैं – यू.पी.ए. विधेयक में हमने इन प्रावधानों को विनियमित करने के लिए इरडा को बड़ी शक्तियां दी थीं, लेकिन इन प्रावधानों को इस नए विधेयक से हटा दिया गया है।

मैं इस अंतिम बिंदु के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। बी.जे.पी. सरकार का यह अध्यादेश *राज* नहीं चल सकता। सात महीनों में दस अध्यादेश लाए गए हैं। आखिर इतनी जल्दबाज़ी क्यों? बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर अध्यादेश लाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी? इस मुद्दे पर हम सबने मिलकर काम किया था, फिर भी सरकार को बीमा पर अध्यादेश लाने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? मैं समझता हूं कि सरकार अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को यह दिखाने के लिए व्याकुल है कि वह एक बाज़ार समर्थक और कॉर्पोरेट समर्थक सरकार है। लेकिन संसद को केवल उन बड़े कॉर्पोरेट हितों की सेवा तक सीमित नहीं किया जा सकता, जिन्होंने चुनावों में आपका समर्थन किया था।

हम भी आर्थिक विकास को महत्व देते हैं, लेकिन यह विकास समानता, न्याय और पारदर्शिता पर आधारित होना चाहिए। ऐसा विकास स्वीकार्य नहीं हो सकता जो केवल बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों तक सीमित हो। संसद एक विधायी संस्थान है, जिसकी गरिमा और अधिकारों को मात्र एक मोहर के रूप में सीमित करना अनुचित होगा। मैं सरकार को इस संदर्भ में गंभीर रूप से सावधान करना चाहता हूं कि अध्यादेशों के

व्यापक और अनुचित उपयोग से बचा जाना चाहिए। आपके सहयोग के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): माननीय उपाध्यक्ष धन्यवाद, सबसे पहले, मैं अपना गहरा खेद व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी बात संक्षिप्त में कहें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं बहुत संक्षिप्त में और मुद्दे पर बात करूंगा। कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ समय दें, मैं केवल विधेयक तक ही सीमित रहूंगा।

महोदय, जिस तरह से इतना महत्वपूर्ण कानून इस सभा में लाया जा रहा है और इस सभा में कानून बनाया जा रहा है, उस पर मैं खेद प्रकट करता हूं। यह भारतीय संसद के इतिहास में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कल भी विधेयक प्रस्तुत किए जाने के समय मैंने उस विधेयक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियाँ व्यक्त की थीं, जो वर्तमान में राज्य सभा में लंबित है और स्थायी समिति के पास विचारार्थ प्रेषित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप कृपया मुद्दे पर आएं। आप पहले ही इसे एक बार बोल चुके हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: विधेयक का मूल्यांकन और जांच प्रवर समिति द्वारा की गई थी और इस पर यहां चर्चा की गई है। मेरा कहना है कि सरकार बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेट बीमा कंपनियों के हितों को पूरा करने के लिए इस सभा की सभी संसदीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और परिपाटियों के खिलाफ संसद की विधायी शक्तियों से बच रही है। यह संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यह पहला विषय है जिसे मैं इस सदन में विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संदर्भ में उल्लेखित करना चाहता हूं।

बीमा विधि (संशोधन) विधेयक इस सभा में वर्ष 1938 के बीमा अधिनियम, 1972 के सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम और वर्ष 1999 के बीमा नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने के लिए तीन उद्देश्यों के लिए लाया गया है। पहला अधिनियम भारत में बीमा क्षेत्र के कानूनी ढांचे के बारे में है। दूसरा भारत में सामान्य बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है और तीसरा विनियामक तंत्र और इरडा अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले प्राधिकरण के बारे में है। ये तीन अधिनियम हैं जो भारतीय बीमा क्षेत्र में प्रासंगिक हैं।

इन संशोधनों का आधार क्या है? इन संशोधनों का आधार विधि आयोग की सिफारिशें एवं के.पी. नरसिम्हन समिति की सिफारिशें हैं। प्रस्तावित प्रमुख संशोधन क्या हैं? मैं केवल मुख्य बिंदु प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला एफ.डी.आई. सीमा में वृद्धि है। दूसरा, देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का विनिवेश है। ये दोनों बीमा (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन हैं।

आइए हम संशोधनों के कारणों पर आते हैं। पहला कारण यह है कि भारत में बीमा की पहुंच कम है और अधिक पहुंच बनाने के लिए एफ.डी.आई. की आवश्यकता है। आइए हम भारत और अन्य देशों में बीमा पहुंच के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण करें। आइए, इसकी जांच करते हैं। वर्ष 2007 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3,314 करोड़ रुपये था। उस समय बीमा कवरेज दर 4.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2013 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना होकर 7,648.72 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, लेकिन इसके बावजूद बीमा कवरेज दर 4.6 प्रतिशत से घटकर 4 प्रतिशत रह गई। यह तथ्य सोचने पर मजबूर करता है।

<u>अपराह्न 5.00 बजे</u>

महोदय, कृपया ध्यान दें कि भारत में बीमा उपलब्धता 4.6 प्रतिशत से घटकर चार प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2013 में, यह फिर से बढ़ गया था। बीमा कवरेज दर क्या हुई है? यह घटकर 3.9 प्रतिशत रह गई है। इसलिए, बीमा उद्योग में एफ.डी.आई. बढ़ाने के लिए जो कारण दिया गया है, वह सही साबित नहीं होता। जब भी श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त मंत्री जी बोलते हैं, वे हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बीमा की पहुँच के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा माननीय मंत्री से विनम्र प्रश्न है कि जिन आँकड़ों का मैंने उल्लेख किया है, उनके अनुसार क्या बीमा कवरेज एफ.डी.आई. के अनुपात में बढ़ रही है या घट रही है? यह पहला सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। मेरा कहना है कि एफ.डी.आई. वृद्धि करने का कोई ठोस औचित्य या कारण नहीं है ताकि हमारे देश में बीमा का दायरा बढ़े।

महोदय, आप कृपया आई.पी. का विश्व औसत भी देख सकते हैं। यह 3.5 प्रतिशत है। इसके अलावा, भारत का आई.पी. लैटिन अमेरिकी देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ-साथ औद्योगिक रूप से विकसित देशों की तुलना में बेहतर है। यदि यह स्थिति है, तो एफ.डी.आई. में वृद्धि के कारण को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अब, मैं सामान्य बीमा क्षेत्र में आता हूं। सामान्य बीमा क्षेत्र में, आई.पी. 0.65 था जो बढ़कर 0.8

प्रतिशत हो गया है। सामान्य बीमा क्षेत्र के साथ-साथ जीवन बीमा क्षेत्र में, एफ.डी.आई. बढ़ने पर आई.पी. कम हो रहा है। यह स्थिति है।

दूसरा कारण जो सरकार ने बताया है वह भारत में बीमा कंपनियों के विकास के संबंध में है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि वर्ष 1956 में, इस संसद के अधिनियमन के तहत 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ एल.आई.सी. बनाया गया था। वर्तमान राजकोषीय स्थिति क्या है? अब स्थिति यह है कि वर्ष 2014 में, एल.आई.सी. में इस देश में 30 करोड़ पॉलिसीधारक थे। इस देश की कुल जनसंख्या 126 करोड़ है और 30 करोड़ पॉलिसीधारक हैं। एल.आई.सी. की निवेश योग्य निधि 16 लाख करोड़ रुपये है। भारत सरकार को करों और लाभांश के लिए बड़ी धनराशि मिल रही है। सरकार को अकेले वर्ष 2013-14 में करों और लाभांश से 7,809 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई। एल.आई.सी. के पास बाजार में 85 प्रतिशत पॉलिसियां हैं तथा अब तक एकत्रित प्रीमियम में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी इसकी है।

महोदय, मैं केवल दो और मुद्दे उठाऊंगा। मैं विपक्ष की ओर से आखिरी वक्ता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: एक और वक्ता हैं।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं अपनी बात का समापन करूंगा।

महोदय, आप जानते ही होंगे कि एल.आई.सी. एजेंटों की संख्या लगातार घटती जा रही है क्योंकि उन पर कई शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें न्यूनतम व्यवसाय की गारंटी की शर्त भी शामिल है। इसके कारण गरीब एल.आई.सी. एजेंटों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है। इनके लिए कोई कल्याणकारी उपाय भी नहीं किए गए हैं। इस स्थिति का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।

जीवन बीमा क्षेत्र ने पिछले 14 वर्षों के दौरान 18.42 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है। इसलिए, अच्छे प्रदर्शन के साथ विकास भी हुआ है। सामान्य बीमा कंपनियों का प्रदर्शन भी अच्छा है। समय की कमी के कारण मैं विवरण में नहीं जा रहा हूं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ कुल बाजार में 56 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। सामान्य बीमा कंपनियों ने वर्ष 2013-14 में 598 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। अतः विकास की स्थिति स्पष्ट है।

महोदय, आइए दावों के खारिज होने की दर पर भी नजर डालते हैं। निजी कंपनियों में दावों के खारिज होने की दर संख्या और राशि दोनों के मामले में काफी अधिक है। वर्ष 2013-14 में एल.आई.सी. में दावों के खारिज होने की दर केवल 1.1 प्रतिशत थी, जबकि निजी कंपनियों में यह दर 8.5 प्रतिशत थी। इसमें काफी बड़ा अंतर है। कुछ कंपनियों में यह दर 20 से 28 प्रतिशत के बीच भी पाई गई है।

तो, दावों के निपटान की दर क्या है? दावों के निपटान की दर एल.आई.सी. में 99.8 प्रतिशत है। एक भारतीय के रूप में, हमें अपने एल.आई.सी. और जी.आई.सी. पर गर्व है। जहां तक निजी कंपनियों का संबंध है, यह 80 प्रतिशत से कम है।

दावे के निपटारे के बारे में... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपने भाषण का समापन करें।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, यदि माननीय मंत्री हमें भारतीय बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. वृद्धि के औचित्य के बारे में पूर्णतः संतुष्ट कर सकें, तो हम निःसंदेह इस एफ.डी.आई. वृद्धि का समर्थन करेंगे।

मेरा समापन बिंदु यह है कि यह निर्णय अनुचित और हानिकारक है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एवं जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐसे दो अभिन्न स्तंभ हैं जो देश को निरंतर लाभ पहुँचा रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से आप धीरे-धीरे उन स्तंभों को कमजोर कर रहे हैं। अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया उन संस्थानों को क्षति पहुँचाने से बचें, जो राष्ट्र के हित में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसलिए, इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

इसलिए मैं न केवल इस विधेयक का, बल्कि अध्यादेश का भी पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इनका विरोध करता हूं, और इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इंश्योरेंस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे दो मिनट का समय दिया है, इसलिए मैं जल्दी में अपनी बात रखना चाहूंगा।

आज सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफ.डी. आई 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 पर लाना चाह रही है। इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, जिसके अंदर आम जनता इनवोल्व्ड है और उनकी भलाई के लिए कहीं न कहीं यह कदम हमारे वित्त मंत्री जी उठाने का काम कर रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे पास एल.आई.सी. जैसी कारपोरेशंस है, जिन्होंने 2012-2013 के अंदर 97 प्रतिशत डैट क्लेम वापस किया, 2013-2014 के अंदर उन्होंने 99 परसैन्ट डेट क्लेम किये और एक परसैन्ट रिजेक्ट किये। दूसरी ओर प्राइवेट कंपनीज ने लगभग आठ परसेंट डेट क्लेम्स वापस करने का काम नहीं किया। जहां पिछले पांच सालों में एल.आई.सी. की एक भी ब्रांच शट डाउन नहीं हुई, वहीं दूसरी ओर अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो आठ सौ से ज्यादा ब्रांचेज शट डाउन हुई हैं। मैं वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि अगर हम इस फील्ड के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमैन्ट लाने की चर्चा कर रहे हैं तो हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या फॉरेन इनवैस्टर्स भी इसी तरह आकर एक बार हमारे इस सैक्टर के अंदर घुसेंगे और बाद में अपनी ब्रांचेज बंद करके कहीं जाने न लग जाएं, इसलिए आप इस पर भी गम्भीरता से विचार करने का काम करें। चूंकि, मैं एक कृषि प्रधान प्रदेश से आता हूं। आपने देखा, पिछली बार ड्राउट के कारण हमारे यहां फसलें बर्बाद हुईं। परसों बारिश के कारण लाखों एकड़ जमीन के अंदर गेहूं और सरसों की खड़ी फसल बर्बाद हुईं। जहां आप एफ.डी.आई. लाने की बात करते हैं, क्या वित्त मंत्री जी यह साफ करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत क्या हम क्रॉप इंश्योरेंस को भी इसमें इनक्लूड करेंगे और क्या हम उन फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर दबाव डालकर यह मैनडेटरी करेंगे कि सस्ती दरों पर हमारे किसान की कृषि फसल को भी इंश्योर करने का काम करें।

मेरी माननीय वित्त मंत्री जी से यही अपील है कि क्रॉप इंश्योरेंस हमारे फार्मिंग सैक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। आज यू.एस., कनाडा और यू.के. जैसे बड़े-बड़े देश अपने वहां पर एक-एक एकड़ की

खेती को इंश्योर्ड करके रखते हैं। दूसरी ओर हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जब मैं अपनी कांस्टीटुएंसी में गया तो मैंने जाकर चर्चा की कि इंश्योरेंस बिल सामने आ रहा है तो उन्होंने यह पूछा कि क्या खेती का इंश्योरेंस भी होगा? आज हमारे किसानों को यह भी नहीं पता कि हम उनके खेतों को भी इंश्योर कर सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अपील करूंगा कि एफ.डी.आई. के तहत जो-जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश के अंदर आकर पैसा डालेंगे, क्या उन पर दबाव डालकर सरकार कम दरों पर क्रॉप्स को इंश्योर कराने का काम करेगी?

महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री जयंत सिन्हाः धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष, महोदय। मुझे ज्ञात है कि मैं सदन के माननीय सदस्यों एवं एक महत्वपूर्ण उत्सव के मध्य उपस्थित हूं। अतः मैं अपने वक्तव्य संक्षिप्त रखने का प्रयत्न करूँगा, यद्यपि विपक्ष के कुछ सदस्यगण ने अपने विचार अत्यंत भावपूर्ण रूप से प्रस्तुत किए हैं।

माननीय महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस विधेयक को इस स्तर तक पहुँचने में काफी समय लगा है। इसके निर्माण में कई लोगों या कहूं तो कई पीढ़ियों के लोगों ने कड़ी मेहनत की है। अब तक की चर्चाएँ अत्यंत उत्कृष्ट रही हैं, और हमारे सम्मानित विपक्षी सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत विचार भी बहुत ही सराहनीय रहे हैं [हिन्दी] और खासकर मैं यह भी कहूंगा कि होली की बोली इन लोगों ने रंगीन करने की कोशिश की, परंतु जो हमारे सबसे आधिक विटी माननीय सदस्य थे, वह यहां नहीं हैं, इस कारण मैं थोड़ा निराश हूं। चलिये जो भी कुछ है। इन्होंने अपने पैशन, अपने लंग पॉवर और अपने विट से कोशिश की है कि इनको स्टैटिस्टिक्स और कैपिटल मार्केट्स की जो जानकारी नहीं है, जो ज्ञान इन लोगों को नहीं है, उन्होंने अपने पैशन से उसको कवर करने की कोशिश की है। [अनुवाद] किन्तु उनके तर्कों में अनेक कमियाँ विद्यमान हैं, जिन्हें मैं संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करना चाहूंगा। तथापि, मुझे यह अभिव्यक्त करना है कि समय चक्रीय है; विश्व निरंतर परिवर्तनशील है; नई पीढ़ियाँ आती हैं; विचारधाराएँ प्रगतिशील होती हैं; परन्तु, यद्यपि हमारा चिंतन विकसित हुआ है एवं हम आगे बढ़े हैं, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के कई माननीय सदस्यों की विचारधारा अभी भी अतीत में ही संलग्न है। जहाँ ये अनेक विचारधाराएँ एवं अवधारणाएँ अब इतिहास के प्रचलित संदर्भों में समाप्त हो चुकी हैं, वहाँ वे इन्हें पुनः जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री पी.के.बीजू (अलथूर): संयुक्त राज्य अमेरिका भी बदल गया है।

श्री जयंत सिन्हा: विचारधाराएं बदल गई हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय महोदय, किसी भी स्थिति में, पहले मैं आँकड़ों के विषय पर आना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य जी यहाँ कुछ आंकड़ों का विस्तार से उल्लेख कर रहे थे। वे यह सुझाव दे रहे थे कि यदि आप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बीमा प्रवेश को देखें, तो आप किसी प्रकार का कारण-प्रभाव संबंध स्थापित

कर सकते हैं। माननीय महोदय, मैं उन्हें उनके प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में केवल यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यह केवल सहसंबंध को दर्शाते हैं, न कि कारण-प्रभाव को। अतः कुछ सीमित डेटा बिंदुओं की समय-श्रृंखला से इस प्रकार की गहन कारण-प्रभाव संबंध की व्याख्या करना उचित नहीं होगा। मेरा यह सुझाव है कि इस विषय में स्पष्टता हेतु वे अपने सांख्यिकी के अध्ययन सामग्री की पुनः समीक्षा करें। यह तरीका सही नहीं है। किसी भी स्थिति में, आपको यह समझना चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है। जब जी.डी.पी. बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से बीमा प्रवेश दर में कमी आ सकती है। अतः इस प्रकार की कारण-प्रभाव संबंध निकालना, चाहे आप इस विषय पर कितने भी दृढ़ हों, तर्कसंगत नहीं होगा और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह, अगर आप दुनिया भर में बीमा कवरेज के आंकड़े देखें, तो आपको पता चलेगा कि जीवन बीमा के क्षेत्र में हम ठीक-ठाक कर रहे हैं। लेकिन सामान्य बीमा और प्रति व्यक्ति मिलने वाले बीमा की मात्रा अभी भी हमारे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कम है। यदि आप वास्तव में हमारे लोगों की चिंता करते हैं, यदि आप वास्तव में हमारे राष्ट्रीय हितों की चिंता करते हैं, तो हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम यह जांचें कि हम बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। यदि हमें बीमा बाजार को बढ़ाने के लिए आवश्यक मूलभूत समझ हो, तो आप पूरी तरह समझेंगे कि हमारे लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम जितना संभव हो सके पूंजी प्रवाह सुरक्षित करें और इसे 49 प्रतिशत तक बढ़ाएं, ताकि हम इस पूंजी को आकर्षित कर उद्योग को विकसित कर सकें। बीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह एक वित्तीय क्षेत्र है और कुछ सदस्यों ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र के बारे में अपर्याप्त ज्ञान प्रदर्शित किया है, आपको पूंजी की अपर्याप्तता संबंधी आवश्यकताएँ समझनी होंगी; पूंजी आरक्षित रखने की आवश्यकताएँ होती हैं; और यदि आप बीमा को बढ़ाते हैं, तो आपको इसके लिए उचित प्रावधान करना होगा। यदि आप इसके लिए प्रावधान करते हैं, तो आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे व्यापारिक समूहों के पास पूंजी हो सकती है और वे इसके लिए प्रावधान करने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे बीमा बाजार का विकास हो सके। हालांकि, हमारे व्यापारिक समूह पूंजी की कमी से जूझ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया कोई टिप्पणी न करें। उन्हें बोलने दें, और अंत में यदि आप चाहें तो मैं आपकी अनुमति दूंगा। लेकिन कृपया अभी कोई टिप्पणी न करें।

श्री जयंत सिन्हा: यदि हमारे व्यापारिक समूह पूंजी की कमी से पीड़ित नहीं होते, तो हमारे कई क्षेत्रों में वृद्धि होती और वे प्रगति करते।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: पीढ़ी बदल गई है और इसलिए, हमें भी बदलना चाहिए।

श्री जयंत सिन्हा: लेकिन हमें इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बीमा कवरेज अभी भी कम है। यदि हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पर नज़र डालें तो... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: आप पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं।

... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): क्या यह असंसदीय है या नहीं? आपको इसे हटा देना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यदि कोई असंसदीय अभिव्यक्ति है, तो मैं कार्यवाही वृत्तान्त की जांच करूंगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं कार्यवाही वृत्तान्त की जांच करूंगा।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, कृपया अपने स्थानों पर बैठें।

... (*व्यवधान*)

श्री एम.बी. राजेश (पलक्कड़): यह व्यवहार अत्यंत अभिमानपूर्ण प्रतीत होता है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल: क्या वे एकमात्र ज्ञानी व्यक्ति हैं? महोदय, क्या यह असंसदीय है या नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष: मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आपने पहले ही कुछ बातों पर आपत्ति जता दी है। मैं निश्चित रूप से इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दूंगा। अगर यह असंसदीय है, तो मैं निश्चित रूप से इसे निष्काषित कर दूंगा। यह मामला अब समाप्त हो गया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही अपना फैसला दे दिया है। यदि कुछ भी असंसदीय है, तो मैं इसे निकाल दूंगा। मंत्री महोदय, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री जयंत सिन्हा: यदि आप अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को देखें, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र, जहाँ 74 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति है, तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. क्यों नहीं हो सकती। यदि आप विश्व के अन्य देशों जैसे जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, चीन या मलेशिया में एफ.डी.आई. की सीमा देखें, तो पाएंगे कि वे सभी 49 प्रतिशत से अधिक एफ.डी.आई. की अनुमति देते हैं। अतः हम वैश्विक मानकों के अंतर्गत हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में हैं।

अब, माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि क्या हमारे द्वारा प्रस्तुत की जा रही सिफारिशों में गरीबों के प्रति हमारी चिंता परिलक्षित होती है। हम कई ऐसे नीतिगत प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं जो विशेष रूप से गरीबों के हित में हैं। उदाहरण के तौर पर, *जीवन ज्योति* और *सुरक्षा बीमा योजना* गरीबों के लिए हैं और इनका उद्देश्य बीमा कवरेज को बेहतर बनाना है। इसी भावना और दृष्टि से हम बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफ.डी.आई. की अनुमति देना चाहते हैं, ताकि हम भारत के लोगों को अधिक व्यापक बीमा कवर प्रदान कर सकें।… (*व्यवधान*) माननीय महोदय, यदि मेरी किसी बात से किसी को असुविधा या कष्ट पहुंचा हो तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं केवल तथ्यों में हुई त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा था।… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना क्षमायाचना प्रकट की है। आपको इससे अधिक क्या अपेक्षित है?

… (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: आप इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं? … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वे पहले ही कह चुके हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री जयंत सिन्हाः क्या तथ्यात्मक त्रुटियों को इंगित करना गलत है? अगर मैंने किसी को अपमानित किया है, तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा यह इरादा नहीं था। अगर मैंने अपराध किया है, तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं सिर्फ तथ्यात्मक त्रुटियों को इंगित कर रहा था। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: वे कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें कहने दें।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वीरप्पा मोइली (चिक्काबल्लापुर): माननीय महोदय, मैं सामान्यतः इस प्रकार के विषयों में बहुत ही कम हस्तक्षेप करता हूं। तथापि, वे एक युवा मंत्री हैं जिन पर हम सभी की अपेक्षाएँ हैं। वे हमारे वित्त समिति के सदस्य भी रह चुके हैं और अत्यंत प्रतिभाशाली युवाओं में गिने जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपना भाषण प्रारंभ किया, वह न केवल आश्चर्यजनक था बल्कि चिंताजनक भी था। मैं यह मानता हूं कि सभी मंत्रियों को सदैव विनम्रता का परिचय देना चाहिए, और विशेष रूप से उनके लिए यह अपेक्षित है कि वे अधिक सौम्यता एवं सम्मान के साथ संवाद करें। उन्हें विनम्रता के साथ अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए, न कि अहंकार से। यह व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। विपक्ष द्वारा दिए गए प्रत्येक भाषण को वे प्रमाणित करते रहते हैं—क्या उन्हें इसके लिए कोई अधिकार प्राप्त है? मुझे नहीं लगता कि यह उचित है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। मेरा सुझाव है कि उन्हें अपने दृष्टिकोण में सुधार करना चाहिए और विपक्ष के प्रति की गई अपत्तिजनक टिप्पणियों को वापस लेना चाहिए।… (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, यह बात अच्छी तरह समझ ली गई है। माननीय मंत्री ने भी महसूस किया कि उनके मुख से कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो आवश्यक नहीं था। उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना भी की है।

माननीय उपाध्यक्ष: उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: उन्होंने सार्वजनिक रूप से दो-तीन बार क्षमा याचना की है और माननीय अध्यक्षपीठ ने भी संबंधित टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत से हटाने का आश्वासन दिया है। अतः होली के पावन अवसर की शुरुआत इस प्रकार के अनावश्यक विवाद से न हो। मेरा यह मानना है कि उन्होंने उचित रूप से माफी स्वीकार कर ली है... (*व्यवधान*)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): वे अच्छे से जानते हैं कि हम सभी विपक्ष के प्रति उच्च सम्मान रखते हैं। कृपया यह न भूलें कि यह उनका पहला भाषण है। वे एक सक्षम मंत्री हैं। बात यहीं समाप्त होती है। कृपया उन्हें बोलने की अनुमति दें।

माननीय उपाध्यक्ष: बात समाप्त हुई। आप बोलें।

श्री जयंत सिन्हा: माननीय महोदय, आदरणीय श्री मोइली जी मेरे वरिष्ठ हैं। मैं उनका अत्यंत सम्मान करता हूं और सदन के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के प्रति भी मेरी पूर्ण विनम्रता है। यदि मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो मैं क्षमाप्रार्थी हूं। यहाँ सभी सदस्य बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी हैं, उनके प्रति मेरी पूरी क्षमायाचना है। मेरा किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। मैं केवल तथ्यात्मक बातों को इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह आवश्यक है कि हम इन मुद्दों पर पुनः विचार करें। हम यह कार्य भारत के नागरिकों के हित में कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस देश के लोगों के लिए अधिक से अधिक बीमा उपलब्ध होना अति महत्वपूर्ण है। हमसे यह प्रश्न किया गया है कि हमारी स्थिति में परिवर्तन क्यों हुआ है। इसका कारण यह है कि इस नए विधेयक में, जिसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमने बीमा कंपनियों के संचालन, नियामक प्राधिकरण की भूमिका, तथा बीमा लाभार्थियों के पूर्ण हित की रक्षा के लिए आवश्यक और प्रभावी सुरक्षा प्रावधान किए हैं। यही कारण है कि हमारी दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इसलिए, हमारा मानना है कि यह एक जिम्मेदार और विवेकपूर्ण विधेयक है, जिसे इस सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पारित किया जाना चाहिए, और फिर राज्य सभा में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण और सार्थक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जैसे फसल बीमा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित बीमा, तथा बीमा कंपनियों में अधिक कुशल प्रतिभाओं को शामिल करने के विषय में। हम इन

सुझावों को गंभीरता से विचार करेंगे और सुनिश्चित रूप से उन्हें विधेयक में समाहित करने का प्रयास करेंगे। मैं सभी सदस्यों का उनके मूल्यवान योगदान के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस विधेयक का समर्थन करें और इसे पारित करने में सहयोग दें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री जयदेवन, क्या आप अपना सांविधिक संकल्प आगे बढ़ाना चाहेंगे?

श्री सी.एन. जयदेवन: हां, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष, हम पिछले दशकों से इस बीमा विधेयक के विरुद्ध निरंतर संघर्षरत हैं। यद्यपि देश में वामपंथी आंदोलन की संख्या दक्षिणपंथी आंदोलन की तुलना में कम हो सकती है, फिर भी हम इस विधेयक के प्रतिरोध में अपनी प्रतिबद्धता कायम रखे हुए हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह विधेयक हमारे देश के नेहरूवादी आर्थिक दृष्टिकोण के लिए न केवल एक गंभीर चुनौती, बल्कि उसकी समाप्ति का संकेत है।

हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। हम अक्सर पश्चिमी देशों की ओर देखते हैं और मानते हैं कि सभी प्रमुख विकास उन्हीं देशों में हो रहा है। तथापि, यह तथ्य भी दृष्टिगोचर होता है कि पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। हमें अपने देश की सेवा करनी है। हमारा राष्ट्रीयकृत बीमा क्षेत्र हमें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में हमारी मजबूत उद्योग हैं, और हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मेरा मानना है कि यह विधेयक नेहरूवादी आर्थिक मॉडल के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैंने श्री सी. जयदेवन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 दिसम्बर, 2014 को प्रख्यापित बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 8) का निरनुमोदन करती है।"

संकल्प अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि बीमा अधिनियम, 1938, सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: अब सदन विधेयक पर खंड-वार विचार करेगा।

खंड 2 कुछ अभिव्यक्तियों के संदर्भों को कुछ अन्य अभिव्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित करना

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 धारा 2 का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री करुणाकरन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 2,पंक्ति 22,-

"उनचास प्रतिशत" *के स्थान पर*।

“छब्बीस दशमलव शून्य एक प्रतिशत” प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

महोदय, जैसा कि आज सभा में विस्तार से चर्चा की गई है, सरकार ने एफ.डी.आई. कैप को 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक मेरी पार्टी या वाम दलों का संबंध है, हम वास्तव में 26 प्रतिशत के खिलाफ हैं क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम पिछली संसद के रिकॉर्ड में जाते हैं तो हमने इस वृद्धि के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया था।

यहां सरकार ने इसे फिर से 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इसे निजीकरण कहा जाता है और विदेशी कंपनियां भी आ सकती हैं। विदेशी कंपनियां यहां अपनी शाखाएं खोल सकती हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए, मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे स्वीकार करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री पी. करुणाकरण द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

श्री पी. करुणाकरण: महोदय, मैं मत विभाजन चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घा को खाली करने दें -

स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

महासचिवः माननीय सदस्यों को स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मत विभाजन शुरू होने से पहले, प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने स्थान पर बैठना और सिस्टम को केवल उस स्थान से ही संचालित किया जाना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष 'अब विभाजन' कहेंगी, तो महासचिव मतदान बटन को सक्रिय कर देंगे, जिस पर माननीय अध्यक्ष की कुर्सी के दोनों ओर प्रदर्शन बोर्डों के ऊपर लाल बल्ब चमकेंगे और एक 'गोंग' की आवाज एक साथ सुनाई देगी। मतदान के लिए, माननीय सदस्य कृपया निम्नलिखित दो बटन एक साथ केवल 'गोंग' की ध्वनि के बाद ही दबाएँ, मैं दोहराता हूं, केवल 'गोंग' की ध्वनि के बाद ही - फोन प्लेट के शीर्ष पर प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने लाल मतदान बटन और सीट के डेस्क के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कोई एक बटन लगाया गया हैः

'हाँ' के लिए, हरे रंग का बटन

'नहीं' के लिए, लाल रंग का बटन

'मतदान न करने के लिए', पीले रंग का बटन

दूसरे 'गोंग' को सुनने और प्लाज्मा डिस्प्ले पर लाल बल्ब बंद होने तक दोनों बटन दबाए रखना आवश्यक है। माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि बटन को पहले 'गोंग' ध्वनि से पहले दबाया जाता है और यदि दोनों बटन को दूसरे 'गोंग' तक एक साथ दबाया नहीं जाता है तो वोट पंजीकृत नहीं होंगे। माननीय सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर दोनों तरफ लगे डिस्प्ले बोर्ड पर अपने मत देख सकते हैं। यदि किसी कारणवश मत दर्ज नहीं होता है, तो सदस्य पर्चियों के माध्यम से मतदान की मांग कर सकते हैं। …(*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। अब मैं श्री पी. करुणाकरन द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 22, -

"उनतालीस प्रतिशत" *के स्थान पर*

"छब्बीस दशमलव शून्य एक प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाए।

लोक सभा में मत विभाजन:

मत विभाजन संख्या 1 **हां** **अपराह्न 5.26 बजे**

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

@जयदेवन, श्री सी. एन.

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

संपत, डॉ. ए.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

<u>नहीं</u>

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

@भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चन्द, श्री निहाल

@चन्देल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

देवी, श्रीमती रमा

धर्मबीर, श्री

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गिरि, श्री महेश

गोपाल, डॉ. के.

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

जायसवाल, डॉ. संजय

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

@कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रत्न लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

@कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खुबा, श्री भगवंत

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

मरगथम, श्रीमती के.

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्र, श्री जनार्दन

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाथ, श्री चाँद

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री राजेश

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पाटिल, श्री सी. आर.

पटोले, श्री नाना

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राज, डॉ. उदित

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचन्द्रन, श्री के. एन.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड़, श्री हरिओम सिंह

राठवा, श्री रामसिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

@रे, श्री रविन्दर कुमार

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहू, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

शर्मा, श्री रामस्वरूप

@शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

@सिंह, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री गिरिराज

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उटवाल, श्री मनोहर

वर्धन, डॉ. हर्ष

वेणुगोपाल, डॉ. पी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

भाग नहीं लिया

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

देव, कुमारी सुष्मिता

इरिंग, श्री निनोंग

गोगोई, श्री गौराव

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

पाला, श्री विनसेंट एच.

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रंजन, श्रीमती रंजीत

थॉमस, प्रो. के.वी.

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

माननीय उपाध्यक्ष: शुद्धि के अधीन*, मत विभाजन का परिणाम हैः

हाँ: 9

नही: 177

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 से 102 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 102 विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष: श्री करुणाकरन, क्या आप खंड 103 में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री पी. करुणाकरन: मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 40, पंक्ति 14 से 19 *के स्थान पर*,-

"10ख. साधारण बीमा निगम तथा धारा 10क के अंतर्गत निर्दिष्ट बीमा कंपनियाँ, बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के अनुसार, ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपने व्यापार के विस्तार, शोधन क्षमता की पूर्ति तथा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनकी अनुमति

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से अपना मतदान भी दर्ज/सुधार किया:
हाँ: 009+ श्री सी.एन. जयदेवन = **010**

नहीं: 177+ श्री आर.के. भारती मोहन, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, सर्वश्री राहुल कस्वां, रमेश चन्द्र कौशिक, उदित राज, रविन्द्र कुमार राय, गजेन्द्र सिंह शेखावत, प्रताप सिन्हा = **185**

भाग नहीं लिया: 013

केंद्र सरकार द्वारा दी गई हो, इक्विटी पूंजी के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से संसाधन एकत्र कर सकेंगी।

प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

मुझे लगता है, सरकार इसे स्वीकार कर सकती है क्योंकि यह ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के लिए है। इसलिए, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री पी. करुणाकरन द्वारा खंड 103 में संशोधन संख्या 2 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री पी. करुणाकरण: मुझे मत विभाजन चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष: दीर्घाएं पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

"पृष्ठ 40, 14 से 19 पंक्तियों के स्थान पर,-

“10ख. साधारण बीमा निगम तथा धारा 10क के अंतर्गत निर्दिष्ट बीमा कंपनियाँ, बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के अनुसार, ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपने व्यापार के विस्तार, शोधन क्षमता की पूर्ति तथा अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनकी अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई हो, इक्विटी पूंजी के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से संसाधन एकत्र कर सकेंगी।

प्रतिस्थापित किया जाए।"

लोक सभा में मत विभाजन:

मत विभाजन संख्या 2 **हां** **अपराह्न 5.28 बजे**

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

बीजू, श्री पी. के.

चौधरी, श्री जितेन्द्र

दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

देव, कुमारी सुष्मिता

इरिंग, श्री निनोंग

गोगोई, श्री गौराव

@हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

करुणाकरन, श्री पी.

खान, श्री मो. बदरुद्दोजा

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

पाला, श्री विनसेंट एच.

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजेश, श्री एम.बी.

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रंजन, श्रीमती रंजीत

संपत, डॉ. ए.

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

थॉमस, प्रो. के. वी.

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

<u>नहीं</u>

आदित्यानाथ, योगी

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया, श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बलियान, डॉ. संजीव

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भारती मोहन, श्री आर.के.

@भारती, सुश्री उमा

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

चन्द, श्री निहाल

चन्देल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौहान, श्री देवुसिंह

चौटाला, श्री दुष्यंत

चावड़ा, श्री विनोद लखमशी

छेवांग, श्री थुपस्तान

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

देवी, श्रीमती रमा

धर्मबीर, श्री

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गिरि, श्री महेश

गोपाल, डॉ. के.

गुप्ता, श्री श्यामा चरण

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हरिबाबू, डॉ. कंभमपति

जायसवाल, डॉ. संजय

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जोशी, श्री चन्द्र प्रकाश

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कामराज, डॉ. के.

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खडसे, श्रीमती रक्षाताई

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खुबा, श्री भगवंत

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुमार, डॉ. वीरेन्द्र

कुमार, श्री बी. विनोद

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविन्दर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

माडम, श्रीमती पूनमबेन

मरगथम, श्रीमती के.

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्र, श्री जनार्दन

मोहन, श्री पी.सी.

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नागर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाथ, श्री चाँद

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री राजेश

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

पटेल, श्री देवजी एम.

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाटिल, श्री सी. आर.

पटोले, श्री नाना

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

राधाकृष्णन, श्री पोन

@राज, डॉ. ऑडिट

राज, श्रीमती कृष्णा

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचन्द्रन, श्री के.एन.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठौड़, श्री हरिओम सिंह

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

राठवा, श्री रामसिंह

रावत, श्रीमती प्रियंका सिंह

राय, श्री बिष्णु पद

राय, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

रिजीजू, श्री किरेन

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

संजर, श्री आलोक

@शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सेंगुट्टुवन, श्री बी.

सेंथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शर्मा, डॉ. महेश

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शर्मा, श्री रामस्वरूप

शेखावत, श्री गजेन्द्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजभूषण शरण

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

@सिंह,श्री गिरिराज

@ पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री नागेन्द्र

सिंह, श्री आर. के.

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुशील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

@सिन्हा, श्री जयंत

सिन्हा, श्री मनोज

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

@सोमैया, डॉ. किरीट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

तेली, श्री रामेश्वर

तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासि, श्री शिवकुमार

उटवाल, श्री मनोहर

वर्धन, डॉ. हर्ष

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री लक्ष्मी नारायण

यादव, श्री राम कृपाल

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>भाग नहीं लिया</u>

पाटिल, श्री भीमराव बी.

माननीय उपाध्यक्ष: शुद्धि के अधीन*, विभाजन का परिणाम है:

हाँ: 21

नही: 179

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 103 से 108 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 103 से 108 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री अब विधेयक को पारित कराने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री जयंत सिन्हा: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने पर्चियों के माध्यम से अपना मत भी दर्ज किया/शुद्धि की:
हाँ: 021+ श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा = **022**

नहीं: 179+ सुश्री उमा भारती, डॉ. उदित राज, सर्वश्री राम प्रसाद सरमा, गिरिराज सिंह, जयंत सिन्हा, डॉ. किरीट सोमैया =**185**

भाग नहीं लिया: 001

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सदन अब 'शून्यकाल' पर विचार करेगा। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे संक्षिप्त रूप से अपनी बातें रखें।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत उरई, जालौन और गोपालपुरा तक जो रोड बनी हुई है, उसमें रूरा से लेकर बंगरा तक साढ़े तीन किलोमीटर रोड खराब है। मैं मांग करता हूं कि इसे प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लिया जाए। साथ ही आटा से इटौरा तक, सदुपुरा से भगन्तपुरा होते हुए रेढ़र तक, तीतरा से कोंच तक, एट से कोंच तक, उरई से कोंच तक, कोंच से जालौन तक, उरई से कोटरा तक, हुसेपुरा से जालौन की माता तक, उरई-जालौन मार्ग पर सात किलोमीटर से रूरा, हरकौती, खर्रा, कुवरपुरा होते हुए जालौन-हरदोई मार्ग तक, नूरपुर एवं नसीरपुर को भी प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लेने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री मुकेश राजपूत (फरूखाबाद) : महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का समय दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे के आति व्यस्ततम रेलवे स्टेशन कासगंज को उत्तर रेलवे के आति व्यस्ततम रेलवे स्टेशन अलीगढ़ से जोड़ दिया जाए, जिसकी लम्बाई लगभग 55 किलोमीटर है। यह रेल कनेक्टिविटी होने से दिल्ली से कानपुर सीधा जुड़ जाएगा। इससे एक नहीं, लगभग 9 या 10 लोक सभा क्षेत्रों के लोगों को बैनीफिट मिलेगा।

फर्रूखाबाद आलू का मुख्य उत्पादन केन्द्र है, जो विश्व में स्थान रखता है। कन्नौज इत्र, सैंट के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। फतेहगढ़ में दो महत्वपूर्ण सामरिक रेजिमैंट्स हैं - राजपूत और सिखलाई रेजिमैंट। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि इस सामरिक, आर्थिक महत्व के रेल मार्ग को तुरंत जोड़ने की आवश्यक कार्रवाई करें, जिससे पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल के कासगंज, फरूखाबाद, कन्नौज, संभल, मिश्रिख, अकबरपुर, कानपुर, एटा, बदायूं आदि लोक सभाओं के आम आदमी को सीधा दिल्ली से

जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे रेल विभाग को भी काफी राजस्व मिलेगा और समय बचेगा। इसका प्रस्ताव पास हो चुका है और इसका सर्वे भी हो चुका है। सर्वे में भी इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है।

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदय, देश में वर्ष 2001 में जो जनगणना हुई, उसके माध्यम से जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें हम बी.पी.एल. के लोग कहते हैं, वर्ष 2005-06 में योजना बनी, संविधान के अधिकार के आधार पर उन्हें मकान देने की बात भी उसमें रखी गई। वर्ष 2005-06 में जो योजना बनी, उसके अंतर्गत इंदिरा आवास के मकान अभी तक नहीं बने हैं। वर्ष 2011 में पुन: जनगणना हुई। उसमें बहुत से लोगों का नाम निकलने वाला है। मैं भंडारा-गोंदिया क्षेत्र से आता हूं। जब मैंने चार दिन पहले जानकारी ली, तब पता चला कि दोनों जिलों में 1,25,000 लोग, जिनका नाम बी.पी.एल. लिस्ट में है, उन्हें आज तक मकान नहीं मिले। देश में वर्ष 2001 में जिन लोगों का बी.पी.एल. की लिस्ट में नाम था, उन सबको इंदिरा आवास के मकान मिलने चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के कोटे में वृद्धि की जाए, मैं यह मांग यहां रखता हूं।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला में रेलवे विकास व रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजनाएं वर्षों से लंबित पड़ी हैं। मेरा संसदीय क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र है, जो रेलवे के मूलभूत ढांचे से आज भी वंचित है। यमुनानगर से चंडीगढ़ रेलवे लाइन निर्माण की योजना वर्षों से लंबित पड़ी है। कालका से परमाणु की योजना पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। यमुनानगर से पटियाला वाया कुरुक्षेत्र, यमुनानगर से देहरादून वाया परवातू साहिब योजना भी अधर में लटकी है। अम्बाला, यमुनानगर व पंचकुला के रेलवे स्टेशन के विकास की योजनाओं पर भी अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। यमुनानगर पहले अबदुल्लापुर स्टेशन के नाम से जाना जाता था, वह भी जीर्ण अवस्था में है। अम्बाला कैन्ट रेलवे स्टेशन से हर रोज 350 के लगभग यात्री व मालगाड़ी ट्रेन गुजरती हैं। मुझे बड़ा दुःख है कि इसे विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन की श्रेणी से वंचित कर दिया है।

मैं मांग करता हूं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया जाए और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कदम उठाएं जाएं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, भारत आज दुनिया की सबसे आधिक आबादी वाला देश है, परंतु देश के युवाओं में नशीले पदार्थों एवं शराब का प्रचलन आज गंभीर चिंता का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पिछले सत्र के दौरान आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में देश के युवाओं में नशे एवं ड्रग्स की बात को देश और समाज को बर्बाद कर देने वाली भयंकर बीमारी एवं बुराई बताते हुए गंभीर चिंता व्यक्त की थी। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने देश में वर्ष 2010 से 2013 के बीच में 4,77,850 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए थे। देश में नशीले पदार्थों की तस्करी के वर्ष 2013 में 22516 मामले सामने आए, जबकि इस वर्ष 12168 मामले दर्ज किए गए हैं।

आज पूरी दुनिया में मेड इन चाइना का माल छाया हुआ है, जबकि कुछ समय पहले मेड इन चाइना के स्थान पर मेड इन जापान माल की गुणवत्ता थी। लेकिन उसी समय समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र जापान में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, ताकि वहां के युवाओं को मानसिक रूप से दिवालिया बना सके। अगर वे दिवालिया हो जाएंगे तो जापान में सूक्ष्म उच्च कोटि के अनुसंधान कार्य पर रोक लग जाएगी। कहीं बाहर के देश भी हमारे देश के साथ ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं। पड़ोसी राष्ट्रों में भी नशीली चीजों का उत्पादन बढ़ने एवं सीमाओं से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी से देश की सीमाओं पर भी खतरा बढ़ा है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बुराई के विरुद्ध देश में समाज से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, विभिन्न समाजों के संत, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों का सहयोग लेकर नशे की इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति बनाकर काम किया जाए।

[अनुवाद]

श्री मो. बदरुद्दोजा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे जिले मुर्शिदाबाद में नई रेलवे लाइन की आवश्यकता का प्रश्न है, वहाँ दो दीर्घकालिक एवं महत्वपूर्ण माँगें लम्बित हैं। पहली माँग है — कृष्णनगर से करीमपुर होते हुए बेहरामपुर तक नई रेलवे लाइन की स्थापना; और दूसरी है — सैंथिया से कंडी होते हुए चौरिगाछा तक रेलवे संपर्क का विस्तार। दूसरी मांग वर्ष 2009 के रेल बजट में घोषित की

गई थी और वर्ष 2011-13 में सर्वेक्षण किया गया था लेकिन इस रेल बजट में इस रेल लाइन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

कृष्णानगर से करीम्पोरे होते हुए बेहरामपुर तक प्रस्तावित रेलवे लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्षेत्र में लाखों लोग ऐसे रहते हैं जो न तो अपने जिला मुख्यालय से और न ही राजधानी कोलकाता से रेलमार्ग द्वारा जुड़ पाए हैं। इस रेल संपर्क की कमी उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में बड़ी बाधा बनी हुई है। वे पूरी तरह सड़क परिवहन पर निर्भर हैं, जो पर्याप्त भी नहीं है। इसके कारण उन क्षेत्रों के लोग अपने दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, विशेष रूप से छात्र, सब्जी विक्रेता, छोटे व्यवसायी, मरीज आदि। साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसरों की भारी कमी का सामना भी करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस साल के रेलवे बजट में इन दोनों प्रस्तावों को शामिल किया जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को कुछ राहत मिल सके।

[हिन्दी]

श्री चाँद नाथ (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र अलवर राजधानी परियोजना क्षेत्र एन.सी. आर. में शामिल होने के बावजूद भी हमेशा से उपेक्षित रहा है। अलवर में पिछले समय में एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं करवाये गये हैं, जिससे अलवर का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। अलवर जिला राजस्थान का सिंहद्वार कहलाता है, जो कि दिल्ली-जयपुर के मध्य में स्थित है। यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर सरिस्का टाइगर रिजर्व, अरावली की हरित श्रृंखला, बाला किला, महाराज भतृहरि की तपोस्थली, स्वामी विवेकानन्द प्रवास स्थल, जयसमन्द झील, मानसरोवर झील, डढीकर फोर्ट के पास श्यामसा स्थल है, जहां पर पुरातात्विक महत्व की राक पेन्टिंग्स काफी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। वह राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी है।

अलवर सिटी सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन्स में पूरी तरह से खरा उतरता है। मुझे प्राइवेट सेक्टर में पूरी तरह से सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। यदि पी.पी.पी., यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत अलवर को स्मार्ट सिटी घोषित किया जाये।

अतः इन सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए यदि शहरी विकास मंत्रालय अलवर को एक स्मार्ट सिटी के रूप में शामिल करता है तो निश्चित ही अलवर जिले का विकास होगा एवं अलवर जिले में पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सकेगा। इसके साथ-साथ राजस्थान प्रदेश का विकास भी संभव हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक गंभीर विषय सदन के पटल पर रखना चाहूंगा। जहां एक ओर पूरे देश में एक मुहिम चलाई जाती है जिसे कहा जाता है नेत्रदान- महादान। दूसरी ओर हमारे देश के तीन बड़े रिसर्च इंस्टीट्या़ूट्स, जिनमें दिल्ली का एम्स, चंडीगढ़ का पी.जी.आई. और रोहतक का पी.जी.आई. है। हमें आर.टी.आई. के हवाले से पता चला है कि नेत्रदान हुआ, लेकिन उसके बाद दो हजार आंखें पिछले पांच वर्षों में उन अस्पतालों ने कूड़े के डिब्बे में डालने का काम किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि इसकी डिटेल इंक्वायरी करायी जाये, क्योंकि एक ओर नेत्रदान इसलिए किया जाता है कि किसी नेत्रहीन व्यक्ति को आंखें लगाकर उसे नयी दिशा दी जा सके, वहीं दूसरी ओर अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो हमने पिछले पांच वर्षों में दो हजार लोगों का अधिकार छीनकर उसे वेस्ट करने का काम किया है।

मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में हमारी स्टूडैंट विंग, इंडियन नेशनल स्टूडैंट आर्ग्नाइजेशन ने एक कैम्प लगाया था, जिसमें 10, 540 आंखों को हमने आठ घंटे में दान करके एक रिकार्ड सेट करने का काम किया था। अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो यह निंदा की बात है। मैं पूरे सदन से अपील करूंगा कि वे इसकी एक डिटेल इंक्वायरी करने की मांग करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं बाड़मेर-जैसेलमेर, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र से आता हूं। वहां पर बी.ए.डी.पी., यानी बार्डर एरिया डेवलपमैंट प्रोग्राम के तहत हर साल करीब 40 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। ये पैसे चार ब्लाक्स--जैसेलमेर, बाड़मेर, शिव और धोरीमना के लिए शुरू से आ रहे हैं, परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्ष 2006 में एक गाइडलाइन आई, जिसमें कहा गया कि बार्डर एरिया से सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर ही इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर फरवरी, 2014 में एक गाइडलाइन आई। उसमें भी कहा गया कि सिर्फ दस किलोमीटर के अंदर ही इस पैसे को खर्च करना है। पिछले सात-आठ सालों में दस किलोमीटर के अंदर करीब-करीब सारे काम हो चुके हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी आदि है। बार्डर एरिया में पापुलेशन बहुत कम है। जब हम इस बारे में मजिस्ट्रेट से बात करते हैं तो वे कहते हैं कि हम सिर्फ दस किलोमिटर के अंदर ही इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। यह मुद्दा मैंने आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कहा है। उन्होंने मुझे सहानुभूतिपूर्ण जवाब दिया है, क्योंकि वे बार्डर एरिया का प्रपोजल ला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी गृह मंत्रालय से रिक्वेस्ट है कि यह गाइडलाइन बदलकर जीरो से दस किलोमीटर की बजाय सारे एरिया में डेवलपमैंट होना चाहिए, ताकि वहां पूरा विकास हो। दूसरा, बी.ए.डी.पी. की जो कमेटी है, वह एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की है और दूसरी स्टेट लेवल की है। ...(व्यवधान) सांसद उसका सदस्य भी नहीं है। ...(व्यवधान) सांसद को उस कमेटी में लेना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहां अपनी मर्जी से प्रपोजल बनाकर भेज देता है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया संक्षिप्त रूप में अपनी बात रखें। लगभग छह बज चुके हैं और अब कार्यवाही समापन की ओर है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। गन्ने का भुगतान भी पिछले वर्ष बहुत देर से हुआ था और इस वर्ष भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। किसानों को उनके घरों के मंगल कार्य तक स्थगित करने पड़ रहे हैं, वे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। पिछले सप्ताह जो ओला वृष्टि हुई है, उसके कारण वे और आधिक परेशान हुए हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी सरकार ने प्रदेशों का हिस्सा 10 प्रतिशत से बढ़ाया है। उम्मीद है कि वे इस बढ़े हुए संसाधन का उपयोग संवेदनशीलता के साथ किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए भी करेंगे। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि गन्ना किसानों का भुगतान किया जाए और सहायता के रूप में जो राशि दी जाए, उसमें से भुगतान एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन किसानों को इस संकट से बचाना बहुत आवश्यक है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान बहुत तकलीफ में हैं, उनके संकट को दूर किया जाए, यह मेरी प्रार्थना है।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा - उपस्थित नहीं।

श्री गजानन कीर्तिकर - उपस्थित नहीं।

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं भारत की एक प्रमुख नदी यमुना के विषय में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसे गंगा एक प्रमुख नदी है, उसी प्रकार से यमुना भी एक प्रमुख नदी है। इस देश में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। आज जब यमुना को देखते हैं, तो उसका बहुत बुरा हाल है। भारत के बहुत बड़े साधु समाज इसके लिए आंदोलन करते हैं, इसमें तीर्थ-स्नान करते हैं, चरणामृत लेते हैं, पर जहाँ पर यह प्राणदायिनी और जीवनदायिनी है, जिस प्रकार का हाल है, मैंने स्वयं यमुना के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, मीडिया ने भी कई कैंपेन चलाये हैं, पर आज सुप्रीम कोर्ट तक ने यह कह दिया है कि यह एक गंदा नाला है। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे 'नमामि गंगे' योजना शुरू किया गया है, उसी तरह से नमामि 'यमुने योजना' भी शुरू किया जाए। यदि गंगा नहीं बचेगी, तो देश नहीं

बचेगा और यमुना नहीं बचेगी, तो दिल्ली भी नहीं बचेगी। इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि यमुना का पुनर्जीवन हो।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भगवंत मान - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

डॉ. अंबुमणि रामदोस (धर्मपुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के नौजवानों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सभा के सामने लाना चाहता हूं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 18 लाख लोगों की मृत्यु शराब के सेवन से — प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से — होती है। लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन के कारण होती है, जबकि केवल 5 से 7 लाख लोगों की मृत्यु संक्रामक रोगों जैसे कि क्षय रोग (टीबी), मलेरिया, हैजा, स्वाइन फ्लू, टायफाइड, एचआईवी, बर्ड फ्लू और अन्य बीमारियों से होती है। अतः यह समस्या देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अत्यंत गंभीर रूप ले सकती है।

भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इसका कारण शराब का सेवन है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने यह सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित सभी शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए। समिति ने यह भी कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अधिकांश मृत्यु का कारण शराब का सेवन है।

सामाजिक न्याय पर अधिवक्ता मंच ने उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सरकार (जो अटॉर्नी जनरल के नेतृत्व में है) से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर शराब की बिक्री को लेकर एक ठोस और स्पष्ट नीति बनाए।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक परिपत्र जारी कर यह निर्देश दिया है कि देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज्यों द्वारा इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उसकी यह योजना है कि वह एक राष्ट्रीय शराब नीति लाए, और साथ ही गुजरात राज्य की तरह पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी को सख्ती से लागू करे?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में यह निर्देश दिया गया है कि सभी राज्यों को पूर्ण शराबबंदी लागू करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार राष्ट्रीय शराब नीति लाने और पूर्ण शराबबंदी लागू करने की योजना बना रही है, ताकि हमारे देश के लाखों युवा इस नकारात्मक प्रवृत्ति से बच सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल संबंधी कुछ मामले को उठाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि ठाकुरगंज में कैपिटल एक्सप्रेस और गुवाहाटी-राँची एक्सप्रेस तथा कंचनकन्या एकसप्रेस का स्टॉप बनाया जाए। दूसरी मांग यह है कि डिब्रुगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस, कामाख्या गांधी धाम एक्सप्रेस, कोलकाता-हल्दीबाड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एन.जी.पी.-अमृतसर कर्मभूमि एक्सप्रेस और कामाख्या-मुम्बई एल.टी.टी. कर्मभूमि एक्सप्रेस का किशनगंज में स्टॉप बनाया जाए। पोठिया, तैय्यबपुर और पिपरीस्थान में अभी हाल्ट हैं, मैं चाहता हूं कि इन तीनों को स्टेशन में परिवर्तित किया जाए। किशनगंज में पिटलाइन तैयार हो गई है, मैं चाहता हूं कि वहां से एक गाड़ी नई दिल्ली और पटना के लिए चलाई जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। वर्तमान सूची पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और नई सूची आ चुकी है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कृपया एक मिनट के भीतर अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करें और अपना वक्तव्य लंबित न रखें। केवल इसी शर्त पर मैं आपको आगे बोलने की अनुमति प्रदान कर सकूँगा।

यदि सभा की सहमति हो तो हम सभा का समय 'शून्य काल' के समाप्त होने तक बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी से बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (राजू भैया) (एटा) : महोदय, गाय भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है और देशवासियों की सुविधा भी इसी से जुड़ी है। आए दिन दो सौ, तीन सौ, चार सौ गायें पकड़ी जाती हैं और उनका वध किया जाता है। इसी हाउस में 8 अगस्त, 2014 को तारांकित प्रश्न संख्या 3265 के जवाब में माननीय कृषि मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया था कि 3.40 लाख गोवंश का वध हुआ है और 2014 में ऐसी 5404 घटनाएं हुई हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है, क्योंकि अब तक कोई भी सख्त कानून इस बारे में नहीं बना है। कुछ प्रदेशों में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस बारे में बहुत सख्त कानून बनाया जाए ताकि अपराधियों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): श्री उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णगिरी में, सामलपट्टी उत्तरगिराई तालुका में स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग 1,85,000 है। इस तालुका का रेलवे स्टेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रतिदिन लगभग 80 से 90 यात्री तथा मालगाड़ी गुजरती हैं।

आसपास के गाँवों के हज़ारों लोग इस रेलवे स्टेशन का उपयोग विभिन्न गंतव्यों की यात्रा के लिए कर रहे हैं। इस स्टेशन में यात्री विश्राम कक्ष, शौचालय और पेयजल जैसी उपयोगकर्ता सुविधाएं नहीं हैं।

इस स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए कोई फुट ओवर ब्रिज नहीं है। टिकट काउंटर दूसरी प्लेटफॉर्म के विपरीत दिशा में स्थित है, जिससे टिकट खरीदने वाले यात्रियों को पहले प्लेटफॉर्म पर मौजूद दो रेल पटरियों को पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित रूप से पहुंचना पड़ता है।

इस बीच, यदि कोई ट्रेन पहली पटरी से गुजर रही हो, तो यात्रियों को दूसरी प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है।

माननीय उपाध्यक्ष: आप क्या चाहते हैं?

श्री के.अशोक कुमार: मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज की सुविधा अविलंब स्थापित की जाए।

इसके अतिरिक्त, दूसरे प्लेटफॉर्म पर कोई आश्रय स्थल उपलब्ध नहीं है। अतः मैं समलपट्टी स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदय, विद्यार्थियों को उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। जिस तरह से देश में एस.सी. और एस.टी. के छात्रों को शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि ओ.बी.सी. के गरीब छात्रों को राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर केवल बजट के आधार पर छात्रवृत्ति देते हैं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर जो ओ.बी.सी. का छात्र पात्रता रखता है, उसे एस.सी. और एस.टी. छात्रों की तरह शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति मिले, यह मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन (वडकारा): मैं इस सभा के समक्ष दिल्ली के नागरिकों के जीवन और सुरक्षा से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं।

दिल्ली की सड़कों पर सैंकड़ों आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, जिनमें उच्च सुरक्षा क्षेत्रों जैसे संसद भवन, संसद उपभवन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान तथा लुटियंस दिल्ली के समस्त हिस्से शामिल हैं। पुरानी दिल्ली में यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण किए हुए है।

आवारा कुत्तों की समस्या और खतरा चिंताजनक स्तर तक पहुँच चुका है। इसका स्पष्ट प्रमाण अस्पतालों में रेबीज के टीकों के लिए लगी लंबी कतारें हैं।

सड़क उपयोगकर्ता, चाहे वे युवा हों या वृद्ध, पैदल यात्री हों, बसों का इंतजार कर रहे छात्र हों, मरीज हों, खरीदार हों या सैर कर रहे लोग—सभी खतरे में हैं। सभी जोखिम के दायरे में हैं।

इसलिए, मैं सरकार से विनती करता हूं कि वे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और आने से रोकने के लिए सही और प्रभावी उपाय करें।

<u>सांय 6.00 बजे</u>

श्री बी. सेनगुट्टुवन (वेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपको इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे तमिलनाडु की जनता के बीच गहरी चिंता का विषय प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

ग्रामीण समुदायों में प्रचलित जल्लीकट्टू, जिसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, एक सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन है जिसमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त दुर्लभ बैल प्रजातियों को नियंत्रित किया जाता है। यह उत्सव प्राचीन तमिल सभ्यता और उसकी परंपराओं की गहन अभिव्यक्ति है। यह आयोजन सभ्यता के उद्भव जितना ही प्राचीन है, जिसका प्रमाण संगम साहित्य में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। यह खेल तमिल संस्कृति की उस भावना का प्रतीक है, जो वीरता और साहस को सर्वोच्च स्थान देती है।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अब मुद्दे पर आएं।

श्री बी. सेंगुट्टुवन: हाल ही में इस खेल पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो इस गलतफहमी से उत्पन्न हुआ है कि जानवरों के भी अधिकार होते हैं। तथापि, आधुनिक न्यायशास्त्र में जानवरों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। हमें उनकी कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व अवश्य है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने दिनांक 11.07.2011 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें बैलों सहित कुछ अन्य जंगली जानवरों को खेलों में प्रदर्शित करने और प्रशिक्षित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी आधार पर प्रतिबंध लागू किया गया। हमारी सरकार ने संबंधित मंत्रालय को पहले ही बैलों के संबंध में उस अधिसूचना को वापस लेने हेतु पत्र लिखा है।

अतः मैं आग्रह करता हूं कि मंत्रालय बैलों के संबंध में उक्त अधिसूचना को वापस ले।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मिश्रिख लोक सभा संसदीय क्षेत्र में 159-बिलग्राम -मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में मल्लावां रेलवे स्टेशन के ऊंचीकरण की मांग करने के लिए खड़ी हुई हूं। इसके न होने से वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि उक्त मल्लावां रेलवे स्टेशन के ऊंचीकरण के बारे में विचार करें।

[अनुवाद]

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की अधिकतर आबादी, लगभग 60 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। धान उत्पादक किसान केंद्र सरकार के केंद्रीय पूल के लिए अपना उत्पादन भारतीय खाद्य निगम को बेचने को प्राथमिकता देते हैं, ताकि उन्हें कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित हो सके।

मुझे सूचित हुआ है कि सरकार लेवी प्रणाली के तहत धान की खरीद पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बना रही है। इस कदम से किसान असहाय स्थिति में आ जाएगा क्योंकि उसे मिलरों और व्यापारियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी, जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी।

यह निर्णय उन राज्यों पर गहरा प्रभाव डालेगा जो अधिक उत्पादन के साथ-साथ अधिक खपत भी करते हैं। इस संदर्भ में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वे राज्य हैं जो अपनी उत्पादन की 80 प्रतिशत खपत करते हैं, जबकि छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य उत्पादन तो करते हैं पर उनकी खपत बहुत कम होती है। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और ओडिशा जैसे राज्य भी लेवी प्रणाली के तहत खरीद बंद करने के प्रस्तावित निर्णय से प्रभावित होंगे।

अतः मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव को आगे न बढ़ाएं और लेवी प्रणाली के तहत केवल 25 प्रतिशत धान खरीदने की शर्त को समाप्त करें। साथ ही, किसानों से पहले की तरह 75 प्रतिशत धान खरीदना फिर से शुरू करें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बाघपत): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए बुलाया। आज मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है। असमय यह मुद्दा सभा में उठ चुका है। बारिश और ओलावृष्टि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई ह उसके कांसेप्ट में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष वहां के गन्ना उत्पादकों को अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। मेरे बागपत संसदीय क्षेत्र में सैंकड़ों शादियां कैंसिल हुई हैं। इस बार रबी की फसल होने पर लोगों को आशा थी

कि वे अपने बच्चों की शादियां कर सकेंगे, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि से रबी की फसल नष्ट हो गई है, लगता है कि इस बार भी उन्हें शादियां कैंसिल करनी पड़ेंगी। मेरी केन्द्र सरकार से तीन मांग हैं। पहली मांग यह है कि यू.पी. सरकार को कहकर गन्ना किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इसके अलावा केन्द्र सरकार का जो कम्पनसेशन रेट है 1500 रुपए प्रति हेक्टेयर का, उसे बढ़ाया जाए। मेरी तीसरी मांग है कि सरकारी और कोआपरेटिव बैंकों से जो लोन लिया गया है, उसके लिए बैंक रिकवरी एजेंट लगाते हैं। उसमें कम से कम एक साल का रिलीफ दिया जाए। किसानों का अपना पैसा है, उसमें जबर्दस्ती हैरासमेंट किया जाता है, उसे बंद किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, मैं इस सभा के समक्ष हमारे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों की चिंता व्यक्त करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निहित कानूनी अधिकार से संबंधित है।

मैं एक प्रतिष्ठित राजनीतिक पत्रिका से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय खाद्य मंत्री...* (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: नाम कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी: वे भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन पर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा कवरेज को 67 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।... (*व्यवधान*)

रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि संभावित चुनावी परिणामों के भय से, भाजपा ने संसद में इस अधिनियम पर चर्चा के दौरान केवल दिखावा किया कि वह इसका समर्थन कर रही है।... (*व्यवधान*) पहले से ही 11 राज्यों ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया है। महोदय, 25 राज्यों ने अभी तक इस

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

अधिनियम को लागू नहीं किया है... (*व्यवधान*) सच्चाई यह है कि यह एक कानूनी अधिकार है, जिसे दुनिया में पहली बार भारत में लागू किया गया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सत्तारूढ़ दल के प्रति इस प्रकार का रवैया उचित नहीं है।… (*व्यवधान*) यह बिल्कुल गलत है। … (*व्यवधान*) एक स्थायी समिति की रिपोर्ट मौजूद है, जिसका उचित संज्ञान लेना अति आवश्यक है।… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: लगाए गए आरोपों को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह भारत में पहली बार प्रस्तुत किया गया है। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... **

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने निर्देश दिया कि आरोपों को हटा दिया जाएगा

… (*व्यवधान*)... **

माननीय उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही सूचित कर दिया है कि आरोपों को हटा दिया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

श्री के. परसुरमन (तंजावुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान भारत में नदियों के अंतर्संयोजन कार्यों के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई योजनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

नदियों की सफाई अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही जल की बर्बादी को रोकने के लिए नदियों को आपस में जोड़ना भी आवश्यक है। नदियों का अंतर्संयोजन कई राज्यों के कृषि विकास में निश्चित रूप से सहायक होगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। नदियों के अंतर्संयोजन का उद्देश्य अतिरिक्त

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जल भंडारण सुविधाओं का सृजन करना और जल को अधिशेष क्षेत्रों से अधिक सूखे वाले क्षेत्रों तक अंतर्बेसीय स्थानांतरण के माध्यम से पहुंचाना है। दावा किया जाता है कि इससे लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई संभव होगी और लगभग 30,000 से 40,000 मेगावाट की शुद्ध विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त होगी। इन सकारात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें नदियों के अंतर्संयोजन परियोजना की लागत, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपये हो सकती है, की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भारत को अधिक समृद्ध और मजबूत बनाने के लिए एक महान निवेश होगा।

हमारी *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने सदैव नदियों के अंतर्संयोजन के महत्व पर जोर दिया है। अतः मैं हमारे जल संसाधन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस स्वप्न परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए तत्पर और ठोस कदम उठाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी हो रही है। मैंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी को कई बार पत्र लिखा। बिहार के पी.एम.जी.एस.वाई. से संबंधित पदाधिकारियों और अभियंताओं से मुलाकात की है, लेकिन परिणाम शून्य रहा। मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिले के मधुबन प्रखंड में एन.एच. 104 से दुबहा-दोस्तिया पथ निर्माण में भारी अनियमितता की मैंने लिखित शिकायत की। उक्त पथ हर्षवर्द्धन कंस्ट्रक्शन नामक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। शायद केंद्र से कोई एन.क्यू.एम. भी सड़क की गुणवत्ता को जांचने गया, जिसका नाम ... * था, परन्तु आश्चर्य की बात है कि एन.क्यू.एम. भी मैनेज हो गया, जिसका नाम ...* था। आज तक मुझे इस संबंध में कृत कार्रवाई से अवगत भी नहीं कराया गया। जब मैंने क्षेत्र में कार्यपालिका अभियंता से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञता जाहिर की। मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले दो-तीन वर्षों में 40 से आधिक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण लम्बित है। इसके कारण क्षेत्र की जनता को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। जर्जर पथ पर आवागमन से आए दिन दुर्घटना होती है। वृद्ध एवं रोगियों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के सांसद होने के नाते मुझे कभी-कभी जनता का कोपभाजन बनना पड़ता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से आग्रह है कि शिवहर लोक सभा क्षेत्र के लिए एक विशेष टीम गठित कर प्राथमिकता के आधार पर सभी लम्बित सड़क निर्माण सहित, जो संवेदक घटिया सड़क बना रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और उस कार्रवाई की सूचना मुझे भी दी जाए।

[अनुवाद]

श्री जितेन्द्र चौधुरी (त्रिपुरा पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष, धन्यवाद। कोक-बोरोक, तिब्बती-बर्मन समूह की एक बोली है, जो भारत के त्रिपुरा, मिजोरम और असम राज्यों और बांग्लादेश के आठ जिलों में रहने वाली तेरह लाख से अधिक त्रिपुरी आबादी की मातृभाषा है। कोक-बोरोक भाषी शासकों ने राज्य पर 1300 से अधिक वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसका विकास उस प्रकार से नहीं हो सका। यद्यपि कोक-बोरोक पूर्वी भारत की एक समृद्ध भाषा है, जो अपनी लोककथाओं, लोकगीतों, शब्दावली और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी यह अपेक्षित रूप से फल-फूल नहीं सकी।

फिर भी, कोक-बोरोक भाषा अपने लोगों के अथक प्रेम और त्याग तथा राज्य में दो महान दूरदर्शी नायकों, श्री नृपेन चक्रवर्ती एवं श्री दशरथ देब के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के समर्पित प्रयासों की बदौलत जीवित और समृद्ध हुई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप, 19 जनवरी 1979 से कोक-बोरोक को राज्य की आधिकारिक भाषाओं में एक मान्यता प्राप्त हुई।

कोक-बोरोक के त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में पिछले 36 वर्षों के सफर में, इसने साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई लेखकों, गायक और संगीतकारों को साहित्य अकादमी एवं संगीत नाटक अकादमी जैसे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।

इसके बावजूद, वैश्वीकरण के इस युग में कोक-बोरोक जैसी अल्पसंख्यक भाषा का अस्तित्व और विकास अत्यंत कठिन है, जब तक कि इसे केन्द्र सरकार द्वारा कानूनी रूपरेखा, बजटीय सहायता एवं विभिन्न विभागीय गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण न दिया जाए। आज की परिस्थितियों में यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से वंचित सभी समुदायों को उनके सांस्कृतिक

और भाषाई विकास के माध्यम से जोड़कर देशभक्ति की भावना एवं बहुलवाद की समझ को प्रोत्साहित किया जाए।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोक-बोरोक को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल की जाए। त्रिपुरा विधान सभा, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों की स्वायत्त परिषद ने इस संबंध में कई बार भारत सरकार को अपना प्रस्ताव भेजा है। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि सदन के संज्ञान में है, पूरे उत्तर भारत में ओला वृष्टि और अतिवृष्टि से किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी भूकम्प से ज्यादा स्थिति खराब हुई है। पहले ओला पड़ा, फिर उसके बाद अति वर्षा से किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई। विद्युत के तार जगह जगह टूटे पड़े हैं। पोल टूट गये हैं। तारें घरों में झूल रही हैं। घर के खपरैल पूरी तरह से टूट गये हैं। किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसको दैवीय आपदा न माना जाए और उसके हिसाब से धीरे धीरे रिपोर्ट मंगाकर फिर कार्रवाई की जाए, ऐसा न किया जाए। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके वहां पर पूरी तरह से राहत कार्य चलाए जाएं। पूरी कार्रवाई करके बिजली की व्यवस्था ठीक की जाए और किसानों को उनका मुआवजा दिया जाए तथा उनके कर्जे माफ करने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा, हमारी गतिशील पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन में उभरा है।

चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के तहत, कॉरिडोर-**I** का विस्तार तिरवॉत्तियुर और विम्को नगर तक किया जाएगा, जो नौ किलोमीटर की दूरी को पूरा करेगा। यह परियोजना 3,770 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी होगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के फेज-**II** कॉरिडोर के कार्यान्वयन के लिए भी अनुमति

मांगी गई है, जो 76 किलोमीटर लंबा होगा और जिसकी अनुमानित लागत 36,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध है, ताकि इसे जल्द से जल्द स्वीकृत किया जा सके। इसके अलावा, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ एम.आर.टी.एस. के विलय से सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच प्रभावी तालमेल संभव होगा, जो पिछले कुछ समय से रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय के विचाराधीन है; इसे जल्द मंजूरी दी जा सकती है।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका प्रदान किया है।

मैं सदन का ध्यान वर्षा के जल का भंडारण किये जाने की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि जीवन में जल का महत्व क्या है, इस बारे में देश की जनता भलीभांति जानती है। वर्षा के न होने पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या के लिए पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाना भी सभी सरकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हमें पानी की मांग और आपूर्ति के बीच समन्वय बनाने की आवश्यकता है। जल सीमित है, इसके प्रयोग में मितव्ययता बरतने की जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है।

आज पूरा देश पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा है। प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नही रहती। वर्षा का जल संचय करने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम भी उठाए गए हैं। सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए भवनों, कॉलेजों व विद्यालयों में वर्षा का जल संचय करने के लिए प्रावधान भी किये जाते हैं। किसानों को भी वर्ष भर खेत में जल की आवश्यकता रहती है। सरकार द्वारा वर्षा के जल संचय को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन वे सभी निरर्थक हैं। वर्षा के जल संचय के लिए आवश्यक संसाधन बनाए जाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, यदि सरकार उस धन का एक हिस्सा उपलब्ध कराए तो जागरूकता अभियान काफी मददगार सिद्ध होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मेरा निवेदन कर्मचारी पेंशन निधि योजना में विसंगतियों और कमियों के संबंध में है जो लाखों ई.पी.एफ. पेंशनभोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

एक सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने दस वर्षों के लिए पेंशन के आंशिक भुगतान का विकल्प चुना है, उसे कुल कम्यूट की गई धनराशि प्राप्त करने के बाद भी पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ता है, जो उनकी मृत्यु तक जारी रहती है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और कल्याणकारी कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।

कम्यूटेशन और पूंजी वापसी योजना के लाभ 26 सितंबर 2008 से बंद कर दिए गए हैं। इन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस फैसले से देश के लाखों अस्थायी कामगार, गरीब और मेहनतकश लोग प्रभावित हो रहे हैं।

मासिक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये सभी ईपीएफ पेंशनभोगियों पर लागू नहीं होती है। जो पेंशनभोगी कम्यूटेशन और पूंजी वापसी योजना का विकल्प चुनते हैं, या जो 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना शुरू करते हैं, वे न्यूनतम पेंशन पाने के पात्र नहीं होते। इस योजना को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि सभी पेंशनभोगियों को किसी भी वर्गीकरण की परवाह किए बिना न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सके।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया है।

देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जब होता है, तभी किसी अभियुक्त को फांसी की सजा मिलती है और आज इस घटना को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में इसकी प्रतिक्रिया हो रही है, जिस तरह से पूरे देश में लोग मर्माहत हैं, इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम निश्चित तौर पर उसकी जांच करेंगे कि एक रेपिस्ट को किस तरह से इजाजत दी गई कि जो मृत्युदंड की सजा पाये अपराधी हों, उनका इंटरव्यू हो। लेकिन उससे ज्यादा गम्भीर बात यह है कि जिस कंडीशन पर अगर लैसली उडविन, जो बी.बी.सी. की संवाददाता हैं, अगर उन्हें इजाजत मिली है, अगर उन्होंने उस कंडीशन का वॉयलेशन किया है तो उन शर्तों के उल्लंघन के बाद आज निश्चित तौर पर भारत में इंफॉर्मेशन

एंड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्ट्री या हमारी सरकार ने कहा है कि जो निर्भया कांड के दोषी हैं, उनके इंटरव्यू के प्रसारण पर रोक लग जायेगी। लेकिन कम से कम वर्ल्ड ब्रोडकास्टिंग फोरम पर इस मामले को उठाना जरूरी है। इसे लेकर आज हमारी तमाम महिला माननीय सदस्या हों या पुरुष हो, हम सारे लोग पीड़ित हैं तो निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसे वर्ल्ड ब्रोडकास्टिंग फोरम पर भी इस मामले को जरूर उठाये कि क्या उस कंडीशन का वॉयलेशन हुआ है और भारत के बाहर भी उसकी ब्रोडकास्टिंग पर रोक लगनी चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: इस विषय को पहले ही उठाया जा चुका है और माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब भी दिया था।

*__डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम):__ माननीय उपाध्यक्ष महोदय। वणक्कम।

भारत में सदियों से महिलाओं को उच्च सम्मान दिया गया है, फिर भी हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या और लड़कियों के प्रति घृणा की भावना अभी भी व्याप्त है। वर्ष 1941 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 1010 महिलाएं थीं। वर्ष 2001 में यह घटकर 1000 पुरुषों पर 927 महिलाओं तक आ गया। वर्ष 2011 में यह संख्या और अधिक गिरकर 1000 पुरुषों पर केवल 919 महिलाओं तक रह गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति और भी चिंताजनक है, जहाँ लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर केवल 871 महिलाएं है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा में *'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'* अभियान की शुरुआत की, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, दहेज से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना, और महिलाओं को शिक्षा व रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में, माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने वर्ष 1992 में तमिलनाडु में 'क्रैडल बेबी योजना' की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य परित्यक्त बालिकाओं को संरक्षण और उनके पालन-पोषण में सहायता प्रदान करना था। यह योजना आज भी तमिलनाडु में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। मदर टेरेसा इस योजना के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुई थीं और चेन्नई यात्रा के दौरान उन्होंने तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय पुरच्ची थलैवी अम्मा की सराहना की थी, जिन्होंने बालिकाओं को बचाने के लिए इस तरह की संवेदनशील योजना को लागू किया। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4500 से अधिक बालिकाओं को बचाया जा चुका है और वे आज समाज में ऊँचे पदों पर कार्य कर रही हैं।

मेरा आग्रह है कि क्रैडल बेबी योजना को पूरे देश में लागू किया जाए। धन्यवाद।

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री राम प्रसाद सरमा (तेजपुर): महोदय, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जो विशेष रूप से उत्तर-पूर्व और खासकर असम से जुड़ा है, बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, मान्यवर। असम में बेरोजगारी में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन वहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ तक कि लघु और कुटीर उद्योग भी मौजूद नहीं हैं।

भारत सरकार को चाहिए कि वह इस दिशा में ठोस कदम उठाए, ताकि पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को समग्र रूप से लाभ मिल सके। इस क्षेत्र में भरपूर प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं — जैसे खनिज, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और सीमेंट — लेकिन इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है क्योंकि औद्योगिकीकरण का अभाव है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि नई उत्तर-पूर्व औद्योगिक नीति बनाई जाए ताकि जैविक उद्योगों सहित छोटे और कुटीर उद्योगों को उत्तर-पूर्व में बढ़ावा मिले और साथ ही उत्तर-पूर्व को भारत के जैविक केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): तेलंगाना राज्य में अधिवक्ता समुदाय पिछले दो सप्ताह से न्यायालयी कार्यवाही से विरत है। उनकी दो प्रमुख मांगें हैं, जिनमें पहली मांग है — तेलंगाना राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना। दूसरी मांग यह है कि जूनियर सिविल जजों की भर्ती प्रक्रिया, जिसकी अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाने वाली है और जिसके लिए परीक्षाएँ आयोजित की जा रही हैं, फिलहाल रोकी जाए। महोदय, ये विषय पहले ही सरकार के संज्ञान में लाए जा चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इन्हें लाऊंगा। हाल ही में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तेलंगाना राज्य के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि हमने पहले ही विधि मंत्री जी के समक्ष ये तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं, और विधि मंत्री जी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इस न्यायालय की स्थापना के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 30 ने आश्वासन दिया है कि दो अलग-अलग अदालतों की स्थापना की जाएगी। लेकिन, दुर्भाग्य से, इस अधिनियम ने इसके लिए कोई समय-सीमा नहीं दी है। इसी कारणवश इस मुद्दे को किसी न किसी बहाने से टालने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे तेलंगाना में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए अविलंब आवश्यक कदम उठाएँ।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, 03.09.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक दिशानिर्देश जारी किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अधिकृत किया गया था, जिसके तहत अध्यापकों को वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में सन् 1960 के बाद से ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालयों को त्रिभाषा कोर्स के अंतर्गत 2005 तक वेतन दिया जा रहा था। लेकिन सन् 2005 से त्रिभाषा कोर्स के अंतर्गत सरकार ने वेतन देना बंद कर दिया है। जिससे सर्वोच्च न्यायालय के उस दिशानिर्देश की अवहेलना भी हो रही है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जा रहा है, उसमें से ही कटौती कर के उपरोक्त विद्यालयों को जो ए श्रेणी के मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, उनके त्रिभाषा अध्यापकों को वेतन देने का आदेश देने की कृपा करें।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र से चुन कर आता हूं। यह भगवान बुद्ध की तपोस्थली रही है। इसकी महत्ता को देखते हुए 4 अप्रैल, सन् 1997 को उत्तर प्रदेश की ब.स.पा. सरकार ने एक अलग जिले का गठन किया था। पिछले 16-17 साल में प्रदेश सरकार के सारे कार्यालय वहां खुल चुके हैं। लेकिन कई बार निवेदन करने के बावजूद भारत सरकार के जो कार्यालय वहां खुलने चाहिए थे, वे आज तक नहीं खुले हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर एक रिज़र्वेशन काउंटर खोलने की कृपा करें। आज तक वहां एक पोस्ट ऑफिस नहीं खुला हुआ है, जबकि वह पूरा एक ग्रामीण अंचल है। वहां पर कोरियर की कोई सुविधा नहीं है। वहां का सारा जनमानस पूरी तरह से पोस्ट ऑफिस पर निर्भर है। वहां एक पोस्ट ऑफिस खोलने की कृपा करें। क्षेत्र में एक भी इंकम टैक्स का कार्यालय नहीं है, जिससे लोगों को इलाहबाद आना पड़ता है। ...(व्यवधान)

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से किसानों की एक जबरदस्त समस्या को माननीय वित्त मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं। राजस्थान में और विशेष रूप से मेरे संसदीय

क्षेत्र में ग्रामीण बैंको के द्वारा, नाबार्ड और रिज़र्व बैंक की जो ऋण नीति है, उसके विपरीत कुछ चार्जेज़ ज्यादा लिए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा सन् 2011 तक 11 प्रतिशत पर किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज पर दिया जाता था। सन् 2011 के बाद में यह 14 पर्सेंट कर दिया गया। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट यानी तीन प्लस दो कुल फाइव परसेंट है और 9 परसेंट ब्याज किसान को देना पड़ता है। बैंको के द्वारा जो अलग-अलग चार्जेज हैं, इवैल्युएशन चार्जेज, विजिट चार्जेज, प्लस टेन प्लस टेन, टेन परसेंट बच्चों की पढ़ाई के लिए लेते हैं। इस तरह उनसे तीस परसेंट के ऊपर पन्द्रह परसेंट ब्याज लिया जा रहा है। लिहाजा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि वे निर्देश फरमाएं कि इनसे 9 परसेंट से ज्यादा ब्याज न लिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सभा सोमवार, 9 मार्च, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>सांय 6.26 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 9 मार्च, 2015 / 18 फाल्गुन, 1936 (शक)

के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेज़ी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित